राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 11] पंचम् विधान सभा के 11वें सत्र का 16वां दिवस [संख्या 12

मंगलवार,

दिनांक 23 मार्च, 1976

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।
(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(वित्त, सिंचाई, चिकित्सा, शिक्षा, खनिज, आयुर्वेद, जनस्वास्थ्य, विद्युत्, गृह, सार्वजनिक निर्माण, यातायात, उद्योग, योजना, पर्यटन एवं सैनिक कल्याण-विभाग)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

बाड़मेर नगर की जल प्रदाय योजना

274. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर नगर की संशोधित जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत कितने नलकूप बनाये गये, उनमें से कितने सफल हुए और कितने असफल और कितने विकसित होकर कमीशन कर दिये गये ?

(2) बाड़मेर नगर की माडरवा बोथिया नलकूप जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत कितने नलकूपों को इस समय उपयोग में लाया जा रहा है और उनसे कितना पानी बाड़मेर नगर की पचास हजार आबादी को, कितना पानी दस हजार ग्रामीण आबादी, जो उक्त योजना से सम्बन्धित है को, उत्तरलाई हवाई अड्डे, मिलिट्री, बी० एस० एफ०, और रेलवे का सप्लाई किया जा रहा है ? अलग अलग आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि जो पानी सप्लाई किया जा रहा है वह उपरोक्त आबादी के लिये बिल्कुल अपर्याप्त है ?

(4) क्या यह सही है कि भू-जल विभाग द्वारा जो उक्त संशोधित योजना के लिये नलकूप बनाये जा रहे हैं, उनकी गति बड़ी धीमी है जिसके कारण यहां भयंकर जल समस्या की स्थिति पैदा हुई है ? यदि हां, तो क्या भू-जल विभाग अधिक से अधिक ड्रिलिंग मशीनों की व्यवस्था कर जल्दी से जल्दी नलकूप तैयार कर कमीशन करेगा ताकि गर्मी के दिनों में जल संकट की समस्या का समाधान किया जा सके ?

राज्य मंत्री (श्री जुझारसिंह) : (1) संशोधित जल प्रदाय योजना बाड़मेर के

Page No.2

(श्री जुझारसिंह)

अन्तर्गत भाडरवा में कुल 6 नलकूप बनाये गये हैं जिनमें से 2 असफल हुए हैं, 2 विकसित किये जाने बाकी हैं एवं 2 नलकूप विकसित कर कमीशन कर दिये गये हैं।

(2) इस समय भाडरवा व बोदिया से 3 नलकूपों द्वारा बाड़मेर नगर को प्रतिदिन 4 लाख गैलन, ग्रामीण आबादी को 20 हजार गैलन, उत्तरलाई हवाई अड्डे को 20 हजार गैलन एवं मिलिट्री बी. एस. एफ. को 5 हजार गैलन जल प्रतिदिन वितरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना चूली भादरेश को टेस्टिंग हेतु 50 हजार गैलन जल प्रतिदिन काम में लिया जा रहा है।

(3) जी हां।

(4) भू-जल विभाग को तैयार नलकूपों को शीघ्र विकसित करने एवं शेष 2 नलकूप भी शीघ्र बनाने हेतु कहा जा चुका है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या (3) के उत्तर में यह तो स्पष्ट मान लिया गया है कि जो व्यवस्था की जा रही है वह अपर्याप्त है। मैं यह जानना चाहता हूं कि पर्याप्त व्यवस्था आप कब तक कर देंगे ?

श्री जुझारसिंह : अभी एक नलकूप को दो तीन दिन पहले कमीशन किया गया है, उसकी डेढ़ लाख गैलन की क्षमता है, यह पहले से बढ़ गई है। दूसरे काम हो रहे हैं उनसे दो महीने के करीब में पांच लाख गैलन की सप्लाई बाड़मेर को होने लग जायगी।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह नार्म्स हैं, टाउन में प्रति व्यक्ति कितनी सप्लाई की जाय, विलेज में कितनी सप्लाई की जायतो बाड़मेर टाउन की जनसंख्या को आधार मानें तो उसके हिसाब से कितना पानी पहुँच रहा है और कितना पानी पहुंचाना है नार्म्स के अनुसार ?

श्री जुझारसिंह : टोटल रिक्वायरमेंट स्कीम के तहत 8-9 लाख गैलन की है, उसके अगेन्स्ट अभी 5 लाख गैलन उपलब्ध है, 4 लाख का गैप है। यह स्कीम है, यह 1977-78 तक पूरी की जाने वाली है, इन फेजेज पूरी होगी। अगली साल 25 लाख का प्रोविजन है, उसके बाद इस साल में कोशिश की जा रही है जो मौजूदा कुए हैं उनमें थोड़ा बोरिंग कर पानी की कैपेसिटी को बढ़ाया जाय, और इनकम्पलीट हैं उनको कम्पलीट किया जाय। जो सारी रिक्वायरमेंट है वह 1977-78 में पूरी हो सकेगी।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जो पानी ट्यूब वैल्स से प्राप्त करेंगे इसको प्रिजर्व करने के लिये आपका क्या प्रोग्राम है ?

श्री जुझारसिंह : ग्राउण्ड लेवल टंकी भाडरवा में है, ओवर हैड टंकी बाड़मेर में हैं, अभी बन रही हैं। अन्डर ग्राउन्ड टंकी, नालियां बाड़मेर में हो इनका काम स्टार्ट करने के लिए आर्डर किया गया है और आर्डर सेंक्शन होने पर काम इन प्रोग्रेस हैं इन ग्राउन्ड लेवल टंकी और ओवर हैड टंकी का।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : बाड़मेर में ओवर हैड टंकी बनाई जा रही है, यह कब तक सम्पूर्ण कर दी जायगी ?

Page No.3

श्री जुझार सिंह: अगले दो महीने में।

श्री उपाध्यक्ष: नेक्स्ट। श्रीराम रघुनाथ चौधरी।

नागौर जिले में 132 के. वी. की लाइन

275. **श्री रामरघुनाथ चौधरी** (डेगाना): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नागौर जिले में 132 के. वी. की लाइन स्वीकृत की गई है? अगर नहीं, तो कब तक की जा सकेगी? और अगर हां, तो यह लाइन जिले के किस क्षेत्र के लिये है?

(2) उक्त विद्युत् लाइन किन किन गांवों से होती हुई कहां से कहां तक खींची जायेगी तथा यह कार्य कब शुरू कर कितने समय में पूरा कर दिया जावेगा?

(3) इस कार्य के लिये कितनी धनराशि की स्वीकृति अभी की गई है तथा कुल कितनी धनराशि लगने का अनुमान है?

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह): (1) जी हां। मकराना एवं डीडवाना क्षेत्र के लिये।

(2) फुलेरा से मकराना 132 के. वी. व रतनगढ़ से डीडवाना 66 के. वी. लाइन बनाई जायगी।

(3) आवश्यक सामान इसी वर्ष में इकट्ठा किया जा रहा है व पूरा कार्य वर्ष 1976-77 में पूरा करने का प्रयास मंडल कर रहा है। दोनों कार्यों के लिये वर्ष 1975-76 में 99 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, और वर्ष 1976-77 में 98 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। दोनों कार्यों की कुल अनुमानित लागत करीब 260.00 लाख रुपये होगी।

श्री रामरघुनाथ चौधरी: माननीय उपाध्यक्ष, मैं पूछना चाहता हूं कि 132 के. वी. लाइन डेगाना और मेड़ता को भी जोड़ पायगी?

श्री खेत सिंह: एक लाइन जैसा कहा, मकराना से जो आ रही है, मकराना और डीडवाना, वह बड़ी लाइन है 132 के. वी. की, इसमें बीच में पड़ने वाले गांव हैं, बीच में गांव और कस्बे आते हैं, उनको यह विद्युत् नहीं देगी। यह बड़ी लाइन है। इसको स्टेप डाउन करके छोटी लाइन किया जाना ठीक है या नहीं—मुझे मालूम नहीं है। इस 132 के. वी. लाइन में डेगाना आता है या नहीं— यह नहीं कह सकता। लेकिन इतना निश्चित मानिये कि पूरे इलाके में लाइन लगाई जा रही है जिससे सारे इलाके का विद्युतीकरण हो सकता है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी: 132 के.वी. लाइन नागौर जिले की है, मुझे सूचना दी गई थी रीजनल मीटिंग में, जो जोधपुर में हुई कि यह लाइन मकराना होकर जोधपुर को कनेक्ट करेगी और डेगाना व मेड़ता होकर निकलेगी। स्टेप डाउन कहां किया जा रहा है, यह और बात है। मुख्य लाइन ड्रा की जा रही है फुलेरा से जोधपुर को मिलाने की– उसके बारे में मेरी जो सूचना है वह गलत मानूं या सही?

श्री खेतसिंह: जो मेरे पास सूचना है उसके अनुसार ब्यावर से 132 के.वी. लाइन मेड़ता जायगी। अब ब्यावर मेड़ता के बीच में डेगाना अटकता है या नहीं– यह सोचने की बात है। दूसरी लाइन

Page No.4

(श्री खेतसिंह)

जायेगी, वह फुलेरा से मकराना जायगी, वह 132 के.वी. लाइन जायगी। तीसरी लाइन जायेगी वह रतनगढ़ से डीडवाना जायेगी, वह 66 के.वी. की जायेगी।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मैं फुलेरा से जोधपुर के बारे में पूछ रहा हूं कि रेल्वे लाइन के पैरेलल लाइन मकराना से डेगाना और मेड़ता ले जाने की योजना है। मुझे बताया गया था, उसके लिए 3 करोड़ 65 लाख के करीब की स्वीकृति हो चुकी है। ऐसा बताया गया था, क्या यह सही है ?

श्री खेतसिंह : आपने क्वेश्चन तो पूछा है मकराना लाइन के लिए, अब आप फरमा रहे हैं जोधपुर को पहुंच जायगी—इसकी जानकारी नहीं है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मैं नागौर जिले के लिए पूछ रहा हूं, जोधपुर लाइन कहां कहां जायगी ? डेगाना, मेड़ता, नागौर जिले का अंग है। मुझे यह पूछना है, जैसा आपने कहा कि जो मैन लाइन है वह छोटे गांवों को नहीं जोड़ सकती तो जो फुलेरा से रवाना होगी 132 के. वी. लाइन, वह कहां होकर जायेगी ? एक जिला उसमें आता है वह नागौर आता है। और करीबन 3 करोड़ 65 लाख की स्वीकृति की बात कही गई है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं वह सही थी या गलत थी ? या यह लाइन जा रही है, इस तरह लाइन जाने वाली है वह रद्द कर दी गई है ?

श्री ओंकारलाल चौहान (डग) : मैं भी पूछना चाहता हूं एक प्रश्न। 132 के. वी. लाइन खींच रहे हैं, यह लाइन खींची जाती है उसमें मोटी मोटी जगह जोड़ी जाती हैं, बीच में आने वाली जगहों को जोड़ने का नहीं रखा गया है ?

श्री खेतसिंह : पहले डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है उसके लिए निवेदन करना चाहता हूं कि तीन लाइन आपके नागौर जिले की है जिनके बारे में इन्फोर्मेशन देना चाहता हूं, एक तो है फुलेरा से मकराना जायगी 132 के.वी. लाइन, जिसके लिए 99 लाख का प्राविजन है। दूसरी लाइन, जैसा निवेदन किया था, वह है जो रतनगढ़ से डीडवाना जायगी, वह 66 के.वी. की लाइन है। तीसरी लाइन जैसा निवेदन किया, वह ब्यावर से जायगी मेड़ता, वह जायगी 132 के.वी.लाइन। यह तीन लाइन के बारे में इन्फार्मेशन है जो मैं दे रहा हूं।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मेरा प्रश्न यह है कि 132 के.वी. लाइन फुलेरा से मकराना होते हुए, डेगाना, मेड़ता होते हुए पैरेलल टू लाइन जाने वाली है, जिसकी स्वीकृति हो चुकी है 3 करोड़ 65 लाख की ?

श्री खेतसिंह : मेरे पास इन्फार्मेशन नहीं है।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : यह अर्ज कर दें कि लाइन अन्तरिक्ष में जायगी।

श्री खेतसिंह : यह इन्फार्मेशन नहीं है, यह लाइन आगे पैरेलल चलती हुई जोधपुर पहुंचेगी या नहीं। यह क्वेश्चन भी आपने पूछा नहीं था, इससे ताल्लुक भी नहीं है। यह आगे पूछ सकते हैं कि जोधपुर से बाड़मेर जायगी। यह थोड़ा सा समझें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : सारा ताल्लुक डेगाना से है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मैं नागौर जिले की लाइन के बारे में पूछ रहा हूं, उसके बारे में जानकारी चाहता था। मेरी जानकारी है इसके लिए जिम्मेदार हैं आफिसर उन्होंने सूचना दी थी। मैं नागौर जिले से सम्बन्धित प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पैरेलल ट्रू लाइन कोई लाइन नहीं जा रही है तो कोई बात नहीं है। जो मुझे सूचना दी गई है वह सही है या गलत, यह मैं पूछ रहा हूं।

श्री खेतसिंह : मुझे डिपार्टमेंट ने सूचना दी है, उसके अनुसार अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

प्रश्न सं० 276

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगाराम चौधरी।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मनोहर कोठारी।

राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा पुस्तकों का प्रकाशन

277. **श्री मनोहर कोठारी** (नाथद्वारा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान साहित्य अकादमी ने स्थापना से 1975-76 तक कितनी पुस्तकों का प्रकाशन किया? तालिका लेखक के नाम सहित सदन पटल पर रखें।

(2) किन लेखकों को पुस्तक प्रकाशन के लिए कितनी कितनी राशि प्रदान की? तालिका लेखक के नाम सहित सदन के पटल पर रखें।

(3) राजस्थान साहित्य अकादमी ने प्रकाशित पुस्तकों की कितनी बिक्री की है?

(4) विभिन्न लेखकों को पुस्तक के एवज में एक मुश्त व रायल्टी स्वरूप कितनी कितनी राशि उक्त अवधि में दी है? तालिका लेखक के नाम सहित सदन के पटल पर रखें।

(5) क्या राजस्थान साहित्य अकादमी पुस्तक प्रकाशन की संतोषजनक रूप से भूमिका निभा सकी है? यदि हां, तो किस दृष्टि से? और नहीं, तो क्यों?

शिक्षा मन्त्री (श्री खेत सिंह) : (1) 92 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) अकादमी को मार्च 1975 तक पुस्तकों की बिक्री के रूप में 74,475-05 रुपये की आय हुई है।

(4) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) जी हां। अपने सीमित साधनों के अनुकूल उचित भूमिका निभाई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री मनोहर कोठारी : क्या मन्त्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि जो पुस्तकें साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित

Page No.6

(श्री मनोहर कोठारी)

हुई हैं उनमें ऐसी अश्लील पुस्तक हैं जिन्हें राज्य सरकार ने बेन कर दिया ?

श्री खेतसिंह : इस प्रश्न को आपने पूछा नहीं था कि कौनसी अश्लील पुस्तक है। आप नाम बताइए, अगर मुझे जानकारी है तो मैं बता दूंगा नहीं तो जानकारी हासिल करूंगा।

श्री मनोहर कोठारी : 68 पर है। गणेशचन्द्र जोशी मन्वन्तर की जनकजा।

श्री खेतसिंह : मैं जानकारी हासिल करूंगा और जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि बैन हो चुकी है इसका पता भी लगाऊंगा। अगर बैन्ड नहीं है तो बैन करूंगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : जो सेल हुई है, उसमें इसी किताब की ज्यादा सेल हुई है क्या ?

श्री खेतसिंह : मैंने सूची दी है शायद आपने नहीं देखी है। देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। कई भाषाओं के अन्दर यह अकादमी पुस्तकें तैयार करवाती है और प्रिंट करवाती है जो बहुत ज्यादा संख्या में हैं। इस पुस्तक की कितनी बिक्री हुई है, यह अलग से प्रश्न पूछें तो मैं जवाब दूंगा।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा लेखकों के चयन के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था है ?

श्री खेतसिंह : एक समिति बनी हुई है, वह इसकी जांच करती रहती है। जो अच्छी होती है उसका प्रकाशन होता है, जो अच्छी नहीं होती है उसका प्रकाशन नहीं किया जाता है।

श्री मनोहर कोठारी : इस पुस्तक का चुनाव किसने किया था और उन सदस्यों के नाम तो आपको मालूम होंगे ?

श्री खेतसिंह : अपने सवाल में यह एक और जोड़ देते तो मैं पूरी जानकारी ले आता। उसमें तो पूछा नहीं, यहां कुछ और पूछ रहे हैं। एक किताब को लेकर जानकारी आप चाहते हैं जो मैं नहीं दे सकता। जिस किताब के बारे में आपने पूछा है, आज ही मालूम करूंगा कि बैन है या नहीं, चयन कैसे हो गया, अगर अश्लील थी तो चयन नहीं होना चाहिए था, चयन समिति में कौन कौन बैठे थे, इसका कैसे चयन किया गया और आवश्यक हुआ तो ऐसे दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी रायल्टीज के पेमेंट्स को देखते हुए, क्या यह सही है कि इसमें पक्षपात किया गया है ? किसी को 300) किसी को 500) और किसी को 800), रायल्टीज देने में क्या विचार था?

श्रीमती मदनकौर : जो समिति बनाई गई है वह स्थाई समिति है या समय समय पर बदलते रहते हैं ?

श्री खेतसिंह : 4 भाषाओं के लिए अलग अलग 4 समितियां बनी हुई हैं। उनके सदस्य बार बार तो नहीं बदलते लेकिन जब अकादमी का समय समाप्त होता है उस समय जब नई अकादमी बनती है तो समितियां भी बदलती हैं। जहां तक रायल्टी का प्रश्न है कि किसी को 300) किसी को 500) किसी को 800) दिया, यह उनके क्राईटएरिया के बेसिस पर दिया होगा, वह मेरे पास नहीं है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है :

"विभिन्न लेखकों को पुस्तक के एवज में एक मुश्त व रायल्टी स्वरूप कितनी कितनी राशि उक्त अवधि में दी है ?" इसका यही पर्पज है कि रायल्टी देने में भारी पक्षपात हुआ है। अश्लील पुस्तकों को हेवी रायल्टीज दी गई है। इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि रायल्टीज देने में आपकी मान्यतायें क्या हैं, क्या नियम हैं ?

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित कर दें। अगली बार मैं पूरी जानकारी दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : पोस्टपोन्ड।

प्रश्न संख्या 278

श्री उपाध्यक्ष : श्री हाजी जान मोहम्मद।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री राम प्रसाद बोहरा : प्रश्न संख्या 278।

श्री उपाध्यक्ष : आपके पास अथोरिटी है ?

श्री राम प्रसाद बोहरा : नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बनवारी लाल।

प्रावधायी निधि कार्यालय

279. **श्री बनवारी लाल (धौलपुर)**:

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि एक अधिकारी को आश्रय देने हेतु प्रावधायी निधि निदेशालय का विभाग 12-7-74 से सृजित किया गया जिससे राज्य सरकार को प्रति वर्ष 1,15,000 का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ता है ?

(2) क्या यह सही है कि प्रावधायी निधि के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि लाखों की तादाद में वर्ष 1961-62 से उचन्त में पड़ी हुई है तथा यह राशि उसी अयोग्य अधिकारी के कारण पड़ी है जिसे कि बीमा विभाग के कार्य के साथ साथ प्रावधायी निधि का कार्य भी सौंपा गया था एवं इस कार्य के लिए उक्त अधिकारी विशेष पारिश्रमिक के रूप में 200) प्रति माह राजकोष से प्राप्त करता रहा ? प्रावधायी निधि की राशि जो, उचन्त में पड़ी है, की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि सन् 1956-57 से 1973-74 तक प्रावधायी निधि शाखा का कार्य राज्य बीमा विभाग द्वारा सम्पादित किया जाता रहा है ? यदि हां, तो अब ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से इस शाखा को एक स्वतंत्र निदेशालय के रूप में सृजित किया गया हैं ?

(4) क्या यह सही है कि विभाग के निदेशक द्वारा कर्मचारियों पर अनुचित दबाव डाल कर प्रावधायी निधि विभाग में ही रहने के लिए हस्ताक्षर करवाए गए हैं तथा राज्य सरकार ने उसी को आधार मान कर राज्य बीमा विभाग एवं प्रावधायी निधि विभाग के कर्मचारियों की वरिष्ठता अलग करने का निर्णय दिया है ? यदि हां, तो कार्मिक विभाग के आदेश के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी से विकल्प पत्र स्वतंत्र रूप से क्यों नहीं भरवाए गए ?

Page No.8

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

(5) क्या यह सही है कि प्रावधायी निधि शाखा की विभागीय कर्मचारी समिति के संयोजक ने राज्य सरकार को उन कर्मचारियों की सूची प्रस्तुत की है जिनसे निदेशक ने दबाव डाल कर प्रावधायी निधि निदेशालय में रहने हेतु हस्ताक्षर करवा लिए थे? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की? क्या राज्य सरकार उक्त निदेशालय के कर्मचारियों की वरिष्ठता के संबंध में पुन: विचार कर उन्हें राज्य बीमा विभाग की ही वरिष्ठता पर रखने का निर्णय करेगी?

राज्य मंत्री, वित्त (श्री जुझार सिंह): (1) प्रावधायी निधि निदेशालय का सृजन प्रशासनिक कारणों से किया गया है।

(2) उचन्त में पड़ी राशि की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। राशि का गलत वर्गीकरण होने, क्रेडिट प्राप्त हो जाने किन्तु कटौती विवरण पत्रों के प्राप्त न होने, क्रेडिट व कटौती पत्रों के योगों में अंतर होने, दोहरी क्रेडिट प्राप्त होने तथा कर्मचारियों के संबंध में अन्य आवश्यक सूचनायें प्राप्त न होने के कारण उक्त राशि उचन्त में पड़ी है।

(3) जुलाई सन् 1974 के पूर्व प्रावधायी निधि का कार्य बीमा विभाग में संपादित होता था। बीमा विभाग के बढ़ते हुए कार्य को ध्यान में रखते हुए प्रावधायी निधि का अलग विभाग बना दिया गया।

(4) कर्मचारियों ने स्वेच्छा से ही प्रावधायी निधि विभाग में रहने का विकल्प दिया था।

(5) जी हां। विभागीय समिति के संयोजक ने सूची दी थी परंतु इसके बाद उन्हीं कर्मचारियों ने जिनके नाम संयोजक ने अपनी सूची में दिए थे, पुन: प्रावधायी निधि विभाग में रहने की इच्छा प्रकट की और उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गयी। (सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री बनवारी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, कार्य एफीशियेन्टली बीमा विभाग के साथ इस प्रोवीडेन्ट विभाग का हो रहा था फिर एक ही व्यक्ति को व्यक्तिगत लाभ देने के लिये क्यों किया गया? दूसरे इसके लिये पहले सौ रुपया माहवार ही खर्चा होता था जब कि अब इसके लिये डेढ़ लाख रुपया अधिक राज्य सरकार को खर्च करना पड़ा है। इतना होने के बावजूद भी इस विभाग की कोई प्रोग्रेस नहीं है। इस विभाग में आज भी 31 लाख रुपये से अधिक धनराशि सस्पेन्स में पड़ी हुई है।

श्री जुझारसिंह : माननीय सदस्य का जो कहना है कि पहले बीमा विभाग और पी० एफ० विभाग दोनों एक ही डिपार्टमेन्ट के साथ में लगे हुए थे, यह सही है लेकिन इसके लिये राज्य सरकार को कोई अधिक धनराशि खर्च करने की आवश्यकता नहीं हुई है। पहले पी० एफ० और बीमा विभाग के स्टाफ पर टोटल 39 लाख रुपया खर्च होता था। अब इसके होने से कोई स्टाफ में बढ़ोतरी नहीं की गयी है। कोई अधिकारी या क्लर्क्स नहीं बढ़ाये गये हैं। जो लोग वहां पर पी० एफ० सेक्शन में काम करते थे उन्हें इस विभाग में ट्रान्सफर किया गया था। इसके साथ साथ यह भी है कि उन पी०एफ०

(श्री जुझारसिंह)

सेक्शन के लोग इधर ट्रान्सफर होने से बीमा विभाग में कोई स्टाफ नहीं बढ़ाया गया है और राज्य सरकार के कोष पर कोई अधिक खर्च नहीं किया गया है।

श्री बनवारी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इन निदेशक महोदय के खिलाफ में बीमा विभाग में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के बारे में शिकायतें आई और उसके बाद में श्री डी० आर० मेहता उसके इन्क्वायरिंग आफिसर नियुक्त हुए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा कि यह अधिकारी प्रशासन के लिये अयोग्य है। इसलिये इन्हें वहां से हटाया गया। क्या यह बात सही है कि इन महाशय को ओबलाइज करने के लिये एक नये निदेशालय की स्थापना की और इन्हें निदेशक बना दिया गया है?

श्री जुझारसिंह : यह बात नहीं है।

श्री बनवारी लाल : क्या यह बात सही नहीं है कि श्री डी० आर० मेहता ने अपनी रिपोर्ट में इनके लिये 'अयोग्य अधिकारी' लिखा है?

श्री जुझारसिंह : यह बात मेरी जानकारी में नहीं है। मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार he was exonerated from the charges.

श्री बनवारी लाल : अगर आपके पास ऐसी जानकारी नहीं हो तो आप उसकी जानकारी करा लें। इसको पोस्टपोन करवा दें।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बूंदी): क्या मन्त्री महोदय की जानकारी में यह बात नहीं है कि बीमा विभाग के वे पहले डाईरेक्टर थे उस वक्त उनके खिलाफ में शिकायतें बहुत पेश हुईं और उनमें कई प्रकार की अनियमितताओं का उल्लेख किया गया था। उसके लिये डी० आर० मेहता कमेटी बैठी थी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा स्पष्ट तौर पर कि यह महाशय प्रशासन के काबिल नहीं हैं।

श्री जुझारसिंह : जिस इन्क्वायरी आफिसर ने इसकी इन्क्वायरी की थी उसने इनको एग्ज़ोनरेट किया। इसलिये इनके खिलाफ जो चार्जेज लगाये हैं वह साबित नहीं हुए हैं।

श्री बनवारी लाल : क्या उन्होंने अपनी रिपोर्ट में उनके अयोग्य होने का नहीं किया है।

श्री जुझारसिंह : जो भी रिपोर्ट आयी वह मैंने बता दी।

श्री बनवारीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही नहीं है। दूसरे वहां पर आज लाखों रुपया सस्पेन्स अकाउन्ट में पड़ा हुआ है। कई लोग बेचारे मर गये हैं। उनके परिवारों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। कई लोग रिटायर हो गये हैं, उन्हें भी पैसा नहीं मिला। आखिर यह कब तक होता रहेगा?

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही नहीं है। अलग से निदेशालय खोलने से वहां पर प्रगति हुई है डिपार्टमेन्ट में बहुत काम हुआ है और इन दो सालों में काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई है। जहां पर लोगों के कन्ट्रीब्यूशन देने की संख्या पहले 46,581 थी वह अब बढ़ कर 51,110 हो गई है। इसी तरह से पी० एफ० की टोटल

(श्री जुझार सिंह)

डिपोजिट की राशि 4 करोड़ 35 लाख रुपये थी वह अब 5 करोड़ 85 लाख रुपये हो गई है। इसी प्रकार जो रिसीप्ट्स थी वह 82 लाख रुपये की थी वह अब 96 लाख हो गयी। इस प्रकार उसमें भी 13 लाख 40 हजार रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसीप्रकार कलेम्स भी करीब 7 लाख 81 हजार रुपये के इन दो सालों में फाईनल हुए हैं। इस प्रकार काफी सुधार हुआ है।

श्री बनवारी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि आपके यहां पर कितने केसेज पेन्डिग है? आप उनकी जानकारी दें।

श्री जुझार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जानकारी अभी मेरे पास....

श्री बनवारीलाल : अगर आपके पास पूरी जानकारी नहीं है तो आप इसको पोस्टपोन करवा दें।

श्री उपाध्यक्ष : Government is trying to satisfy you.

श्री जुझारसिंह : मैं अभी बतलाता हूं। Just a minute. इसमें सुधार हुआ है। इसमें 1057 हैं....

श्री बनवारी लाल : 1057 क्या है? रुपये, आदमी, क्या हैं?

श्री जुझारसिंह : केसेज।

श्री बनवारी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि आपने कई व्यक्तियों को बीमा विभाग से ट्रान्सफर इस डिपार्टमेंट में कर दिया। जैसा कि मैंने प्रश्न संख्या (5) में लिखा है कि निदेशक ने कर्मचारियों पर अनुचित दबाव डाल कर प्रावधायी निधि विभाग में ही रहने के लिये हस्ताक्षर करवाये, और राज्य सरकार ने उसी को आप्शन मान लिया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन लोगों से कोई आप्शन नहीं लिया गया है और जिन लोगों ने आप्शन दिये हैं वह अनुचित दबाव डालने से दिये हैं। क्या आप इसके लिये कोई इन्क्वायरी करायेंगे?

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो बीमा विभाग में पी. एफ. सेक्शन में काम कर रहे थे उनसे ऑप्शन लिया गया था। आप जिस व्यक्ति की शिकायत करने की बात कहते हैं उसमें आदमी ने बीमा विभाग में रहने का आप्शन दिया था।

श्री बनवारी लाल : मेरा चार्ज यह है कि उन लोगों पर अनुचित दबाव डालकर उनसे पी. एफ. विभाग में रहने का ऑप्शन लिया गया। लिया गया या नहीं, इसको आप कोई इन्क्वायरी करायेंगे या नहीं?

श्री जुझारसिंह : यह बात सही नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला।

सेवा निवृत्त अध्यापकों की पेन्शन

280. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में 1973-74, एवं 74-75 में शिक्षा विभाग के कितने वरिष्ठ एवं

Page No.11

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

सहायक अध्यापकों को सेवा निवृत्त किया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या सभी सेवा निवृत्त अध्यापकों (अनिवार्य सेवा निवृत्त एवं सेवा निवृत्त) को पेन्शन मिलना शुरू हो गया है ? यदि नहीं तो, किस किस को और इसके क्या कारण है ? उपरोक्त सेवा निवृत्त अध्यापकों को अब पेन्शन कब तक दिला दी जावेगी?

शिक्षा मन्त्री (श्री खेतसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को पोस्टपोन किया जाये क्योंकि यह प्रश्न बहुत बड़ा है और इस प्रश्न में राजस्थान के सभी जिलों से सूचना मंगानी पड़ेगी। इसको पोस्टपोन किया जावे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, जितने मन्त्री जी बड़े हैं उतना ही इनका डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग, बड़ा है। मेरा निवेदन यह है कि इसको इसी सेशन में लिया जाय।

श्री दीपंकर : आप तो मन्त्री जी के पास बैठे हुए हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : पास में तो ट्रेनिंग लेने के लिये बैठा हुआ हूं लेकिन वह मुझे ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं।

प्रश्न संख्या 281

श्री उपाध्यक्ष : पोस्टपोन।

नेक्स्ट। श्री गिरधारीलाल भार्गव।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : अगर आप अलाऊ करें तो मैं पूछूं।

श्री उपाध्यक्ष : इसके बारे में मुझे थोड़ा निवेदन सदन को करना है जो मैं पहले निवेदन करदूं।

व्यवस्था का प्रश्न
अनुपस्थित सदस्यों के प्रश्न

श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा ने उनके द्वारा विधान सभा के बजट सत्र के लिये भेजे गये, प्रश्नों को पूछने का अधिकार श्री गुरदयाल सिंह सन्धु सदस्य विधान सभा को दिया है। मेरी दृष्टि में अनुपस्थित सदस्यों के प्रश्नों को पूछे जाने के विषय में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 45 के अन्तर्गत यह मामला नहीं आता। उक्त नियम की मंशा यह है कि यदि कोई माननीय सदस्य किसी विशेष दिन सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकता तो वह अपने द्वारा रखे गये किसी विशिष्ट प्रश्न को पूछने का अधिकार अन्य माननीय सदस्य को दे सकता है किन्तु सम्पूर्ण सत्र के लिये अनुपस्थित रहने के कारण प्रश्नों के पूछने का सामान्य अधिकार किसी अन्य सदस्य को नहीं दिया जा सकता। इस संबंध में काल एण्ड शकधर की पुस्तक "प्रेक्टिस एण्ड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट" का संबंधित अंश इस प्रकार है :—

"The authority given by a member to another to ask questions in his absence must be in writing and specify the question and the date on which it is to be asked. A general authority for a number of days or for the entire session has not been recognised."

(श्री उपाध्यक्ष)

इस संबंध में यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि जो सदस्य अनुपस्थित रहते हैं उनके प्रश्न अतारांकित प्रश्न के रूप में मान लिये जाते हैं और उनके उत्तरों की प्रति भी संबंधित माननीय सदस्यों को भेज दी जाती है। ऐसी स्थिति में मैं श्री भार्गव द्वारा भेजे गये अधिकार पत्र को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्षः नेक्स्ट। सुश्री शकुन्तला।

आमेर के विकास की योजना

282 **सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर)** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर आमेर की तुलना में आमेर में कितने विदेशी एवं देशी पर्यटक आते हैं तथा इनसे राज्य सरकार को कितनी आय होती है ?

(2) आमेर को विकसित करने के लिए जो आय पर्यटकों से होती है उसमें से किस अनुपात में कहां कहां के लिए कितना कितना पैसा या धनराशि स्वीकृत हुई है ?

(3) आमेर में पर्यटकों की दृष्टि से ऐसी कितनी जगह है जिनका विकास किया जा रहा है ? क्या राज्य सरकार ने आर्थिक स्रोत बढ़ाने की दृष्टि से इसका विस्तृत सर्वे करवाया है ? यदि हां, तो इन स्थानों को विकसित करने का क्या कार्यक्रम है ?

राज्य मन्त्री पर्यटन (श्री जुझारसिंह): (1) पर्यटकों का तुलनात्मक विवरण इस प्रकार है :—

	देशी	विदेशी
जयपुर	87,979	32,791
आमेर	2,83,987	देशी व विदेशी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं

अन्य

जयपुर–51,015 रुपये
आमेर–1,57,270 रुपये

(2) पर्यटकों की आय राज्य सरकार के राजस्व मद में जमा हो जाती है अतः आय में से सीधा कोई खर्चा करने का प्रश्न पैदा नहीं होता। बजट में आय का मद व खर्च का मद पृथक पृथक होता है।

(3) विकसित किये जा रहे स्थानों की सूची संलग्न है। राज्य सरकार ने अजमेर में पर्यटक स्थलों का विकास किया है जिससे ज्यादा पर्यटक आमेर की ओर आकर्षित हो सकें। आर्थिक दृष्टि से राज्य सरकार को कोई सीधी आय नहीं होती लेकिन अधिक पर्यटकों के आने से उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है तथा राज्य में उद्योग समृद्ध होते हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट सं. 2 देखें)

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : उपाध्यक्ष महोदय, जवाब में स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने आमेर में पर्यटक स्थलों का विकास किया है और साथ में जो सूची मुझे दी है उसमें दिया है कि विश्रामगृह, दलाराम का बाग और जलेब चौक वगैरह जो स्थानों के नाम बताये हैं। जो तालिका मुझे दी गई है, यह काम कितने समय में पूरा हो जायगा और क्या और भी आगे आमेर में सर्वे कराने की सरकार की योजना है ?

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह करीब करीब कम्पलीट है थोड़ा बहुत बचा है, वह कम्पलीट हो जायगा। बहुत ज्यादा समय लगने वाला नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं यह जानना चाहता हूं वहां काफी विदेशी पर्यटक आते हैं और वे हाथी की सवारी करते हैं। क्या राज्य सरकार की उन हाथियों और उनके महावतों को आमेर में ही बसाने की योजना है ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : क्या राज्य सरकार जहां हाथी खड़े होते है उनके शैल्टर्स का प्रावधान करेगी? नम्बर 1 क्या यह बताने की कृपा करेंगे, जो फॉरिन एक्सचेन्ज कमाते हैं उसकी कुल राशि कितनी मिलती है जयपुर द्वारा? नम्बर 2 और नम्बर 3, यह कि क्या राज्य सरकार इस बात को सोच रही है कि आमेर के करीब ही कहीं ऐसा कोई स्थान बना दिया जाय पर्यटकों के लिए कि वह आकर्षित हो सकें ? विदेशी लोग जानना चाहते हैं कि हाथी किस प्रकार सोता है, किस प्रकार खाता है—इस प्रकार का आपका कोई प्लान है क्या ?

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने डिपार्टमेंट के पास भी अप्रोच किया है कि हाथियों के लिए अस्तबल बनाया जाय। यह सुझाव अच्छा है किन्तु टूरिज्म के और भी स्थल हैं। वह अभी प्रायरिटी पर नहीं आते हैं। हम कोशिश करेंगे, इसके लिए कुछ न कुछ प्रावधान किया जाय। वह कब किया जा सकता है, और किस तरह का किया जा सकता है, यह अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूं लेकिन अस्तबल की योजना विचाराधीन है। आगे अमाऊन्ट अवेलेबल हुआ तो उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : क्या आप ऐसा महसूस नहीं करते""

(व्यवधान : व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, उनको बसाने के लिए जमीन देने की बात है। आपने नगरपालिका से बात की क्या इस सम्बन्ध में ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : क्या आप ऐसा महसूस नहीं करते है कि राजा महाराजाओं की शक्ति समाप्त हो जाने के बाद हाथी अनाथ हो गये और इस सम्बन्ध में आप कुछ दिलचस्पी लेकर कार्य करेंगे ?

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं सभी योजनाएं विचाराधीन हैं। आपने इस विभाग को सम्भालने के बाद आमेर को डवलपमेंट करने के लिये कितना खर्चा किया है ? इस तरह का एक टूरिस्ट कम्पलेक्स है इसको डवलप करने के लिए क्या क्या काम किये हैं ? यह जरा सदन को बताने का कष्ट करें।

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है मैंने बता दिया आमेर को डवलप करने के लिए जो काम किये हैं उसकी सूची है। यह जो कुछ किया गया है टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया है। अभी सेन्ट्रर ने टूरिस्ट सेन्टर होने के नाते डवलपमेंट के लिए 4 लाख 94 हजार की राशि उपलब्ध कराई है जिसमें नाहरगढ़ तक सड़क बनाने की योजना है। वह आमेर का ही एक

(श्री जुझार सिंह)

कम्पलेक्स है। टूरिज्म को थोड़ा बहुत बढ़ावा मिलेगा। अभी एक विश्राम गृह का निर्माण हुआ है। दलाराम बाग के कोर्ट यार्ड के परिवर्तन और परिवर्द्धन की बात सोच रहे हैं, जलेब चौक का विकास भी करीब हो चुका है, केसर की क्यारियों के विकास की भी योजना बनाई जा रही है, हाथियों के लिए अस्तबल बनाने की सोच रहे हैं, दुकानों की मरम्मत एवं रंगाई आदि के काम को भी देखा जा रहा है, नालियों के निर्माण का काम भी हाथ में लिया गया है इसी तरह जगत शिरोमणि के मन्दिर तक जाने वाली सड़क का कार्य भी हो रहा है ...

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहती हूं माननीय मंत्री जी जो कुछ फर्मा रहे हैं वह ठीक है लेकिन उसमें जगत शिरोमणि के मन्दिर तक सड़क की बात है, वह वर्क प्रोग्रेस में है, यह मैं जानकारी देना चाहती हूं तो इसलिए यह प्रश्न तो पैदा नहीं होता। दूसरा प्रश्न मैंने पूछा, और भी आमेर में बहुत सी ऐसी जगह हैं जिनका सर्वे कराया जाना चाहिये तो सर्वे कराने की मन्शा सरकार रखती है क्या ?

श्री जुझारसिंह : माननीय सदस्या क्या चाहती हैं, कोई लिस्ट दे देगी तो मैं कोशिश करूंगा। वैसे राजस्थान में टूरिज्म के स्थान आमेर के अलावा भी हैं जहां से डिमाण्ड आती है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, आमेर को डवलप करने के लिये पूरा कम्पलेक्स है कम खर्च में ज्यादा डवलपमेंट हो....

(व्यवधान : अश्रव्य)

मेरी अर्ज सुन लें पहले। काफी अच्छा काम किया है आपने। टूरिस्ट के जो स्थान हैं, उनका ठीक ढंग से विकास हो जाय....

श्री रघुनाथ विश्नोई : और तो नाम होगा न कोई....

श्री श्रीराम गोटेवाला : विश्नोईजी आपको मालूम नहीं है आमेर का, आप तो जालोर का डवलपमेंट करना चाहते हो। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य हाण्डा साहब ने कहा कि हाथी राजा-महाराजाओं के बाद अनाथ हो गये तो उपाध्यक्ष महोदय, इन हाथियों को और महावतों को काफी दूरी तय करके आना पड़ता है इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं उनको वहीं बसाने के लिये आप स्वायत्त शासन मन्त्री जी से और वहां की नगरपालिका से बात करें और उनको वहीं बसाने की व्यवस्था करें।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि आमेर हमारे देश का ..

श्री उपाध्यक्ष : No speech.

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : Yes. No speech.

(व्यवधानः अश्रव्य)

जैसे, उपाध्यक्ष महोदय, आगरा है इसी तरह आमेर है। इसका भी उसी दृष्टिकोण से विकास करना चाहिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, क्या टूरिस्ट डिपार्टमेंट की आमेर में कोई अच्छा रेस्टोरेन्ट या इस तरह का कोई सेन्टर बनाने की याजना है, क्योंकि आमेर एक टूरिज्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है।

श्री जुझारसिंह : जी नहीं, फिलहाल कोई योजना नहीं है।

प्रश्न संख्या 283

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्रीमती निर्मला कुमारी।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

श्री जयकिशनलाल।

जयपुर जिले में विभिन्न योजनाओं में व्यय की गई राशि

284. **श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा** (फागी) : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विभिन्न जिलों में योजनाओं के तहत सन् 1973 से 1975 तक कितनी राशि व्यय की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान की कुल कितनी आबादी है और जयपुर जिले की कितनी आबादी है ?

(3) क्या यह सही है कि आबादी के अनुपात में अन्य जिलों से यहां पर बहुत कम व्यय किया गया है ?

(4) क्या राज्य सरकार अगली योजना में इस जिले पर अधिक राशि खर्च करने का विचार रखती है ?

राज्य मन्त्री (श्री जुझारसिंह) : (1) जिलेवार योजना व्यय के आंकड़े संलग्न प्रपत्र में अंकित है।

(2) राजस्थान की आबादी 1971 की जनगणना के अनुसार 2,57,65,806 है एवं जयपुर जिले की 24,82,385 है।

(3) जी नहीं।

(4) अगली योजनाओं में जयपुर जिले में खर्च उसकी आवश्यकताओं एवं समस्याओं, राज्य के आर्थिक साधनों एवं योजना की प्राथमिकता को ध्यान में रख कर किया जावेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है, जैसी सूची दी हुई है, इसके अन्दर जयपुर जिले में 1973-74 में चार सौ लाख और 75 में 357 लाख योजना में खर्च बताया है। मेरा एक प्रश्न यह है क्या इस जयपुर सिटी और नगरपालिका की जितनी योजना है वह इस खर्च में सम्मिलित है या नहीं ?

श्री जुझारसिंह : जयपुर का मतलब पूरा जिला है।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : मेरा एक निवेदन है, अलग गांवों में खर्च करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रिक्ट का पूछा है, डिस्ट्रिक्ट का ही खर्च बताया गया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह प्रश्न संख्या (3) का उत्तर दिया है अगली

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

योजनाओं में जयपुर जिले में खर्च उसकी आवश्यकताओं एवं समस्याओं, आर्थिक साधनों व प्राथमिकता को ध्यान में रखकर किया जावेगा, क्या आप इसके आंकड़े देने की कृपा करेंगे ?

एक माननीय सदस्य : अलग से प्रश्न है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : नहीं नहीं, अलग से प्रश्न नहीं है।

श्री जुझारसिंह : प्रश्नकर्त्ता को आंकड़े दे दिये गये हैं। यह प्रश्न दो तीन दिन पहले भी डिटेल में आया था। माननीय मन्त्री जी ने इसकी चर्चा कर दी थी।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता भी शायद आप ही थे।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : आपने तीसरे भाग में यह लिखा "जी नहीं"। आबादी के हिसाब से जयपुर जिला अधिक रेवेन्यू देता है। तो यहां पर अधिक खर्च किया जाय और उस आधार पर योजना बनायी जाय। क्या इस आधार पर राज्य सरकार ने कोई योजना बनायी है ?

श्री जुझारसिंह : "जी नहीं" कहा है।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : आप लोगों के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। जिस आधार पर यह योजना बनती है और खर्च होता है, कौनसा जिला अधिक रेवेन्यू देता है उस आधार पर खर्चा करते है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : आपको यह बता दिया गया था, इन्कम बेस्ड।

श्री जुझारसिंह : जी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रामप्रसाद बोहरा।

कन्या सैकेण्डरी स्कूल, झालरापाटन का भवन

285. **श्री रामप्रसाद बोहरा** : (झालरापाटन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि झालरापाटन में कन्या सैकेण्डरी स्कूल की इमारत की मरम्मत एवं एक कमरा जो अधूरा है उसे पूरा कराने हेतु 14 हजार रु. की मांग की गयी थी परन्तु अभी तक कुछ भी आदेश नहीं किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक आदेश दे दिये जावेंगे ?

शिक्षा मन्त्री (श्री खेतसिंह) : निदेशालय से इस स्कूल के भवन के लिये 12,000/- रु० का प्रस्ताव भेजा गया था किन्तु वित्तीय संकोच के कारण स्वीकृत नहीं हो सका। बजट प्रावधान होने पर विचार अवश्य किया जायगा।

श्री रामप्रसाद बोहरा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि गत-वर्ष में 10 हजार रुपया देने का आश्वासन मुझे दिया था। इस साल दे नहीं रहे है। कमरा अधूरा पड़ा हुआ है। एक अर्ज करना चाहता हूं कि दो लाख रुपया लगा कर जनता ने आपको बिल्डिंग दे दी, चार हजार रुपया उसकी मरम्मत के लिये अलग से मांगा। 4 हजार भी नहीं देना चाहते।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वित्तीय संकोच में बदल दिया।

श्री खेतसिंह : माननीय सदस्य की बात से मैं सहमत हूं। दो लाख की विल्डिंग जनता से दिलवायी। हमारा भी प्रयास होना चाहिये। इस बार जो प्रावधान रखे गये हैं उसमें से प्रयत्न करेंगे कि कुछ पैसा दें।

श्रीमती उषा प्रकाश (वैर) : जहां कहीं भी इस प्रकार के कार्यों के लिये आपने आश्वासन दिये हैं तो उनको पूरा करेंगे ?

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आम तौर पर मैं ऐसा आश्वासन दिया नहीं करता हूं। और दिया है तो पूरा करूंगा।

श्रीमती उषा प्रकाश : धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री ओंकारलाल चौहान।

परिवार नियोजन के लिये कानून

286 **श्री ओंकारलाल चौहान** (डग) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य सरकार तीन बच्चों की उत्पत्ति के बाद आवश्यक रूप से एलिजिबल कपल्स का स्टेरिलाइजेशन करने के सम्बन्ध में कानून बनाने का विचार कर रही है ?

(2) यदि हां, तो कब तक इस पर विचार कर लिया जावेगा ?

(3) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

राज्य मन्त्री, चिकित्सा (श्रीमती कमला) : (1) परिवार नियोजन सम्बन्धी मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) शीघ्र ही आवश्यक निर्णय लिये जा सकेंगे।

(3) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग 1 के उत्तर में बताया गया है कि प्रश्न विचाराधीन है। कब तक इस पर विचार कर लिया जावेगा, माननीय मंत्री महोदया बतायेंगी ?

श्रीमती कमला : परसों ही चिकित्सा सम्बन्धी मांग के सम्बन्ध में माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी ने कहा था कि जैसे अन्य राज्य सरकारें अच्छे कानून बना रही हैं उसी प्रकार से राजस्थान सरकार भी अच्छे कानून का प्रावधान करेगी।

श्रीमती मदन कौर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनसंख्या की बढ़ोतरी एक राष्ट्रीय प्रश्न है। क्या राज्य सरकार उस समय तक इन्तजार नहीं कर सकती है जब तक केन्द्र सरकार इस सम्बन्ध में पोलिसी निर्धारित करे ?

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुंझुनूं) : क्या यह बात सही नहीं है कि परिवार नियोजन जोर जबरदस्ती से सफल नहीं हो सकता बल्कि परश्युएशन से उसके लिए तैयार करें वे स्वयं समझें कि परिवार नियोजन के तरीके अपनाना है ?

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष जी, जोर जबरदस्ती का सवाल नहीं है।

(श्रीमती कमला)

भारत सरकार की गाइड लाइन्स के मुताबिक, उनकी मन्शा के मुताबिक और राष्ट्रीय कर्त्तव्य और जिम्मेदारी को निभाने की दृष्टि से यह भी सोचना है कि 28 वर्ष से बराबर समझाते चले आ रहे हैं फिर भी अधिकतर लोग अधिक परिवार बढ़ाते जाते हैं और कम परिवार हैं जो कम बढ़ाते जाते हैं और यही तरीका जारी रहता है तो दूसरे तरीके अपनाना पड़ता है इसलिए कानून भी बनाने की आवश्यकता हो जाती है।

श्रीमती मदनकौर : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। जन संख्या की बढ़ोत्तरी का प्रश्न है यह केवल राजस्थान का ही प्रश्न नहीं है किन्तु सारे राष्ट्र का प्रश्न है। केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में कोई कानून बनावे उससे पहले कानून बनाने की पहल राज्य सरकार को नहीं करनी चाहिये।

श्रीमती कमला : जिन राज्यों ने पहल की है ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई गलत काम किया हो। उन्होंने अपने कर्त्तव्य को निभा कर काम किया है और भारत सरकार के निर्देश हैं, गाइड लाइन्स हैं। स्पष्टरूप से मंशा सामने आ जावेगी तो जरूर उसको पूरा किया जायेगा। यह स्पष्ट है कि जितने स्ट्रोंग इन्सेन्टिव्ज इसके लिए किये जाने चाहिये और जितने लिबरल इन्सेन्टिव्ज किये जाने चाहिए वे किये जावेंगा और भारत सरकार ने कम्पलसरी करनेकी की तो राज्य सरकार उसके लिये भी सोच सकती है। इन सब बातों पर पूरी तरह से विचार किया जावेगा।

श्रीमती सुमित्रासिंह : राजस्थान सरकार परशुएशन के जरिये परिवार नियोजन चलाने में बिलकुल असफल रही है इसलिये कानून सब के लिये लगाना जरूरी समझती है जिससे परिवार नियोजन सफल बने ?

श्रीमती कमला : असफल होने का सवाल सही है। परसों ही आपके सामने माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी ने आंकड़े दिये थे और स्पष्ट किया था कि पिछले 2 वर्ष में काफी तरीके से, मोटीवेशन के जरिये से परिवार नियोजन का कार्य किया है। उसके बावजूद भी जितनी रफ्तार से और जिस मर्यादा में फेमिली प्लानिंग होना चाहिये उस प्रकार की संतोषप्रद स्थिति नहीं है इसलिए सरकार इस सम्बन्ध में पूरी तरह से विचार कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

आर्य टाकीज सूरतगढ़

287. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (सूरतगढ़): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) आर्य टाकीज सूरतगढ़ का निर्माण कब हुआ तथा इसके मालिक कौन हैं ?

(2) उक्त टाकीज के चालू होने से आज तक वर्ष वार इस टाकीज ने कितना मनोरंजन कर दिया ? कृपया वर्ष वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त टाकीज द्वारा मनोरंजन कर की लगातार चोरी की जाती रही है तथा इस सम्बन्ध में नागरिकों द्वारा लगातार शिकायतें भी की जाती रही हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर क्या कार्यवाही की गई ?

राज्य मंत्री, वित्त (श्री जुझारसिंह): (1) आर्य टाकीज सूरतगढ़ का निर्माण जुलाई 1957 में हुआ था। इसके मालिक श्री मनफूलसिंह पुत्र श्री मोटारामजी निवासी सूरतगढ़ व श्री पृथ्वीराज पुत्र श्री नारायणरामजी निवासी रूपनगर तहसील फाजिल्का (पंजाब) हैं।

(2) आर्य टाकीज सूरतगढ़ जुलाई, सन् 1957 में प्रारंभ हुआ था। तब से इस टाकीज द्वारा दिये गये मनोरंजन कर की वर्ष वार सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) जी नहीं। इस बाबत केवल एक शिकायत श्री मुरलीधर शर्मा, अध्यक्ष, छात्र संघर्ष समिति, सूरतगढ़ की दिनांक 19-5-1975 को प्राप्त हुई थी उसकी जांच की गई तो शिकायत तथ्यहीन पाई गई जिसकी सूचना शिकायतकर्ता को दे दी गई। कर चोरी नहीं होने पावे इसके लिए समय समय पर वाणिज्य कर अधिकारी, सहायक वाणिज्य कर अधिकारी व वाणिज्य कर निरीक्षक के द्वारा टाकीज अचानक निरीक्षण किये जाते रहे, जिसके परिणामस्वरूप समय समय पर अभियोग भी बने हैं?

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा: आपने जो सूची दी है उसमें सन 62-63 में 4569 रुपया और 67-68 में 10185। एक दम छः हजार का गेप। 69-70 में 16 हजार, 1970-71 में 21 हजार। 72-73 में 72 हजार और 73-74 में 93 हजार। ये फिगर्स हैं जब कि कोई टैक्स इन्क्रीज नहीं हुआ। इन्होंने टैक्स का इवेजन लगातार किया है।

श्री जुझारसिंह: स्पेसिफिक क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? पिछले सालों में टैक्स कम है तो एन्टरटेनमेंट टैक्स की रेट कम थी। दो तीन साल में इन्क्रीज हुई। जैसे जैसे एन्टरटेनमेन्ट टैक्स की रेट्स बढ़ी हैं वैसे-वैसे और की रेट्स भी बढ़ी हैं। बीच में 72 हजार से 52 हजार रह गई। कमी का कारण यह रहा कि बिजली कम मिली। बिजली बन्द हो जाती है तो दूसरे दिन भी उसका असर पड़ता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा: 62 से लेकर मनफूलसिंह जो स्टेट मिनिस्टर थे इसलिए टैक्स का इम्पेक्ट कम है। जब वे हटे तो ज्यादा होता चला गया। बिजली और दूसरी कमियां आप बता रहे हैं। उस वक्त यह क्यों नहीं हुआ जब कि बाबूजी पावर में थे? पावर में नहीं रहे तब ज्यादा हुआ। 72 से इसको पूछ रहा हूं।

श्री जुझारसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, यह तो माननीय सदस्य के देखने का दृष्टिकोण है। बाकी समय समय पर जैसा प्रश्न का उत्तर दिया गया है बराबर हमारे डिपार्टमेंट वाले भी अचानक जाकर निरीक्षण करते रहे हैं और उन्होंने देखा है। कोई टैक्स का इवेजन नहीं होता है और जहां जहां गलतियां पाई गई हैं तो उसके लिए उनका चालान भी किया गया है और उन पर जुर्माना भी हुआ है। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि उन्होंने टैक्स का इवेजन किया है और किसी ने देखा नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा: कब चालान किया गया और कितना जुर्माना किया गया यह बता सकते हैं?

श्री जुझारसिंह : 26 बार ऐसी अनियमितताएं पाई गई जिनमें 2679.60 की पेनल्टी लगाई गई।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : 26 बार अनियमिततायें पाई गई ऐसे टाकीज का लाइसेन्स क्यों नहीं रद्द किया गया ?

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, 26 बार की अनियमितताओं में कोई बड़ी अनियमितता नहीं होगी और दो चार दफा आदमी बिना एन्टरटेनमेंट टैक्स मिल गए होंगे तभी पेनल्टी जो कुछ बनती थी उसके हिसाब से लगाई है। 26 अनियमितताओं में भी कोई माइनर गलतियां हुई होंगी, थोड़े बहुत आदमी बिना टिकट के चले गये होंगे तब ऐसा हुआ होगा। बड़े पैमाने पर गलती होती तो पेनल्टी ज्यादा होती।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि आप का आधार क्या है? कितनी अनियमिततायें हों तब किसी के खिलाफ एक्शन लिया जाये ? इसका कोई क्राइटेरिया या आधार आपने कायम किया हुआ है ?

श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि यह अनियमितताएं उस समय की हैं जब कि वह स्टेट मिनिस्टर नहीं रहे ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : बिलकुल यह सारी अनियमिततायें उस समय की हैं जब कि वह स्टेट मिनिस्टर नहीं थे और जब स्टेट मिनिस्टर थे तो अनियमितता नहीं थी। आज उस टाकीज की हालत यह है कि वह कोई सिनेमाटोग्राफी एक्ट का प्राविजन फालो नहीं करता। कई बार एक्सीडेंट हो चुके और केजुअल्टी हो चुकी है लेकिन क्योंकि वह एक्स मिनिस्टर का टाकीज है इसलिए चलता है।

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ऐसा बताना चाहते हैं कि जैसे यहां कोई चैकिंग ही नहीं होती। मैं जानकारी के लिए कुछ बताना चाहता हूं। 1975-76 में उन्होंने 89,602 रुपये का एन्टरटेनमेंट टैक्स दिया है। उसके बाद 77,077 रुपया का एन्टरटेनमेंट टैक्स दिया है। फिर 52,159 रुपये का एन्टरटेनमेंट टैक्स दिया है और फिर उसके बाद 72,087 रुपये का एन्टरटेनमेंट टैक्स दिया है। इस तरह से हजारों रुपये का एन्टरटेनमेंट टैक्स दे रहे हैं। माननीय सदस्य सोच रहे हैं कि टैक्स का इवेजन कर रहे हैं। तो यह कहना उचित नहीं है।

श्री गुरदयालसिंह संधु : यह उस समय की बात है जब कि वह मंत्री नहीं थे और यह बढ़ोतरी हुई है यह भी उस समय की है जब कि वह मंत्री नहीं थे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप कह रहे हैं कि कोई कम्पलेन्ट नहीं है तो पांच बार की तो मेरी खुद की रिटन कम्पलेन्ट है। मैंने विभाग को यह शिकायतें भेजी हैं और इससे पहले बहुत बड़ा टैक्स इवेजन होता रहा है।

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय की बात कर रहे हैं 25 परसेन्ट से 30 पर्सेन्ट एन्टरटेनमेंट टैक्स था और आज जो रेट है वह 60 से 100 पर्सेन्ट है। तो वह तो अपने आप ही बढ़ेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जो टैक्स दिया है वह 45 टाइम्स इन्क्रीज हुआ है

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

इतने ही टाइम्स टैक्स इन्क्रीज हो गया है क्या ?

प्रश्न संख्या 288

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुरदयाल सिंह संधु ।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : I want to withdraw the question.

श्री खेतसिंह : He has withdrawn.

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

श्री खेतसिंह : So he is quite satisfied.

(प्रश्न वापिस किया गया)

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट,

प्रश्न संख्या 289

श्री लूणाराम ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री केशरीमल ।

ई० एस० आई० अस्पताल ब्यावर के डाक्टरों के विरुद्ध शिकायतें

290. **श्री मोहम्मद गफ्फार अली** (जौहरी बाजार) [श्री केशरीमल (ब्यावर) की अनुपस्थिति में]: क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर के ई० एस० आई० शफाखाने के डाक्टरों के गलत व्यवहार और विशेषज्ञों द्वारा लिखी जा रही दवा न देने की शिकायतें राज्य सरकार को मिली हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस दुर्व्यवस्था व अशिष्टता को मिटाने के लिए क्या कार्यवाही की ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अभी तक उपरोक्त मामले में कोई कार्यवाही नहीं की ? यदि हां, तो श्रमिकों के काटे हुए पैसे से की गई व्यवस्था में श्रमिकों को जलील करना व दवा न देकर बिना इलाज के उन्हें मार देने की परिस्थिति पैदा करना कहां तक उचित है ? क्या राज्य सरकार तुरन्त ही इस मामले में कोई कार्यवाही करेगी ?

राज्य मंत्री, चिकित्सा (श्रीमती कमला) : (1) जी हां । इसकी जांच की गई तो मौके पर किसी ने कोई शिकायत नहीं की । शिकायत का मूल कारण यह पाया गया कि टानिक इत्यादि जो योजना के अनुसार नहीं दिये जा सकते उनको न देने पर वह शिकायत हुई ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता । औषधालयों में उपचार होता है और बीमारों के साथ सद्व्यवहार रखा जाता है ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि आप कहते हैं कि इसकी इन्क्वायरी की गई तो यह इन्क्वायरी आफिसर कौन था और उन्होंने किस किस के बयानात लिये ? यह बताने की कृपा करें ।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने यह जांच की थी । उन्होंने किस

(श्रीमती कमला)

किस के बयान लिये यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : तो आपने कैसे नतीजा निकाला ? जो भी इन्क्वायरी हुई, उसका अध्ययन राज्य सरकार के किसी आफिसर के द्वारा किया गया कि यह इन्क्वायरी सही हुई या गलत हुई है ?

श्रीमती कमला : मैंने निवेदन किया कि पूर्व में कुछ लिखित शिकायतें आईं। उन शिकायतों को लेकर मौके पर जब अधिकारी जांच करने गये तो जबानी तौर पर किसी ने पुष्टि में कोई शिकायत और नहीं की। सिर्फ यह बात जांच पड़ताल से जाहिर हुई कि मरीज टानिक लेना चाहते थे और वह देने का प्रावधान नहीं है फ्री आफ कास्ट इसलिए उनको परेशानी होती थी और इसीलिए उन्होंने शिकायतें कीं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : जिन लोगों ने शिकायतें कीं उनके भी बयानात कलम बन्द किये या नहीं ? यह बता दें आप।

श्रीमती कमला : मरीजों से मौखिक रूप में पूछा गया तो उन्होंने कोई भी बयानात देने से इन्कार किया और कोई बयानात हुए ही नहीं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : फिर इन्क्वायरी क्या की ?

श्रीमती कमला : इन्क्वायरी यह की कि दरसल में इसके पीछे क्या बात थी जो लिखा गया। उसमें यह मुद्दा पाया गया कि जो प्रेस्क्रिप्शन में अलाउ नहीं था उस टानिक को वह मरीज लेना चाहते थे और वह कानूनन नहीं दे सकते इसलिए थोड़ा सा उनमें असन्तोष था।

प्रश्न संख्या 291

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री रामानन्द अग्रवाल।

शिक्षा निरीक्षक अलवर के विरुद्ध शिकायत

292. **श्री रतीराम यादव** (तिजारा) [श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) की अनुपस्थिति में] : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री भीमसिंह तंवर, प्रधानाध्यापक, मोरसराय स्कूल अलवर ने श्री घासीलाल शर्मा, निरीक्षक, शिक्षा विभाग, जिला अलवर के विरुद्ध सरकारी धन का दुरुपयोग करने, चपरासी से घर पर काम लेकर वेतन विद्यालय से दिलाने आदि की शिकायतें की थीं ? यदि हां, तो उक्त शिकायत की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त शिकायतों में एक शिकायत यह भी थी कि श्री सुखलाल नामक चपरासी को जो मोरसराय स्कूल अलवर में उक्त प्रधानाध्यापक के तहत काम करता था, उक्त स्कूल से अनुपस्थित रख कर एक अन्य शिक्षा अधिकारी द्वारा घर पर काम लिया जाता था और श्री भीमसिंह तंवर, प्रधानाध्यापक द्वारा अपने स्कूल से

Page No.23

(श्री रतीराम यादव)

उसका वेतन न देने पर उक्त चपरासी को एक दूसरे स्कूल में ट्रान्सफर कर दिया और उसी स्कूल से उसे पिछले माह का वेतन दिला दिया जब कि इस दूसरे स्कूल में उस पिछले महीने में उसकी नियुक्ति भी नहीं की गई थी ?

(3) क्या श्री घासीलाल शर्मा, निरीक्षक, शिक्षा विभाग के विरुद्ध इस शिकायत या अन्य शिकायतों की कोई जांच की गई ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ? जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें। यदि जांच नहीं का गई तो क्यों नहीं की गई ?

(4) क्या यह सही है कि श्री भीमसिंह तंवर, प्रधानाध्यापक, मोरसराय स्कूल, अलवर को उक्त श्री सुखलाल, चपरासी को वेतन न देने और नाहक परेशान करने के सम्बन्ध में 13-2-74 को चार्जशीट अन्य अभियोगों के साथ दी गई ? क्या यह सही है कि इस संबंध में अभी तक कोई जांच नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ? चार्जशीट का प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त श्री घासीलाल शर्मा, निरीक्षक, शिक्षा विभाग, ने उक्त श्री भीमसिंह तंवर, प्रधानाध्यापक, मोरसराय स्कूल अलवर का ट्रान्सफर और निलम्बन यह शिकायत करने के बाद किया और उक्त अध्यापक को निर्वाह भत्ता भी नहीं चुकाया जिसके कारण श्री भीमसिंह तंवर को अदालत की शरण लेनी पड़ी और अदालत ने 31-5-74 को निरीक्षक शिक्षा विभाग का सामान कुर्क किया तभी निर्वाह भत्ते की अदायगी हुई ?

(6) क्या राज्य सरकार द्वारा उक्त निरीक्षक, शिक्षा विभाग के विरुद्ध उक्त अध्यापक को निर्वाह भत्ता की अदायगी न करने पर जिसके कि कारण विभाग के सामान के कुर्क होने तक की नौबत आई, कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) जी हां। उपलब्ध शिकायत की प्रतिलिपि सदन की मेजपर रख दी गई है।

(2) जी हां, श्री सुखलाल नामक चपरासी के संबंध में शिकायत थी।

(3) जिला सतर्कता समिति अलवर ने 27-2-74 को जांच की। इस समिति ने दोनों पक्षों का रिकार्ड देखने तथा श्री भीमसिंह को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया। समिति इस निर्णय पर पहुंची कि कमेटी द्वारा उक्त पत्रावली पर कोई कार्यवाही नहीं की जानी है। जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी हां। चार्जशीट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) जी नहीं। निर्वाह भत्ता समय पर न मिलने का कारण इनके द्वारा जीविका कमाने के लिए कुछ न करने का प्रमाण-पत्र न देना था। यह सही है कि मुन्सिफ कोर्ट, अलवर ने निरीक्षक, शिक्षा विभाग का सामान कुर्क करने के आदेश दिये थे किन्तु सेशन जज ने उसे निरस्त कर दिया।

(6) उपलब्ध जानकारी के अनुसार विद्यालय निरीक्षक ने समय समय पर निर्वाह

(श्री खेतसिंह)

भत्ता देने की कार्यवाही की किन्तु उचित आवश्यक प्रमाण पत्र न दिये जाने तथा मुख्य स्थान पर उपस्थित न होने के कारण चुकारे में विलम्ब हुआ।

(जांच प्रतिवेदन व अभियोग पत्र की प्राप्ति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री रतीराम यादव : उपाध्यक्ष महोदय, एक तो मुझे जो यह प्रतिलिपियां दी गई हैं वह अभी जब प्रश्न पूछ लिया उसके बाद दी गई। इसलिए एक तो मेरी दिक्कत यह है कि इसको पढ़कर जो मुझे सप्लीमेन्ट्री पूछने चाहिए वह मैं नहीं पूछ सकता। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि जानबूझकर इस प्रश्न को अवोइड करने के खयाल से इस मौके पर मुझे दी गयी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : What do you wish now ?

श्री रतीराम यादव : मुझे समय चाहिए।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : इसको डेफर किया जाये।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, जब मंत्री महोदय को समय दिया जाता है तो हमको भी समय दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : You want postponement ?

श्री रतीराम यादव : हां।

श्री उपाध्यक्ष : Postponed.

श्री रतीराम यादव : इसी सेशन में आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

पंचायत श्री दिगम्बर जैन मंदिर बगरूवालान, जयपुर

293. **श्री मोहम्मद गफ्फार अली** (जोहरी बाजार, जयपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत श्री दिगम्बर जैन मंदिर बगरूवालान (रजिस्टर्ड ट्रस्ट) स्टेशन रोड जयपुर नगर परिषद् हाउस नं० 7 एच बी 3/4 हवाली शहर गरबी खसरा नं० 472 लगायत 494 के भूमि एवं भवन कर वर्ष 1973-74, 1974-75, व 1975-76 की हजारों रुपये की राशि बकाया पड़ी है परन्तु इसकी अभी तक भी वसूली नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों नहीं?

(2) क्या यह राज्य सरकार की जानकारी में है कि सार्वजनिक धार्मिक पंजीकृत ट्रस्ट की तरफ उपरोक्त भूमि एवं भवन कर के अलावा केन्द्रीय (आय कर विभाग) व राज्य सरकार, नगर परिषद्, जयपुर के गृह कर की हजारों रुपये की बकाया इसलिए वसूल नहीं हो रही है कि इस धार्मिक ट्रस्ट की प्रोपर्टीज का मिसएप्रोप्रिएशन किया जा रहा है जिससे राज्य कोष को हानि उठानी पड़ रही है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इन आर्थिक अपराधों व इस काण्ड में लिप्त समाज कन्टकों व आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कोई कारगर कदम उठाने का विचार रखती है?

राज्य मंत्री, वित्त (श्री जुझारसिंह) : (1) जी हां, यह सही है। इस भूमि एवं भवन का कर निर्धारण (एसेसमेंट) कर निर्धारण अधिकारी, सहायक निदेशक, भूमि एवं भवन कर (प्रथम) जयपुर द्वारा दिनांक 22-2-75 को रु०4465 प्रति वर्ष का किया है। कर वसूली के लिए लैंड रेवेन्यू के अन्तर्गत कार्यवाही जारी थी। परन्तु एक अन्य व्यक्ति, श्री चिरंजीलाल पाटनी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी, जयपुर के समक्ष उपस्थित होकर इन सम्पति का रिटर्न पेश करने और अपने आपको इस सम्पति का मालिक बतलाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किरायेदारों से कर वसूली रोक दी गई है। श्री पाटनी को सुन कर इस सम्पति पर कर के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा फैसला किया जावेगा। फिलहाल जिला जज (डिस्ट्रिक्ट जज) जयपुर ने श्री पाटनी का इस सम्पत्ति पर कब्जा माना है और उसे अंतिम निर्णय तक डिस्टर्ब नहीं किये जाने के आदेश प्रसारित किये हैं। इस निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए श्री पाटनी को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर दिया गया है।

(2) मंदिर पंचायत श्री दिगम्बर जैन मंदिर बगरूवालान, स्टेशन रोड़, जयपुर के भवन का गृह कर वर्ष 1 अप्रेल 1971 से 31 मार्च 1975 तक का 15,444) रुपये बकाया है इसकी वसूली के लिए नगर परिषद्, जयपुर प्रयत्नशील है। बिल तथा डिमाण्ड नोटिस भेजे जा चुके हैं तथा वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि यह जो झगड़ा चल रहा है दिगम्बर जैन मंदिर का यह कितने अर्से से चल रहा है और इस सिलसिले में यह जो पैसा बाकी है उसको जमा कराने का, हासिल करने का क्या क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

दूसरा सवाल भी पूछ लूं कि यह कहा गया है कि हाउस टैक्स बाकी है इसके बारे में यह जानना चाहता हूं कि इस सवाल के आने के बाद भी कोई कार्यवाही की गई या यह कार्यवाही कब से चालू है ?

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पार्ट टू का प्रश्न है, यह तो इस डिपार्टमेंट से सम्बन्धित नहीं है। बकाया यह जो कर है, वह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का बकाया है और वही वसूली करेगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आपने जवाब दिया है कि कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री जुझारसिंह : उसके लिए आपने पूछा कि कब से कार्यवाही चालू है उसका मैं अभी जवाब नहीं दे सकता हूं। उनके अन्दर हाउस टैक्स का पन्द्रह हजार रुपया बकाया है जिसकी वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

जहां तक नम्बर (1) प्रश्न है, आपने जैसा फरमाया कि डिस्प्यूटेड प्रोपर्टी का मामला है जिस पर कोर्ट का स्टे है। डिपार्टमेंट ने इसकी डिमाण्ड निकाल दी और हजारों की बकाया इसके ऊपर भूमि और भवन कर की बनती है जो इनको देनी है। लेकिन दो पार्टीज के बीच में यह झगड़ा खड़ा है, एक उसको मंदिर के ट्रस्ट की प्रोपर्टी मानता है और दूसरा अपनी प्रोपर्टी बताता है जिस पर कोर्ट ने स्टे दिया है। जो कुछ भी

Page No.26

(श्री जुझारसिंह)

डिमाण्ड बनी है उसका रियलाइजेशन ज्यों ही कोर्ट का फैसला होगा कर लिया जायेगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल है कि मामला डिस्प्यूट में कब से चल रहा है? राज्य सरकार ने इसको सार्वजनिक चीज माना है, सरकार ने इसको मंदिर की माना है या व्यक्तिगत माना है? यह बता दीजिए।

श्री जुझारसिंह : राज्य सरकार ने मंदिर ही मानकर मंदिर को ही टैक्स जमा कराने के लिए लिखा था लेकिन उनके पास पैसा नहीं था इसलिए उन्होंने कहा कि किरायेदारों से वसूल करो। जब यह कार्यवाही चालू हुई और किरायेदारों से रुपया वसूल किया जाने लगा तो इस बीच श्री चिरंजीलाल पाटनी सामने आये और उन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया। जब फैसला होगा तब यह रुपया रियलाइज कर लिया जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट–5 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम सोभाला में हुई डकैती का मामला

276. **श्री गंगाराम चौधरी** (गुढ़ामालानी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माह मई, 1975 में ग्राम सोभाला, पुलिस थाना चौहटन, जिला बाड़मेर में एक किसान के यहां एक डकैती/रोबरी की घटना घटी थी?

(2) क्या यह सही है कि अब तक उक्त डकैती/रोबरी से संबंधित किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं की गई है?

(3) यदि हां, तो इसका क्या कारण है और अब क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

(4) भविष्य में ऐसी घटना न हो इसके लिये सरकार क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) डकैती की यह वारदात करने के बाद ही मुलजिमान द्वारा पाकिस्तान में पलायन कर जाने के कारण माल बरामदगी व मुलजिमान की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। फरार मुलजिमों को घोषित अपराधी करार दिया जा चुका है और उनकी सम्पत्ति कुर्क करने की कार्यवाही की जा रही है।

(4) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सीमावर्ती सभी थानों के इन्चार्जों को सशस्त्र गस्त लगाने के आदेश दे दिये गये हैं और गांवों में शस्त्र गार्ड लगायी गई है।

पीलिया खाल पर पुलिया का निर्माण

278. **श्री हाजी जान मोहम्मद** (चिड़ावा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि पीलिया खाल चिड़ावा से एक मील की दूरी पर है और बारिश के मौसम में आठ-दस घण्टे तक इस

(श्री हाजी जान मोहम्मद)

पर इतना पानी बहता है कि आने व जाने वाली बसों के मुसाफिर भूखे व प्यासे जंगल में पड़े रहते हैं ? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार जनता की परेशानियों को देखते हुये इस खाल पर एक पुलिया बनाना चाहती है। अगर हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

सोयत पीड़ावा सड़क पर स्थित पीलिया खाल पर वेन्टेड काजवे (Vented Causeway) बना हुआ है। अधिक वर्षा होने पर यातायात वर्ष में 3–4 बार कुछ घन्टों के लिये अवरुद्ध हो जाता है। सरकार इस पुल को ऊंचा बनाकर स्थाई हल निकालना चाहती है, किन्तु अर्थाभाव के कारण अभी सम्भव नहीं हो पा रहा है।

राष्ट्रीय परमिट योजना

281. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय परमिट स्कीम के अन्तर्गत कुल कितने राष्ट्रीय परमिट दिये जाने की योजना है ?

(2) क्या राष्ट्रीय परमिट देने के लिये प्रार्थना-पत्र आमंत्रित कर लिये गये है ? यदि हां, तो अन्तिम तिथि तक कुल कितने प्रार्थना-पत्र आये ?

(3) आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् कब तक परमिट वितरित कर दिये जायेंगे ?

(4) राष्ट्रीय परमिट स्कीम से राजस्थान की आय में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है ?

(5) क्या परमिट स्कीम से राजस्थान के व्यवसाय में अन्तर पड़ेगा ? यदि हां, तो किस प्रकार का ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय परमिट स्कीम के अन्तर्गत 250 राष्ट्रीय परमिट दिये जाने हैं।

(2) जी हां, राष्ट्रीय परमिट देने के लिये आवेदन-पत्र आमंत्रित कर लिये गये है तथा अन्तिम तिथि तक कुल 1406 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं।

(3) आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् राष्ट्रीय परमिट माह अप्रेल एवं मई, 76 में वितरित करने की संभावना है।

(4) राष्ट्रीय परमिट स्कीम से राजस्थान की आय में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि होने की सम्भावना है। क्योंकि अधिक व्यवसाय होने से बिक्री कर, चुंगी कर आदि की आय में वृद्धि होगी। साथ ही उद्योग धंधों के विकास से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।

(5) जी हां, इस परमिट की स्कीम से राजस्थान के व्यवसाय में वृद्धि होगी। इससे बाहर का माल सीधे ही सस्ती दरों पर राजस्थान में आ सकेगा और यहां का माल बाहर भेजा जा सकेगा। विशेष तौर से कीमती माल तथा perishable goods के बारे में इस स्कीम से विशेष लाभ होगा।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा चित्तौड़गढ़ जिला

283. श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में उद्योगों की सम्भावनाओं को देखते हुए उसे अब तक औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला घोषित क्यों नहीं कराया गया ?

(2) क्या निकट भविष्य में उसे औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित करवाने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भारत सरकार, योजना आयोग द्वारा निर्धारित आधारों के अनुसार पिछड़े जिले घोषित किए गये हैं। चित्तौड़गढ़ जिला उक्त आधारों पर इस श्रेणी में नहीं आया।

(2) मामला विचाराधीन है।

पुलासर में आयुर्वेद औषधालय

289. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम कल्याण पुरा पुरोहितान तहसील सरदार शहर में गत वर्ष आयुर्वेद औषधालय पुलासर को स्थानान्तरण करने की स्वीकृति दे दी गयी थी क्योंकि पुलासर में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र स्थापित हो चुका था ? यदि हां, तो क्या तथा कब ऐसा आदेश दिया गया ? प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आदेश को निरस्त कर दिया गया था ? यदि हां, तो निरस्त करने वाले आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) यह औषधालय अभी वहीं पर ही है या कहीं अन्यत्र बदला गया है ?

उत्तर

(1) ग्राम कल्याणपुरा पुरोहितान तह० सरदार शहर जिला चूरू में आयुर्वेद औषधालय पुलासर को स्थानान्तरित करने के आदेश राज्य सरकार द्वारा दिनांक 9-4-75 को जारी किये गये थे आदेश की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(2) जी हां, निरस्ति आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) राज्य सरकार के आदेश दिनांक 3-9-75 द्वारा आयुर्वेद औषधालय पुलासर का ग्राम फोगा तह० सरदारशहर जिला चूरू में स्थानान्तरित किया गया है।

(आदेशों की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

पत्रिका का प्रकाशन

291. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम द्वारा राजस्थान इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट नामक पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ किया गया था ?

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

(2) यदि हां, तो उक्त पत्रिका का प्रकाशन किस तिथि से प्रारम्भ किया गया व उसके निमित्त कितने व्यक्तियों से कितना व किस अवधि तक का शुल्क प्राप्त किया गया ?

(3) उक्त पत्रिका का प्रकाशन किन कारणों से व कब बन्द किया गया व प्रकाशन बन्द करने की तिथि को कितने व्यक्तियों का कितना शुल्क बाकी था।

(4) क्या यह सही है कि पत्रिका के प्रकाशन स्थगित करने के फलस्वरूप अवशेष शुल्क अभी तक शुल्कदाताओं को वापिस नहीं किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? और यदि हां, तो किस वर्ष में ?

(5) क्या यह भी सही है कि कितने ही शुल्कदाताओं ने अपनी अवशेष राशि वापिस करने के लिये समय समय पर जन सम्पर्क प्रबन्धक को लिखा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त पत्रिका का प्रकाशन अगस्त 1970 के अंक से प्रारम्भ किया गया था। इसके निमित्त 818 व्यक्तियों से जून, 1974 तक के लिए 10,878) रु० प्राप्त किया गया था।

(3) उक्त पत्रिका का प्रकाशन सितम्बर-दिसम्बर 1973 अंक के पश्चात् कागज के अभाव व कागज एवं प्रिंटिंग की ऊंची दर के कारण नहीं किया जा सका। इस अंक तक 234 व्यक्तियों का 657/- रुपये निगम के नाम बाकी था।

(4) जी हां, निगम ने अवशेष शुल्क वापिस नहीं किया क्योंकि पत्रिका का पुनः प्रकाशन प्रारम्भ करने का प्रस्ताव था। निगम ने अब समस्त अवशेष शुल्क वापिस करने का निर्णय ले लिया है।

(5) जी हां, कुछ शुल्कदाताओं से पत्र प्राप्त हुए हैं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

गुरुद्वारा साहबा के सेवादार के विरुद्ध मामला

146. श्री गुरदयाल सिंह संधु (करणपुर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि सरदार श्री हरिसिंह जो गुरुद्वारा साहबा, तहसील तारानगर, जिला चूरू में गुरुद्वारे का सेवादार है उसे सरपंच पंचायत व पुलिस द्वारा तंग किया जा रहा है ?

(2) क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि सरदार श्री हरिसिंह जो दो वर्ष सेना में कैप्टेन रहा, 20 वर्ष रेल्वे में स्टेशन मास्टर रहा उसने अपने कार्य काल में 38 गुरुद्वारे, 8 मन्दिर, 1 मस्जिद, 3 धर्मशालाएं, 1 हाई स्कूल, 34 प्राइमरी स्कूल अपने प्रयत्नों से व अपने निजी धन के कुछ भाग से बनाये ?

(3) क्या यह सच है कि सरदार श्री हरिसिंह का पुलिस ने 107/51 सी. आर. पी. सी. में व 447 आई.पी.सी. में चालान कर रखा है और उन्हें जान से मारने तक की धमकी दी जा रही है और यह सारी कार्यवाही पुलिस व सरपंच की शह पर हो रही है ? क्या सरकार इस मामले की जांच करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) राज्य सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(3) सरदार हरिसिंह का चालान मुकदमा एफ.आई.आर. नम्बर 67/75 धारा 447 आई.पी.सी. पुलिस थाना तारानगर में हरिजन सुरजाराम की जमीन पर नाजायज कब्जा करने की रिपोर्ट पर दिया गया है जो जेर तजबीज अदालत है। पुलिस द्वारा कोई धमकी मारने की नहीं दी गई है। कोई कार्यवाही पुलिस व सरपंच की शह से नहीं हो रही है। जांच कराने का कोई प्रश्न ही नहीं रहता।

थाना करनपुर में दर्ज कत्ल का मामला

147. **श्री गुरदयालसिंह संधु** (करणपुर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सच है कि श्री हजारा सिंह पुत्र श्री केसर सिंह चक 53, जी. बी. थाना करनपुर करीब तीन वर्ष पहले कत्ल किया जा चुका है। और उसके रिश्तेदार श्री डोगर सिंह ने इस संबंध में बहुत से प्रार्थना-पत्र पेश किए है मगर आज तक कोई जांच नहीं की गई ?

(2) क्या यह सत्य है कि एक सी. ओ. पुलिस करनपुर श्री रोहतास कुमार ए. एस. पी. इस मामले की जांच करता रहा है और वह मुल्जिमान से साज बाज करता रहा था इसलिए इस मामले में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई ? क्या सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच कराएगी? यदि हां तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। श्री डोगरसिंह द्वारा प्रस्तुत परिवादों पर की गई जांच से मामला कत्ल करने का नहीं पाया गया।

(2) जी नहीं। सी. ओ. करनपुर ने इस मामले में निष्पक्षता से जांच की है।

राज्य में चोरी के दर्ज मामले

148. **श्री गुरदयालसिंह सन्धु** (करणपुर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राजस्थान में 1-1-76 से लेकर 29-2-76 तक कितनी चोरी की वारदातें कहां कहां और कब कब हुई, सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर शहर में शराब की दुकानों पर कब कब चोरी की वारदातें हुई ?

(3) सीमावर्ती क्षेत्र में कब कहां और किस किस माल की ऐसी चोरी हुई जो पाकिस्तान चली गई ? प्रत्येक चोरी में कितना माल चोरी हुआ, कितना माल बरामद हुआ और जो नहीं बरामद हुआ उसका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जयपुर शहर में शराब की दुकानों पर कुल 2 क्रमशः 5-1-76 व 23-1-76 को चोरी की वारदात हुई।

(3) वर्ष 1976 में सीमावर्ती जिलों में चोरी की कोई वारदात नहीं हुई, अतः माल बरामदगी का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

विभिन्न योजनाओं एवं जन सुविधा हेतु गठित समितियां

149. श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जिला चूरू में विभिन्न योजनाओं की पूर्ति तथा जन सुविधाओं हेतु जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक कुल कितनी कमेटियां व समितियां गठित हुईं, कृपया विभाग वाइज समितियों व कमेटियों के सदस्यों की नामावली मय वल्दियत व सकूनत वाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जिला चूरू में गठित कमेटियों व समितियों की सूची संलग्न की जाती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गंगापुर थाने में दर्ज मामला

150. श्री नानालाल (राजसमन्द): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आरक्षी केन्द्र गंगापुर जिला भीलवाड़ा में तारीख 29-12-74 को अनुसूचित जाति के एक बालक के साथ बड़ी बेरहमी के साथ पिटाई की गई और विद्युत करंट लगाया गया जिसके कारण वह बेहोश हो गया और सारा शरीर सुन्न हो गया ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने उसको अब तक क्या राहत पहुंचाई है ?

(2) क्या यह सही है कि गत सत्र में इसी बाबत तारांकित प्रश्न संख्या 238 तारीख 21-3-75 को लिखित उत्तर में यह बताया गया था कि डी.आई.जी. उदयपुर को जांच के आदेश दे दिए गए हैं ? यदि हां, तो कृपया डी.आई.जी. उदयपुर की जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह भी सही है कि जिस अधिकारी ने यह अपराध किया, उस अधिकारी को अभी तक कोई सजा नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ? और क्या यह न्याय संगत है ?

(4) क्या यह सही है कि उस बालक को राजकीय चिकित्सालय भीलवाड़ा में चिकित्सा हेतु रखा गया ? यदि हां, तो उसके खर्चे हर्जे की सरकार ने क्या व्यवस्था की है तथा चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राहत प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जी हां।

(3) जांच परिणाम से कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया। अतः सजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी हां, चिकित्सा अधिकारी भीलवाड़ा की रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी गई है। किसी बीमार को हर्जा खर्चा दिया जाने का कोई प्रावधान सरकारी नियमों में नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)।

टोडारायसिंह- सुराना सड़क का कार्य

151. श्री चतरभुज (टोडारायसिंह) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार टोडारायसिंह से सुराना रोड को पूरा कराने का इरादा रखती है जो रोड़ जिला मुख्यावास पर जाने का मार्ग है? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

टोडारायसिंह से सुराना 29 किलो मीटर में सड़क बनी हुई है। सरकार इसको पूरा कराने का इरादा रखती है, किन्तु अर्थाभाव के कारण अभी नहीं हो पा रहा है।

सिंचाई की दर

152. श्री चतरभुज (टोडारायसिंह): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) छोटे बड़े बन्धों की सिंचाई दर एक समान है जब कि बड़े बांध से तो किसान की फसल को तीन या चार पानी मिलते हैं व छोटे बांध से एक ही समय पानी मिलता है ऐसी विषमता क्यों ? क्या सरकार इसका स्पष्टीकरण करेगी ?

(2) बड़े बांधों के नीचे क्षेत्र में सरकार के छोटे छोटे तालाब अलग हैं उक्त छोटे तालाब से भी किसान अपनी फसल को पानी पिलाता है तथा छोटे तालाब का पानी समाप्त होने के बाद उसी फसल को बड़े बांध की नहर से सिंचाई करता है ऐसी सूरत में किसान से दोनों बांधों से पिलाई वसूल की जाती है (डबल रेट) जबकि दोनों बांध सरकार के ही हैं क्या यह उचित है? अगर नहीं है तो सरकार का क्या इरादा है ?

(3) सरकारी नहर से एवं तालाब या बांध से कहीं कहीं पर किसान अपने स्वयं के साधन जैसे कि इन्जन, चरस, ढ़ीकली आदि से पानी पिलाता है उस किसान से सरकार पूरी पिलाई वसूल करती है जबकि पहले से आधी पिलाई वसूल करने का नियम था क्या यह उचित है ? यदि नहीं है, तो सरकार का क्या इरादा है ?

उत्तर

(1) जी हां। मगर पानी की कमी या अन्य किसी कारण से यदि किसान को एक या दो पानी ही मिलता है तो जल दरों की अनुसूची के प्रथम भाग के सामान्य प्रावधान पैरा 6 के अनुसार दर में क्रमशः दो तिहाई व एक तिहाई की कमी की जाती हैं।

(2) सामान्यतः इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है परन्तु कुछ क्षेत्र में ऐसी समस्या सामने आई है जो राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) जल दरों की अनुसूची के प्रथम भाग के सामान्य प्रावधान के पैरा 7 के अनुसार जहां जल को उठा कर सिंचाई होती है वहां सामान्य दरों की आधी दरें ही वसूल की जाती हैं।

टोडारायसिंह–सालेड़ा सड़क का कार्य

153. श्री चतरभुज (टोडारायसिंह): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

टोडारायसिंह से सालेड़ा रोड़ आपके विभाग ने कब से हाथ में ले रखा है ? यदि हां, तो आज तक कितना कार्य इस रोड पर

Page No.33

(श्री चतरभुज)

किया व कितना बाकी है और क्यों ? बाकी कार्य को कब तक पूरा कराने का सरकार इरादा रखती है ?

उत्तर

टोडारायसिंह से सालेडा रोड का कार्य वर्ष 61–62 से आरम्भ हुआ है। 8 किलोमीटर में पक्की सड़क का निर्माण हो चुका है। शेष 25 किलोमीटर में से 24 किलोमीटर में मिट्टी का कार्य पूरा हो गया है व 16 किलोमीटर में सोलिंग व 13 किलोमीटर में बेलास्ट एकत्रित हुआ है। उपलब्ध धन राशि अनुसार कार्य कराया जा रहा है।

आर. ई. सी. स्कीम टोडारायसिंह

154. श्री चतरभुज (टोडारायसिंह) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार टोडारायसिंह में आर. ई. सी. स्कीम को लागू करने का इरादा रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

उत्तर

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत इस क्षेत्र को सरकार ने ग्रामीण विद्युतिकरण निगम की योजना बनाने के लिये अनुमोदित किया है। सर्वे करने के पश्चात ही योजना बन सकेगी। भूजल सर्वे रिपोर्ट इसी महीने तैयार हुई है उसका अध्ययन करने के पश्चात ही मण्डल सर्वे कार्य आरम्भ कर सकेगा।

झालावाड़ जिले की हरिजन बस्तियों में बिजली के कनेक्शन

155. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले के किस किस ग्राम में अनुसूचित जाति के किस किस व्यक्ति के कुओं पर विद्युत् कनेक्शन 31 दिसम्बर, 1975 तक दिया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इसी प्रकार जिला झालावाड़ में किन किन ग्रामों में हरिजन बस्तियों में 31 दिसम्बर, 1975 तक (गत वर्ष में) हाउस लाइट कनेक्शन दिया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले के गांवों में अनुसूचित जाति, जन जाति, लघु कृषकों के जिन व्यक्तियों के कुओं पर कनेक्शन दिनांक 1-4-75 से 31-12-75 तक दिये गये हैं, उनकी सूची 'अ' संलग्न है।

(2) हाउस लाइट कनेक्शन की सूची एक ही प्रकार से रखी जाती है, जिसमें जाति का उल्लेख नहीं रहता। अतः वांछित सूची देना सम्भव नहीं है।

(कृपया सूची के लिये परिशिष्ट 9 देखिये)

जोधपुर आने-जाने वाले यात्रियों को असुविधा और सड़क का कार्य

156. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के जोधपुर बस

(श्री अमृतलाल गहलोत)

स्टेशन को पावटा चौराहे से जाने वाला रास्ता जिस की लम्बाई लगभग 200 मीटर है, पूर्णतया कच्चा है ?

(2) क्या यह सत्य है कि निगम की समस्त बसों को जिनकी दैनिक संख्या लगभग 100 है, बस स्टेशन से आने जाने पर अनिवार्य तौर पर उपरोक्त कच्चे रास्ते से गुजरना पड़ता है ?

(3) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त रास्ता रेतीला एवं गड्ढों से भरा पड़ा है जिससे उपरोक्त बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को अत्यन्त असुविधा एवं बसों में टूट फूट होती है ?

(4) क्या निगम उपरोक्त रास्ते को डामर की सड़क में परिवर्तन करने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक परिवर्तित हो जायगा ? यदि नहीं तो क्यों?

(5) उपरोक्त सड़क बनाने में क्या अनुमानित लागत आयेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) यह रास्ता रेतीला है परन्तु इसमें गड्ढे वगैरह इतने नहीं है जिससे यात्रियों को अत्यन्त असुविधा हो और बसों में टूट फूट होती हो।

(4) जी नहीं। इस मार्ग को पक्का बनाने का दायित्व निगम का नहीं है।

(5) प्रश्न नहीं उठता।

बेरोजगार हरिजनों को अनुदान

157. श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कितने हरिजन स्नातक व स्नातकोत्तर बेरोजगार हैं ? कृपया जिलेवाइज सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बेरोजगारों में से कितनों को रोजगार दिया गया है ? जिलावाइज सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इनमें से कुछ को 8 घंटे की रोजाना ड्यूटी देने पर 150) रु. स्टाइमेण्ड बेसिस पर रखा जा रहा है ? अगर हां, तो ऐसे कितने वृत्तिकाधारी है ?

(4) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त वृत्ति भी लगातार 6-6 माह तक नहीं मिलती है ?

(5) क्या यह भी सही है कि निरन्तर 3-3, 4-4 साल तक इनको रोजगार न देकर महज उपरोक्त वृत्ति पर ही रखा जा रहा है ? अगर हां, तो यह शोषण कब तक बन्द कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) इस प्रकार की सूचना समाज कल्याण विभाग में संकलित नहीं की जाती है।

(2) प्रश्न नहीं उठता हैं।

(3) अनुसूचित जाति व जन जाति के जिन बेरोजगार स्नातक व स्नातकोतर व्यक्तियों को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर

(समाज कल्याण मंत्री)

नियमानुसार बेरोजगार वृत्तिका स्वीकृत किया जाता है, उन्हें नियमों के अन्तर्गत जन शक्ति विभाग द्वारा विभिन्न विभागों में कार्यानुभव प्राप्त करने हेतु लगाया जाता है ताकि उन्हें रोजगार मिलने में सहूलियत हो सके। विभिन्न विभागों में वर्तमान में कार्यानुभव पर लगे हुए वृत्तिका धारियों की संख्या 738 है। नियमानुसार प्रत्येक स्नातक व स्नातकोत्तर वृत्तिकाधारी को क्रमशः 150 रुपया व 250 रुपया प्रति माह बेरोजगार वृत्तिका स्वीकृत किया जाता है।

(4) जी नहीं।

(5) रोजगार न मिलने तक कुछ व्यक्तियों को इस पर निर्भर रहना पड़ता है।

दौसा अस्पताल में मरीजों की संख्या

158. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सब-डिविजन दौसा के दौसा अस्पताल के रोगियों (आउट डोर एण्ड इन्डोर) की संख्या अधिक है? यदि हां, तो 1974-75 व 1975-76 में रोगियों की महीनेवार इन्डोर व आउटडोर की संख्या क्या रही?

(2) क्या सरकार दौसा अस्पताल को जिला अस्पताल बनाने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब से?

उत्तर

(1) वर्ष 1974-75 से 1976 तक उपचार किये गये रोगियों की (आउटडोर एवम् इन्डोर) संख्या सूची (महीनेवार) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। जयपुर का जिला अस्पताल जयपुर शहर में ही स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(कृपया सूची के लिये परिशिष्ट 10 देखिये)

वृद्धावस्था पेन्शन के विचाराधीन मामले

159. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उपजिलाधीश, करनपुर कार्यालय में एक जनवरी, 1976 को किस किस समय के कितने मामले वृद्धावस्था पेन्शन के विचाराधीन थे और उनमें से अब तक कितने निपटा दिये गये हैं? इसमें विलम्ब का क्या कारण है?

(2) क्या राज्य सरकार द्वारा यह विश्वास दिलाया जा सकता है कि यदि ऐसे मामले सात दिन के अन्दर नहीं निपटाये जायेंगे तो उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी!

उत्तर

(1) उप जिलाधीश, करणपुर के कार्यालय में 1 जनवरी, 1976 को वृद्धावस्था पेन्शन संबंधी कोई मामला पेन्डिग नहीं था।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

खेल परिषद् का बजट

160. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा-महल, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में खेल परिषद् का वार्षिक बजट कितना है ?

(2) क्या यह सत्य है कि राजस्थान के अच्छे खिलाड़ियों की प्रतिभा अल्प बजट व समुचित साधनों के अभाव में मुखरित नहीं हो पा रही है ?

(3) क्या राज्य सरकार प्रदेश में खेलकूद के महत्व को ध्यान में रख कर खेल परिषद् का बजट बढ़ाने का विचार रखती है ?

(4) क्या यह सत्य है कि पड़ोसी प्रदेशों के खेल परिषद् का बजट राज्य के खेल परिषद् के बजट से काफी ज्यादा है ?

(5) क्या खेल परिषद् को वर्ष भर में कई खेल शिविरों का आयोजन भी करना पड़ता है ? यदि हां, तो वर्ष भर में कितने शिविरों का आयोजन करना पड़ता है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में खेल परिषद् का वार्षिक बजट 12,50,000) रुपये हैं।

(2) सीमित आर्थिक साधनों को देखते हुए राजस्थान के खिलाड़ियों की यथाशक्ति आर्थिक सहायता की जाती है और उसके नतीजे भी आशाप्रद रहे हैं।

(3) बजट बढ़ाने का कार्य आर्थिक सुलभताओं पर निर्भर करता है। वैसे सरकार इस ओर जागरूक है।

(4) जी हां, कुछ प्रदेशों में खेल परिषदों का बजट किन्चित अधिक है।

(5) परिषद् को वर्ष भर में कई खेल शिविरों का आयोजन करना पड़ता है। शिविरों की संख्या विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से जुड़ी रहती है। राज्य की टीमें जब भी किसी भी खेल में क्षेत्रीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने जाती है, उससे पूर्व उस टीम के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष ऐसे 24 शिविरों का आयोजन किया गया है। समय समय पर मांगें जाने पर विभिन्न संस्थानों जैसे बिजली बोर्ड, श्री राम रेयोन्स, कोटा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, पुलिस आदि हेतु भी शिविरों का आयोजन किया जाता है, जिनमें परिषद अपने प्रशिक्षकों की सेवाएं देती रहती हैं।

इसके अतिरिक्त वर्ष में एक मुख्य शिविर—आबू पर्वत पर केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है, जिनमें अधिकांश स्कूलों के चुने हुए प्रतिभावान खिलाड़ी भाग लेते हैं।

अध्यापकों को वेतन वृद्धियों का लाभ

161. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के नियमानुसार बी. एस. टी. सी. एम. एड. व बी. एड. की परीक्षा जो

(श्री अमृतलाल गहलोत)

अध्यापक सेवाकाल में पास करते थे उन्हें दो वेतन वृद्धियों का लाभ मिलता था ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने यह आदेश निकाला कि उपरोक्त परीक्षाओं का जिन परीक्षार्थियों का परीक्षा-परिणाम 30-6-70 के बाद निकलेगा उन्हें उपरोक्त दो वेतन वृद्धियां नहीं दी जायेंगी ?

(3) क्या यह सही है कि बी. एस. टी. सी. एम. एड. और बी. एड. की परीक्षाओं का परिणाम 3-7-70 को निकला और इसके परिणामस्वरूप 3-7-70 को जिन अध्यापकों ने ये परीक्षायें पास कीं वे उपरोक्त दो वेतन वृद्धियों का लाभ प्राप्त नहीं कर सके ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के उपरोक्त आदेश में संशोधन करके एम. एड. और बी.एड. पास करने वाले अध्यापकों को तो दो वेतन वृद्धियां स्वीकार कर दी गईं परन्तु बी.एस.टी.सी. वाले अध्यापकों के मामलों में ऐसा नहीं किया ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि बी. एस. टी. सी. पास अध्यापकों ने कोई प्रतिवेदन इस संबंध में राज्य सरकार को कर रखा है ? यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय हो सकेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) यह सही नहीं है क्योंकि उपरोक्त वेतन वृद्धियों का लाभ 31-8-70 तक घोषित परीक्षा परिणामों में पास होने वालों को दिया गया है।

(4) जी हां। यह सही है क्योंकि बी. एस. टी. सी. को तृतीय वेतनमान अध्यापक के लिये न्यूनतम एवं अनिवार्य योग्यता मानी गई है।

(5) इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार ने 9-11-72 को यह स्पष्ट निर्देश किए हैं कि बी. एस. टी. सी. उच्च व्यवसायिक योग्यता नहीं वरन् न्यूनतम योग्यता है अतः कथित लाभ देना संभव नहीं है।

लालसोट में अकाल राहत कार्य

162. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 1975-76 में जयपुर जिले की लालसोट तहसील में 7 अकाल राहत कार्य स्वीकृत किये गये थे जिनमें 6 सिंचाई विभाग से संबंधित थे ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्यों में से केवल एक ही कार्य चालू किया गया और वह भी अधूरा ?

(3) क्या यह सही है कि शेष पांच कार्य तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता श्री चावला के अनुसार तकनीकी दृष्टि से चालू कराने योग्य नहीं थे जैसा कि आपने गत सत्र में दिनांक 23 जनवरी, 1976 के तारांकित प्रश्न संख्या 305 के उत्तर में बतलाया है ?

(श्री मीठालाल)

यदि हां, तो श्री चावला ने उक्त पांच कार्यों की जांच कराने के मामले में जो आदेश सहायक अभियन्ता दौसा को अथवा अन्य किसी अधिकारी को भेजे उनके बारे में निम्न तालिका में जानकारी देने व आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें :—

(1) तकनीकी जांच के आदेश भेजने की तारीख।

(2) क्या सभी कार्यों के जांच आदेश एक साथ ही भेजे या अलग अलग ? यदि अलग अलग भेजे तो किस किस तारीख को ?

(3) क्या तकनीकी जांच रिपोर्ट प्राप्त न होने पर पुनः रिमाइण्डर भेजा गया था ? यदि हां, तो कब ?

(4) जांच रिपोर्ट श्री चावला को कब प्राप्त हुई ? कृपया जांच रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(5) क्या जांच करने कोई अधिकारी मौके पर गया था? यदि हां, तो अधिकारी का क्या नाम, पता है तथा वह उक्त कार्यों के मौके की जांच करने कब कब गया ?

(6) क्या मौके पर जाने वाले अधिकारी ने यात्रा भत्ता विभाग से उठाया है ? यदि हां, तो कहां कहां का कितना कितना ?

(7) क्या उक्त श्री चावला के विरुद्ध उक्त मामले में जिलाधीश, जयपुर के यहां जो शिकायत चल रही थी उसका प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(कृपया सूची के लिए परिशिष्ट 11 देखिये)

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सिंचाई विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक एक कार्य चालू हुए एवं वह कार्य अपूर्ण रहे। तीन सिंचाई कार्य तकनिकी दृष्टि से चालू करने योग्य नहीं थे तथा फैमिन कोड से प्रोडक्टिव कार्य नहीं। दो सिंचाई कार्य चालू करवाये गये लेकिन उन पर मजदूर नहीं आये।

(3) (1) दिनांक 19-5-1975

(2) जांच आदेश एक साथ भेजा गया।

(3) स्मरण पत्र साथ भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

(4) जांच रिपोर्ट दिनांक 21-5-75 को प्राप्त हो गई थी। जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(5) जी हां। सर्व श्री आर.पी. चांवला अधिशासी अभियन्ता, अजीतराज मेहता, सहायक अभियन्ता, दौसा व मुख्तार बेग अधिदर्शक दिनांक 25-4-75 को मौके पर जांच करने गये।

(6) जी हां। श्री चांवला अधिशासी अभियन्ता ने केवल एक दिन का भत्ता 15) रुपये का क्लेम किया है इन्हें इसका भुगतान किया जा चुका है। अन्य कर्मचारियों का अभी भुगतान नहीं किया गया है।

(7) जी नहीं। पूर्व जांच टिप्पणी भेजने हेतु जिलाधीश द्वारा 19-3-76 को पुनः अधीक्षक अभियन्ता, सिंचाई विभाग जयपुर को स्मरण कराया है।

चूरू जिले के अकाल राहत कार्यों के मजदूरों की बकाया राशि

163. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1973 के अकाल राहत कैम्प माइसर-पूनरासर सड़क ठुकरियासर-भादासर सड़क व ग्राम बाना के अकाल राहत के बकाया भुगतान के बारे में तहसीलदार, श्री डूंगरगढ़, जिलाधीश चूरू अधिशासी अभियन्ता, चूरू एवं सहायता विभाग तथा राज्य सरकार को लिखित सूचनायें प्राप्त हुई थीं ?

(2) यदि हां, तो क्या इन कार्यों का अभी भुगतान होना शेष है ? यदि हां, तो आज तक भुगतान क्यों नहीं किया गया और अब यह भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। परन्तु तहसीलदार, डूंगरगढ़ को एक प्रार्थना पत्र ग्रामवासी मूमासरकी तरफ से अकालराहत कार्य मूमासर से ठुकरियासर को बकाया भुगतान के संबंध में प्राप्त हुआ था ?

(2) जी हां। श्रमिकों को भुगतान उनके समय पर उपलब्ध नहीं होने तथा कुछ मस्टर रोल्स में श्रमिकों का पूर्व विवरण अंकित नहीं होने के कारण नहीं किया जा सका। अब भुगतान शीघ्र कर दिया जावेगा।

नये पदों का सृजन

164. श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने चालू वर्ष में कई विभागों के कुछ अनावश्यक पदों को समाप्त कर राज्य कोष में धन की बचत की है ? अगर हां, तो कुल कितने विभागों के किस किस प्रकार के पदों की समाप्ति की गई और इससे कितने धन की बचत हुई है ? ब्योरेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने कई अन्य मदों में भी खर्च में कमी करने का निश्चय किया है ? अगर हां, तो किस किस मद से किस प्रकार के अनावश्यक खर्चों को समाप्त करते हुए कितनी बचत की है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) राज्य सरकार ने चालू बजट के कुल खर्च में कितने प्रतिशत कमी करने का निश्चय किया था ? और उसमें कितने प्रतिशत सफलता प्राप्त हुई है ?

(4) राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में कितने कितने किस किस विभाग में किन किन पदों का नया सृजन किया है तथा इन पर कितना व्यय हुआ है ? कृपया ब्योरेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां। विभिन्न विभागों में मितव्ययिता के कारण जो पद समाप्त किये गये हैं, उनकी सूची संलग्न है। इन पदों की समाप्ति से वित्तीय वर्ष 1975-76 में लगभग 186.00 लाख रुपये की बचत होने का अनुमान है।

(2) हां। वित्त (आय-व्ययक) विभाग के परिपत्र संख्या एफ०9(1)वित्त1(1)आ०

(वित्त मंत्री)

व्य०/75, दिनांक 3-6-75 द्वारा (प्रतिलिपि संलग्न है) वित्तीय वर्ष 1975-76 में आयोजना भिन्न व्यय की मद 'कार्यालय व्यय' में स्वीकृत प्रावधान का 10% तथा स्टेशनरी प्रिन्टिंग में 5 प्रतिशत कमी की गई। इसके अलावा तीन माह से अधिक अवधि तक रिक्त रहे पदों की पूर्ति पर रोक लगाई गई। इसके अनुसार व्यय में 1.14 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है।

(3) खर्चे में कमी की कोई प्रतिशत निर्धारित नहीं की गई थी। खर्चे में कमी की सफलता का अनुमान वर्ष के अन्त में हो सकेगा।

(4) सूचना एकत्रित की जा रही है। इसे एकत्रित करने में समय लगेगा। सूचना प्राप्त होने पर संकलित सूचना प्रस्तुत कर दी जावेगी।

(सूची के लिए परिशिष्ट सं. (12) व परिपत्र के लिए परिशिष्ट सं. 4 के तारांकित प्रश्न सं. 296 के उत्तर में दिये परिपत्र को कृपया देखें)

सांचोर क्षेत्र के ग्रामों में पीने के पानी की व्यवस्था

165. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर पंचायत समिति क्षेत्र की क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना सांकड-पालडीपुर आदि गांवों की अभी तक पूर्णरूप से क्रियान्वयन नहीं की गई है ? अगर हां, तो अब तक कितना कार्य हो चुका है एवं कितनी योजना अपूर्ण है ? योजना सम्पूर्णरूप से कब तक पूरी करवा दी जाकर सब गांवों में पानी की सप्लाई शुरू करवा दी जायगी ?

(2) क्या यह सत्य है कि उक्त योजना के अन्तर्गत एक बस्ती सेडियावास (गुहारू) में अभी तक हौज-निर्माण कार्य शुरू नहीं करवाया गया है ? अब यह कार्य कब तक करवाया जाकर सेडियावास में पानी की सप्लाइ कब तक शुरू करवा दी जायगी ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त वास में पहले भी हौज बनाने के टेन्डर किये गये थे ? अगर हां, तो कब ? फिर हौज निर्माण क्यों नहीं करवाया गया ?

(3) क्या यह सत्य है कि उक्त योजना के अन्तर्गत अभी तक ग्राम सरनऊ में भी हौज-निर्माण पूरा नहीं करवाया गया है ? अगर हां, तो क्यों ? अब यह कार्य कब तक पूरा करवाया जाकर पानी की सप्लाई शुरू करवा दी जायेगी ? निश्चित अवधि बताने की कृपा करावें।

(4) क्या यह सत्य है कि उक्त ग्राम सरनाऊ की उच्च प्राथमिक पाठशाला में भी पानी का कनेक्शन लेने की मांग की गई है, अगर हां, तो कब ? अब इस पाठशाला में पीने के पानी की समस्या का समाधान कब तक कर दिया जायगा ?

(5) क्या यह सत्य है कि इस योजना

Page No.41

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

के तहत कई अन्य बस्तियों में भी पानी के हौज बनवाये जाकर पीने के पानी की मांग की गई है ? अगर हां, तो उस मांग की पूर्ति कब तक करवा दी जायगी ?

उत्तर

(1) जी हां। योजना में स्वीकृत 11 ग्रामों में से 9 ग्रामों में जल वितरण किया जा चुका है व शेष 2 ग्रामों में अगले वित्तीय वर्ष में जल उपलब्ध करवा दिया जावेगा।

(2) जी हां। ग्राम सेंडियावास स्वीकृत जल प्रदाय योजना में सम्मिलित नहीं है अत: फिलहाल यहां पर जल देने की कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। ग्राम सेंडियावास में हौज बनाने के लिये पहले गलती से दिनांक 22-4-74 को निविदायें आमन्त्रित करली गई थी किन्तु योजना में प्रावधान न होने के कारण कार्य नहीं करवाया गया था।

(3) जी हां। ठेकेदार द्वारा कार्य बीच में बन्द कर दिये जाने के कारण कार्य अधूरा रह गया था। कार्य को शीघ्र पूरा कराने के लिये कार्यवाही की जा रही है व आशा है कि यह 2 माह में पूरा कर लिया जावेगा।

(4) जी हां। किन्तु क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं के अन्तर्गत निजी कनेक्शन देने की व्यवस्था नहीं है।

(5) जी हां। नई ग्रामीण बस्तियों में जल प्रदाय योजनाओं को जिला आयोजना समिति के प्रस्तावों के अनुसार ही लागू किया जायेगा।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री, कार्मिक विभाग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड 5 के अन्तर्गत कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 8 (8) कार्मिक (क-2)/75, दिनांक 2 मार्च, 1976 को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय खनिज मंत्री जी।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री जुझारसिंह (राज्य मंत्री, खनिज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उपधारा 3 का, भाग (बी) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का अट्ठाइसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं 31 मार्च, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के लेखे सदन की मेज पर रखता हूं।

अनुदान की मांगें

मांग संख्या 29, 35, 40 व 47 का उपःस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : आय-व्ययक 1976-77 अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

(श्री रामनारायण चौधरी)

माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी।

श्री रामनारायण चौधरी (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 29 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 61,08,000) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 35 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,69,51,000) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं मांग संख्या 40 के संबंध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,50,05,000) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे)।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 47 के सम्बन्ध में 31 मार्च. 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,30,40,000) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : मांगें प्रस्तुत हुईं।

मांग संख्या 29, 35, 40 एवं 47 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) :

1. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284–नगर विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शहर सीमा में ग्रामों को मिलाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

2. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर जिले की सहकारी संस्थाओं में सहकारी कर्मचारियों का मनमाने ढंग से हस्तक्षेप करने पर चर्चा के लिये)।

3. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा कई सहकारी समितियों का एक साथ विलीनिकरण करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

4. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों के चुनाव आयोग द्वारा कराये जाने पर चर्चा के लिये।

5. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 314–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायतों द्वारा कराये जाने वाले विकास कार्यों की धीमी गति पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) :

6. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284–नगर विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़-

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

गढ़ नगर विकास न्यास को विकास हेतु दिये जाने वाले ऋण के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

7. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी आन्दोलन की असफलता पर चर्चा के लिये)।

8. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता को राजस्थान में पूर्ण सफलता नहीं मिली इसके कारणों पर चर्चा के लिये)।

9. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 314–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास कार्य-क्रम के अन्तर्गत हुए कार्यों को वांछित सफलता नहीं मिलने पर चर्चा के लिये)।

10. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक 283–आवास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ नगर का योजनाबद्ध विकास नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

11. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक 284–नगर विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़-गढ़ नगर के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन):

12. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284–नगर विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगर पालिका, झालरापाटन को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

13. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284–नगर विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालरापाटन नगर पालिका की सड़कों की खराब हालत सुधारने हेतु दिये गये ऋण के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

14. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298– सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में ग्राम सहकारी सभाओं में अनियमितताएं गबन भ्रष्टाचार को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

15. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में सहकारिता के आधार पर उद्योग धंधे न खोलने पर चर्चा के लिये)।

श्री अजीत सिंह (टोंक) :

16. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284– नगर विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगर परिषद् टोंक की बेचने योग्य भूमि की रेट तैयार करने के लिये संचालक, स्थानीय निकाय के कार्यालय में होने वाली देरी पर चर्चा के लिये)।

Page No.44

(श्री अजीत सिंह)

17. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298- सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी विभाग द्वारा सहकारी समितियों के भयंकर घोटालों की जांच नहीं कराने पर चर्चा के लिये)।

18. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक 284- नगर विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नई विकसित बस्तियों के प्लाट्स की रेट तय करवाने हेतु टाउन प्लानिंग विभाग की असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

श्री हनुमानसहाय व्यास (बैराठ) :

19. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284- नगर विकास के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा, शाहपुरा, मनोहरपुरा एवं विराटनगर में नगरपालिकायें स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

20. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 314- सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायती राज संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के उचित प्रशिक्षण के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री केशरीमल (ब्यावर) :

21. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284- नगर विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगर के विकास के समय गरीब वर्ग के लिये रिहायशी मकानों की व्यवस्था पर ध्यान नहीं रखे जाने के कारण नगर विकास न्यास को देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

22. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298- सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में सेन्ट्रल कोपरेटिव बैंक में अनियमितताओं को रोकने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

23. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298- सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में कोपरेटिव बैंक द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में कर्ज देने में असफलता पर चर्चा के लिये)।

24. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298- सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मर्कैन्टाइल कोपरेटिव बैंक के बन्द हो जाने से बनी स्थिति पर चर्चा के लिये)।

25. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298- सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसायटीज में फैली अव्यवस्था को सुधारने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

26. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक 284- नगर विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगर विकास के लिये व्यवस्था करते समय गरीब वर्ग को बेघर न किया जाय, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) :

27. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 294- नगर विकास के अन्तर्गत मांग में से

(श्री नन्दलाल बैरवा)

100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में नगर विकास न्यासों का अब तक मनोनयन नहीं किये जाने से होने वाली स्थिति पर चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298– सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण सेवा सहकारी समितियों में अनुसूचित जाति व जन जातियों के सदस्यों को अब तक प्रतिनिधित्व नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

29. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में गृह निर्माण सहकारी समितियों को समय समय पर ऋण नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

30. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298– सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा राजस्थान के जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंकों में अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों को अब तक मनोनीत नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

31. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 314–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में न्याय पंचायतें भंग किये जाने के बाद अब तक भी न्याय उप समितियों के गठन नहीं किये जाने से होने वाली स्थिति पर चर्चा के लिये)।

32. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 314– सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में पंचायत समितियों को दिये गये ऋण की वसूलियां समय समय पर नहीं होने से होने वाली उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) :

33. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284–नगर विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर नगर विकास न्यास द्वारा आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध न कराये जाने से न्यास को देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

34. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आवास सहकारी समितियों को कर्जा न मिलने पर चर्चा के लिये)।

35. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आवास सहकारी समितियों द्वारा कर्जा उपलब्ध न कराये जाने पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

36. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 314– सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों के विकास के लिये पंचायत संस्थाओं को अधिक आर्थिक सहायता दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :

37. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284- नगर विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के समस्त जिला मुख्यालयों पर नगर विकास न्यास की स्थापना किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

38. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों के चुनाव विभाग द्वारा कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

39. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298- सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में सहकारिता आन्दोलन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

40. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले की बायतू पंचायत समिति के कुछ ग्राम सेवा सहकारी समितियां, कुछ ठेका श्रमिक सहकारी समितियों के गबन एवं धन दुरुपयोग के मामले सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियों, बाड़मेर के कार्यालय में पेन्डिग हैं, जल्दी से जल्दी निपटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

41. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिला कोआॅपरेटिव बैंक द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों को ऋण वितरण करने में पक्षपात बरतने पर चर्चा के लिये)।

42. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता आन्दोलन की असफलता पर चर्चा के लिये)।

43. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिला को-आॅपरेटिव बैंक द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों को ऋण वितरण करने में पक्षपात पूर्ण नीति अपनाने पर चर्चा के लिये)।

44. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 314-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों की जीपों का जिलाधीश एवं जिला प्रशासन द्वारा फैमिन और लेवी की वसूली के समय प्रयोग किया जाता है परन्तु उनकी टूट-फूट की कोई व्यवस्था नहीं की जाती और न हर्जाना दिया जाता है, जिसकी आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

45. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 314-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्री गिरधारीलाल व्यास समिति के आधार पर पंचायतों के पुनर्गठन के बारे में, उसके क्रियान्वयन में राज्य सरकार द्वारा ढिलाई बरते जाने के कारण पैदा हुई स्थिति पर चर्चा के लिये)।

46. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 314-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा जीपों के दुरुपयोग किये जाने पर चर्चा के लिये)।

Page No.47

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

47. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 314–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की कमजोर नीति के कारण लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण असफल हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय (बून्दी) :

48. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284–नगर विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा बून्दी जैसे शहर में भी टाउन प्लानर की नियुक्ति नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

49. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक में सहकारी विभाग का कोई प्रतिनिधि नहीं होने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

50. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान की अधिकतर सहकारी समितियों में एड-मिनिस्ट्रेटर के स्थान पर नोमिनेटेड बोर्ड कायम करने पर चर्चा के लिये)।

51. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केशवराय पाटन सहकारी शूगर मिल में हो रही भारी अनियमितताओं के बारे में विभाग द्वारा कोई कदम नहीं उठाये जाने पर चर्चा के लिये)।

52. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक 284-नगर विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी नगर के नियोजित विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)

53. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक 284–नगर विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की बून्दी जैसे शहर में भी हाउसिंग बोर्ड के मकान बनाने की योजना हेतु ऋण नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

श्री नत्थासिंह (नदबई) :

54. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284–नगर विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर नगरपालिका को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

55. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर जिले में सहकारिता आन्दोलन की असफलता पर चर्चा के लिये)।

56. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 314–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर जिले में पंचायतों द्वारा किये जाने वाले कार्यों में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा):

57. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284–नगर विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डवलप-

(श्री अमृतलाल गहलोत)

मेंट डिपार्टमेंट एवं सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जोधपुर के समय के राज्य सरकार में लगभग दस लाख रुपये जमा को अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जोधपुर को वापिस दिलवाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

58. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक 284-नगर विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर नगर में अल्प आय वर्ग के लोगों को अधिकाधिक भू-खण्ड उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री शंकरलाल (पाली):

59. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284-नगर विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली नगर के समुचित विकास हेतु नगर सुधार न्यास व नगरपालिका की कार्य प्रणाली में सुधार हेतु देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

60. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांवों में कर्जा उपलब्ध कराने हेतु सहकारी बैंकों की शाखाओं में वृद्धि हेतु चर्चा के लिये)।

श्री दीपंकर (लाडनूं):

61. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284-नगर विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगरपालिका क्षेत्रों में समुचित सफाई व्यवस्था हेतु देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

62. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284-नगर विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य की नगर पालिकाओं की दयनीय आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु कोई अनुदान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

63. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284-नगर विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगरपालिका क्षेत्रों में जन सुविधायें उपलब्ध कराने में हो रही असमर्थता के कारण इनको देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये)

64. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

65. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284-नगर विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं पालिका क्षेत्र में अब तक अतिक्रमण नहीं हटाये जाने के कारण नगरपालिका क्षेत्र को देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

66. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284-नगर विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं पालिका को निजी कार्यालय भवन बनाने हेतु मिले अनुदान का गलत जगह उपयोग किये जाने पर चर्चा के लिये)।

67. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284-नगर विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य की समस्त पालिका क्षेत्रों में सभी वस्तुओं पर

(श्री दीपंकर)

समान चुंगी की व्यवस्था कराने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

68. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक 683-आवास के लिये ऋण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कमजोर तबकों को मकान बनाने हेतु ऋण मिलने में होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर):

69. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284-नगर विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर नगरपालिका को देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

70. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले में सहकारी समितियों द्वारा बनाये गये स्टोर को प्रयोग में न लाये जाने पर चर्चा के लिये)।

71. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 314-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्ष 1971 में करणपुर पंचायत समिति के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पेन्शन नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर):

श्री बनवारीलाल (धौलपुर):

72. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 684-नगर विकास के लिये ऋण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर नगर विकास न्यास को दिये जाने वाले ऋण की अपर्याप्तता पर चर्चा के लिये)।

73. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284-नगर विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर नगरपालिका को देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

74. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक 284-नगर विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर नगर के चारों ओर रिंग रोड का उचित मानचित्र नहीं बनाने पर चर्चा के लिये)।

श्री जयनारायण रोत (लसाड़िया):

75. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284-नगर विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगर विकास न्यास, उदयपुर को देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुन्झुनू):

76. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 284-नगर विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगर विकास के नाम पर गरीबों के साथ होने वाले अन्याय को रोकने हेतु विकास न्यासों को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

77. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

बैंकों में गबन व अनियमितताओं को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

78. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गृह निर्माण सहकारी समितियों की परेशानियों एवम् अर्थाभाव में अधूरे पड़े मकानों पर चर्चा के लिये) ।

79. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 314-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलसीसर पंचायत समिति के प्रधान के खिलाफ रखे गये अविश्वास प्रस्ताव की तारीख नहीं निश्चित किये जाने पर चर्चा के लिये)।

80. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 314-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (घनूरी ग्राम पंचायत के उप-सरपंच के खिलाफ रखे अविश्वास प्रस्ताव की तारीख बढ़ा देने पर चर्चा के लिये) ।

81. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 314-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्राह्मणों की ढाणी तन भडौन्दा कलां में पिछले दो वर्ष से पंचायत समिति, चिड़ावा द्वारा अध्यापक नहीं भेजने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

श्री औंकारलाल चौहान (डग) :

82. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता के प्रचार की धीमी गति पर चर्चा के लिये)

83. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 314-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत होने वाले कार्यों की गति बहुत ही धीमी है, उस पर चर्चा के लिये) ।

84. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक 284-नगर विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगरों के विकास में कमियों पर चर्चा के लिये) ।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) :

85. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर सैंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

86. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक 284-नगर विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर शहर के मास्टर प्लान में विलम्ब पर चर्चा के लिये) ।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा (फागी) :

87. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दिये गये ऋण वसूल करने में फैली अव्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

88. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी आन्दोलन को तेज करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

89. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों को ऋण देने के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

90. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण की प्रक्रिया में सुधार हेतु चर्चा के लिये)।

91. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 314-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (जिला परिषदों, पंचायत समितियों व पंचायतों को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

92. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 314-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत राज प्रशिक्षण केन्द्रों की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

93. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक 284-नगर विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (मध्यम आय एवं अल्प आय वाले लोगों को दिये गये ऋण की वसूली नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

94. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक 284-नगर विकास के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मध्यम आय एवं अल्प आय वाले लोगों को ऋण प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

95. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक 284-नगर विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों के विकास के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री राम गोपाल (किशन गन्ज):

96. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

97. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 314-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (राजस्थान में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाले कार्यों को गति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री करन सिंह (डीग):

98. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298-सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता का अधिक विस्तार करने हेतु चर्चा के लिये)।

99. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 314-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय

Page No.52

(श्री करनसिंह)

(सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत होने वाले कार्यों में सुधार लाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता (बानसूर) :

100. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के सहकारी संस्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार की असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

श्री नाना लाल (राज समन्द) :

101. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों को अधिक ऋण सुविधा देकर उनके द्वारा ग्रामीण जनता को और अधिक राहत पहुंचाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री जगमोहन सिंह (छबड़ा) :

102. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298-सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रधान मन्त्री के 20 सूत्री कार्यक्रम को तेजी से लागू करने हेतु तदनुसार सहकारिता में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता हेतु चर्चा के लिये)।

श्री श्रीनिवास शारदा (निम्बाहेड़ा) :

103. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298-सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता के क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ जिले में चीनी मिल (शूगर) एवं स्पिनिंग मिल के लिये ऋण उपलब्ध नहीं कराने पर चर्चा के लिये)।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) :

104. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298-सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता में व्याप्त भ्रष्टाचार के समाप्त नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

105. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 314-सामुदायिक विकास के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाले कार्यों की धीमी गति पर चर्चा के लिये)।

106. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक 284-नगर विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगर विकास के लिए कोई समान व्यवस्था नहीं किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री विजय सिंह राठौड़ (माण्डल) :

107. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298-सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम सेवा सहकारी समितियों में ऋण देने वाले बोहरों पर चर्चा के लिये)।

108. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 314-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास कार्यों की कमी पर चर्चा के लिये)।

(श्री विजय सिंह राठौड़)

109. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 314—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायतों और पंचायत समितियों को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये)

श्री नाथूराम (बागीदोरा) :

110. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298— सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिला में सहकारिता को अनेक क्षेत्रों में बढ़ावा देने पर चर्चा के लिये) ।

111. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298— सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता के उद्देश्य को प्राप्त करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

112. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298– सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी बैंकों व संस्थाओं में कमजोर वर्ग का प्रतिनिधित्व दिलाने में विभाग की शिथिलता व दिये गये ऋण की वसूलियों के संबंध में विचार करने हेतु चर्चा के लिये) ।

113. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298– सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार व गबन को रोकने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये) ।

श्री रावत राम आर्य (छापर) :

114. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक 284– नगर विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगर विकास हेतु समुचित योजना बनाई जाये—इस पर चर्चा के लिये) ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) :

115. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298– सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक को बन्द करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

116. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक 284– नगर विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगर आयोजन का कार्य संतोषप्रद नहीं है— इस पर चर्चा के लिये) ।

117. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक 284– नगर विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कच्ची बस्तियों के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

श्री शंकर लाल जाट (कपासन) :

118. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298– सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ जिले में सहकारी समितियों के पदाधिकारियों ने दूसरे के नाम से गलत तरीके से ऋण प्राप्त करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

119. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 314— सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बड़ी सादड़ी तहसील में अलग पंचायत

(श्री शंकरलाल जाट)

समिति की स्थापना करने के विषय पर चर्चा के लिये)।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर)।

120. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298- सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में सहकारी आन्दोलन कामयाब न होने के कारणों पर चर्चा के लिये)।

121. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298- सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में सहकारी बैंकों द्वारा काश्तकारों को पर्याप्त ऋण सुविधा प्रदान करने में रही असफलताओं पर चर्चा के लिये)।

122. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298- सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति क्षेत्र सांचोर में सहकारी समितियों को सहकारी बैंकों द्वारा ऋण सुविधा प्रदान करने में घोर उपेक्षा की नीति अपनाने पर चर्चा के लिये)।

123. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 314- सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर की पंचायती राज संस्थाओं के निष्क्रिय होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

124. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 314- सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में पंचायत समितियों की पाठशालाओं की दयनीय स्थिति एवं प्राथमिक पाठशाला के शिक्षकों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर) :

125. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298- सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागोर जिले में गृह निर्माण सहकारी समितियों को ऋण नहीं मिलने पर चर्चा के लिये)।

श्री रमेशचन्द्र सैनिक (हिण्डोली) :

126. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298- सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले में सहकारी संस्थानों की ओर लोगों की आस्था बढ़ाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री उम्मेदी लाल (हिण्डौन) :

127. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298- सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता का व्यापक प्रचार करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री रामलाल (बाड़ी) :

128. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298- सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़ी क्षेत्र में सहकारिता आन्दोलन की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री सांवरमल मोर (श्रीमाधोपुर) :

129. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298- सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से

(श्री सांवरमल मोर)

100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता विभाग द्वारा समय पर उन सहकारी समितियों पर जो भ्रष्टाचार में लिप्त पायी गई है, एक्शन न लेने पर चर्चा के लिये)।

श्री झाबरमल सूंडा (फतेहपुर) :

130. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298– सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समस्त सहकारी संस्थाओं की सदस्यता में ग्रामीण जनता को प्रतिनिधित्व दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

131. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 314– सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम सेवकों के पद समाप्त करने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) :

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

132. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा केन्द्रीय सहकारी क्रय विक्रय संघ लि० दौसा का ऑडिट अनिश्चित काल तक न होने के कारणों पर चर्चा के लिये)।

133. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी विभाग में होने वाले गबन के संबंध में चर्चा के लिये)।

134. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक 284-नगर विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगर का विकास करते समय कमजोर तबकों की अवहेलना किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) :

135. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लघु तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को कर्जे मिलने में होने वाली असुविधा पर चर्चा के लिये)।

श्री किशोरीलाल शर्मा (सलूम्बर) :

136. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान सहकारिता प्रणाली के दोषों के उचित समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

137. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक 683-आवास के लिये ऋण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कमजोर वर्ग के लोगों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने व ऋण उपलब्ध कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री रतीराम यादव (तिजारा) :

138. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों में राजनीति के कारण सहकारी आन्दोलन को होने वाली भारी हानि पर चर्चा के लिये)।

139. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100

(श्री रतीराम यादव)

रुपया कम कर दिया जाय (गबन एवं भ्रष्टाचार से ग्रस्त सहकारी समितियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही न करने की सरकार की गलत नीति पर चर्चा के लिये)।

140. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी विभाग में फैले भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में राज्य सरकार के उत्तरदायित्व पर चर्चा के लिये)।

श्री चतरभुज (टोडारायसिंह) :

141. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी आन्दोलन की असफलता के कारणों पर चर्चा के लिये)।

142. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोडारायसिंह कस्बे में अलग क्रय-विक्रय सहकारी समिति खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

143. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 314–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा टोडारायसिंह में कराये जाने वाले निर्माण कार्यों में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

श्री जेठमल आर्य : (रेवदर) :

144. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिरोही भूमि विकास बैंक में कर्ज देने में की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

145. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आबू रोड़ तहसील की मूंगला सहकारी समिति के कर्जे की रकम के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

146. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिरोही जिले की सहकारी बैंकों में अनुसूचित जाति व जनजाति के किसी व्यक्ति को प्रतिनिधित्व नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

147. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ।(सिरोही सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक में हो रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़):

148. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक, जयपुर के अवसायन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

149. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 314–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रायसिंह नगर पंचायत समिति में हुए गबन, वहां पर रोकड़ तक न होने पर चर्चा के लिए)।

श्री मोहरसिंह (चूरू) :

150. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांवों में दिये जाने वाले सहकारी कर्जे के वितरण व वसूली में भयंकर अनियमितता व पक्षपात होने पर चर्चा के लिये) ।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) :

151. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 298–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी आन्दोलन में निहित स्वार्थ के लोगों के प्रवेश पर नियंत्रण करने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कोई कदम नहीं उठाने पर चर्चा के लिये)।

152. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 314–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास विभाग में निरन्तर बढ़ती हुई शिथिलता पर चर्चा के लिये) ।

श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) :

153. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 314–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायतों को टी. बी. सेटलाइट कार्य-क्रम के लिये दी जाने वाली अपर्याप्त सहायता पर चर्चा के लिये) ।

श्री चेतराम (टोडाभीम) :

154. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 314–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा विकास कार्यों की उपेक्षा, पंचायत समितियों के कर्मचारियों द्वारा विकास कार्य न कर झूठे आंकड़े देने पर चर्चा के लिये) ।

155. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक 284–नगर विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोडाभीम तथा हिण्डौन नगरपालिका में विकास हेतु आयोजना विभाग द्वारा कोई योजना नहीं बनाये जाने पर चर्चा के लिये) ।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) :

156. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 314–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास कार्य-क्रम के अन्तर्गत होने वाले विकास कार्यों की गतिविधियों एवं पंचायतों को सक्रिय बनाने हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री नारायणसिंह (दांतारामगढ़) :

157. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 314–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों को और अधिक धनराशि देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री भोमाराम चौधरी (डीडवाना) :

158. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 314–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा पुराने कार्यों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी न करने पर चर्चा के लिये) ।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा) :

159. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 314–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों की बिगड़ती हुई आर्थिक दशा को सुधारने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री शिवनारायण (बारां) :

160. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 314–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों से सन 1960, 1961 व 1962 की नाजायज खाद बीज की वसूली पर चर्चा के लिये)।

161. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 314-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आदर्श ग्रामों में सड़कें, बिजली एवं श्रमदान सड़कों की दयनीय दशा को सुधारने में पंचायत समितियों द्वारा उचित कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

श्री देवीलाल (सराड़ा) :

162. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 314–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर के आदिवासी क्षेत्र विकास योजना द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के लिए पंचायत समितियों व पंचायतों को सहायता दिये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिए)।

163. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 314–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर तहसील सराड़ा के आदिवासी क्षेत्र में लघु सिंचाई एवं सड़कें आदि ग्रामीण विकास कार्यों की धीमी गति पर चर्चा के लिये)।

श्री गौरीशंकर मुनीम (खानपुर) :

164. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक 284–नगर विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले में झालावाड़ झालरा पाटन के नगरीय विकास हेतु योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

अनुदान की मांगों पर विचार एवं पारण

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकर सिंह रावत।

श्री शंकर सिंह रावत (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आज के कटौती प्रस्ताव में……

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मर्केण्टाइल बैंक के सम्बन्ध में मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं उस सम्बन्ध में कहा था……

श्री उपाध्यक्ष : इनके बाद कर देना।

श्री शंकरसिंह रावत : नगर विकास, सहकारिता, सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में मेरे कटौती प्रस्ताव हैं। उपाध्यक्ष महोदय, नगर विकास के सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अजमेर के आस पास, नगर सीमाओं के आस पास के गांवों को नगर विकास के अन्दर लिया गया और आज तो नगर के विकास के अन्दर अगर अजमेर शहर को देखा जाय तो मैं समझता हूं कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रति

Page No.59

(श्री शंकरसिंह रावत)

वर्षा से नगर में फ्लड आया, काफी हानि हुई। कई लोगों की जानें गईं और उसके पश्चात् आज तक उस शहर के विकास के लिये कोई ऐसा कदम नजर नहीं आ रहा है जिससे कि भविष्य के खतरे से उनका बचाव किया जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, नगर विकास में अजमेर शहर के ऊपरी भाग में दो बड़े तालाब अनासागर और फाइसागर हैं। फाइसागर का पानी अनासागर में आया और अनासागर से ओवर फ्लो होने के बाद समस्त पानी शहर के बीच में गया और प्रति वर्षा से, इस पानी से नगर के अन्दर इतनी हानि हुई कि वहां गरीबों के जितने घर बसे हुए थे वह सारे बह गए और आज तक भी आगामी वर्षा होने से पूर्व ऐसा कोई विकास नजर नहीं आता जिससे उनको आगे की हानि से बचाया जा सके। यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, आस पास के गांवों को इस नगरपालिका के अन्दर मिला रहे हैं। जब कि शहर का विकास पूरा हो नहीं पा रहा है, 35 गांवों को उसके अन्तर्गत मिलाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि या तो किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर उनको मिलाया जाय। वहां पर बिल्डिगें आदि ऐसे महान व्यक्तियों को बनाने की इजाजत होती है ताकि वे जिस शहर में रहें, जहां 2 तबादला होता जावे अपनी बिल्डिगें बनाते जावें और अपनी आजीविका का साधन बनाते जावें गांव वालों की भूमि लेकर। यदि इस परपज के लिए मिलाया जावे तो यह उचित प्रतीत नहीं होता है। उपाध्यक्ष महोदय, आज एक तरफ बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हम भू-आवास खण्ड देने जा रहे हैं और उनके आवास के लिए, रहने के लिए भवनों का निर्माण कराने जा रहे हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्लड के अन्दर, अजमेर शहर के अन्दर ऐसे व्यक्ति जो गाडोलिया लुहार हैं, गरीब अनुसूचित जाति के लोग, कोली लोग, वहां के नागरिकों के और आस पास के रहने वाले लोगों के भवन बर्बाद हो गये हैं, कच्ची बस्तियां वहां रही नहीं और उनको बसाने का प्रयत्न नहीं किया जावे तो मैं समझता हूं कि हमने एक तरफ जो मांगें रखी गई हैं उनको स्वीकार तो करेंगे ही लेकिन मांगों को स्वीकार करते समय हमें इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जहां हम एक तरफ जयपुर शहर को गुलाबी नगरी और अच्छा सुन्दर शहर बनाने जा रहे हैं लेकिन यह भी देखना पड़ेगा कि जो कच्ची बस्तियां हैं उनका क्या हाल है। मैं आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली वर्षा के अन्दर इतनी बरसात हुई, तालाब ओवर फ्लो हुए और करीब दो तीन फुट ही अभी तक खाली हुए हैं और दो माह के बाद ही बरसात आने वाली है। यदि बरसात का 25 प्रतिशत भी अगर इस बार बरसात होती है तो मैं समझता हूं कि स्थिति इससे भी और ज्यादा भयंकर होगी क्योंकि उस पानी से और ओवर फ्लो होगा। और जो गरीबों के घर बने हुए नाले के आस पास है वहां से उनको हटाया गया है। आज मैं निवेदन करूं कि अजमेर शहर के अन्दर नाले की जो सफाई हुई है, मैं समझता हूं कि यह पहले ही संकेत करता है कि इस वर्षा से कच्ची बस्ती वालों को हानि हुई है और आज भी उनके विकास के लिए कोई बात नहीं करें तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आस पास के गांवों को नगर

Page No.60

(श्री शंकरसिंह रावत)

परिषद् के अन्दर मिलाया जा रहा है। एक तरफ तो शहर की सफाई नहीं हो रही है। शहर को ठीक नहीं कर पाये हैं और दूसरी ओर 35 गांवों को आप मिला रहे हैं—इनको शहर की सीमा के अन्दर मिला रहे हैं, यह ठीक नहीं है। क्या 35 गांवों को शहर में मिलाकर शहर की सुविधा बढ़ेगी? वहीं पर पहले ही सुविधा नहीं है, बिजली का प्रबन्ध नहीं है और ये 35 गांव जो दस-दस, पांच-पांच मील के दायरे में हैं, इनका विकास नगरपालिका कैसे कर पायेगी? राज्य सरकार को शहर का विकास करना है तो मैं समझता हूं कि वह जमीन को एक्वायर कर लें। दस, दस मील की दूरी पर बसे गांवों को एक्वायर करना, मैं समझता हूं, ठीक नहीं है, उचित प्रतीत नहीं होता है। जितनी जमीन की जरूरत है उतनी जमीन लेना ही उचित होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि नगर की सीमा में इतने गांव को मिला कर जब वे शहर का विकास ही नहीं कर पा रहे हैं, तो गांवों का कैसे कर पायेंगे? और अगर मिलाते हैं तो गांव की योजना बनावें, गांव का प्लान बनावें कि इनका विकास, इन गांवों का विकास इस तरह से किया जायेगा। किस तरह से आप इनका डवलपमेन्ट करना चाहते हैं, गांव का विकास किस तरह से शहर के बराबर करना चाहते हैं, कम से कम यह चीज तो आपको देखना चाहिये और फिर इनको शहर में मिलाना चाहिये। यह कठिनाई हो कि शहर को किस तरह से आगे बढ़ाना है तो भूमि ले लें। मैं समझता हूं कि इस संबंध में हमारे मंत्री महोदय कम से कम जो इन गांवों को मिला रहे हैं, उनका अध्ययन करेंगे और उनकी योजना बनायेंगे और उनका प्लान जनता के सामने रखेंगे कि किस तरह से वे उनका विकास शहर के समान करने जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सहकारिता के सम्बन्ध में भी आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं। सहकारिता का एक ऐसा आन्दोलन है जिनके जरिये हम आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं। दुर्भाग्य है कि अजमेर जिले में वहां के सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के चुनाव को, संचालक मण्डल चुन कर आगया परन्तु विभाग आगे कार्यवाही नहीं करता है। हमारे प्रधान मन्त्री ने स्पष्ट कहा है कि देश को आगे बढ़ाना है तो सहकारी समितियों को आगे बढ़ाना है। परन्तु यह जीता जागता उदाहरण है कि अजमेर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष आपने जिलाधीश को बना रखा है जबकि जनतन्त्रीय प्रणाली के अनुसार वहां के संचालक मण्डल का चुनाव हो गया, को-ऑपरेटिव का चुनाव हो गया, सदस्य चुन कर आ गये परन्तु अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ। यह आपकी कैसी चुनाव प्रणाली है? यह कैसे चुनाव कराते है? चुनाव आयोग जिस प्रकार चुनाव कराते हैं उसी प्रकार से चुनाव आप इन सहकारी समितियों के करावें। यहां तो चुनाव आपका विभाग ही कराता है, चुनाव पर स्टे आपका विभाग ही दे देता है। मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की कार्यवाही से मन्त्री महोदय अजमेर की सहकारी समितियों का विकास नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने कर कमलों द्वारा उनका समाप्ति समारोह कर रहे हैं। बड़े दुःख की बात है - वहां के कर्मचारियों के प्रति हमें आक्रोश है—ग्राम सेवा सहकारी

(श्री शंकरसिंह रावत)

समिति का जब वे चुनाव कराते हैं तो पहले यह देखते हैं कि हमें किसको लेना है। उसी अनुसार व्यवस्थापक प्रोसिडिंग्स को बनाता है और कहीं कहीं तो चुनाव के मौके पर प्रोसिडिंग्स को बदल देता है। यह आम बात है। अगर आपको यही करना है कि आपके आदमियों को लेकर उन पर नियन्त्रण करना है और अगर वे ही चुन कर आते हैं तो ठीक है, वरना आप उन पर प्रशासक बिठा देते हैं—तो हमें देखना होगा। यह अजमेर की ही बात नहीं है बल्कि राज्य सरकार का कन्ट्रोल सारे राजस्थान की समितियों पर हो रहा है। आप संचालक मंडलों को विश्वास में नहीं लेकर अपने कर्मचारियों द्वारा को-ऑपरेटिव्ज को ठीक करना चाहते हैं तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। सुपर बाजार के चुनावों की तरफ भी मैं माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहले तो स्टे दे दिया, तीन महीने तक चुनाव नहीं कराये जायेंगे और अब एक तरफ चुनाव कराना चाहते हैं। सुपर बाजार के चुनाव हुए। सदस्यगण चुन कर आगये परन्तु उसके अध्यक्ष का चुनाव वहां पर नहीं हुआ। जिसमें आप दिलचस्पी रखते थे, वे चुन कर नहीं आये इसलिए उसके चेयरमैन के चुनाव को आपने स्थगित कर दिया। यह उचित नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन सहकारी संस्थाओं के चुनाव भी जनतंत्रीय प्रणाली की तरह करवाये जायें जैसा कि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव करवाये जाते हैं। आप अपने विभाग के द्वारा चुनाव कराते हैं और जिनको आप चाहते हैं वे चुन कर आ-जायें तो ठीक वरना आप उन चुनावों को रोक देते हैं, मैं समझता हूं कि यह तरीका उचित नहीं है। इसी प्रकार ग्राम सेवा सहकारी समितियों, भूमि विकास बैंक के चुनाव के लिए नोटिस निकला कि चुनाव हो रहे हैं और चुनाव होने लगे—आपको थोड़ी आशंका हुई कि आपने स्टे दे दिया। इसलिए आपकी यह चुनाव प्रणाली साफ होनी चाहिये और कम से कम एक-दो महीने पूर्व नोटिस होना चाहिये। राजस्थान में जो सहकारी समितियां हैं उनके किसी प्रकार के चुनाव नहीं हुए हैं, मैं समझता हूं कि यह किसी प्रकार से उचित नहीं है। मेरा यह आपसे निवेदन है कि विभाग द्वारा तटस्थ होकर चुनाव करवाये जायें। आज तो विभाग चुनाव कराता है और विभाग ही स्टे आर्डर दे देता है यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारी सहकारी समितियों में आस्था है। मैं निवेदन करूंगा कि पंचायतों के जिस प्रकार चुनाव होते हैं वही प्रभावी जनतंत्रीय तरीका यहां भी अपनाया जाये। एक तरफ आप जनतंत्रीय व्यवस्था करते हैं वहीं साथ ही साथ अपने कर्मचारियों के द्वारा नियंत्रण भी रखना चाहते हैं। यह तो प्रजातंत्रीय व्यवस्था का गला घोंटना है। मैं आपके इस तरीके को उचित नहीं समझता हूं। आशा है मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे और पंचायत समितियों के चुनावों की तरह ही इनका चुनाव करायेंगे।

एक बात और उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं। अभी पंचायत समिति स्तर पर एक सहकारी सेवा समिति है। अब दो या तीन पंचायत समितियों के बीच में एक सहकारी समिति रखेंगे। यह ठीक नहीं है। ग्राम सेवा सहकारी समिति तो ठीक है। इसकी व्यवस्था ठीक है। मैं आपसे उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम सेवा सहकारी समिति एक एक

(श्री शंकर सिंह रावत)

आदमी को लोन दिलाने की व्यवस्था करेगी। छोटी छोटी सहकारी समितियों में भी ऐसे लोग होते हैं कि उनको कुछ नहीं मिल पाता है। जब ग्राम सेवा समिति से ही नहीं मिल पाता है और तीन पंचायत समितियों की एक सहकारी समिति होगी, एक जगह होगी तो यह उद्देश्य कैसे पूरा होगा ? मेरा कहना है कि इसकी व्यवस्था ठीक तरह से नहीं हो पायेगी। छोटी छोटी सहकारी समितियों में भी ऐसे काम होते हैं कि सदस्य दूसरे के नाम का लोन ले लेते हैं और जब किस्त नहीं आती है तो वह केस सामने आते हैं। यह उचित नहीं है। अब तो और भी बड़ी को-आॅपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं। जब ग्राम पंचायतों के चुनाव भी आयोग कराता है और उससे भी बड़ी समिति आप बना रहे हैं तो उस तरह से चुनाव कराना विभाग के हित में है और आप बदनामी से भी बचेंगे और स्टे पर जो हाईकोर्ट में जाना पड़ता है वह भी बचेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा जो बीस सूत्री कार्यक्रम है उसके अन्दर सहकारी समितियों को बढ़ाना भी एक सूत्र है इस आन्दोलन के जरिए ही हम अपने प्रोग्राम को पूरा कर पायेंगे। इसलिए इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं आनी चाहिये और इसमें सुधार नहीं करेंगे तो यह दुर्भाग्य की बात होगी।

जहां तक वसूली का सवाल है, वसूली होती है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट गिरदावरी के आधार पर वसूली करता है। किसान का आधार ऋण है और वह कृषि से इस ऋण का चुकारा करता है। परन्तु हमारे इन्स-पेक्टर लोग कहते हैं रिजर्व बैंक ने वसूली रोकने के आदेश नहीं दिये हैं, इसलिए वसूली होगी लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जो बड़े बड़े लोग हैं, मैनेजिंग कमेटी के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं और जो डिफाल्टर हैं उनके ऊपर कुछ नहीं होगा लेकिन हरिजनों से सख्ती से वसूली होगी ताकि दूसरे हरिजन डर जायें। यह जो तरीका है, मंत्री महोदय, इसको सुधारें। इस ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। किसान मोटर चला कर खेत को पानी पिला रहा है परन्तु को-आॅपरेटिव के आदमी जाकर ताला लगा देते हैं। यही तो उसके सिंचाई का साधन है, वह कैसे पानी पिलायेगा। यह दुर्भाग्य की बात है।

(12.20 म. प.)

(श्री रघुनाथ विश्नोई, सभापति, पीठासीन)

सिर्फ हुआ क्या है कि कर्मचारी दो-चार हैं जिनको आप जानते हैं और कई दफा जिनके बारे में आपसे कहा है अजमेर में ऐसे हैं पी. एस. यादव और दो-तीन ए. आर. जब कि आपका यह रूल है कि एक जिले के आदमियों को उसी जिले में नहीं रखेंगे इन लोगों को वहां पर रख रहे हैं तो यह अजमेर के साथ में अन्याय क्यों ? हमें मालूम है कि को-आॅपरेटिव में हम किस प्रकार से इनका सामना कर रहे हैं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उस जिले में इनको रखकर आप वहां पर को-आॅपरेटिव मूवमेंट को पनपाना चाहते हैं तो जिन कर्मचारियों के हाथ में आज आप यह दे रहे हैं तो आगे के लिए उनसे खतरा हो जायगा। जिनसे को-आॅपरेटर्स खुश नहीं हैं उनको वहां पर क्यों रखते हैं ? वह जानते हैं कि दूसरे हमारी मदद करते हैं तो वह मदद करने वाले भी उनके खिलाफ काम कर सकते हैं। ऐसे कर्मचारियों के द्वारा आप सहकारी समितियों को खत्म

(श्री शंकर सिंह रावत)

करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए तुरन्त ही उनको वहां से हटा देना चाहिए।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में। पंचायती राज्य का आपने 59 में नागौर के अन्दर उसका उद्घाटन कराकर जो सपना देखा था और महात्मा गांधी का सपना बताकर उस सपने को ठीक करना चाहते थे तो आज उन ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों की दशा को देखिये। मैं समझता हूं कि उनके पास काम सिवाय वेतन देने के और क्या है? ग्राम पंचायतों में ऐसे सभी प्रकार के अधिकारी—शिक्षा प्रसार अधिकारी कृषि प्रसार अधिकारी, प्रशासन अधिकारी जो हैं इनके कामों को देखें। ग्राम सेवकों के पास काम क्या है। आपने इस सामुदायिक विकास की पुस्तिका में 20 सूत्री कार्य-क्रम के लिये कहा है कि इसको पंचायती राज्य से जोड़ा जाय। सामुदायिक विकास में पंचायती राज्य किस प्रकार से काम कर रहा है। एक तरफ तो हमारी ग्राम पंचायतें कहती हैं कि भू-आवास खण्ड इतने दे दिये। मैं समझता हूं कि कहीं ऐसा न हो कि रेवेन्यू बोर्ड भी उनको गिनने लगे और हम भी गिनने लगें और वही हालत हो जाय जो सन् 1956 में और 1962 में पंचायत समितियों ने और रेवेन्यू बोर्ड ने इतने खाद के गढ्ढे बताये कि अगर उनकी जमीन को नापें तो वहां पर चलने को जगह ही न रहे। तो कहीं ऐसा तो न हो कि इन को रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी गिन ले और सामुदायिक विकास भी गिन लें। फीगर या आंकड़े देने से कुछ नहीं होता है लेकिन स्पष्ट तो गांवों में जाकर देखिये तो मालूम होगा।

सदन में कई बार यह बात आती है कि ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं हो रहे हैं वह चुनाव होने चाहियें। आज चुनाव नहीं होने के कारण कई लोग उनसे नफरत करने लगे हैं कि हमारे पास काम क्या है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं। आपके प्रसार अधिकारी भी वहां पर प्रयत्न करें। आखिर वह भू-आवास खण्ड के आवंटन के सम्बन्ध में कहां कहां गये और 20-सूत्री कार्यक्रम को बतायें और नोट आपको भेजें कि क्या क्या काम किया जो कि उनको हाथ में लेने चाहिए। बहुत-सी पंचायत समितियों की बात आती है कि हमारे पास काम नहीं है या दूसरे भी कहते हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश की प्रधान मंत्री पंचायती राज को नींव या आधार मानकर चल रही हैं कि इनके जरिये काम को ठीक किया जाय। पंचायत के जरिये मूल शिक्षा का विकास हो। कृषि उत्पादन के लिए वहां पर ए. ओ. और ग्राम सेवक कभी खेतों पर नहीं गये। अगर जाते हैं तो किस किसान से मिले और वहां पर उसको क्या राय दी? वह जिला कृषि अधिकारी को रिपोर्ट दें। उनको मालूम ही नहीं होता है जब तक कि किसान जिला अधिकारी को रिपोर्ट न दे कि उनके यहां पर रोली लग रही है जो कि एक भयंकर बीमारी है। उनके जरिये से जिला अधिकारी के पास यह सूचना गई है, लेकिन कृषि प्रसार अधिकारी और ग्राम सेवक के स्तर पर बहुत कम ऐसी सूचना गई होगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उनके चुनाव

(श्री शंकर सिंह रावत)

कराने चाहियें। जब तक चुनाव नहीं होंगे उनका किसी काम में मन नहीं लगेगा। 20-सूत्री कार्यक्रम में इतने काम हैं कि अगर करना चाहें तो बहुत हैं।

शिक्षा के विकास को आप जाकर देखिये। आप एक तरफ तो नगरपालिका के अन्दर जो स्कूलें खोल रहे हैं तो वहां पर श्रमदान नहीं है। मैं मानता हूं कि अगर गांव वाले मिडिल स्कूल बनवाना चाहते हैं और सरकार मकान न दें तो गांव वाले मकान बनवाकर अपनी शिक्षा का प्रसार जरूर करते हैं। लेकिन यह भी देखा गया है कई जगह ऐसे सरपंच या ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस काम में पैसे का दुरुपयोग किया आप कहते हैं कि ऑडिट हो जाता है तो ऑडिट वाले कागज देखते हैं लेकिन मौके पर जाकर नहीं देखते हैं कि भवन का निर्माण हुआ है कि नहीं। आवास-गृह कई जगहों पर अध्यापकों के लिए बने हैं वह अधूरे पड़े हैं। तो विकास के लिए सामुदायिक विकास विभाग कितना धन खर्च करता है तो आयेगा कहां से। अगर धन का सदुपयोग होता है और जनता को मालूम पड़े कि राज्य सरकार एक तरफ तो हम पर टैक्स लगाती है तो दूसरी तरफ उस टैक्स के पैसे को हमारे विकास पर खर्च करती है तो कम से कम उनको सन्तोष तो मिलता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लेकिन अगर एक तरफ तो आप टैक्स लगाते जायं और उस पैसे का दुरुपयोग हो तो लोगों को दुख होता है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायतीराज को और सामुदायिक विकास को सुसंगठित करके विकास का कार्य करें और कार्य के लिए प्रधानों को आदेश दें। कई जगहों पर प्रधान भी नहीं है और उप-प्रधान ही कार्य कर रहे हैं। उनका काम कार्य में बराबर रोड़े अटकाने का है। बलकें उनके कहने में नहीं रहते हैं क्योंकि यह कार्यवाहक प्रधान होते हैं और जो कार्यवाहक प्रधान होता है वह कान्फीडेन्शल रिपोर्ट नहीं लिख सकता है, प्रशासन में दखल नहीं रख सकता है, आज ऐसे लोग इस कार्य में ज्यादा लगे हुए हैं। आपको चाहिए कि उनको 20-सूत्री कार्यक्रम में लगावें।

यही नहीं बहुत से ऐसे केसेज आपके सामने हैं कि प्रधानों ने जाकर ग्राम पंचायतों में मीटिंगें नहीं की जब कि अगर प्रधान 5 मीटिंग न करे तो वह प्रधान नहीं रह सकता है। कई प्रधान ऐसे बैठे हैं। अगर ये लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो दुबारा चुनाव करा लें। मैं निवेदन करूंगा कि ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं करायेंगे तब तक वे अपना उत्तरदायित्व ठीक तरह से नहीं निभा सकेंगे और न इस 20-सूत्री कार्यक्रम में ज्यादा दिलचस्पी से काम करेंगे।

आप वहां के पशुपालन प्रसार अधिकारी, कृषि प्रसार अधिकारी और जितने भी वहां पर यह लोग हैं उनसे ज्यादा काम करायें। सरपंच और अन्य पंचों के चुनाव कराकर ग्राम पंचायतों को यह अधिकार दे दें।

एक तरफ तो आप पंचायतों के चुनाव नहीं करा रहे हैं और दूसरी तरफ न्याय पंचायतों को तोड़कर फिर इन पंचायतों को वह भार दे रहे हैं जो कि स्वयं का काम भी ठीक तरह से वे नहीं कर रही हैं। या तो आप चुनाव करायें या फिर उनके काम को सख्ती से ठीक करें। उनके सामने बड़ा काम है।

(श्री शंकरसिंह रावत)

तो मैंने आपके माध्यम से मंत्री महोदय का सहकारिता के बारे में ध्यान आकर्षित किया है और अजमेर जिले की सहकारी समितियों की आपके सामने बिल्कुल पिक्चर रखी है। ऐसे व्यक्तियों को वहां से हटायें। अगर संचालक मंडल द्वारा ठीक से काम नहीं हो रहा है और चुने हुए प्रतिनिधि यदि कोआपरेटिव को ठीक से नहीं चला सकें तो मैं समझता हूं, सारे राजस्थान में आपके अधिकारियों को चेयरमैन रखकर देख लें कि क्या वह ठीक काम करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि संचालक मंडल ठीक से काम नहीं कर रहा है तो फिर संचालक मंडल बनाने से क्या फायदा, हम यह चाहते हैं कि सहकारिता आन्दोलन ठीक से पनपे और मजबूत बने। अगर सहकारिता आन्दोलन को आप जनता द्वारा आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सरकारी अधिकारियों को उतना ही काम दें जितना कि उनका काम है। मैं आपको कह देना चाहता हूं कि आगे जाकर यही लोग उसको डुबायेंगे यह आपको महसूस करना पड़ेगा। यह लोग सहकारिता को खराब कर रहे हैं। हमने कर्मचारियों की सहकारी समितियां देखी हैं वह कैसी चल रही हैं। जब पढ़े-लिखे लोगों की सहकारी समितियां ठीक से नहीं चल रही हैं तो गांव वाले तो ठीक से चला रहे हैं। मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, निवेदन करूंगा कि सहकारिता और सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में जो भी मैंने प्रस्ताव रखे हैं उनको आप अपने आधार पर सोचें। आपकी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन आप पर इसका काफी भार है सहकारिता आन्दोलन का और फिर 20–सूत्री कार्यक्रम का तो उसमें सुधार लाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

श्री सभापति : श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

श्री रामप्रसाद बोहरा : सभापति महोदय मेरा नाम है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, जो कटौती के प्रस्ताव मैंने इस विषय में रखे हैं।

श्री सभापति : (श्री योगेन्द्रनाथ हांडा के खड़े रहने पर) आपकी पार्टी की तरफ से आपके पार्टी लीडर ने इनका नाम भेजा है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आपका (श्री हांडा का) भी नाम है 15 मिनिट के लिए। यह तय हुआ था कि आपने एक एडजोर्नमेंट मोशन दिया था तो उसमें यह तय हुआ था कि बजाय एडजोर्नमेंट मोशन के 15 मिनिट का टाइम इनको दे देंगे तो जुदागाना इनको 15 मिनिट दे दें।

श्री सभापति : इसमें शायद नहीं मिले।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उन्होंने फर्मा दिया था कि मेरे टाइम में से न काट कर जुदागाना टाइम 15 मिनट का इनको दे दिया जायगा।

श्री सभापति : आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आपको जो 15 मिनिट का टाइम दिया है उसी में खत्म कर देंगे। इनको जुदा टाइम दिया है। आप दरयाफ्त फर्मा लें।

श्री सभापति : श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

श्री रामप्रसाद बोहरा : सभापति महोदय, यह नम्बर से आ रहा है क्या ?

श्री सभापति : हां। आपका भी नम्बर आ जायगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : सभापति महोदय, आज जो कटौती प्रस्ताव मैंने रखे हैं उनके सम्बन्ध में सबसे पहले मैं नगर विकास न्यास को लेना चाहूंगा। तो नगर विकास न्यास जो शहरों में काम कर रहा है, उसकी जो प्रगति चल रही है और उसमें हम लोगों को भी नुमाइन्दगी कुछ अर्से से मिली है और उसके लिए हम जानते हैं कि राज्य सरकार ने जो कुछ कदम उठाये हैं वह बहुत ही सराहनीय हैं। लेकिन मेरा यह निवेदन करना है कि नगर विकास न्यास की जो पावर्स हैं उनमें कुछ इस तरह की पाबन्दियां लगी हुई हैं जो उनको सुचारू रूप से काम करने नहीं देती हैं। हम जिन विषयों को या बातों को उठाते हैं उन बातों को करने में हमको कुछ कठिनाइयां पैदा होती हैं और वह जो एक्ट बना हुआ है उसमें जो त्रुटियां हैं उनकी वजह से भी हमको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं, सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान एक काम की ओर जो कि बहुत ही अहम काम है, जो नगर विकास न्यास ने, उस एरिया के अन्दर जो नगर विकास न्यास में आता है वह कच्ची बस्तियों के सम्बन्ध में हैं। सभापति महोदय, कच्ची बस्तियों का जो प्रश्न है वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और हमारे बीस सूत्री प्रोग्राम के अन्दर स्पष्ट शब्दों में एक सूत्र यह भी है कि जिन लोगों के पास मकानात नहीं है उनको मकानात मोहय्या कराये जायं। मरहूम बरकतुल्ला खां साहब की जिन्दगी में एक एलान राज्य सरकार द्वारा किया गया था और उसमें यह तय किया गया था कि जो लोग एक निश्चित तिथि तक जहां पर आबाद थे उन लोगों को उसी जगह बसाया जायगा। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकार एक तरफ तो इस तरह का निर्णय लेती है और दूसरी तरफ जो लोग बसे हुए हैं उनको वहां से हटा कर दूसरी जगह पर उखाड़ फेंक दिया जाता है और वह इसलिए कि राज्य सरकार ने कुछ कमिटमेन्ट कर रखे हैं, कुछ एग्रीमेंट कर रखे हैं दूसरी संस्थाओं से, और दूसरी सरकार से, इजारेदारों से। मसलन यह कि जो लोग अजमेरी दरवाजे के पास नाले पर सौ डेढ़ सौ वर्षों से रहते आये हैं अथवा जो जमीन उनके कब्जे में है वह रिहेबिलिटेशन विभाग को राज्य सरकार ने दे दी, क्यों दे दी गई और क्यों यह जुल्म वहां की जनता पर किया गया मैं इसकी गहराई में तो नहीं जाना चाहता क्योंकि उस वक्त यह प्रश्न चल रहा था कि पाकिस्तान से जो लोग आये हैं उनको किसी न किसी तरह से आबाद किया जाय और उनको दुकानें भी दी जायं। इसलिए सैद्धान्तिक तौर पर तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है कि जो लोग पाकिस्तान से आये थे उनको भी राहत मिलनी चाहिए। लेकिन, सभापति महोदय, सवाल यह उठता है कि 25, 26 वर्ष हो गये जो लोग यहां के रहने वाले हैं आज भी वे लोग तो रिफ्यूजी कहलाते हैं और उनको, उन लोगों को जो कई वर्षों से एक जगह पर आबाद हैं उनको, दूसरी जगह उखाड़ फेंका जा रहा है। आखिर जो लोग अजमेरी दरवाजे से नाले तक आबाद हैं कई वर्षों से वहां पर आबाद हैं उनको भी सहूलियतें दी जानी चाहिए थीं। होना

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

यह चाहिए था कि अगर वह चाहें तो राज्य सरकार के मास्टर प्लान के मुताबिक वहीं पर दुकानों का निर्माण करवा लें और ऊपर की मन्जिल में रहने के लिए बना सकें लेकिन राज्य सरकार ने यहां पर इमर्जेन्सी का फायदा उठाते हुए वहां पर एक रोलर चलाया और उनको वहां से उठा कर दूर दराज जंगल में फेंक दिया और उनकी स्थिति यह है कि उनको आज तक भी नहीं बसाया जा रहा है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि नगर विकास न्यास की या राज्य सरकार की क्या यह जिम्मेदारी नहीं है कि क्या उन लोगों को जिनको वहां से हटाया गया उनको सहूलियतें रहने की उपलब्ध कराई जाती जो यहां के नागरिक हैं? मेरा निवेदन यह है कि जो भी किरायेदार राज्य सरकार का है पुनर्वास विभाग को मकानात देने का, क्या नगर विकास न्यास का कोई फर्ज नहीं है, बहुत ही अफसोसनाक बात है। जहां तक नगर विकास न्यास का ताल्लुक है, सभापति महोदय, उनकी जिम्मेदारी तो इसलिए नहीं है कि उन्होंने जमीन जरूर दे दी लेकिन मुख्य तौर पर जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी या रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट की थी। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार की जो यह नीति है कि जो जो लोग जहां पर बसे हुए हैं, वह वहीं रहेंगे और उनको वहां से हटाया नहीं जायगा। तो फिर क्या वजह है कि राज्य सरकार की नीति का सही तौर से पालन नहीं किया गया?

दूसरा मेरा निवेदन यह है और मैं यह कहना चाहूंगा कि जो एलान स्वर्गीय बरकतुल्ला खांसाहब ने किया था उसके सम्बन्ध में इसी विधान सभा के प्रांगण से कई बार यह ऐलान हुआ है कि जो लोग कच्ची बस्तियों के अन्दर आबाद हैं और जिनके सर्वे नम्बर हैं और सर्वे नम्बर नहीं भी हैं तो भी उनको सहूलियतें दी जानी चाहिए उस पर आपने यह पाबन्दी लगा दी है कि फलां डेट तक जो कच्ची बस्तियों में आबाद थे उनको आबाद किया जायगा, उस डेट से जो बाद में आये हैं उनको किसी प्रकार की राहत नहीं दी जा सकती है। इस तरह के सिद्धान्त से उनको कोई फायदा नहीं मिल सकता है। इसलिए, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इसी प्रांगण से हमारे मुख्य मन्त्री महोदय और स्वायत्त शासन मन्त्री महोदय ने एलान किया था कि जो लोग कच्ची बस्तियों में आबाद हैं और जिनका सर्वे नहीं हुआ है जिनके नम्बर नहीं लगे हैं उनको भी राहत दी जायेगी। असली बात यह है कि जिन लोगों के पास मकानात नहीं हैं उनको मकानात दिलाये जायेंगे तो मैं आप से यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक विषय तो ऐसा है जिसमें हम नगर विकास न्यास के लोग यह चाहते हैं कि राज्य सरकार को तुरन्त इस चीज पर फैसला करना चाहिये और बीस सूत्री कार्यक्रम के आधार पर यह निर्णय लेना चाहिये कि जो लोग कच्ची बस्तियों में आबाद है और जिनके पास मकानात नहीं हैं, जिनके पास सर छुपाने को जगह नहीं है उनको तुरन्त ही राहत दी जाय और इस सम्बन्ध में नगर विकास न्यास को अधिकार दिलाये जायं जिससे उनको बसाये जाने की समस्या का हल निकाला जा सके।

उदाहरण के तौर पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि और वह यह है कि आपने ट्रक ओनर्स को जमीनें दीं, उन जमीन के

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

ऊपर कच्ची बस्तियों के लोग पहले से ही बैठे हुए थे। कलेक्टर साहब ने और हमने बातचीत करके उन लोगों को विश्वास दिलाया कि वे ईदगाह के पास चले जायं जो यहां पर रह सकें बाकी वहां पर चले जायं तुमको वहां पर जमीन अलाट कर दी जायगी। सभापति महोदय, मैं बहुत ही अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि वह अस्योरेन्स जो मैंने इस हैसियत से दिया था कि राज्य सरकार का एक नुमाइन्दा हमारे साथ है। कलेक्टर साहब उनको रिहैबिलिटेट करने को तैयार हैं मगर राज्य सरकार की तरफ से कोई भी उचित कदम नहीं उठाया गया। दूसरी तरफ आप कोई फैसला नहीं लेना चाहते। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मन्त्री लोगों के बीच में से ही पैदा हुए हैं और वह जनता के साथ हमदर्दी रखते हैं और उनको राहत देना चाहते हैं इसलिए उनको इस दिशा में कदम उठाना चाहिये। लेकिन असल चीज यह है कि जब तक आप इस दिशा में कोई सिद्धांत तय न करें उस वक्त तक कच्ची बस्तियों का मामला अधर झूल में लटका रहेगा। आपने कुछ जमीन कृषि मण्डी वालों को दी और वह पट्टे जो कि 132 आदमियों को दिये गये आज वह यह कहते हैं कि तुम यहां से उठ कर चले जाओ तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो खरीदोफरोख्त या जो यह सौदा आप करते हैं दूसरी सरकार से करते हैं। तो उसका आधार क्या है? क्या यह आधार है कि कच्ची बस्तियों को हटा कर उनको टाल दिया जाय या यह आधार है कि उनको बसा रहने दिया जाय। एक तरफ सिद्धान्त तय करते हैं, दूसरी तरफ सिद्धान्त के प्रतिकूल कार्य चलता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन इश्यूज पर ठण्डे दिल से गौर करें। मैंने पहले भी इस बात पर निवेदन किया था, आज भी दोहराना चाहता हूं, कि राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में कदम उठाया जाय, वह यह है कि दस मील के एरिया में जितनी जमीन काश्त या फारेस्ट डिपार्टमेंट की है, उसको हमें टेक ओवर करना चाहिए, फौरन उसे कब्जे में ले लेना चाहिए, चाहे किसी व्यक्ति से ताल्लुक रखती हो, किसी महकमे से ताल्लुक रखती हो, उस जमीन का सामाजीकरण होना चाहिए। गये सत्र में इस पर मैं जोर डाल चुका हूं, आज फिर इस मौके पर निवेदन किया चाहता हूं कि आज बहुतसा एरिया ऐसा है जिसमें रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट जमीन की नीलामी करता है लेकिन सड़क नहीं बनाता है, नालियां नहीं बनाना चाहता है। वह तो डिपार्टमेंट के लिए रिजर्व है, और हजारों रुपया उससे वसूल किया जा रहा है, जैसे सिन्धी कालोनी है, दूसरी कालोनी है, उनसे पैसा वसूल किया जा रहा है। माननीय मन्त्री जी, यह अफसोस है कि हमारी मन्शा रहते हुए भी यह काम नहीं हो। आप कोई न कोई ऐसा तरीका निकालें जिसके मातहत सब जमीन है, चाहे जयपुर शहर में हो, या किसी दूसरे बड़े शहर में हो, म्यूनिसिपैलिटी लिमिट में हो—उसकी सीमा निर्धारित करके सब जमीन हासिल करें और उसका सामाजीकरण करें। सामाजीकरण, जहां तक मैं समझता हूं, बीस सूत्री प्रोग्राम में है। सामाजीकरण का मतलब यह है कि उसे समाज के लिए, समाज के फायदे के लिए, हित के लिए इस्तेमाल किया जाय। कृषि की जमीन हो, फारेस्ट की जमीन हो, निजी जमीन हो, जो शहरों में मौजूद है, मैंने एक बार नहीं अनेक

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

बार तवज्जह दिलायी है, मैं निवेदन किया चाहता हूं, राज्यों में असेम्बली बना रखी है, यहां पर चुने हुए नुमाइन्दे हम आते हैं, क्या इसका मतलब यह है कि हम यहां फेफड़ों पर जोर डालकर, एक्सर्साइज करके एक्रोबेटिक एक्सर्साइज करके चले जायं और हम जिस भावना का प्रदर्शन करें उस पर, किसी चीज पर आप तवज्जह नहीं करें। मैं समझता हूं, यह चीज नहीं है। अभी आप हमें अच्छे मिनिस्टर मिले हुए हैं, आज भी कोई अच्छा कदम नहीं उठायें तो कल कोई रीएक्शनरी टाइप का आदमी आ गया तो हमारी मुसीबत हो जायेगी। मैं निवेदन करूंगा कि इस दिशा में उचित कदम उठाने की कृपा करें।

इसके बाद एक चीज और निवेदन किया चाहता हूं, वह यह है, आपको मैंने पहले भी निवेदन किया है, यहां पर इस शहर में गदोरव में कोई आथोरिटी नहीं है जिसे प्रभावशाली कहें। यहां पर ऐसी जमीन है जो यू. आई. टी. में वेस्ट करती है, कुछ ऐसा हिस्सा है जो म्यूनिसिपैलिटी में वेस्ट करता है, कुछ जमीन रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट में वेस्ट करती है। कुछ रोड्स ऐसी हैं जो पी. डब्ल्यू. डी. में वेस्ट करती हैं। जिसको जिम्मेदारी सौंपी जाती है वह पल्ला झाड़कर अलग हो जाता है, हमारा इससे सम्बन्ध नहीं है। उसका नतीजा यह निकल रहा है, आमेर रोड पर पहले जो कौंसलर थे, उनके बारे में यहां रिपोर्ट आयी, उसके आधार पर, मैं समझता हूं, आज तक लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट, स्वायत्त शासन मंत्री ने कोई कदम नहीं उठाया है। जो अनियमितता चुने हुए नुमाइन्दों ने की, जो जमीन खरीदी जो जमीन पर एन्क्रोचमेंट किया, उनके खिलाफ क्या कदम उठाया गया ? मैंने निवेदन किया था, ऐसे लोग जो चुने हुए नुमाइन्दे भ्रष्ट होते हैं, उनके लिए शोफ्ट कोर्नर या हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। उनको तुरन्त नोटिस देकर आयन्दा इलेक्शन लड़ने से डिबार किया जाय। लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। इस सदन में यह चीज कई बार रखी गई है लेकिन आज तक हजारों जो इर्रेगुलर सेल थीं उनको सेट असाइड नहीं किया गया है। मेरी यह जानकारी है कि उन पर आज तक कब्जा नहीं किया गया है। यहां तक कि आमेर रोड पर डेल्टा है, वहां पर एक साहब ने दुकान बना ली हैं, हजार पांच सौ देकर उसको ले लिया और दुकान बना ली। थोड़े रुपये में खरीदा और निर्माण कार्य करा लिया। वह निर्माण कार्य आज तक मौजूद है। मैंने मुख्तलिफ आथोरिटी से निवेदन किया कि इस बारे में कदम उठाया जाना चाहिए, मगर नहीं उठाया। वहां पर छोटा सा बगीचा डेल्टा में लगा सकते हैं जिससे जो टूरिस्ट आते हैं उनको देखकर खुशी हो। मैं समझता हूं कि हर डिपार्टमेंट यह समझता है कि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने पी. डब्ल्यू. डी. से निवेदन किया, म्यूनिसिपैलिटी से निवेदन किया लेकिन उनका सीधा सादा सा जवाब होता है— यह मुकदमा चल रहा है। मुकदमा तो एक हजार के चल रहे हैं लेकिन उन मुकदमों में कहां तक किसको पाबन्द किया गया है। हम यह जानते हैं कि अगर किसी महकमें को पाबन्द किया गया है तो वही महकमा पाबन्द है, दूसरा नहीं। इस तरह की दलील से अपने को बचाना या अपने फरायज को छिपाना, मैं समझता हूं, सही

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

नहीं है । मैं निवेदन किया चाहता हूं

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

अभी तो, सभापति महोदय....

श्री सभापति : 13 मिनिट हो चुके हैं। Thirteen minutes you have already taken.

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : है तो बीस मिनिट का । वैसे हमने देखे हैं पैंतालीस मिनिट तक ।

मैंने निवेदन किया था कि यह आथोरिटी है इनमें कार्डीनेशन (तालमेल) होना चाहिए । ऐसा होता है कि म्यूनिसिपेलिटी कुछ तजवीज करके भेजती है, वह थ्री टायर सिस्टम में से होकर गुजरता है । मेरा क्षेत्र इसका शिकार हुआ है, इसलिए मेरा निवेदन है कि किसी सड़क के निर्माण के लिए एस्टीमेट बनाती है और म्यूनिसिपेलिटी भेजती है । एक निश्चित रकम तक तो म्यूनिसिपेलिटी मंजूर करती है, फिर डाइरेक्टर, लोकल सैल्फ डिपार्टमेंट के पास जाता है, फिर गवर्नमेंट को जाता है । मैं वैसे इसके हक में हूं कि किसी आथोरिटी को इतनी बड़ी पावर नहीं होनी चाहिए जिससे दुरुपयोग हो सके । लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि एक प्रोसीजर कायम कर दीजिये उस प्रोसीजर के मुताबिक हर चीज पर अमल किया जाय । इससे हर चीज आसानी के साथ और निर्धारित वक्त के अन्दर खत्म हो जायगी । यह नहीं कि एक बार टक्कर लगा दी, फिर छ: महीने की गई । यह टेण्डर इसलिए मंजूर नहीं किया जा सकता क्योंकि सील बन्द नहीं था । मैं किसी अधिकारी को दोष नहीं देता, मैं इस प्रोसीजर को दोष देता हूं जो आपने कायम कर रखा है । अधिकारी इस कारण मजबूर हैं कि वह प्रोसीजर को फोलो करें । मैं समझता हूं कि कोई फैसला लिया गया हो, वह ईमानदारी से लिया जाना चाहिए और उसके अन्दर आधार होना चाहिए । ईमानदारी से फैसला लिया गया है तो टेक्निकल ग्राउन्ड पर निरस्त करना या वापिस भेजना उसूलन मैं गलत समझता हूं । मेरा निवेदन है कि यह कार्डीनेशन होना चाहिए । और नगर विकास न्यास के अन्दर जो गलत प्रक्रिया चल रही है वह खत्म होनी चाहिए । बहुत से मुकदमें चल रहें हैं, हजारों मुकदमें चल रहे हैं, हम चाहते हैं कि वह समाप्त किये जाय । आज हजारों रुपया वकीलों को नगर विकास न्यास को देना पड़ रहा है । यह उसूल तय किया है कि जमीन नहीं छोड़े तो पैनल्टी लगा कर छोड़ दिया जाय । वह आधार बदल रहे हैं । जिन आधार पर कानून बनाया था, पहले तय किया था, पन्द्रह फीट आगे छोड़ें, इधर छोड़े, उधर छोड़े । आज बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, छोटी सी जगह में दस बीस मंजिल की इमारतें दूसरी जगह तामीर की जा रही हैं । उसकी वजह यह है कि आज फैल नहीं सकते हैं, आज आसमान की तरफ उठना पड़ेगा । मैं निवेदन करूंगा कि जो रूल्स राज्य सरकार ने तय किये हुए हैं, इनमें किसी किस्म की तब्दीली और रिलेक्सेशन होना चाहिए ।

इसके पश्चात जो कटौती प्रस्ताव मैंने टाउन प्लानिंग के लिए रखा है उसके मुतल्लिक मैं निवेदन करना चाहूंगा । हमें उससे बड़ी शिकायतें हैं । वह शिकायत

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

अंत में निवेदन है कि जो शब्द मैंने कहे हैं और सुझाव 20 सूत्री प्रोग्राम के संबंध में ध्यान आकर्षित करते हुए दिए हैं, जब समाजवाद के मूलभूत आधार को हम और आप तसलीम कर चुके हैं और पहली कड़ी 20 सूत्री कार्यक्रम है, इसको अमल में लाना हमारा फर्ज है, तो हमारी नजर बड़े आदमियों से उठकर गरीबों पर जानी चाहिए, उनकी बस्तियां जो उजड़ गई हैं उनको बसाना चाहिए। आप बहुत कुछ कर चुके अमीरों के लिए। समाजवाद के इस दौर में गरीबों की तरफ भी नजर इनायत फरमायें।

श्री सभापति : श्री रामप्रसाद बोहरा।

श्री रामप्रसाद बोहरा(झालरापाटन): सभापति महोदय, मैं आज की मांगों सहकारिता और नगरपालिकाओं के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। झालावाड़ की नगरपालिका मंत्री महोदय के समक्ष है। मैंने उसके बारे में निवेदन किया था कि उसकी आमदनी बहुत कम है और वहां पर प्रकाश, पानी और सड़कों की हालत बहुत खस्ता है, उस बारे में आप कुछ नहीं कर रहे हैं और आपने थोड़ा पैसा दिया है। इसी प्रकार झालरापाटन नगरपालिका में 2 लाख रुपए का कोष होते हुए भी वहां अधिशासी अधिकारी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दो साल से दो लाख रुपए बैंक में रखे हुए हैं परन्तु आज तक न तो प्रकाश की व्यवस्था, न सड़कें ही ठीक कराई हैं। वहां 24-1-76 को (जनता की ओर से) प्रार्थना-पत्र भेजा गया जिसमें शिकायत थी, जिसकी डाइरेक्टर को भी कापी दे दी है, अतिक्रमण हटाने के समय बड़ा पक्षपात किया है, अतिक्रमण में जो दूकानें हटाई गई उनको वापस रुपये लेकर लगा दी गई और अतिक्रमण में जो मकान नहीं टूटने चाहिए थे, उनको तोड़ दिया और जो तोड़ने चाहिए थे उनको पैसा लेकर रख दिया। इसी प्रकार जो भूखंडों का आवंटन नगरपालिका द्वारा किया गया उसमें भी अनियमिततायें हुई हैं और गरीबों को अच्छी जमीन मिलनी चाहिए थी और जिनके मकान नहीं थे उनको जमीन दी, नाले में प्लाट्स नापे और पट्टा जबरदस्ती दिया, जो परकोटा है वहां मलवा पड़ा हुआ था, वहां पर उन लोगों को मकान दिए गए और जबरन पट्टा दिया गया। 144 पट्टे बांटना बताया। सभापति महोदय, कुल 75 पट्टे बांटे गये। और मैंने उसके बारे में कलेक्टर को शिकायत की लेकिन उसके खिलाफ में कोई इन्क्वायरी नहीं हुई। आज तक कोई कार्यवाही जांच की नहीं हुई। वैसे आपने गरीब लोगों को रहने के लिये जमीन अलॉट की लेकिन उन लोगों ने उन गरीब लोगों को बहुत ही गन्दी जगह अलॉट की। इसके अलावा हरिजनों की नौकरियों का जहां तक मामला है वहां पर बेचारे गरीब हरिजनों को दो दो सौ रुपये देकर नौकरी मिलती है। वहां पर अधिकारी लोग दो सौ रुपये लेकर उन्हें नौकरी देते हैं। इसके अलावा हर महीने प्रत्येक लोगों से दस या 20-20 रुपये तनख्वाह के ऊपर भी ले लेते हैं। सभापति महोदय, इसके बारे में भी मैंने राज्य सरकार को शिकायत की लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक आपके स्वायत शासन विभाग ने कोई एक्शन उन दोषी कर्मचारियों और लोगों के खिलाफ में नहीं लिया। इसलिये मेरा, सभापति महोदय, मन्त्री महोदय से यह निवेदन है

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

कि इन लोगों के खिलाफ में एक्शन लिया जाना चाहिये जिन लोगों ने यह अनियमितताएं की हैं।

सभापति महोदय, अब थोड़ा सा मैं आपको झालावाड़ जिले में सहकारिता के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, हमारे झालावाड़ जिले में 21 सहकारी समितियां है इसमें बहुत सी ऐसी सहकारी समितियां है जिनमें भयंकर रूप से गबन और घोटाले हुए हैं। इसमें 75 सहकारी समितियां हैं जिनमें गबन और घोटाले बहुत अधिक है। इसके कारण उनकी हालत बहुत खराब है। वह एक प्रकार से बन्द सी पड़ी हुई हैं, एक प्रकार से मृत प्रायः सी हैं। उन समितियों से कोई ऋण प्राप्त नहीं हो रहा है। आज, सभापति महोदय, जब हम 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को लेकर गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को तरह तरह से ऋण देकर उन्हें आगे लाने की कोशिश करते हैं वहां हमारी सहकारी समितियों की हालत यह है कि उनमें से बहुत सी सहकारी समितियां बन्द सी पड़ी हैं और उनमें 50 हजार, 60-60 और 80-80 हजार रुपये के गबन घोटाले हैं। जिन लोगों ने गबन किये हैं उनके खिलाफ मैंने शिकायत की है लेकिन कोई एक्शन आज तक नहीं लिया गया है। आज हालत वहां पर ऐसी है, सभापति महोदय, न तो आपने उन सहकारी समितियों को दिवालिया ही घोषित किया हैं और न ही उन सहकारी समितियों को ही समाप्त कर रहे हैं।

इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ सहकारी समितियां ऐसी भी हैं जिनमें कुछ लोग मिलकर पांच प्रतिशत जमा कराते हैं बाकी पैसा आपस में ही इकट्ठा करके बांट लेते हैं। दूसरे गरीब लोगों को पैसा उधार नहीं देते हैं। इसलिए मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि ऐसे आदेश उन समितियों के लिये निकाले जायं कि उनके पैसे चैक सिस्टम से जमा कराये जायं और चैक सिस्टम से ही पैसे दिये जाने चाहिये। नहीं तो इसका लाभ गरीब लोगों को नहीं मिलता है। मैं आपको इसके बारे में झालावाड़ जिले में जो सहकारी समितियां हैं उनका उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे सलोतिया, गरनावद, छब्बलाव, धोहलडिया, नसीराबाद, सलवद और इस प्रकार की करीब 75 सहकारी समितियां हैं जिनमें 50-50 हजार और 20-20 हजार और दस दस हजार रुपये का गबन हुआ है। लेकिन, सभापति महोदय, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन सभी को-आपरेटिव सोसाइटीज की शिकायतें राज्य सरकार के पास की हुई है लेकिन इन सहकारी समितियों के खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इसके अलावा एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं जो सहकारी समितियां आज से दस दस और पन्द्रह साल पहले बनीं उनमें जो सदस्य थे वह आज भी वहां पर बने हुए बैठे हुए हैं और उन्होंने, सभापति महोदय, ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि वह लोग दूसरे लोगों को उन को-आपरेटिव सोसाइटीज में घुसने नहीं देते हैं। और उसमें मनमानी गड़बड़ियां करते हैं। वही अध्यक्ष और वही कोषाध्यक्ष और सेक्रेट्रीज उन सोसाइटीज के चले आ रहे हैं वह लोग उनका चुनाव नहीं करने देते हैं। वहां पर जो को-आपरेटिव बैंक के चेयरमैन है वही भूमि विकास चेयरमैन के इलेक्शन में जीतकर आ जाते हैं।

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

आज वहां की हालत बहुत ही खराब हो रही है सभी जगह पर उनमें भ्रष्टाचार हो रहा है, गबन घोटाले हो रहे हैं इसलिये, सभापति महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि उन लोगों के खिलाफ में एक्शन लिया जाना चाहिये। मन्त्री महोदय आप मेहरबानी करके इस ओर ध्यान दें।

सभापति महोदय, अब थोड़ा मैं पंचायतों के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। आज पंचायतों की हालत खराब है। उनके चुनाव नहीं होने से पंचायतें एक्टिव नहीं हो रही हैं। उनके पास कोई काम नहीं है। और इनमें कई पंचायतें ऐसी हैं, सभापति महोदय, उनमें 50 हजार रुपये का गबन हुआ है। मैं आपको रतलाई पंचायत के सरपन्च के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि उसने 50 हजार रुपये का घोटाला कर रखा है। इसके अलावा 25-25 और 20-20 रुपये लेकर जमीनों का अलाटमेंट कर दिया है। इनमें ऐसी जमीनें है जिनकी कीमतें दो-दो हजार रुपये हैं। इन सभी की शिकायतें राज्य सरकार के पास की हुई हैं लेकिन मालूम नहीं, क्या बात है राज्य सरकार इन लोगों के खिलाफ में एक्शन नहीं ले रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन्हें तुरन्त हटाया जाना चाहिए और इनके खिलाफ में एक्शन लिया जाना चाहिये।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : कल प्रश्न काल में आया था कि 5 लाख रुपये की जमीन भैंस बान्धने के लिये किराये पर दे रखी है।

श्री रामप्रसाद बोहरा : इसके अलावा हमारे यहां पर सहकारी समितियों के माध्यम से उद्योग विभाग द्वारा परियोजनायें स्वीकृत हुई हैं। लेकिन वहां पर कोई काम नहीं हो रहा है। वहां पर भूमि विकास बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर प्रोजेक्ट अधिकारी काम करता है। और वही व्यक्ति वहां पर सेक्रेट्री का भी काम करता है। तो एक प्रोजेक्ट आफिसर, सभापति महोदय, दो जगह काम करना कितना अनुचित है। इसके लिये मेरा निवेदन है कि इन दोनों पोस्टों पर अलग अलग व्यवित काम करने चाहिये ऐसा मेरा मन्त्री महोदय को निवेदन है। इसके लिये राज्य सरकार को कई बार शिकायतें भी की गयीं लेकिन कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो जो बातें मैंने मन्त्री महोदय को निवेदन की है उनके ऊपर मन्त्री महोदय जरूर ध्यान दें। बस मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री सभापति : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : सभापति महोदय, मैंने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को-आपरेटिव बैंक के लिक्वीडेशन के बारे में दिया था लेकिन उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे यह आदेश दिया कि मैं मेरे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के बारे में जब सहकारी विभाग की मांगों पर बहस हो उस वक्त मैं अपने विचार व्यक्त कर दूं। सभापति महोदय, यह एक बहुत ही गम्भीर घटना है। मैं समझता हूं कि हमारे को-आपरेटिव सेक्टर पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। वैसे तो को-आपरेटिव के इतिहास में इस प्रकार की घटना अजमेर में पहले घट चुकी है। वहां पर अजमेर उस बैंक का लिक्वीडेशन हुआ था। लेकिन इतनी बड़ी राशि

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

वाला इतनी बड़ी राशिजदा बैंक है जिसके अन्दर तीस लाख रुपये की राशि जमा था। और चालीस लाख रुपये की वसूली होनी थी। ऐसे बैंक को लिक्वीडेट करना एक को-आपरेटिव बैंक के ऊपर बहुत बड़ा लान्छन है। वैसे तो, सभापति महोदय, एक और बैंक है यूनियन को-आपरेटिव बैंक उसमें भी बहुत भारी गबन घोटाले हुए हैं उसको भी रिजर्व बैंक के आदेश से लिक्वीडेट किया गया। बैंक की हालत बहुत अच्छी थी, उसकी आर्थिक हालत बहुत ही साउन्ड थी लेकिन फिर भी उसे लिक्वीडेट करने का क्या कारण था? इसका कारण है, सभापति महोदय, आर्थिक नहीं बल्कि राजनैतिक कारणों से इसे लिक्वीडेट किया गया। वह इस प्रकार का जंक्चर किया गया जो कि नेशनलाइज्ड क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा सेबोटेज है। सभापति महोदय, किस प्रकार से इस मर्केन्टाइल बैंक को लिक्वीडेट किया। यह देखने की बात है। हमारे को-आपरेटिव सेक्टर के बैंक के इतिहास में एक अपने आप में एक इतिहास है। सभापति महोदय, यह बैंक को-आपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 1953 के तहत 30-6-54 को एस्टेब्लिश किया गया था। इस वक्त उसकी बेलेन्स शीट चार लाख 14 हजार रुपये थी वह सन् 62 में बढ़ते बढ़ते 6 लाख 58 हजार 653 रुपये हो गयी। और उसके बाद बढ़ते बढ़ते 30-4-75 को यही बेलेन्स शीट 58 लाख 74 हजार रुपये हो गयी, दिनों दिन तरक्की करती गयी। ऐसी तरक्की किसी भी को-ओपरेटिव बैंक ने नहीं की। लेकिन दिनांक 9-3-76 को इस बैंक को उसी बैंक के एडमिनिस्ट्रेटर श्री शुक्ला ने लिक्विडेशन के आदेश दे दिया। और इसी बैंक का एडमिनिस्ट्रेटर जेल की सींकचों में बन्द है वह व्यक्ति मीसा के अन्दर गिरफ्तार है।

एक माननीय सदस्य : क्या भाटिया है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : आप को निवेदन करूं, सभापति महोदय, यह भाटिया और नन्दलाल बैंक मैनेजर को भी जेल के सींकचों में बन्द कर दिया। सभापति महोदय, मर्केन्टाइल बैंक का मैनेजर और श्री भाटिया आज मीसा के अन्तर्गत जेल की सींकचों के अन्दर बन्द है। सभापति महोदय, आज इस बैंक की चार शाखायें हैं। एक तो चौड़ा रास्ता में है, दूसरा राजापार्क में, तीसरी मिर्जा इस्माईल रोड पर इसकी शाखा है और चौथी लालकोठी में शाखा है। लेकिन इन बैंकों के कर्त्ता धर्ता श्री भाटिया और नन्दलाल दोनों ही जेल की सींकचों में मीसा के अन्तर्गत हैं। और इस राज्य सरकार की इतनी रियायतें इन भाटिया साहब के साथ है, आर. एस. एस. के बहुत बड़े नेता के रूप में पकड़े गये हैं लेकिन इनकी सर्विसेज को टरमिनेट नहीं किया गया। सभापति महोदय, वे 29 कर्मचारी जिनको इस बात का कुछ पता भी नहीं था 1966 से वे सर्विस करते आ रहे थे और आज अनेक वर्ष हो गये। माननीय मंत्री महोदय ने बैंक को लिक्विडेट करके बाकायदा उनके टरमिनेशन के आर्डर जारी कर दिये हैं 15-15 साल की सर्विसेज, 56 के कर्मचारी उसमें मौजूद थे उन सबकी सर्विसेज टरमिनेट करदी। कोई केजुअल लेबर नहीं थे,

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

कोई टेम्प्रेरी नहीं थे । लेकिन नन्दलाल भाटिया जो जेलों के सीखचों में बैठे और आर. एस. एस. के बहुत बड़े नेता के रूप में कार्यकर्ता हैं को-आपरेटिव डिपार्टमेंट इनकी सर्विसेज को टरमिनेट नहीं करे और उन बेचारे 29 आदमियों को जो बाकायदा परमानेन्ट सर्विस में आ गये थे टरमिनेट करें और सभापति महोदय, इतना ही नहीं इनके प्रोविडेन्ट फण्ड के 50 हजार की रकम फूड डिपार्टमेंट को दे दें । इनको क्या अधिकार था कि उनके प्रोविडेन्ट फण्ड की रकम इस प्रकार दे दें । इस प्रकार का कोई अधिकार इनको नहीं था और इतना ही नहीं सभापति महोदय, इस बैंक के अन्दर जिस प्रकार के करप्शन एक के बाद दूसरे होते रहे हैं और वे नजरअन्दाज होते रहे हैं । ये भाटिया साहब, इन्होंने अपने लड़के को, अपनी धर्म-पत्नी को इस बैंक के एक्स डाइरेक्टर और एक्स प्रेसीडेन्ट के साथ एडजस्ट किया है । डॉ० मेहन्दी साहब, क्योंकि मिसेज भाटिया एक नव भारत लिमिटेड के नाम से 25 हजार रुपये ड्रा करके इसमें एन्टर हो गये फिर इस बैंक के दूसरे डाइरेक्टर सी. एल. लोढ़ा जो जेल के सीखेंचों में है और बाकायदा आर. एस. एस. के सक्रिय सदस्य हैं । इन्होंने भाटिया साहब के साथ इस बैंक में एन्टर होकर हजारों रुपया उठा लिया । इस बैंक के मैनेजर आसाराम भी रहे हैं । जिस दिन छापा पड़ा है उसके एक दिन पहले वहां से खिसक चुके हैं वे भी बाकायदा आर.एस. एस. के सक्रिय सदस्य के रूप में कार्यकर्ता हैं । इस बैंक की हिस्ट्री आप देखें तो बड़ी अजीब रही है ।

अभी टी. सी. जैन साहब जिनके खिलाफ पौने तीन लाख रुपया है, अब कुर्की के वारंट जारी किये हैं जब यह मामला आज यहां उठने वाला था । उनकी ऐजेन्सी को रोक रखा है । नीलाम करने की अब स्पेशल कार्यवाही की जा रही है लेकिन उस दिन क्या सरकार सोई हुई थी जिस दिन इन्हें श्री टी. सी. जैन को 50 हजार का रिबेट दे दिया । उस दिन ये क्यों सोये हुए थे । टी. सी. जैन जो आर. एस. एस. के वाइस प्रेसीडेन्ट उनके 50 हजार केवल 10-50 लेकर छोड़ दिया गया । ऐसी सभापति महोदय बहुत छूट गई है—एक नहीं अनेक छूटें गई हैं ।

पी. के. मेहन्दी साहब जो बड़े प्रिय नजर आते हैं और जो नन्दलाल भाटिया की कनाइवेन्स के अन्दर आर. एस. एस. के बहुत बड़े प्रचारक का कार्य करते रहे हैं, जो आर.एस. एस. के बहुत बड़े फाइनेन्सर रहे हैं । 23 हजार का रिबेट इन पी. के. मेहन्दी साहब को दिया गया अब मैं माननीय मंत्री महोदय, बाकी सारी बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा । कई प्रश्न मैंने सदन में उठाये हैं, यह चमकती हुई मिनर्वा टॉकीज के सामने बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है वहां कब बैठे और कब गायब हुए, यह मंत्री महोदय की जानकारी में है । लेकिन यह एक स्पष्ट है सभापति महोदय करोड़पति लोग जो कनाइवेन्स करते हैं देश-द्रोही शक्तियों के साथ कांग्रेस का जामा पहन कर आज स्पष्ट घटना इस सदन में प्रस्तुत हो रही है ।

फिर इस बैंक के जे.के. परनामी साहब, ये भी आर. एस. एस. के मशहूर कार्यकर्ता हैं, ठीक है किसी प्रकार से आज जेल में नहीं है लेकिन कुल मिलाकर उन 30 लाख रुपयों का क्या हुआ जो आपने गरीब जनता के इस बैंक में जमा कर रखे हैं । आपका

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

दो महीने का पीरियड था रिजर्व बैंक ने मोरेटोरियम दिया । 10 जनवरी से 10 मार्च । आज तो बड़ी सतर्कता रख रहे हैं कि मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया और उधर टी. सी. जैन के खिलाफ कुर्की के वारण्ट गये जिसको 50 हजार का रिबेट दिया था। जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं उनकी डेली इन्कम सीज कर लीजिये, उनका टर्न ओवर मत होने दीजिये और उस एम्पलाई की तनख्वाह भी देने को तैयार थे लेकिन आपने उस दिन नहीं माना और बैंक की रिकवरीज को कर लें लेकिन आज टी. सी. जैन की कुर्की करने की बात है। आज आपका एडमिनिस्ट्रेटर जो इन दो महीने के पीरियड में, जबकि मोरेटोरियम कायम था, आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या किया । केवल 10 हजार की रिकवरी की। यह कुल अचीवमेंट है दो महिने की मोरोटोरियम पीरियड का। कौनसी फर्म है जिसकी रिकवरी नहीं की जा सकती है। यह लिथार्जी आपकी तरफ से है । यह लिक्विडेशन आर. एस. एस. की तरफ है। आज भी मैं कहता हूं बैंक के लिक्विडेशन की जरूरत नहीं थी अगर सख्ती से बैंक की रिकवरी की जाती—लाखों रुपयों की रिकवरी की जा सकती थी, उन लोगों से कोई कठिनाई नहीं थी कि 23 लाख रुपये की रिकवरी नहीं की जा सकती थी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है 23 लाख की रिकवरी आप उन बड़े बड़े व्यापारियों से करते नहीं हैं और एक तरफ उस किसान को नहीं छोड़ते हैं जिसमें 50) रुपया बकाया है। उस बेचारे किसान को झोंपड़ी का फूंस उतार लेते, उसके चूले और चाकी को नीलाम कर देते, उसकी हण्डिया फिकवा देते, उसके बाल बच्चों से सख्ती की जाती और आप उससे रिकवरी करने में सफल हो जाते लेकिन यहां 23 लाख जो बकाया रहे, उसकी रिकवरी करने की कोशिश नहीं की, इसलिये कि आर. एस. एस. के बहुत नेताओं को कष्ट होता है और आर.एस.एस. की एक बहुत बड़ी फाइनेन्सिग ऐजेन्सी क्रिपिंग डाउन होती थी और जो देश के दुश्मन हैं, उनके खिलाफ आप कदम नहीं उठाना चाहते हैं इसलिये आशाराम, नन्दलाल आनन्द भोगते रहे और जो अपने परिवार के लोगों को एक के बाद दूसरे को करजा दिलाकर हजम करते रहे। आपके दिमाग में आर. एस. एस. के लिये कमजोरी है इसलिये आपने इस बैंक के खिलाफ एक्शन नहीं लिया और पांच साल तक इन्तजार करते रहे। विदाऊट इन्टरेस्ट पब्लिक का यह 50 लाख रुपया किस प्रकार पेमेन्ट करेंगे। किसी लिक्विडेटेड बैंक से पैसा जमा कराने वाले ने देखा नहीं। कभी 10%, कभी 5% और कभी 4% साल में मिल जायगा कितना पर्सेंटेज उस लिक्विडेटेड बैंक से इन गरीब लोगों को मिलेगा जिनका 30 लाख रुपया जमा है, उनकी छाती फटना जारी रहेगा और आपकी रिकवरी कब होगी? होगी या नहीं होगी? आपने इसकी तैयारी की या नहीं की? लेकिन, सभापति महोदय,

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं और अधिक नहीं कहना चाहूंगा, यह अपनी किस्म की ही कोई घटना नहीं है। इसके पड़ोस में ही यूनियन को-आपरेटिव बैंक है जिसके अध्यक्ष हरिश शर्मा हैं। 10 लाख रुपया गबन कर चुके हैं। 6 लाख

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

रुपया उनसे रिकवरी कर चुके हैं। तेल के सट्टे पर लगा दिये और गवर्नमेंट का 6 लाख रुपया डूब गया। तीन चार लाख रुपये की रिकवरी की। मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। लाखों रुपया जमा करके स्कूल के मास्टर को 1200 रुपये महीने में राजबिहारी शर्मा को बैंक का जनरल मैनेजर बना दिया और रिजर्व बैंक से आदेश आये कि इसका लाइसेंस कैंसल कर दिया जाय।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप को-आपरेटिव मूवमेंट को स्ट्रांग करना चाहते हैं, आपका को-आपरेटिव मूवमेंट इस बात का सबूत है कि कुछ प्रिविलेज्ड, वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के लोग, प्रतिक्रियावादी लोग, देश के दुश्मन, अपर स्ट्रेटा के लोगों ने को-आपरेटिव बैंक का लाभ उठाया और को-आपरेटिव बैंक के फण्ड्स का लाभ समाज के निम्न वर्ग तक पहुंचाना है तो सारे कोन्स्पिरेटर्स को तोड़ना पड़ेगा और उनका पर्दाफाश करना होगा। 28 आदमियों की तीन महीने की तनख्वाह बकाया है। आपकी वेलफेयर स्टेट का कर्तव्य हैं कि उनकी तनख्वाह चुकायें और उनका 50 हजार रुपया प्रोविडेण्ड फण्ड का जमा है आपको दूसरों को देने का कोई अधिकार नहीं है। कान्प्रेसी करके यूनियन बैंक वालों ने फूड कार्पोरेशन का पैसा दबा रखा है, वे रोते फिरते हैं, उनकी यूनियन को-आपरेटिव बैंक से पैसा नहीं मिल रहा है एम्पलाइज को पैसा दीजियेगा। यदि को-आपरेटिव मूवमेंट को चलाना चाहते हैं तो, लिटिगेशन के बाद जो भी रिकवरी हो और परसेन्टेज से देने की बात कर तो साख नहीं जमेगी, आपके लिये 30 लाख रुपया कोई बड़ी चीज नहीं। डिपोजिटर्स को आप 30 लाख रुपया दीजियेगा वरना इस लिक्विडेशन से, टाट पट्टी उलट देने से आपका को-आपरेटिव मूवमेंट खतरे में पड़ जावेगा और कोई आदमी को-आपरेटिव बैंक में पैसा जमा कराने के लिये तैयार नहीं होगा। सरकार की इज्जत का सवाल है। इसलिये 30 लाख की डिपोजिट्स को डिपोजिटर्स को दें और 42 लाख की सख्ती से वसूली करें।

श्री सभापति : श्री नन्दलाल वैरवा।

श्री नन्दलाल वैरवा (पाटन) : सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 29, 35, 40 और 47 पर विचार हो रहा है। मैंने भी कटौती प्रस्ताव दिये हैं और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, सबसे पहले मैं पंचायत विभाग की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज हमारी देश की प्रधान मंत्री ने देश को एक आर्थिक कार्यक्रम दिया है 20 सूत्री प्रोग्राम के जरिये से, उस बीस सूत्री कार्यक्रम को पूरा करने के लिये पंचायत, पंचायत समति और जिला परिषद् पर सारी जिम्मेदारी आ जाती है। इसके लिये आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारी पंचायतें कई बातों में निष्क्रिय हो रही हैं और इस निष्क्रियता के कारण वे किस प्रकार से 20 सूत्री कार्यक्रम को पूरा कर सकेंगी और अपनी जिम्मेदारियों को वहन कर सकेंगी किस प्रकार से वे विकास विभाग की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगी? आज हमारी ग्राम पंचायतें और पंचायत समितियां और

(श्री नन्दलाल बैरवा)

जिला परिषदें काफी कमजोर हैं। कई वर्षों से उनके चुनाव नहीं हुए हैं। चुनाव नहीं होने के कारण पंच सरपंच और प्रधान सब निष्क्रय हो गये हैं, किस प्रकार से 20 सूत्री आर्थिक प्रोग्राम पूरा करने के लिये उत्साहित बनाना है जिससे वे अपनी लगन के साथ इसको पूरा करें। लेकिन हम देखते हैं कि इस और कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। कोई भी अभियान चलाया जाय आज जैसे भूखण्ड आवंटित करने हैं, किसानों को कर्जा दिलाना है, यदि सब कार्यक्रम तब ही सफल हो सकते हैं जब कि पंच सरपंच और प्रधानों में पूरी तरह से आस्था हो। आज उनमें आस्था नहीं है। भूमिहीनों को भूमि देने में इस कारण से कई घोटाले हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समय समय पर चुनाव नहीं कराये तो निश्चित रूप से हमारी प्रधान मंत्रीजी ने जो आर्थिक कार्यक्रम का 20 सूत्री प्रोग्राम दिया है उसको पंच सरपंच प्रधान कमजोर हुए तो और मजबूत नहीं होंगे तो उसको पूरा नहीं कर सकेंगे, लागू नहीं कर सकेंगे। इसलिये पंचायत मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि जहां जहां पंच सरपंच प्रधान हैं उनको 20 सूत्री कार्यक्रम को पूरा करने के लिये मजबूत करना चाहिये ताकि वे सक्षम होकर पिछड़े हुए गरीब लोगों को आर्थिक प्रोग्राम के जरिये सहयोग दे सकें। ग्राम पंचायतों को मजबूत करने का मतलब आर्थिक प्रोग्राम को पूरा करना होगा। आज पंचायत के प्रतिनिधियों में 20 सूत्री प्रोग्राम में आस्था नहीं है। मैं आपको बधाई देता हूं कि अलग से न्याय पंचायतों को खत्म करके आपने उनको न्याय पंचायतों के सुपुर्द कर दिया। लेकिन यदि पंचायत मजबूत नहीं हुई और कमजोर पंचायत ने फैसले दे दिये तो किस प्रकार से चलेगा। लिटिगेशन में लोग जावेंगे। इसलिये सक्षम पंच सरपंचों को ही न्याय पंचायतों में भेजने का अधिकार दें। अभी तक वही पुरानी परम्परा चल रही है। यदि न्याय पंचायत में बैठने के बाद भी यही प्रक्रिया रहेगी तो पिछड़े वर्ग को, कमजोर वर्ग को न्याय देने में सक्षम नहीं होंगे और जो पंच सरपंच इस योग्य न हों तो उनको न्याय पंचायतों में बैठाना भी नहीं चाहिये। पंचायत समितियों को मजबूत बनाने के लिये उनको आर्थिक सहयोग देना चाहिये। जिससे 20 सूत्री कार्यक्रम को पूरा करने में वे सक्षम हों।

दूसरी बात, सहकारिता के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान में सहकारिता के आधार पर हमने अब तक जो काम किये हैं, सरकार ने जो काम किये हैं, लोकप्रिय मंत्री महोदय के द्वारा जो काम हुए हैं, मैं निवेदन करता हूं कि कमजोर, शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों को लाखों रुपयों का कर्जा मिला है। उनको लाभ हुआ है। लेकिन निश्चित तौर से नये प्रकार से उस पर विचार करना पड़ेगा क्योंकि जो लोग वर्षों से को-आपरेटिव सोसाइटीज में बैठे हुए हैं चाहे वह ग्रामीण सहकारी समिति हो, चाहे सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक हो और चाहे भूमि विकास बैंक हो कई वर्षों से वही लोग उनमें बैठे हुए हैं जो नहीं चाहते कि गरीब लोगों को इन संस्थाओं के माध्यम से कर्जा मिले और जो यह चाहते हैं कि वह ही उनको कर्जा दें और सोसाइटी से नहीं मिले, सभापति महोदय, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से शिड्यूल्ड कास्ट्स

(श्री नन्दलाल बैरवा)

और शिड्यूल्ड ट्राइब्स और कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको यह तक पता नहीं है कि वह सोसाइटी के सदस्य भी हैं या नहीं। उनको यह तक पता नहीं होता कि सोसाइटी से उन्होंने कर्जा लिया है या नहीं इसलिए निश्चित तौर से इसमें हमें परिवर्तन करना चाहिए। परिवर्तन के लिए मेरा सुझाव है कि 200 रुपये से कम आय वालों को जो कर्जा दे रखा है और जिन लोगों ने उनको कर्जा दे रखा है ऐसे पदाधिकारियों की आपको सूची तैयार करनी पड़ेगी। बैंक के माध्यम से आप चाहे उस सूची को तैयार कराइये या फिर अपने अधिकारियों द्वारा कराइये, चाहे वह सोसाइटी में बैठे हों, चाहे बैंकों में बैठे हों या भूमि विकास बैंक में बैठे हों, ऐसे पदाधिकारियों को जिन्होंने कर्जा दे रखा है उनको इन संस्थाओं से अलग कर देना चाहिए ताकि कर्जा जिसको मिला है उसका लाभ उन लोगों को नहीं मिल सके। अपने पास से कर्जा देने वाले आपकी सहकारी समितियों को नहीं चला सकते और वह सहकारी समितियों को और सहकारिता को पीछे धकेल रहे हैं। इसलिए आपको ताकत के साथ देखना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने 200 रुपये से कम आय वालों को कर्जा दे रखा है ऐसे पदाधिकारियों को आपको सहकारिता से अलग कर देना चाहिए और आपको बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को लागू करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा और यदि ऐसा नहीं किया तो इनको वही लोग कन्ट्रोल करते रहेंगे और ब्याज वह खुद कमाते रहेंगे।

दूसरा निवेदन है कि कोआपरेटिव विभाग जिस प्रकार से गांव गांव के अन्दर और घर घर के अन्दर फैलाया गया है निश्चित तौर पर प्रत्येक नागरिक को उससे फायदा मिला है। लेकिन एक परम्परा जो कोआपरेटिव विभाग में कायम है उसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोआपरेटिव विभाग का चुनाव केवल कोआपरेटिव विभाग के अधिकारियों और पदाधिकारियों से ही कराया जाता है। उसके अन्दर हमारे कोआपरेटिव के सहायक रजिस्ट्रार या कोई दूसरा पदाधिकारी जिसको चाहे उसको ही अध्यक्ष बना सकता है और जिसको चाहे उसको कार्यकारिणी में ला सकते हैं। इसलिए, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि चाहे सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक हो, चाहे ग्रामीण सेवा सहकारी समिति हो, चाहे क्रय विक्रय संघ हो, चाहे भूमि विकास बैंक हो उसके चुनाव जब तक आप निष्पक्ष रूप से नहीं करायेंगे तब तक इस मूवमेन्ट में कोई ईमानदारी नहीं आ सकती। जब चुनाव होते हैं तो न कोई सूचना होगी और न कहीं कागज लगाये जाते हैं और जिसको चाहें उसको ले आते हैं। इससे हमारी सोसाइटीज ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार से काम करना चाहती हैं वह नहीं कर पायेंगी। इसलिए, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि सहकारिता के आधार पर जितने भी चुनाव हों उनको निर्वाचन विभाग के द्वारा कराया जाये अन्यथा किसी विशेष विभाग द्वारा कराये जायें ताकि पक्षपात नहीं हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, दो मिनट में समाप्त करता हूं।

Page No.80

(श्री नन्दलाल बैरवा)

सभापति महोदय, नगर विकास न्यास के मामले में मेरा अनुरोध है कि आज बीस सूत्री कार्यक्रम लागू होने के बाद जहां जहां नगर विकास न्यास बने हुए हैं वह बहुत बड़े बड़े जिलों में हैं जैसे जयपुर है, कोटा है, उदयपुर है, बीकानेर है, जोधपुर है और वहां के जिलाधीशों को आपने नगर विकास न्यास का चेयरमैन बना रखा हैं। निश्चित तौर पर हम विश्वास करते हैं कि उनके द्वारा अच्छा काम होगा लेकिन सभापति महोदय, सब जानते हैं कि जिलाधीशों के पास सैकड़ों तरह के काम होते हैं। कई मीटिंग्स हैं, बीस सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए काम है, और भी कई तरह के काम हैं तो जिलाधीश को नगर विकास न्यास का काम करने का समय निश्चित तौर से नहीं मिल पाता है। नगर विकास न्यास के माध्यम से सभापति महोदय, हम गरीब लोगों को जो सैकड़ों वर्षों से दलित हैं, कमजोर वर्ग के हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं उनके लिए हमारे चेयरमैन जो आप मनोनीत करते हैं नगर विकास न्यास का चेयरमैन उनको समय नहीं मिल पाता है और उनके सारे काम रह जाते हैं। इसलिए यदि हम बीस सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से और नगर विकास न्यास के माध्यम से गरीब वर्ग के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगोंको कुछ देना चाहते हैं, उनका उत्थान करना चाहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं तो हमको ऐसे व्यक्तियों को नगर विकास न्यास का चेयरमैन बनाना पड़ेगा जो निष्पक्ष हों और जिन को समय काम करने का मिलता हो और बीस सूत्री कार्यक्रम जो हमारी देश की प्रधान मन्त्री ने दिया है उसको करने वाले जो व्यक्ति हों और जो समाज के व्यक्तियों का उत्थान करने वाले हों, ऐसे व्यक्तियों को आपको नगर विकास न्यास का चेयरमैन मनोनीत करना होगा। यदि ऐसों को मनोनीत नहीं करते हैं तो नगर विकास न्यास में रहने वाला व्यक्ति आज हम जयपुर में रहते हैं, निश्चित तौर पर इसका सम्बन्ध उन लोगों से है जो कि बेघरबार हैं, गरीब हैं और जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है। अभी हमारे जिलाधीश इनके चेयरमैन हैं, नगर विकास न्यास की क्या समस्याएं हैं यह भी वह जानते हैं लेकिन उनको समय नहीं है। इसलिए निश्चित तौर पर इसके ऊपर आप विचार कीजिये। बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में लोगों का भला करना है तो नगर विकास न्यास का चेयरमैन आप अलग से किसी दूसरे व्यक्ति को मनोनीत कीजिए ताकि वह स्वयं इस काम में लगे और उसको पूरा करें।

दूसरे शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को आपने प्लाट दिये हैं नगर विकास न्यास के माध्यम से और कोई व्यक्ति चाहे इन्कम टैक्स देने वाला हो, चाहे बड़ा व्यापारी हो उससे जितनी प्लाट की कीमत वसूल की है उतनी ही आपने उस गरीब व्यक्ति से ली है और उतनी ही जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का आदमी है उससे वसूल कर रहे हैं। मेरा यह अनुरोध है सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि बीस सूत्री कार्यक्रम के अंदर आप जिस करोड़पति या लखपति को प्लाट दे रहे हैं और जितनी उससे वसूली कर रहे हैं उतनी ही गरीब आदमी से करना चाहते हैं और 99 वर्ष की लीज पर प्लाट दे रहे हैं इसलिए मन्त्री महोदय इसमें निश्चित तौर पर संशोधन करेंगे कि यह समाज कल्याण विभाग के माध्यम से होना चाहिए

(श्री नन्दलाल बैरवा)

श्रौर उस गरीब वर्ग के आदमी को सहायता मिलनी चाहिए । 99 वर्ष के लिए वह पैसा दे रहा है उसमें निश्चित तौर पर छूट दी जानी चाहिए ।

अंत में नगरपालिकाओं के बारे में निवेदन करके समाप्त कर रहा हूं ।

श्री किशोरीलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे भी कट मोशन्स हैं ।

श्री नन्दलाल बैरवा : नगरपालिकाओं के बारे में वैसे भिन्न भिन्न माननीय सदस्य निवेदन करेंगे लेकिन जहां तक नगरपालिकाओं का सवाल है, लाखेरी नगरपालिका को समाज कल्याण विभाग के माध्यम से शिड्यूल्ड कास्ट्स के वार्ड में नल लगाने के लिए आपने पैसा दिया वह समाज कल्याण विभाग के माध्यम से पैसा खर्च होना चाहिए । सारे राजस्थान में, सभापति महोदय, एक ही तरह के वार्ड हैं वह 7, 5 या 8 नम्बर के होते हैं । ज्योंहि हमारी नगरपालिका को पैसा गया वह नल योजना के पैसा उससे वहां के चेयरमैन ने, बोर्ड ने और अधिकारियों ने ऐसे लोगों के वार्ड में नल लगाये जहां कि एक भी हरिजन परिवार नहीं हैं । जहां मेहतर जाति के लोग रहते हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स जाति के लोग रहते हैं आज तक उस वार्ड में पानी देने का नल नहीं है, वहां पर उजाला करने को लाइट नहीं है । इस प्रकार की शिकायतें हैं । हमने सम्बन्धित अधिकारियों को निवेदन किया, मंत्री महोदय को भी लिख कर भेजा है लेकिन चेयरमैन महोदय ने लिख दिया कि जिस वार्ड में नल लगाया वह शिड्यूल्ड कास्ट्स का वार्ड है । क्या यह सही है, चेयरमैन महोदय, यह सिद्ध कर सकते हैं वह कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के वार्ड में ही नल लगाया गया है ? इस प्रकार से ऊपर के अधिकारियों से, चाहे सम्बन्धित अधिकारियों से निश्चित रूप से जांच करवाई जानी चाहिए कि नल योजना के लिए जो शिड्यूल्ड कास्ट्स के मोहल्लों के लिए पैसा जाता है तो क्या आपकी सम्बधिन्त नगरपालिकाएं उसी वार्ड में पैसा खर्च करती हैं ? नहीं किया जाता है । इसलिए निश्चित तौर से मेरी यह मान्यता है कि आप यह जांच करायेंगे और जांच कराकर यह साबित करेंगे कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के वार्ड में ही नल लगाया है और उसी में खर्चा किया जावे ।

साथ ही साथ.......

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

नगरपालिका लाखेरी की कई शिकायतें हैं और शिकायतों के बाद कई दफा अधिकारियों को लिखा, मंत्री महोदय को निवेदन किया कि आप निश्चित तौर पर पधार कर और शिकायतों का निराकरण करायें । उनकी जांच करवायें ताकि उन शिकायतों के माध्यम से आज जो वहां भ्रष्टाचार है, जो धांधली कर रहे हैं, उसकी वजह से आम जनता सुखी नहीं है, सुरक्षित नहीं है, वह जो चाहें सो कर लें, उसके लिये कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई कुछ सुनने वाला नहीं है । ऊपर से निवेदन करते हैं तो कोई जांच नहीं की जाती है । यहां तक स्थिति है कि कई आडिट ओब्जेक्शन हैं, कई प्रकार से पैसे को इधर उधर कर देते हैं, तनख्वाहों में पैसा बांट देते हैं और पैसे से दूसरी बातें करते हैं । सभापति महोदय, एक निवेदन और करूंगा कि आज कल जब चाहें

Page No.82

(श्री नन्दलाल बैरवा)

अधिक कर्मचारियों को रख लें, किसी को भी नौकरी में ले लें, जिसको चाहेंगे उसको ले लेंगे, जिसको नहीं चाहेंगे, उसको नहीं लेंगे इसकी कोई पाबन्दी नहीं है। इसलिए निवेदन है कि लाखेरी नगरपालिका के ऊपर जितनी अनियमितताओं की शिकायतें हैं उसकी निश्चित तौर से जांच की जानी चाहिये और यदि जांच सही पाई जावे तो उसको दण्ड दिया जावे, यह मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है। इतना ही कहते हुए सभापति महोदय, सहकारिता के माध्यम से और जो भी आज राजस्थान में किया जाता हैं, मेरी मान्यता है कि स्वागत योग्य है और जिस ओर से जिस प्रकार की कठिनाई आती है उस कठिनाई को मद्दे नजर रखते हुए परिवर्तन करना चाहिए। इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री अजीत सिंह।

श्री अजीत सिंह (टोंक) : सभापति महोदय, आज की मांगों के ऊपर मेरे कुछ कटौती प्रस्ताव हैं जिन पर मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, अपने आपको प्रोग्रेसिव कहने वाली और प्रजातंत्र की हामी भरने वाली यह सरकार, मेरी समझ में नहीं आता कि किस कारण से जनतांत्रिक संस्थाओं के चुनाव कराने में असफल रही है। आज की हालत यह है कि नगरपालिकाओं के चुनाव, पंचायतों के चुनाव और दूसरे जो चुनाव हैं सहकारिता के, वह चुनाव कराने में सरकार पूर्णतया असफल रही है और हर एक चुनाव लगातार पोस्टपोन किए जा रहे हैं। समझ में नहीं आता, प्रजातंत्र की हामी भरने वाली और प्रजातंत्र की दुहाई देने वाली सरकार का आखिर यह कैसा रूप है। प्रजातंत्र में आप एक भी चुनाव कराने में असफल रहे हैं। गुजरात सरकार के अन्दर जब जनता मोर्चे की सरकार थी, माननीय सभापति महोदय, उन्होंने अपने चुनाव कराये पंचायतों के चुनाव कराये...

श्री दीपंकर : 'वह अपने लक्षणों से गिर गई और यहां भी चुनाव होंगे तो आपकी भी यही हालत होगी।

श्री अजीत सिंह : प्रजातंत्र में चुनाव होना नितान्त आवश्यक है फिर चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। प्रजातंत्र में आस्था मानते हैं तो चुनाव कराने में क्या दिक्कत है। 12-12 साल हो गए पंचायतों के चुनाव हुए, यह कौन सा प्रजातांत्रिक तरीका है....

श्री दीपंकर : देश काल परिस्थिति को देखते हुए जो उचित समझते हैं करते हैं।

(व्यवधान – अश्रव्य)

श्री अजीत सिंह : यह प्रजातंत्र का तरीका नहीं है कि प्रशासक नियुक्त कर दें। कोई चुनाव करावें नहीं और उनको पावर्स अपने हाथ में ले लें। सहकारिता के बारे में मैं निवेदन करूं कि आपके ही तरफ से लगातार मांग करते हैं कि इतना भ्रष्टाचार हो गया है, आप उनकी जांच नहीं करा सकते तो मैं समझता हूं कि सहकारिता मिलीजुली सहकारिता हो सकती है। यह आपकी ही सहकारिता है कि अपने नेताओं ने सारे पावर्स हाथ में ले लिए हैं और ब्यूरोक्रेसी को दोष देते हैं। क्या बिगाड़

Page No.83

(श्री अजीत सिंह)

सकते हैं आप उनका जब खुद ही लगातार भ्रष्टाचार करते हैं ? आप जवाब नहीं दे सकते है क्योंकि आप उनसे दबे रहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी मांग करने के बाद भी आप जांच कराने में असमर्थ क्यों रहते है ? लगातार आपको लाखों रुपयों के घोटालों की शिकायतें आती हैं लेकिन माननीय मंत्रीजी आंख मूंद कर सो जाते हैं। सहकारिता आन्दोलन चल रहा है इस सिद्धान्त पर कि खाओ और खूब खाओ। तुम भी खाओ और हम भी खायें। सारी स्थिति बिगाड़ रखी है....

श्री दीपंकर : यह बिल्कुल गलत आरोप हैं। न तो मंत्री ने खाया है और न और लोगों ने खाया है। यह आपका बिल्कुल गलत आरोप है।

श्री अजीत सिंह : आपकी पार्टी के मेम्बर ही कह रहे हैं कि इनमें जबरदस्त भ्रष्टाचार है। मैंने तो इस बारे में कहना ही छोड़ दिया है। आज तो सहकारिता आन्दोलन चल रहा है भ्रष्टाचार का। आप इतने नाराज क्यों होते हैं ? साफ साफ बात सुनने की हिम्मत रखें। आपका काम है सुनना। नगरपालिकाओं के चुनाव आप टालते जा रहे हैं और प्रशासक बैठा रखे हैं और प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं। आपने इस तरह से पंचायतों की भी हालत कर रखी है। नगरपालिकाओं के अन्दर आपने प्रशासक बैठाये हैं और प्रशासक भी ऐसे हैं जो आपके कलेक्टर हैं, एस० डी० ओ० हैं और ऐसे ऐसे अफसर बिठा दिए हैं जिनको अपने काम से ही फुरसत नहीं है और वे लोग जनता की चिंता नहीं करते। पंचायतों के चुनाव नहीं कराते लेकिन चुने हुए लोगों की आप मियाद बढ़ा रहे हैं लेकिन आपने नगरपालिकाओं और नगर परिषदों का तो इतना बंटाधार कर दिया है और सारे पावर्स ब्यूरोक्रेसी के हाथ में दे रखे है और उनके माध्यम से सारे पावर्स आपने अपने हाथ में लेकर बैठे हैं। जो कुछ करना चाहें, मंत्री महोदय की चम्पी कर लो तो सब कुछ मिल जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है। आज अगर गली की लाईट का बल्ब भी फ्यूज होता है अंधेरा होता है कि उसके लिए भी कलेक्टर महोदय के पास जाना पड़ता है। माननीय मंत्रीजी जरा सोचिये कि समस्या का निदान कैसे हो। मेरे ही टोंक के अन्दर नगर परिषद् का प्रशासक कलेक्टर को बना रखा है। कलेक्टर के पास जाने की आम आदमी की हिम्मत हो सकती है ? मेरी गली की सफाई कराना है, मेरी लाईट ठीक कराना है, कोई सुनने वाला नहीं है। अंधेर गर्दी की सरकार चल रही है। म्यूनिसिपैलिटी में कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। आपने गए सदन में आश्वासन दिया था कि नगर-परिषदों के मामले में रेट तय कर देंगे, और आवास की समस्या को रिमूव करने की व्यवस्था करेंगे। नगरपरिषदों में तय का कोई निदान नहीं कर पाये हैं। आप रेट्स तय करने का निर्णय नहीं कर पाये हैं। आवास समस्या विकट रूप धारण कर रही है। जनसंख्या इतनी बहुतायत से बढ़ रही है। हालत यह है कि लाखों लोग सड़क पर सो सो कर जिन्दगी बसर कर रहे हैं। दो दो, तीन तीन, चार चार फैमिलीज साथ रहती है। बाप बेटा और उसका भी बेटा एक घर में साथ रहते हैं। माननीय मंत्रीजी यह चलने वाली बात नहीं है। आप रहने के लिए भी मकान

(श्री अजीत सिंह)

देने को तैयार नहीं है, आप अपने आपको असमर्थ पाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप जल्दी रेट कर दीजिये उसके हिसाब से अलाटीज को पैसा देना पड़े और आवास की समस्या हल हो। लेकिन आपने आश्वासन देने के बाद भी छः महीने तो पहले चले गए और आगे एक साल बाद विधान सभा को बुलायेंगे, फिर आपके सामने हाजिर होना पड़ेगा। यह कोई तरीका नहीं है। जो छोटी 2 म्यूनिसिपैलिटियां हैं वहां पर तो आपने आवास समस्या को हल किया है लेकिन नगर परिषदों के बारे में कई दफा कह चुके हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मैं आशा करता हूं कि आज के भाषण में आप क्लियरली आश्वासन देंगे कि नगर-परिषदों को रेट कब तय कर देंगे।

इसके साथ साथ नगरपालिकाओं और नगरपरिषदों के अन्दर, सभापति महोदय, पी. डब्ल्यू. डी. की रोड्स है। रोड्स पर पी. डब्ल्यू. डी. ध्यान नहीं देती है क्योंकि उनके लिमिटेड बजट हैं और उसके हिसाब से चलना पड़ता है। इसलिए, माननीय मन्त्रीजी, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि म्यूनिसिपैलिटी के इलाकों के अन्दर जो पी. डब्ल्यू. डी. रोड्स हैं उनके बारे में आप कुछ तो निर्णय कर दीजिए। आखिर रिपेयर्स की जिम्मेवारी किस की है। पी. डब्ल्यू. डी. करती नहीं है। कई म्यूनिसिपैलिटी के अन्दर तो कुछ आपने तय कर रखा है कि इतना अमाउण्ट पी. डब्ल्यू. डी. को पे करें। हमारी म्यूनिसिपैलिटी के अंदर और कई दूसरी म्यूनिसिपैलिटीज में तय नहीं हो पाता है कि म्यूनिसिपैलिटी कितना पैसा पी. डब्ल्यू. डी. को देगी और उसके शहर में रोड्स को देखेंगी। एक यूनिफार्म पालिसी आप निर्धारित करिये कि म्यूनिसिपैलिटी को देना है या नहीं देना है। और देना है तो म्यूनिसिपैलिटी देती है या नहीं देती है। समस्या ऐसी विचित्र हो जाती है कि कोई म्यूनिसिपैलिटी नहीं देती है तो पी. डब्ल्यू. डी. रिपेयर नहीं करती है, काम चलता नहीं है। खड्डे पड़े रहते हैं, कोई मैंटीनैंस रोड्स का नहीं होता है। कोई देखने वाला नहीं है।

इसके साथ ही जो आपके टेलीफोन की लाइनें हैं, आपकी पाईप लाइनें हैं उनसे जो खड्डे हो जाते हैं उनको महीनों तक पी. डब्ल्यू. डी. सम्भाले नहीं, बरसों निकल जाते हैं, खड्डे भरते नहीं हैं। म्यूनिसिपैलिटी आपसे पैसे ले लेती है तो उसके लिए जिम्मेदार म्यूनिसिपैलिटी हो जाती है कि वह उन खड्डों को भरे और उनको ठीक करे लेकिन म्यूनिसिपैलिटी उनको भरती नहीं। आम तौर पर ऐसे खड्डे हो जाते हैं कि उनकी मरम्मत हो नहीं पाती। मैं निवेदन करूंगा कि आप इसके लिए कोई ऐसी यूनिफार्म पालिसी अख्तियार करिये। चाहे सड़कें पी. डब्ल्यू. डी. की हों तो पी. डब्ल्यू. डी. ठीक कराये, म्यूनिसिपैलिटी पैसा लेकर क्यों बैठ जाती है। म्यूनिसिपैलिटी जब पैसा ले लेती है तो यह जिम्मेदारी म्यूनिसिपैलिटी की है कि वह रोड्स को ठीक कराये। मेरा निवेदन है कि आप इसको देखें कि आखिर दिक्कत कहां है? यह काम होता क्यों नहीं है?

इसके साथ माननीय मंत्रीजी कई समस्यायें ऐसी विकट हैं जिनका निराकरण होना भी मैं आवश्यक समझता हूं। इनके अन्दर आपको जमीनों को देखने की व्यवस्था

(श्री अजीत सिंह)

है। नगर परिषद या नगरपालिकाओं में हमारी कृषि मण्डियां बन रही हैं, बस स्टैंड बन रहे हैं, उनका समाधान जल्दी हो नहीं पाता है। इसलिए सारा का सारा विकास नगरपालिकाओं का रुक जाता है। उनके लिए तुरन्त ऐसी व्यवस्था करें कि यूनिफार्म पालिसी बना दीजिए कि तुरन्त उनको जमीन मिल जाय, चाहे वह बस स्टेण्ड के लिए हो, चाहे कृषि मण्डी के लिए हो या दीगर विकास के कार्यों के लिए हो, उसके लिए तुरन्त व्यवस्था करायें और जल्दी से जल्दी जमीन आवास हो जानी चाहिए। बरसों तक मामले खटाई में पड़े रहते हैं और आपका विभाग ध्यान नहीं देता। विकास कार्य सारे के सारे ठप्प हो जाते हैं। मैं चाहूंगा कि इसके लिए कोई ऐसी यूनिफार्म पॉलिसी तय करें।

इसके साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि नगरपालिकाओं को जो अनुदान देते हैं उसके अन्दर भी आप कोई निश्चित पॉलिसी एडाप्ट करें। कहीं तो अनुदान मिल जाता है और कहीं पर अनुदान नहीं मिलता है। कई कई म्यूनिसिपैलिटीज की हालत खराब हो जाती है इसलिए कि अनुदान टाइम पर नहीं मिलता है। और जो अनुदान मिलता है वह भी आपकी मर्जी का अनुदान होता है। आप इन म्युनिसिपैलिटीज को ए, बी, सी, क्लास बनावे जिस तरह की स्कूल्स का ग्रेडेशन कर रखा है और उसके अनुसार अनुदान देने की पॉलिसी सरकार की है। उसी पॉलिसी को आप यहाँ पर अख्तियार करें। जो म्युनिसिपैलिटीज अपना काम नहीं चला पाती हैं, उनको अनुदान देने की आप व्यवस्था करें।

जहां पर पानी के नल लग गये हैं, नल लगने से वहां पर बड़ा भारी कीचड़ हो जाता है। छोटी छोटी म्यूनिसिपैलिटीज हैं, वे नालियां नहीं बना पाती हैं और वहां पर ड्रेनेज की व्यवस्था होना तो बड़ा ही मुश्किल है। उनकी आर्थिक हालत खराब है। जहां पर नल योजना प्रारम्भ हो गई है वहां पर नालियां बनाने के लिए आप व्यवस्था करा दें तो उचित होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

थोड़ा समय और लूंगा सभापति महोदय, इसके साथ मैं आपका ध्यान पंचायती राज की तरफ भी आकर्षित कराना चाहूंगा। सभापति महोदय, पंचायतों के अन्दर न्याय पंचायतें हैं। इनको मेम्बर के हिसाब से कर दिया है। परन्तु इस हिसाब से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नहीं हो पाई है। उनकी जो लिस्ट बनाई गई है विकास अधिकारियों द्वारा वह प्रकाशित नहीं हुई है। मैं चाहूंगा इसके लिए प्रोग्राम देकर तय करावें कि पंचायत के अन्दर पंचायत काम शुरु कर दें। न्याय पंचायत की अपील सीधी कोर्ट मुन्सिफ में होती है। अब आपने अधिकार दे दिया—पंचायत समिति के अन्दर ही आप एक इस तरह का सैल बनावें कि न्याय पंचायत की अपील वहां हो सके। पंचायत के लोग कम पढ़े लिखे होते हैं। उनके फैसले की अपील मुन्सिफ के पास जाती है तो बड़ी भारी दिक्कत होती है। इसलिए बीच में कोई व्यवस्था होनी चाहिये। पंचायत समिति के अन्दर ही इसके लिए एक साल की उचित व्यवस्था होनी चाहिये।

Page No.86

(श्री अजीत सिंह)

इसके साथ ही राज्य सरकार ने लघु सिंचाई के लिए पंचायत समिति को पावर दे रखा है। इसमें दिक्कत होती है क्योंकि पंचायत समिति के पास फण्डस् नहीं है। फण्डस् के अभाव के कारण छोटे छोटे बांधों की मरम्मत नहीं हो पाती है, मोरियां नहीं बन पाती है। इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि छोटे छोटे बांध से पानी देने की निश्चित रेट तय कर दें। वे एक पानी देते हैं, दो पानी देते हैं। इसलिए वहां के खेतों को देखकर पानी की रेट तय कर दीजिये क्योंकि ग्राम सेवक अपनी मर्जी के ऊपर काश्तकारों को पानी देता है। किसी से अधिक और किसी से कम पैसा वसूल करता है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है और किसानों की परेशानियां भी बढ़ती है। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि लघु सिंचाई के ये जो छोटे बांध है वहां के लिए कोई रेट निश्चित कर दें। या लघु सिंचाई को बिलकुल ही छोड़ दें। इससे कोई लाभ नहीं होता है। क्योंकि उनकी मरम्मत नहीं हो पाती है, उनको मेन्टेन नहीं किया जाता है इसलिए कि पंचायत समिति के पास फण्डस् नहीं है। इस कारण इन बांधों का उपयोग पूरा नहीं हो पाता है और सरकार का भी लाखों रुपया व्यर्थ चला जाता है। वहां बांध की नहरें भी नहीं है। इसलिए आप फण्डस् की व्यवस्था करें। इसके अलावा बड़े बड़े बांध पंचायत समिति में हैं उनकी हालत भी खस्ता है। आप सर्वे करा कर देख लें। इसलिए जो पिलाई करने वाले बांध हैं जिनसे 50 एकड़ से अधिक पिलायी होती है उन बांधों को डिपार्टमेंट को हेन्ड ओवर कर दें। इससे आपको भी सुविधा होगी। जो काश्तकार इससे लाभान्वित है उनको भी फायदा होगा। इसी प्रकार मच्छी पालन है। इसका ठेका होना चाहिये परन्तु नहीं होता है। छोटे छोटे तालाब जो पंचायत समिति के पास होते हैं उनमें मछलियों के ठेके होते हैं उसमें बड़ा ही भ्रष्टाचार होता है। इसलिए इसके अन्दर एक यूनिफार्मिटी लाई जावें। इतने बड़े तालाब की इतनी रेट होगी और उस रेट के ऊपर नीलामी की कार्यवाही की जाये। परन्तु बहुत ही कम रेट में नीलामी होती है और पोषाहार के नाम पर लोग मछलियां निकाल कर खा जाते हैं। इसको भी आप देखें कि मछलियों के ठेके ठीक ढंग से हों।

इसी प्रकार हड्डी के ठेके के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। बड़े ठेकेदार आ जाते हैं और छोटे रह जाते हैं। इस सम्बंध में आपने पिछली बार यह फरमाया था कि सहकारी समिति की जो यूनिट होगी उसका हड्डी का ठेका देने में पहले प्रोत्साहन दिया जायेगा लेकिन मंत्री महोदय ऐसा नहीं हो पाता है, ठेकेदार लोग आकर ठेका ले जाते हैं। इस प्रकार छोटे छोटे बांधों पर मछली का ठेका भी छोटे लोगों को नहीं मिल पाता है। मंत्री महोदय ने जो आश्वासन दिया था और उस संबंध में एक परिपत्र भी निकला था किन्तु उस पर अमल नहीं हो पाता है। इसलिए इस ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि छोटे छोटे काम धंधा करने वाले जो लोग हैं उनको ठेका नीलाम करने के लिए रिजर्व कर दिये जायें और वहां पर जो बड़े ठेकेदार पहुंच जाते हैं, उनको रोका जाये। जो व्यवस्था की गई है उसको आप कारगर ढंग से लागू करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, नगर विकास, सहकारिता एवं सामुदायिक विकास पर मेरे कटौती प्रस्ताव हैं। पहले मैं सहकारिता के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

इस प्रजातन्त्र के युग में सहकारिता का विशेष महत्व है। सहकारिता का आन्दोलन जनता का आन्दोलन है और इस प्रजातन्त्र के युग में अगर हम गरीब किसान की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, लघु और सीमान्त काश्तकारों की स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो सहकारिता के बिना उनकी उन्नति नहीं हो सकती है और जब हमारे देश में प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बीस सूत्री कार्यक्रम रखा, तो उस समय इसका और विशेष महत्व हो गया है। साथ ही हमारे सहकारिता मंत्री जी पर बहुत ज्यादा जिम्मेवारी आगई है। यद्यपि सहकारिता विभाग में सन् 72–73 में 16 करोड़ रुपये अल्पकालीन ऋण, 3.81 करोड़ दीर्घकालीन ऋण किसानों को देने की व्यवस्था की है, वहीं सन् 74–75 में 35 करोड़ के ऋण की व्यवस्था की, सन् 75–76 में 50 करोड़ के अल्पकालीन ऋण, 10 करोड़ के दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था की गई और वर्ष 76–77 का लक्ष्य है 60 करोड़ अल्पकालीन ऋण, 4 करोड़ का मध्यम कालीन ऋण और 10 करोड़ का दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था करने के लिए लक्ष्य रखा गया है। परन्तु जिस प्रकार का कार्य हाथ में लेना है, जिस प्रकार गरीब आदमियों को कर्ज से मुक्ति दिलानी है, तो उसके लिए 70 करोड़ की भी हम व्यवस्था करें तब भी हम उनको कर्ज से मुक्त नहीं करा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए अरबों रुपयों की आवश्यकता है। अभी तक यह स्थिति है कि किसान 90 प्रतिशत किसान महाजन के चंगुल में है। अभी तक वही कर्जा देता है। बैंक्स, कोआपरेटिव बैंक्स, सहकारिता की तरफ से कितना भी ऋण अभी अपन दे रहे हैं तो भी 10 पर्सेन्ट से अधिक ऋण नहीं दे रहे हैं। जब 90 पर्सेन्ट जो ऋण दे रहा है उसको हमें समाप्त करना है, क्योंकि वह शोषण करता है, परन्तु उसके शोषण को समाप्त करने के लिए इसकी आल्टरनेटिव एजेन्सी की ज्यादा व्यवस्था करें, अधिक व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

अब मैंने जो कटमोशन्स रखे हैं उसके बारे पर आता हूं। कटमोशन्स में पहला जो कटमोशन मेरा है वह यह है कि सहकारिता के जो चुनाव हों वह इलेक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा होने चाहिए। मेरा यह अनुभव है कि जो इलेक्शन्स कोआपरेटिव विभाग द्वारा कराये जाते हैं वह निष्पक्ष नहीं होते हैं। कोआपरेटिव इन्सपेक्टर्स जाकर चुनाव करायें, असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर्स जाकर चुनाव करायें, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार चुनाव करायें तो वह चुनाव निष्पक्ष नहीं होते हैं। उनमें पक्षपात होता है। इसलिए मेरा सहकारिता मंत्री जी से निवेदन यह है कि अब जब सहकारी संस्थाओं का पुनर्गठन हो तो यह भी निर्णय लिया जाय साथ-साथ कि यह जो चुनाव हों उसको निष्पक्ष कराने के लिए इलेक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा कराये जायेंगे, क्योंकि जब सहकारिता की इतनी महत्ता है, और हमारी इकोनामी में इसको इतना महत्व है तो उसके चुनाव भी हम

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

पक्षपातपूर्ण करायें और वह संस्थाएं पक्षपातपूर्ण होकर घोटाले करें तो यह स्थिति सहन नहीं की जा सकती।

दूसरा जो कटमोशन मेरा है वह यह है कि जो श्रम ठेका सहकारी समितियां हैं, मेरे जिले की तो मैं कहता हूं और समझता हूं कि मेरे जिले में जो स्थिति है वह सारे राजस्थान प्रान्त की स्थिति होगी, उनमें वह मजदूरों का शोषण करती है, मजदूरों के नाम का दुरुपयोग करती है। मजदूरों को इससे कोई लाभ नहीं, और कुछ इन्डिविजुअल व्यक्ति जो हैं वह उन श्रम ठेका सहकारी समितियों के नाम से ठेका लेते हैं और लाभ उठाते हैं। या तो श्रम ठेका सहकारी समितियां यह करती हैं कि उन्हीं के सदस्यों में से

(2.02 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

किसी को 10 पर्सेन्ट में या 5 पर्सेन्ट में ठेके पर दे देती है। तो इस प्रकार से श्रम ठेका सहकारी समितियां कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए ही काम करती हैं, और उससे सहकारी आन्दोलन को बल नहीं मिलता है, बल्कि सहकारी आन्दोलन को इससे बड़ी भारी ठेस पहुंचती है। तो इस सम्बन्ध में आप जांच करायें। मेरे जिले के लिए मैं कहता हूं मगर राजस्थान प्रान्त भर में जांच करायें कि इस प्रकार से सहकारी आन्दोलन चले और कुछ खास व्यक्ति ही उससे आन्दोलन से लाभ उठायें तो यह सहकारिता आन्दोलन के प्रति यह भावना उचित नहीं ठहराई जा सकती है।

तीसरा जो मेरा कटमोशन मैंने रखा है वह यह है कि जो राज्य गृह निर्माण वित्तीय सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा ऋण दिये गये हैं उनमें बिल्कुल पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है, और हमारे जिले की तो पूरी तरह से अवहेलना की गई है। हमारे जिले में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, और उनको जो ऋण दिया गया है 7000/- रु० सिर्फ 7000/- रुपया, और सीकर के लिए 72-98 लाख, जिले के लिए, जयपुर जिले के लिए 49-31 लाख और झुंझुनूं जिले के लिए 41-71 लाख और बाड़मेर जिले के लिए 7000/-....

श्री शंकरलाल (पाली) : सीकर के अध्यक्ष श्री रामदेवसिंह जी है और झुंझुनूं के मिनिस्टर साहब हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अब आप जवाब देंगे इस प्रकार की आपके यहां पर सहकारी समितियां कम बनाई गईं। तो मैं यह बताना चाहता हूं कि समितियों की संख्या जो है 7। यह किताब पब्लिकेशन गवर्नमेंट का है इसमें 7 बताई गई हैं, गृह 181 और स्वीकृत राशि 7-24 लाख तो उसके खिलाफ में बाड़मेर में 7 हजार दिये गये। इतनी कोआपरेटिव सोसाइटीज जिन्होंने एप्लीकेशन्स दीं तो 7-24 लाख रुपये दिये और जब कोआपरेटिव सोसाइटीज का गठन हुआ तो इतने आब्जेक्शन्स पुट अप किये गये कि किसी भी प्रकार से स्वीकृत नहीं हो एमाउन्ट। परन्तु जब सीकर जिले में अपने आप, आप बैठे हैं अगर हो आब्जेक्शन तो वहीं पर ठीक करवा दिये जाते हैं और यहां पर आब्जेक्शन्स पर आब्जेक्शन्स पुट अप किये जाते हैं कि किसी तरह से उनको ऋण

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

प्राप्त न हो। इस प्रकार की स्थिति है। हमारे यहां पर एक सहकारी समिति को ऋण मिला है। वह भी रानी की एक सहकारी समिति है वह भी इसलिए कि वहां पर श्रीमती इन्दिरा गांधी का कार्यक्रम था तो मनोहरपुरावाली सहकारी समिति को ऋण दिया गया और किसी भी सोसाइटी को नहीं दिया गया। इस प्रकार की जो उपेक्षा की नीति है उसको किसी भी तरह से बरदाश्त नहीं किया जा सकता।

उद्योग सहकारी समितियां जितनी भी बनी हैं वह अधिकांश में जो हैं असफल रही हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि कोआपरेटिव विभाग और इन्डस्ट्री विभाग में कोई कोआर्डिनेशन नहीं हैं, दोनों में कोआपरेशन नहीं है। हमारे यहां पर रंगाई और छपाई की जितनी भी कोआपरेटिव सोसाइटीज बनीं वह लिक्वीडेट हुई। चर्म उद्योग सहकारी समितियां बनीं उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। उसका कारण यह है कि जो उद्योग सहकारी समितियां बनी हैं उनके पास से यदि कोई गवर्नमेंट में परचेजिंग होता है तो उनका पेमेन्ट इतने बाद में होता है, 1, 2 या 3 साल में होता है। इसलिए वह प्राफिटेबल हो नहीं सकती, इसलिए असफल होती हैं।

अब मैं कुछ जो हैं, मैंने रखे हैं सामुदायिक विकास पर कटमोशन उसमें सिर्फ एक ही बात पर आता हूं कि पंचायतों के चुनाव हमें कराने चाहिएं। 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में हमारी जो कुछ भी असफलताएं हो रही हैं उसका एक यही मुख्य कारण है कि जिनसे क्रियान्वयन करवाया जा रहा है वह जो बोडी है वह 12 वर्ष की पुरानी बोडी है। वह बोडी सड़ी-गली है और जनता में लोकप्रिय नहीं रही है। इतने वर्षों के बाद कोई लोकप्रिय नहीं रहता है। अपने भी जो कि 5 वर्ष के बनते हैं और हमारा टर्म बढ़ता रहे या वह अगर बढ़ाया जाय तो हम भी लोकप्रिय ज्यादा नहीं रह सकते हैं। एक साल और ज्यादा बढ़ गया तो लोकप्रिय नहीं रहेंगे। इसलिए यह टर्म 3 साल से बढ़ कर उसको 12 साल होने को आये हैं। मैं आपको कहता हूं कि आज जो हैं मंत्री महोदय जरूर इसके बारे में सोचें, नहीं तो जो है अगर चुनाव मई और जून में नहीं कराये, यह प्रोपर टाइम है, आप जो हैं सेन्ट्रल गवर्नमेंट से कन्सेन्ट ले सकते हैं...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप मंत्री महोदय की ओर मुंह करके क्यों सम्बोधित कर रहे हैं। आप चेयर को सम्बोधित करें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आपका फर्माना ठीक है। मैं आपकी राय को मानता हूं।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय क्या करेंगे, करेंगे तो मंत्री महोदय ही।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं आपकी सलाह को मानता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : शिरोधार्य भी करिये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप चुनाव नहीं करायेंगे तो-मई और जून में नहीं करायेंगे तो फिर चुनाव नहीं होने वाले हैं क्योंकि असेम्बली के आ जायेंगे या पालियामेन्ट के आ जायेंगे तो फिर पंचायतों के चुनाव होंगे नहीं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपको पहले से पता कैसे लग गया ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अनुमान तो लगाना पड़ता है। जो अनुमान नहीं लगाता है वह सही राजनीतिज्ञ नहीं है।

श्री शंकरलाल (पाली): Very good.

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर चुनाव नहीं हुए तो फिर दो तीन वर्ष और आगे बढ़ जायेंगे और जो आप इन खोखली संस्थाओं से कार्य कराना चाहते हैं वह कार्य नहीं कर सकती।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सदस्य, आप फिर उनकी तरफ मुखातिब हो गये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : देखिये साहब, ये मेरे पास बैठे हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा जो कट मोशन मैंने रखा है जीपों के बारे में। पंचायतों की जो जीपें हैं वह अक्सर जिला प्रशासन ले लेता है, कभी लेवी के समय में और कभी किसी अभियान के समय में परन्तु उन जीपों की जो टूट-फूट होती हैं जिला प्रशासन उनकी मरम्मत कराने के लिये कोई व्यवस्था नहीं करता। इसके अलावा वह कोई हर्जाना भी नहीं देता है तो इसके बारे में मेरा निवेदन है कि आपके पंचायत विभाग को सक्रिय होना चाहिए और पंचायत समितियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं उठाना पड़े इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिए।

अब मैं नगर विकास न्यास और नगर आयोजना के बारे में अपने विचार रखना चाहता हूं। रोड्स के बारे में जो व्यवस्था की गई है स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से और नगरपालिकाओं की तरफ से, जो रिपोर्ट दी गई है उसमें सड़कों और नालों के लिये 5 लाख रुपया रखा गया है, इतना बड़ा प्रान्त जिसमें 132 नगर।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अब 171 हो गये हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : 171 नगर और उसके लिये आपने केवल पांच लाख की व्यवस्था जो की हैं यह मैं किसी भी प्रकार से ठीक नहीं मान सकता हूं। तो मैं यह चाहता हूं कि, शायद आपने पांच लाख भूल से यह होगया है, होंगे 50 लाख, अगर आप रोड्स के लिये पचास लाख की व्यवस्था करें तब जाकर कुछ न कुछ शेयर डिस्ट्रिक्ट को मिल सकता है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि पांच लाख भूल से लिख दिये गये हैं, इसकी जगह 50 लाख होंगे और पचास लाख स्वीकृत कर दिये जाते हैं तो कुछ नगरों के लिये रोड्स के बारे में कुछ व्यवस्था हो सकती है।

नगरपालिकाओं के बारे में दूसरा जो मैंने कटमोशन रखा है वह यह है कि कमजोर वर्ग के लोगों के लिये हमने ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय भूखण्डों के पट्टे वितरित किये परन्तु यह जो आन्दोलन नगरों और गावों में अधिक विकास और फैलाव हो रहा है तो इस ओर भी मन्त्री महोदय का ध्यान जाना चाहिए और नगरीय क्षेत्रों में भी अभी जो विस्तार हुआ है और जो इन्फार्मेशन आई है कि 26525 व्यक्तियों का सर्वे किया जा चुका है और 12508 व्यक्तियों

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

को आवासीय भूखण्ड अलॉट भी किये जा चुके हैं तो यह जो प्रोग्रेस है बहुत सेटिस्फेक्टरी नहीं है इसकी ओर भी राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए।

एक कटमोशन मैंने यह भी रखा है कि जिला मुख्यालयों पर नगर विकास न्यास की स्थापना की जानी चाहिए। आपने काफी स्थानों पर नगर विकास न्यास की स्थापना की है लेकिन मैं चाहता हूं कि नगरों की समस्याएं बढ़ रही हैं इसलिए सभी जिला मुख्यालयों पर नगर विकास न्यास की स्थापना की जानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिये। श्री विट्ठल भाई।

श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट): उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूं। सहकारी समितियां वैसे तो राजस्थान में सभी जगहों पर है लेकिन मैं अपने जिले के विषय में कहूंगा कि हमारे यहां पर जो सहकारी समितियां चल रही हैं वह सब की सब, हर एक सहकारी समिति में गबन के मामले चल रहे हैं। सरकार ने अभी तक उनकी ओर ध्यान नहीं दिया है और न कोई कार्यवाही ही की है, चाहे खाद का पैसा हो, चाहे कर्जा का पैसा हो, सहकारी समितियों के सदस्यों से तो वसूल कर लिया और जो समितियों के जो अध्यक्ष और मन्त्री लोग हैं उन्होंने उस पैसे को न तो किसी बैंक में जमा कराया और अपने निजी खर्च में काम में ले लिया इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कम से कम जिन लोगों ने गरीबों का कर्जा वसूल करके अपने निजी खर्च में काम में ले लिया, और वे लोग अपना पेट भर रहे हैं उनको कोई कहने वाला नहीं है, कभी किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई, और कभी कोई शिकार भी हुआ तो उनके लिए ऊपर से किसी नेता वगैरह से उस मामले को दबा दिया जाता है और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। सहकारी समिति का मतलब है कि हर सदस्य को ऊंचा लाना और कर्जा दिलाकर उसकी सहायता करना। लेकिन उनसे कर्जा तो वसूल कर लिया जाता है और उसको जमा भी नहीं कराते हैं फिर दूसरे साल उससे और वसूल करते हैं, यह चीज बहुत बुरी है, कम से कम हर सहकारी समिति में इस प्रकार से हो रहा है और हमारे जिले में भी है इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कम से कम उनके खिलाफ जिन लोगों ने गबन किये हैं जिन सहकारी समितियों में उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए और उनसे रकम वसूल की जाय जो रकम उन्होंने सदस्यों से वसूल करली लेकिन जमा नहीं कराई। इस प्रकार से जिन लोगों ने कर्जा भर दिया है और जो गबन कर रहे हैं तो उनको जमा कराना चाहिए और निर्दोष सदस्यों को मुक्त कराना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सहकारी समितियों के चुनाव होते हैं, उनमें पक्षपात होता है और पक्षपात के बाद जब चुनाव हो जाते हैं तो वर्षों तक चुनाव नहीं कराये जाते हैं, जबकि चुनाव एक साल में एक बार कराना जरूरी है लेकिन देखा यह गया है कि कई साल हो गये जो मौजूदा सदस्य होते हैं वह कभी

(श्री बिट्ठल भाई)

नहीं चाहते कि चुनाव कराये जायं क्योंकि उन्होंने कई तरह के गबन कर रखे हैं इसलिए वह नहीं चाहते कि आगे चुनाव हों और आपके जो आफिसर लोग हैं, सहायक रजिस्ट्रार या इन्स्पेक्टर भी नहीं चाहते, दो साल, चार साल और पांच साल निकल जाते हैं और सारे सदस्य निराश होकर के बैठे हुए हैं, न तो कोई सहकारी समितियां चल रही हैं और न उनको कोई कर्जा ही मिल रहा है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी गबन किये गये हैं बांसवाड़ा जिले की सहकारी समितियों के अन्दर उनकी सख्ती से जांच कराई जावे और सही चीज के लिए व्यवस्था कराई जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा पंचायतों के बारे में कहूंगा। पंचायतें भी सहकारी समितियों की तरह से मर चुकी हैं और उसका कारण यह है कि अभी हमारे माननीय सदस्य श्री वृद्धिचन्द्रजी भी बोल चुके हैं कि पंचायतें 12 साल के बाद अब न तो उनमें पंच कोई दिलचस्पी लेता है, न सरपंच कोई दिलचस्पी लेता है और न उनमें महीने में कोई बैठक ही होती है और जितना भी पैसा था जो विकास के कार्यों में खर्च किया गया, चाहे सड़कों के लिए, चाहे तालाबों के लिए, चाहे कुओं के निर्माण के लिए, वह सारा का सारा काम अधूरा पड़ा हुआ है। जो भी रकम पंचायतों के पास थी वह कुछ तो खर्च हो गई और कुछ पंच और सरपंच खा गये और अपने निजी खर्च में खर्च कर दी और सारे काम अधूरे पड़े हुए हैं, न कोई काम कर रहा है इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ठीक है यह प्रजातन्त्र है, आपको कहते हैं तो आप प्रजातन्त्र की दुहाई देते हैं। लेकिन इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि प्रजातंत्र है इसको जिन्दा रखेंगे तो पंचायतों के चुनाव आपको तुरन्त करवा देने चाहिएं। प्रजातंत्र में यह जरूरी नहीं है कि बारह साल निकल जायं और चुनाव नहीं हों। इसको प्रजातंत्र नहीं कह सकते हैं। मर्जी आये उसको कुछ बना कर बैठा दें और मर्जी आये उसको धक्का मार कर भगा दें। यह प्रजातंत्र नहीं है। प्रजातंत्र में आप चुनाव कराना नहीं चाहते हैं। मैं कह नहीं सकता कि अगली साल भी चुनाव होंगे या नहीं। आप महीने दो महीने में करा लें तो ठीक, नहीं तो पन्द्रह साल भी निकल सकते हैं। या तो आपको पंचायतों के चुनाव कराने चाहिएं या पंचायतों को भग करना चाहिएं क्योंकि पंचायतें चलती नहीं है। आपने बेकार का खर्च पंचायतों में लगा रखा है, वहां कोई काम नहीं होता है, न कुछ होता है। इतना पैसा इन पर खर्च कर रखा है, इनको जीप गाड़ियां दे रखी हैं, यह पड़ी हुई हैं और लोग इनमें फिजूल घूमते फिरते हैं। काम काज कुछ होता नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि पंचायतों के चुनाव होने चाहिएं। नया कोई नहीं आयेगा तो लोग दिलचस्पी लेने वाले नहीं रहेंगे। नये आयें तो दिलचस्पी लेने वाले आयेंगे। आज पंचायतें बेकार पड़ी हुई हैं, वह मर चुकी हैं, उनका ठिकाना नहीं है। सरपंचों ने इतना गबन किया है, विकास के नाम पर पैसों का गबन किया है—उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। मैं कहूंगा कि जनता का पैसा जनता के विकास के लिए दिया जाय और उसको एक व्यक्ति खा जाय—यह गलत है। सरकार को ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ

(श्री विट्ठल भाई)

कार्यवाही करनी चाहिए और उनसे पैसा वसूल करना चाहिए। उस पैसे को विकास के काम में लगाना चाहिए। आज विकास का जो काम है, वह ठप्प पड़ा हुआ है क्योंकि पैसा खर्च कर दिया है और काम होता नहीं है। इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थासिंह !

श्री नत्था सिंह (नदबई) : उपाध्यक्ष जी, आज सहकारिता, नगर विकास न्यास, नगरपालिका इनकी मांगों पर चर्चा चल रही है। मैंने इन पर कटौती के प्रस्ताव दिये हैं। माननीय मंत्री से मैं यह कहूंगा, मैं पूरे राजस्थान की बात नहीं बताऊंगा, लेकिन भरतपुर जिले में कोपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है, वैसे तो कोपरेटिव सोसाइटी के लिए कई माननीय सदस्यों ने बताया, लेकिन मैं भरतपुर के बारे में बताऊंगा कि इस विभाग में जितना भ्रष्टाचार है, मेरे ख्याल में, उतना अन्य जगह में नहीं है। इसका कारण है, माननीय मंत्री जी, भरतपुर में एक एक अधिकारी को आठ, नौ, दस साल हो जाते हैं। अगर किसी अधिकारी को वहां से हटा दिया जाता है तो वह हर तरह कोशिश करके उसी भरतपुर में पहुंच जाता है। भरतपुर में, मैं आपको याद दिलाऊं, वैसे आपको कोपरेटिव सोसाइटी का स्वयं इल्म है, जितनी गड़बड़ी और घोटाले हैं, उतने किसी जगह नहीं है। एक जांच कमेटी गत वर्ष में बैठी हुई थी, उसने रिपोर्ट दी है कि भरतपुर में 1 करोड 20 लाख, पता नहीं कौन से खाते है, कहां 2 जमा है। इसके लिए तो इन्क्वायरी होगी और जिसने गल्ती की है वह सजा भोगेगा।

अब मैं छोटी सी बात, माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री को, जो उनके करने की बात है, वसूली के बारे में कहना चाहता हूं। कोपरेटिव की जितनी वसूली होती है, होनी चाहिए, लेकिन वह किससे होती है वसूली, दो सौ, ढाई सौ, पांच सौ, हजार जिसके पास हैं, छोटे किसान हैं, छोटे लोग हैं उनसे वसूली होती है। मैं तो माननीय मन्त्री जी के सामने एक निवेदन करूंगा कि वसूली के लिए एक कानून बना दिया जाय। भरतपुर जिले का एक उदाहरण मैं आपको दे दूं, एक चमार पर कोपरेटिव की वसूली ढाई सौ रुपया रह गई। उसके पास कोपरेटिव सोसाइटी वाले जीप लेकर गये। उसने कहा कि परसों ले जाना आपका रुपया। मैं पैसा दे दूंगा। लेकिन वह गाली गुप्ता के साथ बोले तो उससे गाली नहीं सुनी गई। उसने गाली सुन कर गाल पर तमाचा मार दिया और कहा कि परसों पैसा ले जाना। उसके बाद गबन के आरोप में चमार को थाने में बन्द करा दिया। और सत्रह दिन के बाद में उसकी जमानत हुई। उसकी घर वाली ने गहने बेच कर ढाई सौ रुपये कोपरेटिव में जमा करा दिये। यह मैंने आपको एक कहानी सुनाई लेकिन आपकी वसूली भरतपुर जिले में ट्रैक्टर के नाम पर, पम्पिंग सेट के नाम पर किसी पर तीस हजार, किसी पर चालीस हजार, पचास हजार, अस्सी हजार, पिच्यासी हजार बाकी है, वह किसी पर लाख है, किसी पर डेढ़ लाख है। इस तरह भरतपुर जिले में बड़े बड़े लोगों को बिल्कुल नहीं छेड़ा जाता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसा विचार कोपरेटिव की वसूली के लिए किया जाय कि भरतपुर जिले की जितनी भी बकाया

(श्री नत्थासिंह)

है, उसकी एक लिस्ट बनाई जाय। लिस्ट बनाकर हर पंचायत समिति, हर पंचायत में, हर नगर पालिका में आनी चाहिए तो यह भी कहूंगा कि भरतपुर जिले के विधान सभा सदस्य हैं, उनके पास भी मेहरबानी करके एक लिस्ट पहुंचा दें। दूसरे आप कानून बना दें, जैसे नाजायज कब्जे जमीन पर लोगों ने किये थे तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, सरकार ने कानून बना दिया कि जो कब्जा नहीं छोड़े उसको तीन महीने की सजा और पचास रुपया जुर्माना कर सकते हैं। इससे उसमें कुछ सुधार आया और जमीन लोगों ने छोड़ी। लेकिन उस कानून में भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी थे, जो कर्त्ताधर्ता थे, वह गड़बड़ी कर गये और उन्होंने स्टे दे दिया। इसलिए आपकी वसूली मसूरिया ससूरिया, धांधला फांदला चाहे जिन लोगों के पास है, मैं उनकी हिमायत नहीं करूंगा। वह वसूली नहीं देता है, वह सोचता है कि इस पर इतने दिनों से पैसा बकाया है, वह ब्याज सहित पैसा नहीं देता है तो मैं भी नहीं देता हूं। तो ऐसे आदमी को छः महीने की सजा और दो हजार रुपये का जुर्माना कर दिया जाय। इस तरह का कानून बनायें तो आपका करोड़ों रुपया भरतपुर जिले से वसूल हो सकता है। लेकिन नहीं होता। क्यों नहीं होता है? इसका कारण है कि कोआपरेटिव के अधिकारी हैं उनकी सांठ गांठ चलती है। गत दस साल, पन्द्रह साल हो गये हैं एक एक अधिकारी को लेकिन वह काम नहीं करते हैं और उनको हटा भी नहीं पाते हैं। मंत्री महोदय को कहते हैं कि फलां आदमी को हटा दो। उसको हटा देते हैं तो इधर उधर कहां कहां से किस किस से मिल कर भरतपुर जिले में फिर पहुंच जाता है। यह कोआपरेटिव के बारे में कहा, वसूली के बारे में कहा। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री को मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आपका राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ बना हुआ था, उस संघ की कुछ समितियां राजस्थान में वनों में काम करने वाली थीं, वह गरीबों की, शिड्यूल्ड कास्ट्स और आदिवासियों की थीं। तकरीबन राजस्थान में 111 सोसाइटी थीं। वैसे 130 सोसाइटी थीं लेकिन उनमें से कुछ ऐसी थीं जिनका कार्य ठीक नहीं था। उनको सरकार ने खत्म कर दिया। अब तकरीबन सौ, सवा सौ सोसाइटी ऐसी हैं, जिनमें हजारों आदिवासी जंगल में जो काम करते है, बढ़िया काम करते हैं, पत्ते का काम करते हैं, गोंद का काम करते हैं, लकड़ी और जिन्स का काम करते हैं, वह राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ के सदस्य थे। वह राजस्थान में काम करती थी लेकिन जब से राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ से तेंदू पत्ते का काम छीना है, तब से आदिवासी क्षेत्र में मेरे ख्याल से दिक्कत आयी है। जो आदिवासी यहां सदन में बैठे हैं उनको इस बात का इल्म है कि जो जंगल में काम करने वाले आदिवासी हैं उनके बच्चे भूखे हैं, वह रोटी को मोहताज हैं, उनके अंग पर कपड़े नहीं हैं। दो छाक की बात दूर, एक छाक भी भर पेट खाने को नहीं मिलता है। पहले जो राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ के माध्यम से राजस्थान में काम होता था, अब उन सोसाइटियों को काम नहीं मिलता है। तेंदू पत्ते का राष्ट्रीयकरण हो गया और बाकी वनों का काम था वह डिपार्टमेंटली होता है, उनको काम नहीं दिया जाता है। बाकी जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं,

(श्री नत्थासिंह)

बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बड़े भ्रष्ट आदमी हैं वह उसमें घुस आये हैं। मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि 111 या 112 जितनी सोसाइटी रह गई हैं, उन सोसाइटी की दुर्दशा है। राजस्थान में उनकी इन्क्वायरी करें कि आया उनको कार्य मिल रहा है या नहीं ? मैंने दौरा किया है वे बेचारे खुद व उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा नगर विकास और नगरपालिकाओं के बारे में बताऊंगा। मेरे भरतपुर जिले में नगरपालिका भी है। नगरपालिकाओं में आपने छोटे लोगों के लिए, हरिजनों के लिए, शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए कानून बनाया था कि उनको एक रुपए में रहने के लिए प्लाट दिया जाएगा। लेकिन आपने शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को नहीं दिया। वैर, नगर, रूपावास, डीग कहीं भी इन्होंने एक रुपए में पट्टा शिड्यूल्ड कास्ट्स को नहीं दिया है। भरतपुर में नगर न्यास है उसने एक रणजीत कालोनी बनाई हैं और कई कॉलोनीज बनाई हैं, हजारों की संख्या में प्लाट्स दिए हैं लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए एक भी प्लाट भरतपुर में उसकी तरफ से नहीं दिया। आप जांच करें। किसी नगरपालिका या नगर परिषद में मैंने कहीं नहीं देखा है कि एक रुपए में दिया है। आपकी जानकारी में है तो आप जवाब देते समय बताएं ताकि मालूम पड़े कि फलां जगह दिया। हो सकता है कि आपके विभाग ने झूठे आंकड़े बनाकर आपको दे दिए हों कि इतने यहां दिये, इतने वहां दिये लेकिन कुछ भी नहीं दिये हैं। बयाना में दिये हैं लेकिन पैसे लेकर दिये हैं, 250) 300) रुपए लेकर। रेट फिक्स कर रखी है कि इस रेट पर शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को देंगे। गरीब आदमी पैसे देकर नहीं ले सकते है।

अब पंचायतों के चुनाव के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इन चुनावों को 10-12 साल हो गए। अब होने चाहिए क्योंकि वहां पर बड़ा भारी जुल्म होता है। पंचायतों में जितना भ्रष्टाचार होता है उतना किसी जगह नहीं होता है और ग्रामों में पार्टीबाजी हो जाती है। मैं चाहता हूं कि पर्सेंटेज के हिसाब से करायें। अगर शिड्यूल्ड कास्ट्स का नहीं आता था तो एक महिला को लेते थे। इसी तरीके से जिला परिषद् में, पंचायत समिति में लेते थे। सरपंच के लिए पर्सेंटेज के हिसाब से शिड्यूल्ड कास्ट्स का क्षेत्र रिजर्व होना चाहिए, पंच और प्रधान का भी रिजर्व होना चाहिए। इसी तरह जब तक पिछड़े हुए लोग, आदिवासी लोग चुनकर पंचायतों में नहीं जायेंगे तब तक उन पर जो जुल्म होते हैं वे नहीं मिटेंगे। इसमें थोड़ा सा सतर्कता से काम करना है, होशियारी से काम करना है। कुछ आपके विभाग के कर्मचारी इसमें बहुत गलत काम करते हैं। उन्होंने क्या किया है ? उन अधिकारियों ने पंचायतों में बहुत घोटाला करके बड़ी बड़ी बातें कही हैं। एक एन्क्वायरी आप बयाना पंचायत समिति की करवायें। वहां पर कितनी बकाया है, किन किन से लेना है, कब से है और आज तक वसूल क्यों नहीं किया है। आपने पंचायत समितियों को जितना ऋण दिया है वह छोटे लोगों से तो उन्होंने वसूल कर लिया लेकिन बयाना पंचायत समिति के बड़े लोगों के पास करीबन 30 लाख रुपए अभी भी बकाया हैं जिनमे एक पैसा भी वसूल नहीं किया जाता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि भरतपुर जिले के सहकारी विभाग ने सब पर मेहरबानी की, 10-15 साल से भ्रष्ट अधिकारी वहां पर बैठे हैं उनको पश्चिमी

(श्री नत्थासिंह)

राजस्थान में जैसलमेर बाड़मेर या दूसरी जगह भेज दें जिससे उनको रेत के टीले देखने का मौका मिले।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (पाली) : मैंने स्वायत्त शासन और सहकारिता की मांगों पर कटौती प्रस्ताव रखे हैं। जहां तक नगर विकास, नगरपालिकाओं और नगर सुधार न्यासों का संबंध है, इनकी हालत जहां तक मुझे अनुभव है पाली का, ठीक नहीं है। कारण यह है कि पहले भी यहां पर कहा गया नगर न्यास के जिलाधीश अध्यक्ष का कार्य करते हैं। वास्तव में उनके पास इतने और कार्य हैं कि वे नगर न्यास के साथ न्याय नहीं कर सकते। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम चाहे वह भूमि सुधार का काम हो, चाहे अभिलेख का काम हो, दूसरी मीटिंग्स का काम हो, उनके पास इतने काम है कि वे नगर न्यास की ओर ध्यान नहीं दे पाते। पाली में जब से नगर न्यास का काम हुआ है, उसके अन्दर नॉन आफिशियल विधायक भी सदस्य होता है और मैं भी उसका सदस्य हूं। लेकिन इन 6 महीनों में सिवाय एक मीटिंग के और नहीं देखी। क्या निर्णय होते हैं, पता नहीं। अभी राज्य सरकार ने 26 फरवरी को अध्यादेश निकाला, न्यासों को काफी अधिकार दिए गए लेकिन अगर न्यासों के अंदर आपका अध्यक्ष इस प्रकार का नहीं हुआ कि जो कार्य करने वाला हो, जिनको समय मिले तो मैं समझता हूं कि आपकी नीति सफल नहीं हो सकती। इसी प्रकार वहां के जो सचिव हैं, पता नहीं दूसरी नगरपालिकाओं और न्यासों में क्या है, लेकिन पाली में एक आदमी नगरपालिका का अधिशासी अधिकारी होकर काम करता है और वही व्यक्ति न्यास के सचिव का भी कार्य करता है। न्यास के सचिव की हैसियत से वह एक पत्र नगरपालिका को लिखता है कि इतनी रकम चाहिए और उसका जवाब अपने दस्तखत से नगरपालिका की ओर से देता है कि इतनी रकम आपको दी जाती है। तो रकम लेने वाला भी वही और देने वाला भी वही व्यक्ति। न्यास का कार्यालय अभी तक स्थापित नहीं हुआ, कोई स्टॉफ नहीं। तो ऐसे न्यास के काम करने से क्या मतलब? इसलिए नगर न्यास के पद पर होलटाइम व्यक्ति लगायें जो कि वहां के कार्य के साथ न्याय कर सके।

राज्य सरकार की अधिकतर नगरपालिकाओं में प्रशासक हैं। पता नहीं दूसरी नगरपालिकाओं की क्या स्थिति है लेकिन जहां तक मुझे पाली का अनुभव है वहां पर भी एस. डी. ओ. नगरपालिका के प्रशासक का कार्य करता है, वह न अपने कार्य के प्रति न्याय कर सकता है न नगरपालिका के कार्य के प्रति। अब एलाटमेंट का प्रोग्राम आयेगा, तो नगरपालिका के कार्य को कौन करेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिका में ऐसे कई काम होते हैं जिसके लिए लोगों को सुबह शाम प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाना पड़ता है। लेकिन वहां पर जाने पर उन्हें यह कह दिया जाता है कि अभी हमें फुर्सत नहीं है। जब नगरपालिका के दफ्तर में जावें तो हमें कह दिया जाता है शाम को बात करना। तो इससे कई लोगों को बहुत दिक्कत होती है। उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिका के जो दफ्तर हैं वह एक तरह से जन सम्पर्क कार्यालय का

(श्री शंकरलाल)

तरह है। वहां पर आम जनता के आदमी कभी कोई सफाई के लिए जाते है और कभी लोगों को और दूसरी चीजों के लिए जाना पड़ता है। वहां पर जो उत्तर उनको मिलता है वह इस प्रकार मिले कि जिससे उनको राहत नहीं मिले तो क्या फायदा? अगर प्रशासनिक अधिकारी जनता से सम्पर्क ही नहीं करें तो फिर क्या फायदा? मुझे पाली शहर के बारे में तो पता है बाकी जिलों की क्या स्थिति है मैं नहीं कह सकता। वहां पर एस. डी. ओ. साहब आई. ए. एस. है और जिलाधीश महोदय भी आई. ए. एस. हैं। जहां तक आई. ए. एस. ऑफिसरों की कार्यप्रणाली का सवाल है मैं उनकी बुराई नहीं करता लेकिन आई ए. एस. ऑफिसरों का काम करने का ढंग उनके मस्तिष्क के हिसाब से ठीक हो सकता है लेकिन आम जनता के साथ इस प्रकार का व्यवहार ठीक नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ दस्तखत कराने को भी जाता है तो उनका ढंग अलग होता है, जब वह नगरपालिका का काम करते हैं तो ही उसके दस्तखत करते हैं अन्यथा उसको टालमटोल करते है। सुबह शाम करते है। तो इस प्रकार जो साहब लोगों वाली बात है वह नगरपालिका के प्रशासनिक अधिकारी की हैसियत से उनमें नहीं आनी चाहिये। इसलिये मेरा निवेदन राज्य सरकार से, उपाध्यक्ष महोदय, यह है मन्त्री महोदय को चाहिये कि इन नगरपालिकाओं में होल टाइम प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति करें। मैं समझता हूं माननीय मन्त्री जी मेरी बात को सुन रहे है।

(श्री शीशराम व श्री रामनारायण चौधरी के बात करने पर)

शीशराम जी आप जरा मन्त्री महोदय को समझा दीजिये। तो मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप नगरपालिका और नगर विकास न्यासों को एक्टिव आर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं तो आपको इनमें अलग अलग प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी। नहीं तो वहां पर विकास का कार्य सुचारु रूप से नहीं हो सकेगा।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, हमको एक प्रगति रिपोर्ट स्वायत्त शासन विभाग की मिली है 75-76 की। उसमें यह बताया गया है कि राज्य सरकार ने 45 लाख रुपये का अनुदान इन स्वायत्त संस्थाओं को देने की बात कही है। इसी में आगे लिखा है कि 5 लाख रुपये के अनुदान का नालियों और सड़कों को बनाने के लिए प्रावधान करने की कार्यवाही की जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि सन् 75-76 के रुपये की धनराशि अभी सेंक्शन नहीं हुई है। यह तो प्रस्ताव है वैसे जो आपने धनराशि रखी है वह वास्तव में पर्याप्त नहीं है। इससे आपके राजस्थान की स्वायत्त शासन संस्थाओं की मांगों की पूर्ति नहीं हो सकेगी, ऐसी मेरी मान्यता है।

इसके अलावा हमारे देश की प्रधान मन्त्री ने जो 20 सूत्री कार्यक्रम दिया है उसमें नगरपालिकाओं द्वारा आवासीय भवनों भू-खण्ड के पट्टे देने की बात की है। इसमें यह भी किया गया है कि प्रधान मन्त्री जी की सालगिरह 19 नवम्बर को है उस दिन से इस कार्यक्रम के अनुसार तेजी से काम किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर 26 जनवरी को सिर्फ 20 भू-खण्डों के पट्टे जिलाधीशों द्वारा दिये गये हैं।

(श्री शंकरलाल)

लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है किसी भी एक व्यक्ति को उन जमीनों का कब्जा अभी तक नहीं मिल सका। उसको कब्जा दिलाया जाना चाहिये। इसके अलावा 19 तारीख से जो प्रोग्राम चालू करने की बात की है वह बात तो खैर ठीक है आपने राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में तो आठ लाख के करीब भू-खण्ड बांट दिये लेकिन शहरी क्षेत्र में आपने सिर्फ 12 हजार ही भू-खण्ड बांटे हैं। इसको आज कहां तक उचित मानते हैं? यह तो नहीं के बराबर है। वास्तव में आपको शहरों में, जहां आबादी अधिक है, इस प्रकार के आवासीय भू-खण्ड बांटने चाहिये और उस अभियान को तेजी से शुरू किया जाना चाहिये। इसके लिए मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि वह इस प्रकार के आदेश नगरपालिकाओं और नगर न्यासों को दें जिससे वह आवासीय भू-खण्डों का आवंटन करें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर स्वायत्त शासन विभाग ने कुछ ऐसे निर्णय लिये हैं जिनसे कि जनता को भारी तकलीफ हो रही है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको पाली का उदाहरण देना चाहता हूं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें जमीन मिली और वहां पर उन्होंने मकान बना लिये लेकिन इस नये कानून के तहत आप उन्हें बेदखल कर रहे हैं। दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अनाधिकृत मकान बना लिये लेकिन उन्हें पट्टे अभी तक नहीं मिले। उनके केसेज को आपने रेगुलेराइज भी नहीं किया है और न ही उनको आपने बेदखल ही किया है। आप कुछ तो करो। एक तरफ आप गरीब, भूमिहीन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को आवासीय भूमि आवन्टित करते हैं दूसरी तरफ जिन गरीब लोगों ने जमीन पर कब्जा करके मकान बना लिये हैं, आप उनके केसेज को रेगुलेराइज नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाली में नगरपालिका की जमीन दबा ली है और उससे लाभ उठा रहे हैं, उन्हें आप बेदखल नहीं कर रहे हैं और ऐसे गरीब लोगों को बेदखल कर रहे हैं जो कि गरीब हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं। इसलिये मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि उन लोगों को वह जमीन दे दी जाय। जो कि गरीब हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स के हैं और जिन्होंने मकान बना लिये हैं उनके केसेज को रेगुलेराइज कर दिया जाय। जो नगरपालिका के भूखण्डों पर मकान बना कर किराये पर चलाते हैं, जिन्होंने वह जमीन नगरपालिका से किराये ली थी उनको बेदखल किया जाना चाहिये। अभी आपने एक जनवरी 75 से एक नया कानून बनाया है जिसमें आपने लीज को हटाने के बारे में कुछ नियम बनाये हैं। गरीब वर्ग के जिन लोगों ने मकान बना लिये उनके लीज को कैन्सिल करने के आपने नोटिस दे दिये हैं क्योंकि आप 30 प्रतिशत से ज्यादा जमीन को लीज पर नहीं दे सकते हैं, ऐसा एक आदेश आपने निकाला है। लेकिन पहले ऐसा प्रावधान नगरपालिका नियमों में नहीं था। जिन लोगों ने भूतपूर्व नगरपालिका के अधिकारियों से जमीन प्राप्त कर ली थी और उस पर मकान भी बना लिये, अब आप लीज कैन्सिल कर रहे हैं यह कहां तक उचित है? इसके अलावा कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भूतपूर्व

(श्री शंकरलाल)

नगरपालिकाओं ने जमीन अलॉट कर दी, उनके बदले कुछ आंशिक रकम भी ले ली आपने उनको पट्टे भी दे दिये। लेकिन अब आपने उन लोगों को नोटिस दे दिये हैं कि आप अपने रुपये वापिस ले लो। इसका कारण आपने यह बताया है कि नये नियमों के अनुसार 30 प्रतिशत से ज्यादा भूमि आप अलॉट नहीं कर सकते हैं। जिन प्लाटों पर मकान नहीं बने हैं उनके लिये तो ठीक है लेकिन उनका क्या होगा जिन लोगों ने मकान बना लिये हैं? क्या आप उनके मकान गिरायेंगे और रुपये भी उनको वापिस लौटायेंगे? तो इस बारे में कोई स्पष्टीकरण उसमें नहीं है। क्या उनके केसेज को रेगुलेराइज कर दिये जावेंगे? इसको मंत्री महोदय जरा स्पष्ट कर दें तो ठीक रहेगा। एक तरफ तो जमीन अलॉट की, आंशिक रकम प्राप्त कर ली और अब आप उनको नोटिसेज दे रहे हैं रकम वापिस लेने के लिये।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात उदयपुर नगर विकास न्यास के सचिव के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। उन्होंने उन लीज होल्डर्स को नोटिस दिये हैं, जिन लोगों ने आवासीय भूखण्ड प्राप्त किये हैं उन लोगों को 30 मार्च तक अपने भूखण्डों पर मकान बना लेने चाहिये वरना उनकी लीज समाप्त कर दी जावेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसी जानकारी है कि जिन लोगों के पास पैसे थे उन्होंने तो मकान बना लिये लेकिन जिन गरीब लोगों के पास पैसे नहीं है वह कैसे मकान 30 मार्च तक बना सकते हैं? मैं, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से इस बात का निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ तो आप शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को आवासीय भूमि अलॉट करते हैं, उनके मकान बनाने के लिये ऋण की बात करते हैं दूसरी तरफ आप उनके मकानों की लीज केन्सिल करने की कार्यवाही कर रहे हैं। तो फिर कौनसी बात सही है। इसके अलावा गरीब वर्ग के लोगों को ऋण मकान बनाने के लिये देने की बात हम करते हैं। वह लोग मकान बनाना चाहते हैं लेकिन ऋण नहीं मिलने के कारण वह लोग मकान नहीं बना पा रहे हैं। इसमें उन गरीब लोगों का क्या दोष है? इसलिये मेरा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन है कि ऐसे जो आदेश उदयपुर नगर विकास न्यास के सचिव ने निकाले हैं उन्हें आपको कम से कम कमजोर वर्ग के लोगों के लिये तो रद्द कर देना चाहिये। इस प्रकार के जो नोटिसेज दिये गये हैं उनकी क्रियान्विति नहीं होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बात और निवेदन करना चाहता हूं वह है निर्माण कार्यों के बारे में। पाली के बारे में थोड़ा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज पाली नगरपालिका द्वारा कुछ सड़क वगैरह चौड़ी की जा रही हैं। ताज्जुब की बात यह है कि वहां पर बीच में एक कुआ आता है। उपाध्यक्ष महोदय, पाली में वह कुआ ऐसा है जो कि अकाल के समय में पाली की जनता की पेयजल की समस्या का काफी हल करता है। लेकिन अब उस गंदावा कुए को बूरने की व्यवस्था कर रहे हैं यह कहां तक उचित है? एक तो पाली में पानी की वैसे ही समस्या है। दूसरी ओर गन्दावा कुआ ऐसा है जो कि पाताल फोड़ है

Page No.100

(श्री शंकरलाल)

जिसका पानी मीठा है। सारे शहर को फेमिन के वक्त पानी पिलाता है। सिर्फ सड़क चौड़ी करने के लिए आप उस कुए को बूरने की व्यवस्था कर रहे हैं यह अनुचित है। इसको बन्द किया जाना चाहिये। आप चाहें तो उस सड़क को दूसरी ओर मोड़ कर ले जावें। इसके अलावा कल वन मंत्री जी ने पेड़ों के काटने की मनाई के बारे में बात की लेकिन हमारे पाली में सड़क चौड़ी करने के लिये कई बड़े बड़े नीम के पेड़ काट रहे हैं। तो यह क्या बात हुई कि सड़क चौड़ी करने के लिए कुए को बूर दें या नीम को कटवा दें। इसके अलावा हमारे पाली शहर की हालत बहुत गन्दी होती जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि वहां जाकर देखे कौन, प्रशासक महोदय को फुर्सत कहां। नीचे के जो अधिकारी हैं, ओवरसियर और ड्राफ्टमैन, मैं समझता हूं वे ही खुदा बने हुए हैं। वे जन-प्रतिनिधियों को पूछते नहीं हैं। मैं कहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, ये किस प्रकार की संस्थायें हैं जहां आपने डिक्टेटर बैठा रखा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं यू. आई. टी. और नगरपालिका के अध्यक्षों को इस प्रकार के आदेश दें कि जो भी काम करें, जन प्रतिनिधियों से और चुने हुए आदमियों को विश्वास में लेकर करें। यह ठीक है, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कुछ दिन पहले एक आदेश निकाल कर 285 के अधिकार दिये थे, 285 (2) के अधिकार राज्य सरकार ने जिलाधीशों को विकेन्द्रीकरण के बाबत दिये थे और साथ ही प्रशासक महोदय को 285 (1) में अधिकार दिये, जिसमें एस.डी.ओ. वगैरह को भी दिये, उपाध्यक्ष महोदय, यह काम्पलीकेटेड है। आप निश्चित रूप से यह कहिये और एक आदमी को कहिये। आपके प्रशासक, कलेक्टर, नगर सुधार न्यास के चेयरमैन हैं वह न्यायपूर्वक इसको काम में लेंगे, यह कतई संभव नहीं है। यह आर्डर जहां कलेक्टर चेयरमैन न हो वहां दे सकते हैं लेकिन 285 का जो आर्डर दे रखा है उससे न्याय नहीं मिलने वाला है। इसलिये मैं आपके माध्यम से कहूंगा आप इस पर पुन: विचार करें।

इसी प्रकार गरीबों की थड़ियां और झोंपड़ियां हटा दी गई किन्तु उन्हें अब तक नहीं बसाया गया है। आज पाली मिल के पास भंवर लाल नाम के व्यक्ति को एक दुकान अलाट कर दी लेकिन उसकी जगह दूसरे आदमी का प्रभाव आ गया तो उसको दे दी। आपने जिन लोगों को हटाया है उनको बसाने की व्यवस्था दूसरी जगह करनी पड़ेगी। आपकी नगरपालिका गरीब नहीं है, 26-27 लाख की सालाना आमदनी है लेकिन वहां के विकास के कार्य में सड़कें वहां बनेगी जहां बड़े बड़े ऑफिसर रहते हों। आज पाली मिल की एरिया की जो बस्ती है उसने नरक का रूप ले रखा है। आज उन फेक्ट्रीज के गन्दे पानी से, केमिकल पानी से मलेरिया की बीमारी फैल गई है। म्युनिसिपल एक्ट में प्रावधान है कि लाइसेन्स के बिना चल नहीं सकती है। अब आगे के लिए तो कह दिया लाइसेन्स नहीं देंगे, यह तो ठीक है लेकिन जो पुरानी चल रही है उनको कैसे रखते हैं। यू०आई० टी० आपकी, नगरपालिका आपकी, आप उनसे कहें कि इन्डस्ट्रियल एरिया में ले जायं। 70 हजार की जो आबादी है, उसको बसाना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, वहां की नगरपालिका ने वहां के नगर सुधार न्यास ने इन लोगों को नहीं बसाया है।

(श्री शंकरलाल)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सहकारिता के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। यह बात ठीक है आपने अपनी प्रगति रिपोर्ट में बताया है 31-12-75 से 75 प्रतिशत गांवों को सहकारिता में ले लिया है। यह भी कहा है 50 प्रतिशत गांवों के परिवारों के लिये कि सहकारिता का व्यापक प्रसर है। यह सराहनीय है। सहकारिता के कानून में जिस प्रकार का संशोधन किया है उसमें कमजोर लोगों के प्रतिनिधित्व की बात की है और यह कहा कि वन थर्ड शार्ट टर्म लोन देना पड़ेगा तथा 25 प्रतिशत भूमि विकास बैंक को देना पड़ेगा। यह ठीक है लेकिन इसका इम्पलीमेंटेशन कैसे हो? जैसा माननीय सदस्य ने पूर्व में कहा है, मैं भी पुरजोर शब्दों में कहना चाहता हूं आपने अभी चुनावों को रोका है। आप इन चुनावों को नहीं रोकते तो अच्छा होता। जो एमर्जेन्सी में पाबन्दी है उसमें सहकारिता के चुनावों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी एमर्जेन्सी कहीं खतरे में नहीं आती है। आप सहकारिता का चुनाव करायें। सहकारिता में पुराने सड़े गले लोग रह गये हैं जो किसी की चलने नहीं देते हैं। उनमें नया खून आये और आपके नये कानून के साथ उनका नया उत्साह काम करे वरना पुराने मठाधीश कभी मानने वाले नहीं हैं। कैसे वन थर्ड आयेंगे, कई प्रकार की समस्या है इसलिए आपने नया प्रोग्राम बनाया है, नया कानून बनाया है, उससे नया रूप सहकारिता को देना चाहते हैं तो नये लोगों को सहकारिता में आने दीजिये ताकि सहकारिता का नया मार्ग प्रशस्त कर सके। चुनाव अलग से डिपार्टमेंट, निष्पक्ष चुनाव करने वाले डिपार्टमेंट को सौंपना पड़ेगा। आपके सहकारिता विभाग के जो अधिकारी होते हैं, मुझे व्यक्तिगत अनुभव है वे वहां की राजनीति में पड़े बिना नहीं रहते हैं। इन्स्पेक्टर्स और जो दूसरे लोग हैं, वे वहां की राजनीति से लगाव रखते हैं और किसी की चमचागिरी, किसी का विरोध, किसी को कुछ कहना, किसी को कुछ कहना करते रहते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि आप चुनाव को इलेक्शन डिपार्टमेंट को सौंप दीजिये तभी निष्पक्ष चुनाव हो सकेंगे।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपने टार्गेट 76-77 का 51 करोड़ का रखा शार्ट टर्म लोन का यानि आपका जो कृषि क्षेत्र में अल्पकालीन ऋण है वह 51 करोड़ देंगे और जो दीर्घकालीन ऋण है उसको चार करोड़ का रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, गांवों में गरीब किसानों को कोऑपरेटिव लोन से राहत मिल सकती है तो वह दीर्घकालीन से ही मिल सकती है। जितनी किश्तें होती हैं उतना ही उनको फायदा होता है। जितनी कम किश्तें होंगी उतना ही उनका लाभ कट जायगा। किसान ज्यादातर कुएं के लिये लोन लेता है, जमीन के लिए लोन लेता है, बैल वगैरह खरीदने के लिए लोन लेता है और शार्ट टर्म लोन एक साल में देय हो जाता है। फिर इसमें भी होता क्या है, उपाध्यक्ष महोदय, फसल में कीड़ा लग जाता है, फसल सूख जाती है, अतिवृष्टि और अनावृष्टि हो जाती है तो शार्ट टर्म लोन में बड़ी दिक्कत आ जाती है। इसलिये जो दीर्घकालीन ऋण है, उसका अधिक प्रावधान रखें।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात हमको देखनी पड़ेगी कि हमने एक ग्रामीण को कर्ज से मुक्त करने के लिए कानून

Page No.102

(श्री शंकरलाल)

बनाया है और मोरेटोरियम लगाया है और अभी 5-6 मार्च को प्रधान मन्त्री जी ने मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में यह बात कही थी ग्रामीण कर्जे की हम एक तरफ मुक्ति दे रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ आल्टरनेटिव कोई एजेन्सी कायम नहीं की जिससे कि वे कर्जे के चंगुल से मुक्त हों। ग्रामीण बैंकों की एक-दो जगह स्थापना की, जगह जगह बैंक की स्थापना करने में आपको दिक्कत आ सकती है इसलिए मेरा सुझाव है जो कोआॅपरेटिव बैंक्स हैं, उनकी शाखाओं का विस्तार करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने रिजर्व बैंक से बात की है। उन्होंने कहा है कि कोई दिक्कत नहीं है। आज जहां 9 कोआॅपरेटिव बैंक हैं पाली में उसको 100 कर दीजिये। कोआॅपरेटिव बैंक को मजबूत बना कर गांवों में शाखाओं का विस्तार करेंगे जो ग्रामीणों को जो कर्जे से मुक्ति हो गई है उसमें दूसरा आल्टरनेटिव कोआॅपरेटिव बैंक की शाखाओं का हो सकती है....

श्री उपाध्यक्ष : Please sum up.

श्री शंकरलाल : आपके कोआॅपरेटिव बैंक के बारे में विस्तार में नहीं जाऊंगा। एग्रीकल्चर क्रेडिट इन्स्टीट्यूशन इन राजस्थान जो पुस्तक हमें मिली है और अभी 75 में ही प्रकाशित हुई है उसके अन्दर कोआॅपरेटिव बैंक की दशा बतायी गयी है। उसमें उन्होंने बताया है कि आपके 8 बैंक ऐसे हैं जो वायेबल युनिट्स नहीं हैं, बाकी हैं, इस रिपोर्ट में कहा है कि उनका फैलाव इसके जरिये हो सकता है। इसमें महाराष्ट्र की तुलना दी है। उसके मुकाबले में कम है। कोआॅपरेटिव बैंक को मजबूत बनाने के लिये एवरेज हिन्दुस्तान में है उसके लिए कहा है :

"The average loan business handled by the banks in Rajasthan is about one half of the all-India position and less than one fifth of the position obtained in respect of the banks in Maharashtra."

तो अभी तक कम क्षेत्र को कवर किया है और आगे जाकर कहा है कि 17 बैंक हैं, in all 17 banks out of the total 25 in the State could be deemed to be viable. और 8 बैंक दूसरे हैं उनको वायेबल नहीं बताया है। कई बैंक ट्राइबल एरिया में बूंदी, पाली, टौंक, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, वे अच्छे काम कर रहे हैं। उनका विकास कीजियेगा। सम्बन्धित उद्धरण मैं पढ़कर सुनाना नहीं चाहता। जिला स्तर के कोआॅपरेटिव बैंक्स हैं उनका फैलाव कीजियेगा। यह आल इन्डिया बेसिस की दृष्टि से कम हैं। इसमें सहकारी बैंक, को-आॅपरेटिव मूवमेंट ग्रामों में जाकर ग्रामीणों को राहत दे सकेंगे। जिन लोगों को ऋण से मुक्ति मिली है आपके पास उनको कर्जा देने की कोई दूसरी एजेन्सी नहीं है।

उद्योग के क्षेत्र में सहकारिता की प्रगति बहुत धीमी है और नगण्य कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपने बताया कि 1974-75 में 2005 थीं और उनकी संख्या 75-76 में जाकर 2109 हो गयी। चार ही तो बढीं। 74-75 में इतना उत्पादन किया गया ; जो छोटे छोटे धन्धे

(श्री शंकरलाल)

करने वाले लोग हैं, बढ़ई हैं, कुम्हार हैं, इसमें भी कोआॅपरेटिव सेक्टर को फैलाना होगा। छोटे उद्योगों में बहुत कम फैलाव हुआ है। इस क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कोआॅपरेटिव सेक्टर में बड़े बड़े उद्योग धन्धे लेने की बात कही है कई प्रोविन्सेज में अच्छे अच्छे उद्योग धन्धे लगे भी हैं। हमारे यहां जो धन्धे लगे हैं उनकी सही प्रगति नहीं बतायी गयी। गुलाबपुरा सहकारी स्पीनिंग मिल्स के बारे में नहीं बताया कि राजस्थान हाउसिंग फाइनेन्स सोसायटी लि० घाटे में है या घाटे में जा रहा है या मुनाफे में है? प्रगति रिपोर्ट में आपने इस प्रकार से बतायी है जैसे इसकी इम्पोर्टेंस राज्य सरकार के सामने नहीं है। आपको कोआॅपरेटिव सेक्टर में अच्छे उद्योग धन्धे लगा कर बताना चाहिये।

पाली में हाथकरघा सहकारी समिति है। 75 हजार का ऋण मिला हुआ है लेकिन राज्य सरकार की ओर से गारन्टी नहीं देने से ऋण नहीं मिलता है। एक तरफ तो आप प्रोत्साहन देने के बात करते हैं दूसरी तरफ इस प्रकार से कागज उलझे हुए हैं। कायदे के अनुसार राज्य सरकार को गारन्टी देनी होती है। नहीं देने से ऋण अटका हुआ पड़ा है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर आवास के लिये गृह निर्माण समिति के लिए, राजस्थान स्टेट कोआॅपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बारे में बात कही गयी है मैं भी दो बातें कहना चाहूंगा। मैं यह नहीं कहना चाहूंगा कि किसी विशेष सेक्टर में दिये और किस में नहीं दिये। यह सही है कि नहीं दिये। आपने बताया कि 8 लाख भूखण्ड आवंटित कर दिये आवास के लिये। जब तक मकान नहीं बनाते और रहते नहीं गरीब लोग तब तक मकसद पूरा नहीं होता। भूखण्ड देने से ही सब कुछ हो जाय तो क्या बात हुई। गरीब लोगों को बसाना पड़ेगा। आप दूसरी एजेन्सीज को टेप कीजिये। तीन दिन पहले मैंने अखबार में पढा था। दिल्ली के लोगों ने और अन्य लोगों ने वहीं की नेशनेलाइज्ड बैंक और एजेन्सीज को बुलाया। बुलाकर राजी किया नेशनेलाइज्ड बैंक्स को मकान बनाने के लिये। वे ऋण देने के लिये तैयार हैं और ऋण देंगे। दिल्ली में नेशनेलाइज्ड बैंक्स ऋण देने के लिये तैयार हैं और देते हैं उसी तरह से हाउसिंग कोआॅपरेटिव सोसाइटी को किश्त देने की तो बात करते हैं लेकिन आप दूसरा ऋण नहीं दे पायेंगे तो आप दूसरी जगह से टेप कीजियेगा, लोन लेने की बात कीजियेगा। सारी शक्ति लगाइये कैसे पैसा नहीं मिलता है। केन्द्रीय सरकार से कहिये कि भूखण्ड दिये हैं मकान नहीं बनेंगे तो 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम अधूरा रह जावेगा। आपको ऋण उनको देना पड़ेगा अगर इसे पूर्ण करना चाहते हैं। राज्य सरकार का अथक प्रयत्न होना चाहिये, प्रयास होना चाहिये जिससे भूखण्ड अलाट हो जाने के बाद उस पर मकान बन सकें और गरीब लोग रह सकें।

एक बात और पंचायती राज के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि चुनाव न होने के कारण पंचायत, पंचायत समितियां, जिला परिषद करीब मृतप्राय: सी ही रही हैं, उनमें कोई

(श्री शंकरलाल)

जान नहीं। मैं यह कहना चाहूंगा कि पाली जिला परिषद् का चुनाव तो हुआ ही नहीं। कानून लाये थे। चुनाव होने थे उनके हो गये। वहां पर उप-प्रमुख ही नहीं है। मीटिंग भी होती है पता नहीं। सन् 1959 में नागौर में भारत के प्रधान मंत्री नेहरूजी ने पंचायती राज की ज्वाला को प्रज्वलित किया था। वह बुझ चुकी है। उसका धुआं मात्र रहा है और पानी डालना बाकी रहा है ताकि धुआं भी न दीखे। आप उसको घी डाल कर पुन: प्रज्वलित कीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अब तो मुर्दे पर डालना मात्र है।

श्री शंकरलाल : पंचायतों में जान फूंकना है, प्राण डालने हैं। भूखण्ड दिये हैं पंचायतों ने नहीं दिये हैं, सरकारी अधिकारियों ने भूखण्ड दिये हैं। पंचायतों के अधिकार आप अपने पास लेते जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि पंचायतें काम नहीं करती हैं तो उनको भंग कर दो। आप उनके अधिकार ले रहे हैं। उनके पास कुछ काम नहीं। उनको एक काम में ही लगा दीजियेगा। कम से कम एग्रीकल्चर में ही लगा दीजिये। इस काम में लगा दीजिये जिससे उत्पादन तो बढ़ावे। केवल प्राइमरी टीचर्स को तनख्वाह बांटने के सिवाय उनके पास कोई काम नहीं है। सारे महकमे का फालतू पैसा जा रहा है। इसके लिये आपको एक फेज्ड प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। वास्तव में उनको रखना है या नहीं। रखना है तो उनको क्या काम देना है। क्या यह प्रोग्राम है। अभी जो व्यवस्था है वह संतोषजनक नहीं है। मैं यह कहूंगा कि पंचायती राज राजस्थान में बिलकुल ऐसी स्थिति में आ चुका है जिसको पंचायती राज ही नहीं कह सकते हैं। इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला।

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नम्बर है।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशन पोल, जयपुर) : मुझे ही बोल लेने दो अपने नम्बर पर। उसमें क्या हो गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह नम्बरों का चक्कर है।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : यह ××× पर हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: यह ××× है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह नम्बर आप ही ले लो।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह ××× अनपार्लियामेंट्री है। इसको एक्सपन्ज किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : I order it to be expunged.

श्री श्रीराम गोटेवाला,

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी सहकारिता और स्वायत्त शासन संस्था के संबंध में कटौती प्रस्ताव दिये हैं। मुझे सर्वप्रथम कोआपरेटिव के

××× शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

संबंध में निवेदन करना है। कोआपरेटिव के संबंध में मुझे सबसे पहले मर्केन्टाइल कोऑपरेटिव बैंक के बारे में निवेदन करना है। इस मर्केन्टाइल कोआपरेटिव बैंक के संबंध में माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं पिछले 2॥ वर्षों से आकर्षित कर रहा हूं क्योंकि मैं भी दुर्भाग्य से इस मर्केन्टाइल कोऑपरेटिव बैंक के डाइरेक्टर्स में से एक था। जब हमने इसमें सारे घपले देखें और इस प्रकार की हरकत देखीं कि वहां के लोग जिनके जिम्मे लाखों रुपये बकाया है, मेनुपुलेट करके सारी स्थिति में रहना चाहते हैं तो हमने बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स की मीटिंग में प्रस्ताव पारित करके राजस्थान सरकार के सहकारी विभाग के रजिस्ट्रार को, मंत्री महोदय को चिट्ठी लिखी और हमने कहा कि इसकी जांच करवाई जाये, वहां के मैनेजर और अन्य लोग मिलकर लाखों का घोटाला कर रहे है। जो लोग पहले डाइरेक्टर्स थे, पदाधिकारी थे उनके जिम्मे आज भी 42 लाख रुपया बाकी निकल रहा है। केवलमात्र 30 लाख रुपया लोगों को देना है। आज, उपाध्यक्ष महोदय, मर्केन्टाइल बैंक लिक्विडेशन में चला गया। आज स्थिति यह है, मैं आपसे निवेदन करूं क्योंकि मुझे अच्छी तरह से जानकारी है, अधिकृत रूप से जानकारी है कि कई तो विधवाओं ने उसमें पैसा जमा कराया केवल यह समझ कर कि इसके ब्याज से वह रोटी खायेंगी। वह आज तड़प रही हैं और बिलख रही हैं। उनका पैसा कहां से चूकेगा? मैं मंत्री जी को इस बात के लिए तो कहूंगा कि मैंने चिट्ठी लिखी तो उन्होंने जांच की लेकिन इसके साथ ही मैं उनकी आलोचना किये बिना नहीं रह सकता कि यह कदम यदि ढाई वर्ष पहले ही उठा लिया जाता तो लाखों रुपया स्वार्थी लोग नहीं खा सकते थे आज प्रबन्धक नियुक्त किया है वह करीब 10 हजार रुपये तक की ही राशि वसूल कर पाये है, कई दुकानों वगैरह की कुर्की हुई है। उसमें जो बड़े बड़े लोग थे जो कि मैनेजिंग डाइरेक्टर रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं उनके जिम्मे तीन-तीन और चार-चार लाख रुपये की राशि है। मुझे तो उम्मीद भी नहीं है कि वह राशि आ पायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से व्यक्तिशः पुनः निवेदन करूंगा कि कृपा करके उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें। उस बैंक की जांच नहीं करवाई गई और हमने आडिट रिपोर्ट भेजी, हमने कहा कि आप इसकी जांच करवाकर भेजें। भार्गव हो, या वह ताराचन्द जैन हो या ताराचन्द वर्मा हो वह मिलकर पैसे खा रहे हैं और आपके कोऑपरेटिव विभाग के अधिकारी और इन्सपेक्टर सारे के सारे इस चीज को चुपचाप देख रहे हैं। आज अखबारों में खबरें छपती हैं, सैंकड़ों लोग लगातार हमारे पास आते हैं कि हमारा रुपया कैसे मिलेगा। एक विधवा उपाध्यक्ष महोदय, आज भी मेरे पास आई थी। उसको 12 हजार रुपया अभी थोड़े दिनों पहले मिला था। उसने उसे इस बैंक में जमा कराया और आज उम्मीद भी नहीं है कि 12 रुपये भी उसको मिल जायेंगे। इसी प्रकार से कई हजार लोग इस बात से परेशान हुए हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप कोई न कोई व्यवस्था करें। मैं तो यह मानकर चलता हूं कि थोड़ी सख्ती की जाये, जिन लोगों ने अपने पदों का दुरुपयोग किया है उनको मीसा में गिरफ्तार करवायें तो यह बैंक पुनर्जीवित कराया जा

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

सकता है, इस बैंक को बड़े आराम से चलाया जा सकता है और जिन विधवाओं के रुपये डूबे हैं उनको उनके रुपये भी मिल सकते हैं।

इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि इस मर्केन्टाइल को-आपरेटिव बैंक की दुःखद कहानी है ही लेकिन इसके साथ ही यूनियन को-आपरेटिव बैंक के हरिश्चन्द्र शर्मा का जिक्र हुआ है, अखबारों में बड़े बड़े समाचार प्रकाशित हुए हैं। उसके बारे में मुझे जानकारी मिली है कि वह भी डूबने वाला है और उसकी भी स्थिति यही होने वाली है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि एक तरफ लोगों का सहकारिता में विश्वास हटता है और दूसरी तरफ ऐसे लोग जो कि सारी जिन्दगी की कमाई वहां जमा कराते हैं और सोचते हैं कि इससे हमारी गुजरबसर हो सकेगी उनके सामने रोजी और रोटी का संकट पैदा हो जाता है।

मैं इसी तरह से सुपर मार्केट के बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा निवेदन करूंगा। माननीय शंकरसिंह जी तो चुनाव के बारे में कह रहे थे। बार बार हमने जयपुर के सुपर मार्केट के बारे में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था। उसमें 13 लाख रुपया यहां के गरीब शेयर होल्डर्स का है और सारे एडमिनिस्ट्रेशन के अन्तर्गत वह रुपया डूब गया और अब तो सुपर मार्केट खत्म हो गया, कहीं कोई उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। मैं यही निवेदन करता हूं कि जो होशियार लोग हैं, चालाक लोग हैं इस प्रकार के बैंकों और सुपर मार्केट में घुस कर सारी पूंजी का दुरुपयोग करते हैं और हम लोग बैठे बैठे सारी बातों के बारे में आराम से देखते रहते हैं। आपका जितना बड़ा अमला सहकारी विभाग का है और इन्स-पेक्टर वगैरह हैं वह पता नहीं क्या करते रहते हैं। हमने बार बार कहा था क्योंकि इस मर्केन्टाइल को-आपरेटिव बैंक से तो हम डाइरेक्टर एफीलियेटेड रहे। उसके बाद कुछ लोग, जो आर. एस. एस. के थे, जनसंघी लोग थे, मैंने उस समय भी कहा था कि वह लोग इसमें आ गये। वहां कपूरचन्द जैन के जिम्मे दो लाख रुपया बकाया है और आज भी वह मीसा में नजर-बन्द हैं। मैं कहूंगा कि सारी जांच आप करवायें। यह जनसंघियों का इतना बड़ा षड्यन्त्र है, वह चाहते हैं कि किसी प्रकार से सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करें और रोते रहें गरीब। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं दुबारा आपसे यह मांग करता हूं कि जो लोग इस सारे काण्ड के अन्दर शामिल है उन सारे लोगों को, चाहे वह कैसे भी लोग हों, कितने भी प्रभावशील लोग हों उनको, मीसा के अन्दर गिरफ्तार करवा कर आप इस बात का आदर्श प्रस्तुत करें कि राजस्थान के अन्य हिस्सों में कहीं इस प्रकार की हरकत करने की लोग कोशिश नहीं करें।

इसी के साथ साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं को-आपरेटिव की बात कर रहा हूं। मैं इन गृह निर्माण सहकारी समितियों की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इन गृह निर्माण समितियों की जमीन लोगों को 10 रुपये, 15 रुपये और 20 रुपये में बेची गयी और उन जमीनों के बेचने के साथ ही साथ उनसे इस बात का वायदा किया गया था कि यहां विकास के सारे काम किये जायेंगे। यहां सड़कें बनाई जायेंगी, बिजली लगाई जायेगी, यहां पाइप

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

लाइन डलवाई जायेगी। मुझे, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करते हुए खेद है कि वह होशियार लोग सारा रुपया ले गये और कहीं कोई डवलपमेंट का काम नहीं किया। मुझे पता नहीं कि राजस्थान सरकार ने किस दृष्टि से कौन सा तरीका आजमाइश किया कि 50 गृह निर्माण समितियों की जमीन को, जिनको अवाप्ति के नोटिस दिये थे उनको, मुक्त कर दिया । 50 को तो मुक्त कर दिया और जो एक्वीजीशन के नोटिस उनको दिये थे वह भी वापिस ले लिये। मुझे याद है, उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी, हम सारी बातों के बारे में सोच रहे थे कि किस ढंग से जयपुर की 135 जो गृह निर्माण समितियां हैं उनकी जमीन का और जिसमें 60 हजार लोगों ने प्लाट लिये हैं, उनका किस ढंग से निपटारा करें । लेकिन कोई अन्तिम फैसला नहीं हुआ । बहुत दिनों के बाद हमें जानकारी मिली कि सरकार ने 50 गृह निर्माण समितियों के जो एक्वीजीशन के नोटिस थे उनको विथड्रा कर लिया । उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि लोगों के दिमागों में शंका है। माननीय मंत्री जी मैं आपके चरित्र के बारे में जानता हू कि आप पूर्णतया ईमानदार हैं, आपके बारे में कहीं कोई कुछ नहीं कह सकता लेकिन आपके नाम पर अगर कहीं पर भी इन गृह निर्माण समितियों में रुपयों का गबन हुआ है, रुपया लोगों ने इकट्ठा किया इस बात के लिए कि उनकी गृह निर्माण समिति एक्वीजीशन की कार्यवाही से मुक्त हो जाये तो यह एक कलंक है और आपको इसके बारे में जांच करवा कर इस कलंक से मुक्त होना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वायत्त शासी संस्थाओं के संबंध में भी निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान के अन्दर शहरी क्षेत्र में 18 प्रतिशत लोग रहते हैं। इस सदन में रोज देहात और शहरों का जिक्र आता रहता है। मैं उस बारे में निवेदन नहीं करूंगा लेकिन इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पड़ोस के प्रान्त पंजाब ने फैसला किया है कि वह 8 वर्षों में सारे पंजाब को शहरी क्षेत्र में बदल देंगे और उसके अन्दर सड़कें, बिजली, पानी और सारी तरह की व्यवस्था करने की बात उन्होंने वहां की है। मुझे खेद है यह कहते हुए, मेरे एक प्रश्न के उत्तर में यहां पर माननीय मन्त्री जी आपने बताया था कि जयपुर शहर के अंदर पिछले 15 वर्षों के अंदर हमने 2900 भू-खण्ड आवंटित किए हैं। जिस प्रकार जयपुर शहर के अंदर आठ हजार प्लाटों को इन गृह निर्माण सहकारी समितियों से लोगों ने पर्चेज कर रखा है, उसके अलावा कम से कम दस हजार झोंपड़ियां यहां पर इस शहर में और बनी हैं । इसके साथ साथ इस शहर के अंदर 18 हजार एप्लीकेशन्स पेंडिंग पड़ी हैं आपके हाउसिंग बोर्ड के पास में। मेरे प्रश्न के उत्तर में आपने स्वयं ने इस बात को स्वीकार किया है, जयपुर शहर की इस स्थिति के बारे में। इसके अलावा जयपुर शहर के अंदर जयपुर नगर विकास न्यास ने जो प्रार्थना-पत्र रद्द किए हैं लोगों के वे छः हजार प्रार्थना-पत्र थे जिनको आपने रद्द किया है। तो मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ तो हमारा पड़ोसी प्रान्त, अपने सारे प्रान्त को शहरी क्षेत्र में बदलने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ हम हैं । जो राजस्थान की राजधानी

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

में बैठे है। क्या राजस्थान के लिए हमारे पास इस प्रकार की कोई निश्चित योजना है कि किस प्रकार से हम इन 18 हजार और 8 हजार, कुल मिला कर तीस हजार मकानों के लिए जो भी योजना है उसके लिए कहां से भूमि उपलब्ध करा पायेंगे ? मैं यह मान कर चलता हूं कि शहर के विकास में जिस तेजी से हमको चलना चाहिए था उस तेजी से चलने में हम असफल रहे हैं। मुझे 17 वीं शताब्दी का वह समय याद आता है जब कि यह नगर बसाया गया था, 17 वीं सदी में बसा हुआ हमारा यह जयपुर शहर उस समय भी दुनियां में पेरिस आफ इन्डिया और वीनस आफ इन्डिया माना जाता था। जयपुर शहर की उस समय भी दुनियां में प्रेस्टिज थी। उस समय भी ड्रेनेज की अच्छी व्यवस्था थी। आज हम देखते हैं कि कहीं पर ड्रेनेज की कोई सुविधा नहीं है। सड़कों के ऊपर पिछले सालों में जयपुर शहर के अन्दर 66 लाख रुपया खर्च किया है लेकिन आप चल कर देखिए उन मोहल्लों को जहां आपकी सड़कें बनी हैं। वहां पानी का निकास नहीं है। जगह जगह सड़कों पर खड्डे पड़े हुए हैं। आज वहां पर भारी गन्दगी हो रही है। उनकी बुरी हालत हो रही है। जगह जगह मच्छरों के ढेर लगे हुए हैं गन्दगी के कारण से। सड़क पर पानी रहता है और जिसकी वजह से मच्छर हैं। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि हम योजना बना कर चलते हैं तो आज मैं आप से जानना चाहता हूं कि जब हमारे पड़ोस के लोग, दूसरे लोग तमन्ना लेकर चलते हैं, वहां हम हमारी राजधानी के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर सके, हमारे लिए यह निहायत खेदजनक है। जयपुर डवलपमेंट अथोरिटी के सम्बन्ध में सुनते सुनते हमें मुद्दत हो गई। शायद सबसे पहले घोषणा 13-8-74 को की गई थी लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि आज भी जयपुर के अन्दर पांच सात एजेन्सियां वर्क करती हैं। एक तरफ यू. आइ. टी. है। एक ही केस का चालान यू. आइ.टी. करती है और उसी केस में जुर्माना यू. आइ. टी. से होता है और नगर परिषद भी उसी केस में जुर्माना वसूल करती है। हमने नगर विकास न्यास के सम्बन्ध में आपको निवेदन किया था। मुझे खेद है कि स्वायत्त शासन विभाग इन पत्रों का उत्तर देने की तकलीफ तक नहीं करता। किस ढंग से एक ही अपराध के अन्दर दो जगह जुर्माना करते जा रहे है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हू कि जिस प्रकार जयपुर डवलपमेंट अथोरिटी की आप की कल्पना है और आपने स्वयं ने कई बार इस बात को कहा है, मुझे आज तक समझ में नहीं आता, जयपुर नगर परिषद का कार्य क्षेत्र अलग, जयपुर नगर विकास न्यास का कार्य क्षेत्र अलग, यहां मण्डी समिति की बीमारी अलग, पी. डब्ल्यू. डी. अलग, वाटर वर्क्स अलग, बिजली विभाग का महकमा अलग—इन सब का तालमेल बिठा कर किस प्रकार से जयपुर शहर का विकास करने की बात सोचते हैं, किस प्रकार से जयपुर शहर का विकास करना चाहते हैं ? एक गरीब आदमी इन सब में परेशान होता रहे, अलग अलग लोगों के पास धक्के खाता रहे और इस तरह से इन सारी परिस्थितियों में जीता रहे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जो तीस हजार मकानों की भूख है और उस भूख को मिटाने के लिये

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

आपने जयपुर का मास्टर प्लान स्वीकार कर लिया और उसको स्वीकार किए हुए अर्शा हो गया। आज मास्टर प्लान के स्वीकार होने के बाद जिस ढंग से योजनाबद्ध ढंग से उसको आगे बढ़ा कर काम करना चाहिए था वह नहीं हो रहा है। मास्टर प्लान स्वीकार किया टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने और अब विकास के सारे काम दूसरे डिपार्टमेंटों के माध्यम से हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यह शहर वापिस बिगड़ता जा रहा है। जहां पर हमने जमीन खाली कराई वहां पर आज फिर कच्ची झोंपड़ियां बन गई हैं। मैं यह मानता हूं कि इसमें झोंपड़ी बनाने वालों का दोष नहीं है। मैं यह भी मानकर चलता हूं कि जो आज गन्दगी में रहते हैं, कच्ची बस्तियों में जाकर रहते हैं उसके अपराधी हम स्वयं हैं। चालान हमारा होना चाहिए, चालान हमारे उन अधिकारियों का होना चाहिए जिनके ऊपर हमने यह व्यवस्था सौंपी थी। इसके लिए हमने तय किया है, हमारे चुनाव घोषणा-पत्र में इस बात का वायदा किया है कि देश के प्रत्येक परिवार को रहने के लिए मकान की सुविधा देने की बात की है। दूसरी तरफ हमारा नतीजा क्या सामने आ रहा है। हमारी आबादी जो पहले पौने दो लाख थी आज वह बढ कर सात लाख हो गई है, लोगों के रहने सहने के ढंग बदल गए हैं, उनका तरीका बदल गया है, वहां पर 15 वर्षों में केवल 2900 भूखण्ड आवंटित कर पाये हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस बारे में हमें योजना बनानी चाहिए। इन बस्तियों में रहने वाले लोग कहां से भूमि प्राप्त कर पायेंगे ? एक तरफ जो गृह निर्माण सहकारी समितियां बनीं, आपके एग्रीकल्चर लैंड को बेच कर उन स्वार्थी तत्वों ने समितियां बनाई वे लोगों का रुपया लेकर खा गई और अब उनसे कहा जा रहा है कि कृषि भूमि रूपान्तरण के लिए बीस रुपया गज का दाम और दो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम विकास करना चाहते हैं तो हमें सीखना होगा गुजरात से जहां पर दस किलोमीटर के एरिया में जो भूमि भी आ गई है बिना किसी प्रकार की कृषि रूपान्तरण की फीस लिए यह भूमि आवासीय भूमि में बदल दी गई है। उसके साथ में चार्जेज लिए हैं तो वह विकास के लिए चार्जेज लिए हैं। मैं आपसे यहां पर यह भी अनुरोध करूंगा कि एक भी बस्ती ऐसी नहीं है जिसको नगर विकास न्यास ने पूर्णतया विकसित करके जयपुर नगर परिषद को सौंप दिया हो। हमारे 15-20 वर्ष के इतिहास को हम देखे तो हमारा सिर नीचे झुक जाता है जब हम विकास के इन सारे कामों को देखते हैं। जहां हम एक तरफ हजारों लोगों को, लाखों लोगों को रहने के लिए मकान की व्यवस्था करके देते हैं वहां दूसरी तरफ हम यह सोचकर चलते हैं कि हमारे शहरी इलाकों में लोगों को बेदखल करके लोगों से ज्यादा से ज्यादा रुपया वसूल किया जाय। मैं मान कर चलता हूं कि देहात और शहरों की कोई खिलाफत इस मामले में होनी नहीं चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हम सब मिल कर लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत कैसे दे सकते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि यह शहर के आसपास जो जमीन है, आज सौभाग्य से जो हमारा अर्बन सीलिंग प्रापर्टी एक्ट आया है उस अर्बन प्रोपर्टी सीलिंग के बाद में मैं मान कर चलता हूं

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

कि जयपुर शहर में तीस हजार परिवारों को बसाने योग्य भूमि अवाप्त कर सकेंगे। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उसके लिए कोई मशीनरी की स्थापना कर ली है ? क्या हम उसके लिए सजग है ? यह और है कि पिछले पांच साल से इस अर्बन सीलिंग का झगड़ा चल रहा है, बहुत सारे जो होशियार लोग थे उन्होंने और तरीकों से सारी भूमि को वितरित कर लिया है । उसके बावजूद भी आज जितनी भूमि उपलब्ध है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेहरबानी करके आप इसको व्यक्तिश: देखें । किस प्रकार हम गरीब इन्सान को, मध्यम वर्ग के इन्सान को रहने के लिए, मकान के लिए जमीन उपलब्ध करा सकते हैं उसके लिए प्रयास करना चाहिए। कच्ची और गन्दी बस्तियों के सुधार के लिए जो आपने प्रयास किया है, जो कार्य किए गये हैं उसके लिए तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं लेकिन फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इतने से ही तसल्ली करके बैठ जायं ऐसी बात नहीं है। आज सौ गज या पचास गज के प्लाट देते हैं, कहीं ड्रेनेज की व्यवस्था हम नहीं कर पाये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कच्ची और गन्दी बस्तियां वापिस पक्की गन्दी बस्तियों में परिवर्तित नहीं हो जायं क्योंकि आपकी पानी के निकास की समुचित व्यवस्था नहीं है। दुर्भाग्य से राजस्थान में जहां एक तरफ पीने के पानी का सवाल है, पानी के लिए हम करोड़ों रुपया खर्च करते हैं और खर्च करना भी, मैं यह मानकर चलता हूं, परम आवश्यक है। उसके साथ ही साथ मैं यह भी मानकर चलता हूं कि इन शहरों के अन्दर जहां हम थोड़ी बहुत सुविधा उपलब्ध करा पाये हैं, पानी की गन्दगी बढ़ने से जितना फायदा मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया है। उस रुपये का, जो हमने खर्च किया है, पूरा उपयोग नहीं कर पाये हैं, यह अच्छी बात नहीं है। आज भी मैं यह मानकर चलता हूं और यह सत्य है कि बराबर हमारी घोषणाओं के बावजूद, हमारे कहने के बावजूद आज भी 28 वर्ष के बाद में, नगर पालिका क्षेत्र के अन्दर, हमने अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मना लिया और अब दशाब्दी महिला वर्ष मनाने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आज भी महिला अपने सर पर इन्सान का मैला ढो कर चलती है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कब हम इन सारी बीमारियों को दूर कर पायेंगे ? आज भी यह तथ्य है कि इन्सान का मैला इन्सान अपने सिर पर लेकर ढोये उस सारी व्यवस्था को हम चुपचाप मौन दर्शक की तरह से बैठे देखते रहें, यह हमारे लिए खेदजनक बात है, इससे बढ़कर और कोई खेदजनक बात हो नहीं सकती। यह कोई लम्बी-चौड़ी बात भी नहीं है जिसको हम मिटा नहीं सकें। आज दिल्ली के अन्दर इसका उपयोग गैस के रूप में करना चाहते हैं। शहरी घरों के अन्दर गैस के प्रयोग से भोजन पकाने के लिए इसको काम में लाने की बात की जा रही है। सारे जयपुर शहर की 14 करोड़ की योजना हैं, अगर सारा काम एक साथ नहीं ले सकते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि टुकड़ों में ले लीजिए। आप इसको पीसमील में ले लें। मुझे मालूम है कि हमारे बजट में 65 लाख का प्रोविजन किया गया है। 15 लाख के अन्दर कहां पर क्या होगा इस बात के लिए मुझे भी थोड़ी बहुत जानकारी

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

है। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि अगर हमने व्यवस्थित ढंग से इन सारे कामों को पूरा करने की बात नहीं की तो मैं समझता हूं कि जहां लोग बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, चांद पर पहुंच रहे हैं, वहां आर्यभट्ट हमने भी छोड़ दिया है, जहां दशम शताब्दी मनाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारे शहरों की दसवी शताब्दी की स्थिति हो रही है। मैं पुन: आपसे निवेदन करता हूं कि हम लोगों को रहने के लिए भू-खण्ड, भूमि उपलब्ध करावें, जिन लोगों ने मकान बना लिये हैं और जिनकी जमीन खाली पड़ी है, अर्बन प्रोपर्टी सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत अधिक से अधिक भूमि पर कब्जा करके उस भूमि को लोगों को मकान बनाने के लिए दे सकें, इसके बारे में हम सोचें।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। यहां पर पिछली बार एक नेशनल हाई वे के बाय-पास की योजना बनी थी। मास्टर प्लान बनाकर उसे तेजी के साथ लागू करने की बात हुई थी। माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में ही यह सब तय हुआ था। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसे खास ढंग से जल्दी से जल्दी क्रियान्वित करें। यह क्रियान्वित होती है तो 5 हजार भू-खण्ड की जमीन निकलती है। इसी तरह से फायर रेन्ज की जमीन आप ले लेते हैं तो निश्चित तौर से कहता हूं 8 हजार भू-खण्ड उसकी वजह से निकलते हैं। इसके साथ ही हमारे यहां यह सारी अर्बन प्रापर्टी सीलिंग में जमीन आ रही है तो इस सबको मिला कर योजनाबद्ध ढंग से इसका प्लान बनना चाहिये, व्यवस्था होनी चाहिये। हमारी गृह निर्माण सहकारी समितियों की समस्या को भी आपने कृपा करके समझा है—मैं कच्ची बस्तियों की गृह निर्माण सहकारी समितियों का जिक्र कर रहा हूं। काफी बड़े पैमाने पर काम हुआ है। आपके सारे काम में भी उन्होंने सहयोग दिया है। सारे देश के नेताओं ने जयपुर शहर में जो काम हुआ है, उसकी तारीफ की है। परन्तु कुछ गृह निर्माण सहकारी समितियां चन्द मुनाफाखोर लोगों ने बनायी है जो लाखों रुपया इकट्ठा करके गड़बड़ियां करके, भ्रष्टाचार करके लाखों रुपया खा गये हैं और जिन लोगों ने उनसे भू-खण्ड लिये हैं उनके गले पर आज भी तलवार लटक रही है। इसके बारे में आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जांच करावें और यह बतावें कि इन 50 गृह निर्माण सहकारी समितियों से क्यों एक्वीजिशन विथड्रा किया गया है। मैं यही निवेदन करता हूं कि आप जयपुर शहर के विकास के सम्बन्ध में समुचित व्यवस्था

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

करावे जिस प्रकार कि टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट काम कर रहा है (समय समाप्ति सूचक घंटी) उसको मद्देनजर रखते हुए (समय समाप्ति सूचक घंटी) योजना बनावें और क्रियान्वयन के लिए योजना बनावें जिससे जयपुर शहर के और विकास की बात हो सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपंकर।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, जो मांगें रखी गई हैं उनके सिल-सिले में मेरे कटौती प्रस्ताव हैं। मैं मंत्री महोदय के ध्यान में आपके माध्यम से

(श्री दीपंकर)

नगरपालिकाओं की स्थिति सहकारिता तथा सामुदायिक विकास के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

सामुदायिक विकास एक ऐसा महकमा है जिसका एक तरह से कहा जाये कि श्री गणेश हमारे नागौर जिले से हुआ था और वहीं पर नेहरू जी ने इसकी ज्योति जलाई। यहां तक कहा गया कि राजस्थान ने पहल की। अब जो प्रशासनिक स्वरूप था वह बदल कर जिस तरह लीडरशिप के हाथ में आया, लोगों द्वारा यह पंचायती राज प्रणाली स्वीकार करने से उनका विश्वास नये नेताओं में जमा और उन्होंने देश के लिए कार्य किया। राजस्थान में इस मायने में पहल हुई है। देश के नेताओं के सामने यह स्कीम थी। पंडित पंतजी जैसे नेताओं का यह विचार था कि इससे देश में अराजकता हो जाएगी परन्तु राजस्थान ने विकेन्द्रीकरण करके देश को यह दिखा दिया कि सत्ता के विकेन्द्रीकरण से हमारे ग्रामीण भाई, गांव में रहने वाले लोग, हर तरह के क्षेत्र में काम करने के लिये उन से सहयोग कर सकते हैं, आपसी झगड़ों को मिलजुल कर दूर किया जा सकता है, विकास कार्यों में उनका सहयोग लेकर काम किया जा सकता है। यह गौरव की बात है कि हमारे यहां जो पहले चीफ सेक्रेटरी थे उनको 'पदम श्री' का अलंकार इसी आधार पर मिला था। उन्होंने पंचायती राज का बहुत बड़े पैमाने पर विकास किया, फैलाव किया और इसका सुधार किया, इसकी निगरानी की। आज जिस स्थिति में हम पहुंच गये हैं इसमें कोई शक नहीं है कि आज पंचायती राज के पास फंड्स नहीं हैं। पंचायत समितियों के पास पहले जितने काम थे उतने काम आज उनके पास नहीं है। जिला परिषदों के पास बराये नाम फण्डस् हैं यह एक बीच का महकमा रह गया है और एक तरह से ऊपर की डाक को नीचे और नीचे की डाक को ऊपर, इधर उधर करने के अलावा उसके पास कुछ नहीं है। इसके सिलसिले में सरकार के पास काफी कारण आये। इसमें कोई शक नहीं, एक समय था सरकार चलाने वाले जन प्रतिनिधियों ने सरकारी अधिकारियों के ऊपर, दिल्ली के नाम से ही सही, और किसी बहाने से ही यह एक कार्यक्रम रखा था, उनका सहयोग लिया और समझाया कि हर आदमी समझदार है, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या नहीं हो और आपसी झगड़े जातीय पंचायत के जरिये हल हो सकते हैं। बिना जोर जबर्दस्ती के वहां विकास कार्य नहीं करवा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप मौका दें। हमें फण्डस् दें। हमारे पंचायती राज का सम्बन्ध पहले योजना विभाग से जुड़ा हुआ था और उसके जरिए गांवों में पंचायत घर बने, पाठशाला भवन बने। इसके साथ साथ हमारे कई तरह के सेन्टर बने, जिनमें हमने एक सामाजिक शिक्षण सेन्टर भी खोला, उसमें सामाजिक शिक्षण के लिए एक अधिकारी को रखा, बुराइयां दूर करने के लिए कई तरह के सम्मेलन होते थे। उन लोगों की ट्रेनिंग के लिए सेन्टर रखे। सरपंच की ट्रेनिंग के लिए, पंच की ट्रेनिंग के लिए, प्रधान की ट्रेनिंग के लिए बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेन्टर कई लाख रुपये खर्च कर के उदयपुर में बनाया गया। वहां पर अच्छी खासी लाइब्रेरी है। दुनियां भर की रिपोर्ट वहां

(श्री दीपंकर)

पर है। उसका दुरुपयोग हो रहा है, कोई उपयोग उसका नहीं हो पा रहा है। सरकार भी आज असमंजस में है। सरकार के जो नये अधिकारी आये उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सरकार के दिमाग में यह बात बिठा दी कि गांव के लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस मायने में समझते नहीं हैं इसलिए अमुक अधिकार को वापिस ले लो। इस तरह करते करते उनके पास में केवल यह रह गया, एक स्कूल चलाने वाला महकमा रह गया। इसके लिए वहां पर एक एस. डी. आई. नहीं है। पाठशालाएं हैं तो वहां पर पढाने के लिए अध्यापक नहीं हैं। इस तरह से आज अजीब स्थिति पंचायती राज की है। इस तरह की स्थिति में इसका क्या नया स्वरूप बनाया जा सके इसके लिए सरकार ने गिरधारीलाल जो व्यास के नेतृत्व में एक कमेटी बनायी। उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है और वह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है। सरकार सोच रही है कि इस रिपोर्ट को लागू करेंगे तो इतना करोड़ रुपया चाहिये, इसकी व्यवस्था कहां से होगी। इसके अलावा मंत्री महोदय ने महरबानी करके क्योंकि वे स्वयं इसकी उपज है पंचायती राज की, इसलिए पंचायती राज संस्था की मार्फत प्रधान, उप प्रधान, सरपंच, पंच का सम्मेलन बुलाया और उस सम्मेलन में कई बातें कही गयीं और उन्होंने कहा, कुछ करेंगे। लोगों की मांग बराबर जारी है। इस तरह पंचायती राज को नया रूप देना चाहिये। कोई नया रूप नहीं दिया जा सका तो इसमें कोई शक नहीं कि ऐसी स्थिति बन जाएगी बदनामी की कि सरकार उससे बच नहीं सकेगी और पंचायती राज का क्या स्वरूप बनेगा यह हम नहीं कह सकते ''

एक माननीय सदस्य : राज शब्द तो उर्दू का है···

श्री दीपंकर :'राज' उर्दू शब्द हो परन्तु यह 'पंचायती राज' शब्द जुड़ा हुआ है। इसको पंचायती राज नाम दिया गया। 'राज' नाम दिया गया इसलिए उसको कुछ अधिकार भी दिये गये। यह न केवल व्यवस्था है, बल्कि व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए कुछ अधिकारी भी दिये गये। पंचायती राज तो इसका नाम ही था। पंचायती राज है चाहे राज है, यह अलग बात है। राज को लोगों ने बदल दिया, यह अलग बात है।

मैं यह निवेदन करने जा रहा था कि सरकार ने थोड़े दिन पहले ही पांच सदस्यों की एक कमेटी की घोषणा की थी, मुख्य मंत्री ने की थी पांच सदस्य में दो सरपंच और 3 प्रधान थे—यह कमेटी उन रोजमर्रा की जो तकलीफें सामने आ रही हैं उनको देखे उन पर अपनी सिफारिश करें। वह सिफारिश भी कर दी गई है। वह सरकार के विचाराधीन है। इसमें शक नहीं है कि सरकार का नेक इरादा है कि कुछ किया जाय अगर कुछ करने की आशा है। परन्तु पंचायती राज के बारे में निश्चित तौर से, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पंचायती राज कोई है क्या ?

श्री दीपंकर : पंचायती राज है यह आपको मानकर चलना चाहिये। पंचायती राज का स्वरूप क्या हो उसके बारे में आप अपने नुक्ते-निगाह को रख सकते हैं····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Once upon a time 14 साल पहले राज बना था।

श्री दीपंकर : बना था परन्तु असल में जन-प्रतिनिधियों को जो राज्याधिकार मिले थे वह अधिकार उनसे वापस ले लिये और जो फण्डस् उनको मिलते थे वह नहीं मिलते हैं। तो पंचायती राज नाम की संस्था तो है। हमारे संविधान में पंचायतों को इकाई माना है तो पंचायती राज को हम मिटा नहीं सकते। अगर कान्स्टीट्यूशन बदल दिया जाय तो बात दूसरी है अन्यथा पंचायत इस राज्य की नीचे की एक छोटी इकाई है। आज जिस 20 सूत्री प्रोग्राम को हम पूरा करने जा रहे हैं उसमें भी माना है, हमारी प्रधान मन्त्री जी, श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने माना है, सरकार ने माना है, बड़े बड़े सम्मेलनों ने माना है, कांग्रेस के अधिवेशन ने माना है कि वह उसमें पार्टिसिपेट करें। इसलिये पंचायतों का महत्व है। इसलिये जरूरी है कि पंचायतों के लोगों का महत्व बढ़े और उसको घटाये नहीं। अगर उनके चुनाव नहीं करा सके तो वह देश-काल की परिस्थिति की बात है। उसकी चर्चा नहीं करता हूं कि किन कारणों से चुनाव नहीं करा सके....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या फर्क पड़ता है। 14 साल हो गये। 20 साल और न करायें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

श्री दीपंकर : हमारे यहां पर भी तहसील भर के पंचों और सरपंचों का एक सम्मेलन हुआ था। वहां पर भी यह बात उठी थी तो किसी ने कहा कि इन्दिरा गान्धी को हम लोगों से अच्छे आदमी नजर नहीं आये तो किसका चुनाव करायें। सरकार चुनाव करायेगी इसमें शक नहीं है, परन्तु पंचायतों के जिम्मे जो काम दिया जाना चाहिये, पंचायतों से जो काम लिया जाना चाहिये वह नहीं लिया जा रहा है। यह एक कमी है।

आज बहुत सी पंचायतों में इस तरह की रकमें बाकी हैं जो कि सामुदायिक विकास विभाग द्वारा दी गई है विकास के नाम से उनको सरपंच और उपसरपंच ले गये। इस तरह के केसेज हैं। आपको एक उदाहरण पेश करता हूं जिससे कमसे कम जनता की निगाह में यह तो आये। जो इसका सबसे बड़ा कारण बना हुआ है वह यह है कि जिन लोगों ने पंचायतों की रकमें खालीं, जिन्होंने सार्वजनिक जायदाद को बेचकर निजी काम में ले लिया, जिन्होंने गोचर भूमि पर कब्जा कर लिया, इस प्रकार के जो सरपंच हैं ऐसे लोगों को आपको निलम्बित करना चाहिये, निकालना चाहिये, ताकि लोगों में इससे गति आये। आज चुनिन्दा लोग ऐसे कितने ही होंगे कि जिनकी 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के प्रति आस्था है और इस सिलसिले में वह सहयोग देने को तैयार हैं। आज भी वे जनता के पास जाने को तैयार हैं, आपका सन्देश जानने को तैयार हैं। इसलिये उन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये।

मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं। नागौर जिले की डीडवाना तहसील में....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सरपंच और प्रधान जो स्वर्गलोक सिधार गये क्या वहां उनके खिलाफ कार्यवाही होगी ?

श्री दीपंकर : खोलिया गांव के सरपंच के खिलाफ सी. आई. डी. ने जांच कर ली,

(श्री दीपंकर)

सी. आई. बी. ने जांच कर ली, एन्टी करप्शन ने जाकर जांच कर ली और उनके खिलाफ मुकद्दमा चलाने की आज्ञा दे दी लेकिन उस आदमी को निलम्बित नहीं किया गया। ग्राम की पंचायत का सरपंच तमाम जायदाद बेच कर खा गया और पंचायत समिति से मिली सहायता को खा गया लेकिन उसको निलम्बित नहीं करना चाहते हैं। ऐसी कई कार्यवाहियां विभाग में पड़ी हुई हैं। ऐसे प्रभावशाली अधिकारियों, जिसकी मैंने कहानी सुनाई, के प्रभाव के आधार पर पड़ी हुई है। तो मेहरबानी करके इसको इतनी आसान लाइट में न लें। अगर किसी ने रकम पंचायत की अपने पास रख ली और बाद में जमा करा दी तो उसने रकम तो जमा करा दी। किसी कारण से रकम उसके पास रह गई होगी। उसका तो चालान मत करिये। परन्तु जिन्होंने जायदाद हजम कर ली है ऐसे आदमियों के खिलाफ तो कार्यवाही करें ताकि लोगों में गति आये।

नागौर में ज्योति जलाई थी पंचायती राज की। लोग कहते हैं कि वह ज्योति बुझ गई। यह सुनना हमें बहुत बुरा लगता है। इसके साथ साथ आज राजस्थान के आदमी गुजरात और महाराष्ट्र में जाकर देखते हैं कि वहां पर पंचायती राज कैसा चल रहा है जब कि पहले महाराष्ट्र के लोग राजस्थान में देखने आते थे कि पंचायती राज कायम किया आपने तो हम देखें। हम बम्बई और मैसूर गये तो हमने वहां पर पंचायत समिति की मीटिंग को देखा। वहां पर जो 10-11 अफसर थे वह अलग बैठे थे। हमने उनसे पूछा कि आप भाग नहीं लेते तो उन्होंने बताया कि जो कुछ चुनिंदा प्रतिनिधि निर्णय ले लेते हैं और जो योजना वह बना कर भेजते हैं उसको मान लेते हैं। हमारे यहां पर इन्डस्ट्री अधिकारी तो कहने लगे कि गांव के लोग इन्डस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं यह इनके पास से हटा दो। कोई दूसरा आया और उसने कहा कि इसको भी इनके पास से हटा दो। तो अब पंचायत समितियों में पशुपालन अधिकारी रह गया। इसके अलावा आपके पास और क्या है। पशुपालन अधिकारी को आपने बी. डी. ओ. बना दिया तो पशुपालन अधिकारी डाक्टरी भूल गया। अगर कहीं वह किसी सरकारी अस्पताल में गया तो कम्पाउन्डरी से भी जायगा। इसलिए आपको निवेदन है बारबार और इसके साथ साथ कि इसको गति दें।

राजस्थान की सरकार को गम्भीरता से सोचना पड़ेगा कि इस पंचायती राज को क्या शक्ल दे। इसको किस तरह के फन्डस् दे, किस तरह से इसकी आमदनी का जरिया बढ़ाये। रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम इनको दे सकते हैं। पहले पटेल और चौधरी लोग इकट्ठा किया करते थे तो आज पंचायतें क्यों नहीं इकट्ठा कर सकती हैं? क्या जरूरत है पटवारी को इतना पैसा देने की? वह काम पंचायतें भी कर सकती हैं। ट्रेनिंग होती है तो एक ट्रेन्ड सेक्रेटरी पंचायत में रख सकते हैं समान स्तर का। वह आदमी पटवारी का भी काम कर सकेगा। वह तहसील को रिप्रेजेन्ट कर सकेगा, पंचायत को भी रिप्रेजेन्ट कर सकेगा, और आपके पंचायती राज को रिप्रजेन्ट कर सकेगा। इसलिए जरूरी है कि कोई न कोई व्यवस्था सोचें। कि किस तरह से इस काम को चला सकते हैं।

(श्री दीपंकर)

जहां तक प्रधान का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि यदि प्रधान हो तो वह यह सेवा कर सकता है। आपके कार्यक्रम के लिए वह लोगों को बुलाता है और समझाता है। परन्तु जहां पर स्कूल में 100 से 200 लड़के बढ़ते हैं तो टेम्प्रेरी टीचर्स एपाइन्ट कर देने का आपने उसको अधिकार दे रखा था वह अधिकार भी आपने ले लिया। लड़के बेकार बैठे हुए हैं और इससे गांव की प्राथमिक शिक्षा को धक्का पहुंचा है। यह जरूरी बात है कि सामाजिक शिक्षा का जहां पर सवाल है तो समाज-कल्याण विभाग उसका प्रबन्ध करे।

भारत सरकार की तरफ से संविधान में लिखा हुआ है पंचायती राज के बारे में और उसके बाद में उसकी रजत जयन्ती मनाने का वर्ष है और उसके लिए कमेटी बनी हुई है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी उसके अध्यक्ष है और मंत्रीजी आप उपाध्यक्ष हैं और सब मन्त्री उसके सदस्य हैं। आप मीटिंग बुलायें और निर्णय करें कि अपने विभागों में से क्या क्या काम उनको देना चाहते हैं। आप रजत जयन्ती मनाने जा रहे हैं जैसा कि भारतीय संविधान ने माना है तो उस संविधान में दी हुई पंचायतों की हानि को मैं सरकार की हानि मानता हूं। उसके आधार पर आगे जाकर पंचायती राज बने तो उसका स्वरूप क्या होगा, आपकी यह कमेटी उसको तय करे। अगर इस साल तय करेंगे तब लोगों का विश्वास जमेगा। यह जरूरी है कि पंचायतों को आप मिटा नहीं सकते। पंचायत समितियों को अचानक हटा दिया, बहुत सी जगह कुछ अधिकार कम कर दिये। राजस्थान ने इसमें पहल की थी इसलिए अब फिर पहल करनी चाहिए कि किस तरीके से यह काम करें।

जहां तक रकमें दी हुई हैं किसी काम के सिलसिले में और सरपंच के पास में है तो उससे रिकवरी होनी चाहिए।

अब मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सहकारिता का विभाग है यह भी आपके पास में है। सहकारिता के मूवमेंट को कैसे बढ़ाया जा सकता है इसके बारे में कोई परिवर्तन लायें। सहकारिता में गरीबों को ऋण के लिए आपने कोआॅपरेटिव बैंक बनाये। जहां तक कोआॅपरेटिव बैंक्स का सम्बन्ध है उनकी एक कहानी है। वहां के मन्त्रियों ने और डाइरेक्टर ने दूसरे लोगों के नाम से रकमें उठा लीं और कर्मचारियों का चालान हो गया। बैंकों के जरिये और कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिये किसी क्षेत्र में काम करें।

(3.50 म० प०)

(श्री रघुनाथ विश्नोई, सभापति, पीठासीन)

यह किस तरीके से हो। अगर उनको सही मायने में मदद देना चाहते हैं तो यह जरूरी बात है कि आपके विभाग के जो भी कर्मचारी है महरबानी करके उनको ट्रेनिंग दें, उनमें कोआॅपरेटिव के बारे में आस्था पैदा करें। यह नहीं होना चाहिए कि आपके असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर जो हैं वह रजिस्टर घर पर रखे हुए हैं और कोआॅपरेटिव सोसायटी के प्रेसिडेन्ट और सेक्रेटरी साहब पूछते फिरते हैं कि रजिस्टर कहां पर है? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कुछ लोगों के प्रभाव में कोआॅपरेटिव मूवमेंट फंसा

(श्री दीपंकर)

हुआ है। गांवों के अन्दर ऐसे लोग मिल जायेंगे जिन्होंने लाखों रुपया कोआँपरेटिव सोसाइटीज से कमाया है, मकान बना लिये हैं, कुआ बना लिया है, ट्रैक्टर खरीद लिया है। ऐसे लोगों से जब तक यह मूवमेंट मुक्त नहीं हो जायगा तब तक इसमें सफलता नहीं मिल सकती है, साधारण सदस्य को इससे लाभ नहीं मिलने वाला है और आपका जो कानून है वह सारा का सारा ही धरा रह जायगा, उससे जनता को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी तरह से आप इसको इस नुक्ते-निगाह से देखें कि आपके जो भी इन्स्पेक्टर या असिस्टेन्ट इन्स्पेक्टर लोग हैं वह कोआँपरेटिव माइन्डेड होने चाहिए, वे कोआँपरेटिव की इम्पोर्टेन्स को समझें और लोगों को समझाने की कोशिश करें। नहीं तो क्या होता है कि सहकारिता के नाम पर लोग बाजार में बैठते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं और धान बेचने का या चीनी बेची जाने का प्रस्ताव पास करा लेते हैं और कोआँपरेटिव को लिख देते हैं कि हमारे नाम से यह धन्धा कर देना। कुछ लोग धन्धा करते हैं और पैसा दूसरे ही लोग लगाते हैं। इसलिए जरूरी है कि कोआँपरेटिव सही मायने में चले और इसका सही रूप लोगों के सामने आवे जिससे गरीब लोगों को राहत मिले।

सभापति महोदय, नगरपालिकाओं के बारे में मेरा निवेदन यह है कि इनके विकास के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है इसमें कोई शक नहीं है कि राजधानी में और बड़े बड़े नगरों में ही अनाप शनाप खर्चा हो रहा है और गबन गोटाले किये जा रहे हैं। यहां पर ही बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं इसलिए ज्यादा पैसा यहीं पर खर्च किया जाता है? दूसरी जगहों पर जहां नगरपालिकाओं में लोग रहते हैं उनके विकास के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है, वहां पर कोई विकास कार्य नहीं किये जाते हैं, सड़कें टूटी फूटी हैं, नालियां नहीं हैं, बिजली का कोई इन्तजाम नहीं है। उनको फंड्स देते हैं, वे बेचारे बड़ी कोशिश भी करते हैं, एस्टीमेट्स भी बनवाते हैं और आपके पास आते हैं और आप मर्जी के अनुसार किसी को दो हजार, किसी को तीन हजार, किसी को चार हजार और किसी को पांच हजार देकर लौटा देते हैं। यह तो कोई तरीका नहीं हुआ। अगर वह डवलपमेंट के नाम पर किसी भी तरह की स्कीम को पूरा करना चाहते हैं तो आपको पैसा देना चाहिए और अगर आप नहीं देते हो तो यह बहुत ही बुरी बात है। इसलिए इस तरह से विकास की जो गति है वह बहुत ही मन्द है और बहुत ही खराब हालत हो रही है, उसी के साथ वहां के कर्मचारियों की हालत भी खराब है। जितनी नगरपालिकाएं हैं उनको आप देख लीजिये, उनके बजट को देख लीजिये, कहीं पर आठ महीनों से भंगियों को तनख्वाह नहीं मिली है, कहीं पर 6 महीने से, कहीं पर 9 महीनों से नहीं मिली है। कारण यह है कि आमदनी तो होती नहीं, पैसा मिला नहीं और काम उनसे करा लिया। इसलिए आपको सोचना चाहिए, गहराई से सोचना चाहिए और कोई न कोई इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। उनको आप आदमी नहीं देते हो और खर्चा बढ़ा दिया तो टैक्स की चोरियां होती हैं। फन्ड में पैसा आवे नहीं, चोर पकड़े नहीं जावें, पकड़े जावें कोई शिकायत आवे तो उनको

(श्री दीपंकर)

दबा दिया जावे। जितने भी भूतपूर्व चेयरमैन रहे हैं, रिकार्ड उठाकर देख लीजिये और ऑडिट रिपोर्ट देख लीजिये, उनके खिलाफ गबन के मामले मिलेंगे, यह सब राशि उनसे वसूल की जानी चाहिए लेकिन होता क्या है कि आडिट पार्टी आती है उनकी खातिर कर दी जाती है और नहीं देने के लिए प्रस्ताव पास करा देते हैं। यहां तक कि ऑडिट पार्टी से राइट ऑफ करने के लिये सिफारिश करवा देते हैं। यहां तक देखा गया है कि सुरक्षा फण्ड का पैसा भी नगरपालिका के चेयरमैन खा गये। मैंने जिलाधीश को भी लिखा और मुख्य मंत्री महोदय ने भी जांच करने का आश्वासन दिया लेकिन वह लोग मजे से बाहर घूम रहे हैं। अभी उन्होंने सफेद टोपी लगा रखी है और कोई दूसरा राज आयेगा तो कोई और टोपी लगा लेंगे। सुरक्षा फंड के पैसों का और सरकारी फण्ड का दुरुपयोग होता है इस तरह से इसलिए जितने भी ऐसे मामले हैं उनकी सबकी जांच की जानी चाहिए और सारे के सारे पैसे को वसूल करना चाहिए अन्यथा नगरपालिकाओं की जो आज स्थिति है उससे भी खराब होती जायगी।

श्री सभापति : आसन ग्रहण कीजिये, बहुत समय हो गया है।

श्री दीपंकर : आपकी बहुत महरबानी है, एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

नगरपालिका क्षेत्रों से बाहर जाने वाले क्षेत्रों का जहां तक सवाल है उनको पी. डब्ल्यू. डी. वाले अपनी सड़कें नहीं मानते हैं और नगरपालिकाओं से कहते हैं कि आप उनका निर्माण कराओ और मरम्मत कराओ। इसलिए मेरा निवेदन है कि जहां पर घनी आबादी है वहां पर आप इन सड़कों का काम घनी आबादी होने के कारण से पी.डब्ल्यू.डी. को दे दें ताकि वह इनकी मरम्मत वगैरह करा सके और एक्सीडेन्ट कम से कम हो।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि गांवों की पंचायतों का काम स्वायत्त शासन विभाग के अधीन है और नगरपालिकाओं का काम भी स्वायत्त शासन विभाग देखता है। इसलिए दोनों का एकीकरण कर दिया जाना चाहिए। जिस प्रकार से डवलपमेंट में डवलपमेंट कमिश्नर वगैरह होते हैं उसी प्रकार से इनमें भी डिप्टी डवलपमेंट कमिश्नर बिठा दिये जायं तो इससे खर्चा कम होगा और देखभाल भी अच्छी तरह से हो सकेगी। इसलिए दोनों का एकीकरण कर दिया जाना चाहिए।

जहां तक नगरपालिकाओं को अनुदान देने का सवाल है, वह कुछ विशेष कामों के लिये दिया जाता है। लाडनूं नगरपालिका को 50 हजार रुपये बिल्डिंग बनाने के लिए गये थे, लेकिन वह निजी आदमियों को दे दिये गये। इसलिए जिनको वह पैसा दिया गया उनसे वापिस लेना चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक निजी भवन की जगह कई निजी भवन बनेंगे।

श्री दीपंकर : इस तरह से गैर कानूनी ढंग से निजी मकान बनते जायेंगे इसलिए स्वायत्त शासन विभाग की पैनी दृष्टि होनी चाहिए। जिससे इस प्रकार के जो घोटाले हो रहे हैं उनको रोका जा सके और स्वायत्त शासन में जनता का विश्वास जम सके।

(श्री दीपंकर)

इससे नगरपालिकाओं की अच्छी शासन व्यवस्था में भी मदद मिलेगी। जहां तक भूखन्ड आवंटन का सवाल है, नगरपालिकाओं के अन्दर गरीब लोगों को देने के लिये योजनाएं बनाई गई हैं, उनके विकास के नाम पर जहां आपने उनको 250 रुपये में भूखण्ड दिये हैं और उनसे डवलपमेन्ट के चार्जेज लेते हैं, डेढ़-डेढ़ मील के दायरे में, वहां पर आप क्या विकास करेंगे ? नगरपालिकाओं के पास पैसा नहीं है। कौनसा प्लान बतायेंगे, कौनसी सड़कें वहां पर निकालने जा रहे हैं, कौनसा वहां पर आप बिजली का खम्भा खड़ा करेंगे, इस तरह से गरीब लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, यह नहीं होना चाहिए। बल्कि गरीबों को मुफ्त में मिलनी चाहिए ताकि वह अपना झोंपड़ा बना सकें। जो सुविधायें शहरों में मिलती हैं वहीं सुविधायें गांवों में भी दी जानी चाहिए।

श्री सभापति : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में 12 करोड़ 25 लाख की राशि से भी अधिक की मांग प्रस्तुत हैं, इन मांगों का स्कोप इतना बड़ा है और इनका विषय इतना विस्तृत है कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं कौनसी मांग पर पहले कहूं, क्या कहूं और क्या छोड़ूं। मैं, माननीय सभापतिजी, आपका इस सम्बन्ध में सहयोग चाहूंगी कि आप मुझे समय अपनी सारी बात समाप्त करने का दें।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं सामुदायिक विकास से सम्बन्धित मेरे कटौती प्रस्ताव हैं उस सम्बन्ध में माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। माननीय मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि उनको भी जनतन्त्र में आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। कौन प्रधान कहां जीतता है, कौन सरपंच कहां रहता है, यह बहुत छोटी बात है क्योंकि वे एक गरिमामय पद पर आज के दिन प्रतिष्ठित हैं, इसलिये छोटी मोटी बातों के लिये हाई कोर्ट के स्ट्रक्चर पास हों, यह स्वयं उनका व्यक्तिगत सवाल नहीं है, इनसे इस मन्त्री पद की गरिमा पर आंच आती है। मैं सोचती हूं, क्या वजह है कि एक सरपंच के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव रखा जाय तो तारीख तय न कर देवें ? हाई कोर्ट में केस चला जाय, हाई कोर्ट कह दे, तारीख निश्चित कर दी जाय। मन्त्री महोदय को पता नहीं, किस बात का डर लगता है, क्या डर लगता है। मैं यह कहना चाहती हूं कि वह प्रधान रहे या नहीं रहे—इससे मन्त्री महोदय के अस्तित्व पर असर नहीं पड़ता। फिर पता नहीं क्या मन में कमजोरी है, क्यों नहीं ऐसा कर पाते हैं। एक तरफ न्यायपालिका को उच्च स्थान दिया है संविधान में, दूसरी तरफ उन बातों के ऊपर चलें नहीं, अनुसरण न करें और हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें जो ऑब्जर्वेशन दिये हैं जो स्ट्रक्चर पास किये है, यह उचित नहीं लगता है। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि शीघ्रातिशीघ्र डेट फिक्स की जावे। Be democrate तरीके से जो नतीजा होता है. उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यह कोई तरीका नहीं है, कोई मन्त्री महोदय हो, मैं इन मन्त्री महोदय के लिये ही नहीं, सारे मंत्रियों को यह कहती हूं कि मन्त्री का पद बहुत

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

बड़ी गरिमा रखता है, बहुत बड़ा स्वयं को स्थान रखता है—एक सरपंच के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास हो, या उप-सरपंच के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास हो, उसको बचाने के लिए डेट एडजोर्न की जाये, पंच को उस बीच के अन्दर मोअत्तिल कर दिया जाय या बिल्कुल हटा दिया जाय—यह डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है। हमने सदन के अन्दर बार बार यह बात कही है, सभी माननीय सदस्यों ने यह बात दोहरायी है, बारह साल का समय हो गया, पंचायतें निष्क्रिय हो गई हैं। पंचायती राज की स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने नागौर में ज्योति जलाई थी, जैसा अभी माननीय सदस्य कह रहे थे, उन्होंने ज्योति प्रज्वलित की थी, इन पंचायतों की, हमारा फर्ज था, धर्म था, बराबर इस ज्योति को प्रज्वलित रखते क्योंकि यह पंचायतें न केवल आर्थिक बहबूदी के लिए आवश्यक हैं बल्कि राजनीति की आधार भी है, बुनियाद है, यह पंचायतें किस प्रकार से एक्टिव रह सकें। इनको निष्क्रिय नहीं बनाया जाना चाहिए था। यह कहते हुए अफसोस होता है, एक उप सरपंच केवल कहीं हट न जाय, उसको हटाने से बचाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के बाद, नोटिस देने के बाद में मंत्री महोदय अपनी कलम से पंच को सस्पेण्ड कर दें, किसी पंच का स्थान रिक्त घोषित करें, मैं समझती हूं, इससे बढ़ कर शर्म की बात नहीं हो सकती, प्रजातंत्र के ऊपर इससे बढ़ कर कलंक नहीं हो सकता।

सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रही थी कि हमारा सामुदायिक विकास विभाग कितना निष्क्रिय है, कितना उदासीन है—मैं इसकी आपको एक नजीर पेश करना चाहती हूं। वैसे तो मैं सुबह से इस बात को देख रही हूं कि जो माननीय सदस्य यहां पर बोलते हैं, मंत्री महोदय विभाग से एक नोट तैयार करा कर लाये हैं, उसी को बराबर देख रहे हैं, माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं, उस तरफ उनका ध्यान नहीं है। मैं सोचती हूं, भैंस के आगे बीन बजाये, भैंस खड़ी पगुराये। फिर भी मेरा कर्त्तव्य है....

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : मैंने पूछा था। उनका ध्यान दिलाया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह । शुक्रिया। आपने पूछा, आपने ध्यान दिला दिया। वे सुन रहे हैं। शुक्रिया।

मैं निवेदन कर रही थी, 1973-74 में जिला स्तर पर कुछ स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया था, प्राथमिक स्कूलों के विषय में जिला झुंझुनूं में पंचायत समिति चिड़ावा में ब्राह्मणों की ढाणी तन मण्डन्दा-कलां में प्राथमिक शाला खोली गई। उसको दो साल से अधिक का समय हो गया है लेकिन उस स्कूल में अध्यापक नहीं भेजा जा रहा है। मैंने न जाने कितनी रीम की रीम खत्म कर दीं, बराबर शिक्षा मंत्री को लिखते हुए शिक्षा मंत्री जी ने जिला स्तर पर स्कूल खोले है वहां अध्यापक नहीं भेज रहे हैं, आप भेजिये। खैर उनके दिमाग में बहुत दिनों के बाद आया और प्रयत्न करके यह जवाब दिया कि शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मामला नहीं है क्योंकि प्राथमिक स्कूल हैं इनका सामुदायिक विभाग नियंत्रण करता है। हम अपनी तरफ से कई बार लिख चुके हैं, सामुदायिक विभाग में कौन है,

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

उनके कान में जूं नहीं रेंगती है। मैंने आखिरकार परेशान होकर खतो-किताबत बन्द कर दी। लेकिन आखिर में एक पत्र एजूकेशन विभाग ने सामुदायिक विभाग को लिखा है वह पढ़ कर अवश्य सुना देना चाहती हूं, यह बताना चाहती हूं, सामुदायिक विकास मंत्री को कि को-आपरेटिव के मामले में, मर्केन्टाइल बैंक के मामले में, जहां कि लाखों रुपये का घोटाला है, जहां गरीब डिपोजिटर्स ने पेट काट कर अपना पैसा जमा कराया था, उस बैंक की व्यवस्था का सवाल नहीं है, सहकारिता की व्यवस्था का सवाल नहीं है, वहां सहकारिता मंत्री ने कुछ नही किया। जहां कुछ करना चाहिए वहां कैसे निष्क्रिय है, इसका नमूना पेश करना चाहूंगी :

"क्रमांक एफ 13 (5) शिक्षा/ग्रुप–1/74 दिनांक 16 दिसम्बर, 1975।

उपरोक्त विषय में निदेशानुसार लेख है कि राज्य सरकार के समसंख्यक आदेश दिनांक 30–7–74 द्वारा ब्राह्मणों की ढाणी तन मझून्दाकलां (पंचायत समिति चिड़ावा जिला झुंझुनूं) के स्थान पर नवीन प्राथमिक शाला खोली गई है। इस स्थान के लिए अध्यापक पदों की स्वीकृति भी पूर्व में ही दी जा चुकी है, लेकिन इस विद्यालय में अभी तक पंचायत समिति द्वारा अध्यापक नहीं भेजा गया है। अतः इस विभाग को जानकारी कराने का कष्ट करें कि अब राज्य सरकार द्वारा विद्यालय खोल दिया है तो अध्यापक दिये जाने में क्या आपत्ति है? कृपया शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही कर इस विभाग को सूचित करें।"

माननीय मंत्री महोदय, सरपंच और पंच को नहीं हटवाने के लिए, इसके लिए पन्द्रह दिन में कार्यवाही करके सस्पेण्ड कर दें, उसका स्थान रिक्त घोषित कर दें, लेकिन यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह सैकड़ों बच्चों का प्रश्न है जिन बच्चों को संविधान में प्राथमिक शिक्षा देने का आश्वासन दिया, उन बच्चों के भविष्य के बारे में विभाग उदासीन, मंत्री उदासीन, तो मैं क्या बताऊं, क्या कहूं और जो कुछ मैं समझती हूं, वह कहूं तो वह कहना भी थोड़ा है। मैं समझती हूं, कहने से कोई मतलब नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ साथ निवेदन करना चाहती हूं, यह तो हुई सामुदायिक विकास की बात। अब मैं नगर आयोजन और नगर विकास पर आती हूं। इस जयपुर के अन्दर, जैसा कि अभी किशन-पोल से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, कई गृह निर्माण सहकारी समिति थीं, जिन्हें नगर आयोजन, नगर विकास के नाम के ऊपर जमीन का एक्वीजीशन होने का नोटिस दिया गया। बाद में नोटिस वापिस लिये गये, पता नहीं क्यों लिये गये। चर्चा आम जयपुर में मैंने सुनी है, लोग बागों से, यह एक्वीजीशन नोटिस इसलिए वापिस लिये गये कि काफी कुछ जिसे कहना चाहिए, पत्रम् पुष्पम् इकट्ठे करके भेंट कर दिये जायं। आम जयपुर में यह चर्चा है, यह पत्रम् पुष्प इकट्ठे करके भेंट में देने की बात है। लेकिन मैं आपको इससे भी अधिक अन्याय का, जिसे चरम सीमा कहे, उदाहरण देना चाहती हूं, मनमानी का, यह विभाग कितनी मनमानी करता है, कितना गैरकानूनी काम करता है, इस बारे में भी निवेदन करना चाहूंगी। झुंझुनूं में 1973 के अन्दर जिस समय वहां

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

चुनिन्दा बोर्ड था उस समय कुछ लोगों को भू-आवंटन किया था। हो सकता है कि बोर्ड को जो फार्मेलिटीज आब्जर्व करनी चाहिए थी, वह नहीं की हों। मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन 1973 से लेकर आज तक इतने लम्बे अर्से में जो भू-आवंटन हुए थे, उसकी बराबर पेशियां पड़ती रहीं, बराबर यहां पर बुलाते रहे सिर्फ इस बात के लिए, या तो राजनैतिक पक्ष की वजह से या और किसी बात के लिए, और जनवरी, 1976 में राज्य सरकार ने सारे के सारे भू-आवंटन जो चुनिन्दा बोर्ड ने किए थे उन सारे के सारे को नल एण्ड वाइड कर दिया और कह दिया कि उस जमीन को खाली कर दो। तीन साल के समय में लोगों ने लाखों रुपए लगा दिए। सन् 1973 में जब आपके नोटिस में आया उस समय चाहिए था कि आप सोचते, लोगों से कह देते कि यह डिस्प्यूटेड मामला है, अलाटमेंट स्टे है। इस पर मकान नहीं बना सकते हैं, तब तो राज्य सरकार ने कुछ किया नहीं। तीन साल में लोगों ने लाखों रुपए इन्वेस्ट कर दिए। एक दो तीन पच्चीस नहीं बल्कि 83 लोग इस तरह के हैं जिनको आज लाखों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद में राज्य सरकार ने कह दिया कि यह जो तुम्हारी जमीन का आवंटन था, वह रद्द किया जाता है। जिन आदमियों को जो आवंटन किए गए हैं, एलाटीज का कोई कसूर नहीं है क्योंकि जो कुछ बोर्ड ने कहा, उन्होंने जमा करा दिया, उनको पट्टे मिलने के बाद जब उन्होंने तामीर की इजाजत चाही तो बोर्ड ने इजाजत दे दी। उसके बाद में मकान बनाये तो फिर एलाटी का क्या कसूर है ? किस आधार पर आज आप उनको लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं ? किस नीयत से, किस वजह से, आप स्वयं ही जानें। मेरे लिए इस बारे में कुछ नहीं कहना ही ठीक होगा। मैं निवेदन कर रही थी कि यदि बोर्ड ने गल्ती की तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, जिस आदमी ने गल्ती की है तो 'He should be hanged for that' लेकिन जो एलाटी है, जिसका कोई कसूर नहीं, जिसने पैसा जमा कराया, इजाजत लेकर तामीर कराई है उनको लाखों रुपए का नुकसान भुगताना न्यायपूर्ण व उचित नहीं है।

जयपुर के अन्दर भी जैसे कि अभी किशनपोल बाजार से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, वास्तव में गृह निर्माण सहकारी समितियों के नाम पर काफी कुछ गड़बड़ चल रही है सच पूछिए तो यह कहा जाए कि राजस्थान में सहकारी समितियां गबन का, घोटाले का, फर्जी रिकार्ड का एक स्थल बन गई हैं, तो अनुचित नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने स्वयं ही सदन में कहा था कि जयपुर में गृह निर्माण समितियों के नाम पर कुछ प्राफिटियर्स एवं रैकेटियर्स हावी हो रहे हैं और काफी जमीनों को उन्होंने इस तरीके से समितियों के नाम पर नगर विकास से निकालने के लिए एक तरीका अख्तियार किया है। मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी कि इस सम्बन्ध में सरकार किसी को बख्शेगी नहीं। लेकिन सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की, किसके खिलाफ की ? बल्कि हुआ उल्टा। सहकारी समितियों के नाम जो लोग आज जयपुर में गेंग बनाए हुए हैं, जो प्राफिटियर्स हैं, रैकेटियर्स हैं वे

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

सारे के सारे लोग आज किसी न किसी तरीके से, अपने प्रभाव से फिर मास्टर प्लान से उसे निकला ले गये हैं। आपके नगर आयोजना विभाग व यू० आइ० टी० ने मास्टर प्लान बनाया उसके अन्दर एक्वीजीशन के नोटिस दिए थे, वह आज विथड्रा कर लिए गए। आखिर क्या बात हुई? क्यों ऐसा किया गया? मंत्रीजी जवाब देते समय इस पर थोड़ा प्रकाश डालें।

सभापतिजी, अब मैं सहकारिता के कटौती प्रस्तावों पर आती हूं। सच पूछिए तो राजस्थान का जब निर्माण हुआ था उससे पूर्व से ही बहुत कुछ गड़बड़ियां इस आन्दोलन में चल रही हैं। मैं सदन को याद दिलाती हूं कि हमारा लक्ष्य समाज-वाद की स्थापना का लक्ष्य है। इसके लिए हमने सहकारिता को माध्यम चुना है। प्रधान मंत्री कहती हैं कि सहकारिता हमारा वे आफ लाइफ है, उसके जरिए ही हम इस तरह के शोषण से मुक्ति पा सकते हैं। इस सबके बाद भी जिस समय राजस्थान का निर्माण हुआ था उससे पूर्व या बाद अजमेर में दो बैंक हैं, एक तो अजमेर कार्मायिल को-आपरेटिव बैंक और दूसरा मर्केन्टाइल को-आपरेटिव बैंक, अजमेर शहर के बड़े बड़े व्यापारी इनके संचालक मंडल के सदस्य थे। काफी बड़ी रकमों के इन बैंकों में गबन हुआ, गड़बड़ घोटाले हुए। उसके बाद में बैंक तो अवसायन में ला दिए गए लेकिन 20 साल से डिपा-जिटर्स रोते आ रहे हैं, जैसे किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, उनमें या तो पेन्शनर्स हैं या वे गरीब लोग हैं जिनकी इस व्यवस्था में आस्था थी और जो समझते थे कि बैंक में हम जमा करा देंगे तो यदि हमारे घर में कोई भी नहीं रहेगा तो भी बैंक की रकम से शायद कुछ मदद मिल सकेगी। ऐसे गरीब डिपाजिटर्स आज भी रोते फिर रहे हैं माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए मुझे दुःख होता है कि 20 साल के लम्बे अर्से में कुछ रिक-वरीज हुई हैं लेकिन गरीब डिपाजिटर्स को एक रुपया भी नहीं लौटाया गया है। एक दो आदमी मेरे पास आये थे उन्होंने कहा कि जो हमारे पास पून्जी थी सारी बैंक में दे दी थी लेकिन उसका एक पैसा भी हमें नहीं मिला है। इतना ही नहीं सरकार ने गबन के खिलाफ, घोटालों के खिलाफ कुछ भी नहीं किया। जब इतना पहले आपके नोटिस में आया था उस समय डेटरंट एक्शन लेते, कठोर कदम उठाते तो दूसरों को नसीहत मिलती लेकिन यह तो शृंखला बन गई है।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य ने, जब वह सहकारिता मंत्री थे, तब सहकारिता की मांग पर जवाब देते हुए कहा था कि ब्राह्मण भोज, सहकारिता लोन, दोनों बराबर हैं। आप सदन की कार्यवाही में देख सकते हैं। मुझे उस समय तो बड़ा अफसोस हुआ था कि हमारे सहकारिता मंत्री के सोचने का क्या तरीका है। लेकिन उनकी बिल्कुल सही बात थी। उस समय तो अफसोस हुआ लेकिन आज समझती हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा था, सही था। सहकारिता विभाग ने जनता की अमानत को वैसे ही समझा है जैसा भूतपूर्व सहकारिता मंत्री ने ब्राह्मण भोज व सहकारिता लोन के लिए कहा था।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

सहकारिता से लोन लिया उसे ब्राह्मण भोज की तरह समझ कर डकार लिया। सभापति महोदय, आज तक को-आपरेटिव डिपार्टमेंट ने उन लोगों के खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिया।

एक माननीय सदस्य : आपने ब्राह्मणों को गाली दी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने किसी को गाली नहीं दी, माननीय सदस्य। मैंने तो सिर्फ राजस्थान के भूतपूर्व सहकारिता मन्त्री के शब्दों को दोहराया है। माननीय सदस्य मुझे गलत नहीं समझें। मैंने सिर्फ सहकारिता मन्त्री की भावनाओं के बारे में कहा है, सिर्फ शब्दों को दोहराया है। तो, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि यहां पर हर साल सहकारिता मन्त्री मांगों का जवाब देने आते हैं और अपने जवाब में यही कहते हैं। जब जब भी उनको सहकारिता विभाग में, सहकारिता समितियों में और बैंकों में गबन–घोटालों के बारे में कहा जाता है तो यही कहा जाता है कि विभाग ने गबन घोटालों की जांच करायी और ऑडिट कराया। उसके बाद में उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाती है? मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि आपने इसमें कितनी रिकवरी की और जिन लोगों ने गड़बड़ घोटाले किये उन के खिलाफ में आपने क्या एक्शन लिया?

सभापति महोदय, मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि सहकारी विभाग ने आज दिन तक कोई कार्यवाही उन लोगों के खिलाफ में नहीं की। आपका सहकारी विभाग इन सभी गबन-घोटालों को मौन दर्शक की तरह चुपचाप देखता रहता है। सभापति महोदय, इतना ही नहीं जयपुर में एक राजस्थान स्टेट इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव बैंक था उस बैंक में भी काफी गड़बड़ घोटाले और गबन के केसेज हो गये थे। उस वक्त जब रिजर्व बैंक ने इस बैंक की हालत खराब देखी तो रिजर्व बैंक ने यह राय दी कि इस बैंक को री-आर्गेनाइज किया जाय। इसमें राज्य सरकार की घाटे के बराबर हिस्सा पूंजी होनी चाहिये। इस बैंक का एरिया आफ आपरेशन पूरे राजस्थान का नहीं होकर केवल जयपुर तक ही सीमित रखा जाय। तो, सभापति महोदय, राज्य सरकार ने इस बैंक में 5 लाख रुपये तो हिस्सा पूंजी रखी और पांच लाख रुपया राज्य सरकार ने इस बैंक को अनुदान दिया इसे फिर से रिव्यू करने के लिए और इस बैंक को फिर से चालू कर दिया। सभापति महोदय, उसके बाद गवर्नमेंट के दस लाख रुपये की और पूंजी लगाने के बाद मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है, राज्य सरकार ने इन गबन-घोटाले करने वाले लोगों के खिलाफ में कोई कार्यवाही नहीं की। नतीजा यह हुआ कि उन गबन-घोटाले करने वाले लोगों को प्रोत्साहन मिला। इसके बाद भी वहां पर तीन लाख रुपये का और गबन हो गया क्योंकि वहां पर ऐसे व्यक्तियों को नौकरी में रख लिया वापिस जिन्होंने की गबन घोटाले इस बैंक में किये थे। सभापति महोदय, वह लोग गबन घोटाले करने में ट्रेन्ड हो गये थे, एक तरह से प्रोफेशनल गबन करने वाले हो गये। मैं, सभापति महोदय, राज्य सरकार से पूछना चाहती हूं कि जब राज्य सरकार को यह पता लग गया था कि इसमें इतने गबन हो रहे हैं इतने घोटाले हो रहे हैं और 10

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

लाख की पूंजी नियोजित कर दी तो फिर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ में एक्शन क्यों नहीं लिया ? इसके अलावा, सभापति महोदय, आज भी बैंकों में विभागीय आडिटर्स लगे होते हैं विभागीय चैकिंग होती है पर मुझे पता नहीं यह रोजाना गड़बड़ियां कैसे होती हैं ? मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर यह क्यों हो रहा है ? सभापति महोदय, यह मर्केन्टाइल बैंक तो इससे भी आगे बढ़ गया। उसका तो जवाब नहीं। मुझे दुःख इस बात का हो रहा है, सभापति महोदय, इस बैंक के बारे में बार बार इस सदन में सहकारिता मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित किया गया है। पहले भी किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां तक किया कि इस सारे कान्ड की जानकारी पत्र लिख कर सहकारिता मन्त्री जी को दी। उस में उन्होंने बताया कि मर्केंटाइल बैंक में किस प्रकार से गबन और घोटाले हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बल्कि गबनकर्ताओं को प्रोत्साहन दिया, गबन करने का और समय दिया।

सभापति महोदय, उस बैंक में इस तरह की फर्जी कार्यवाहियां होती थीं कि उस बैंक के अधिकारियों ने एफ. सी. आइ. को फर्जी ड्राफ्ट दिये, लोगों से माल उठवा लिया। बेचारे एफ. सी. आइ. वाले अधिकारियों को पता नहीं था कि इस बैंक में इस प्रकार की फर्जी कार्यवाहियां हो रही हैं। उन्होंने फर्जी ड्राफ्ट के अगेन्स्ट में माल दे दिया। इस में बेचारे एफ. सी. आइ. के कर्मचारियों की क्या गलती है ? इतना ही नहीं, सभापति महोदय, इस बैंक ने और भी बहुत सी गड़बड़ियां की हैं। उन गड़बड़ियों के लिये किस को वह एफ०सी० आइ० के कर्मचारी रोयें ? उन अधिकारियों को रोयें जिन्होंने कि यह फर्जी ड्राफ्ट दिया, या मर्केंटाइल बैंक को रोयें, या वह कर्मचारी हमारे सहकारिता मन्त्री जी को रोयें। पता नहीं क्या करें। सभापति महोदय, बेचारे इसमें ऐसे गरीब लोग बरबाद हो गये हैं जिनकी हालत देखकर सचमुच में दुःख होता है। अभी किशनपोल से आने वाले सदस्य ने जैसा कहा था कि एक विधवा अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर उनके पास आयी। मैं, सभापति महोदय, राज्य सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि आखिर उन छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर है। अगर, सभापति महोदय, इस प्रकार की कार्यवाहियां सहकारिता विभाग के बैंकों में होती रहीं तो, सभापति महोदय, इस सहकारिता व्यवस्था में जो आस्था हैं वह समाप्त हो जायेगी। एक आस्था जो हम सहकारी आन्दोलन द्वारा जनता में पैदा करना चाहते हैं वह आस्था समाप्त हो जायेगी। तो सहकारिता मन्त्री जी आप महरबानी करके इस ओर ध्यान दें। सहकारिता मन्त्री जी महरबानी करके आप इस आस्था को लोगों में पैदा करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, मैं पहले ही निवेदन कर चुकी हूं। आपने लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य को तो पौन घन्टा दिया और मुझे बोलते हुए अभी बीस मिनिट ही नहीं हुआ है।

श्री किशोरीलाल शर्मा : सभापति महोदय, बहुत से लोगों को बोलना है। सभी

(श्री किशोरीलाल शर्मा)

लोगों को अपने अपने क्षेत्र की बातें कहनी हैं। इसलिये समय का ध्यान रखा जाये।

श्रीमती सुमित्रासिंह: माननीय सदस्य, क्षेत्रीय समस्या की बात नहीं करें। प्रश्न तो आज सारे राजस्थान का है। तो मैं यह निवेदन कर रही थी कि प्रश्न आज आस्था का है, व्यवस्था का है, समाजवाद का है, भारत के भविष्य में आर्थिक शोषण को समाप्त करने का है।

(व्यवधान: अश्रव्य)

माननीय सदस्य, आप उतावले क्यों हो रहे हैं। एक व्यवस्था में आस्था का प्रश्न है।

एक माननीय सदस्य : माननीय मन्त्रीजी का प्रश्न है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : किसको कहा जावे।

एक माननीय सदस्य : सभी लोग बोलना चाहते हैं।

श्री दीपंकर : आप कल आधे घन्टे तक बोले थे। आज आप इतने अधीर क्यों हो रहे हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं तो दस मिनिट से ज्यादा कभी नहीं बोलता।

श्रीमती सुमित्रासिंह : आप बैठिये।

I am in possession of the floor. I am in possession of the floor. I am in possession of the floor.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : There is time for other members also.

श्रीमती सुमित्रासिंह : जवाब नहीं है। सभापति महोदय, मैं अभी दो मिनिट में समाप्त कर दूंगी। तो मैं यह निवेदन कर रही थी कि मर्कन्टाइल बैंक में कितनी कितनी गड़बड़ियां हुई थीं। मैं अधिक न कह कर इतना ही कहना चाहती हूं कि इस मर्कंटाइल बैंक का मैनेजर और मर्कंटाइल बैंक का डवलपमेन्ट आफिसर दोनों ही आज मीसा में जेल के सींकचों में बन्द हैं। सभापति महोदय, पिछले दो ढाई साल से राज्य सरकार के सामने यह मसला लगातार आ रहा था कि इस बैंक में बहुत गबन घोटाले है पर राज्य सरकार के सहकारिता मन्त्री ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतना ही नहीं, सभापति महोदय, सिर्फ बैंक के मैनेजर और डवलपमेन्ट आफिसर ने एफ० सी० आइ० को ही झूठे ड्राफ्ट नहीं दिये बल्कि इस बैंक के मैनेजर ने अपने संचालक मण्डल के सदस्यों तथा अपने पक्ष के व्यापारियों को कई प्रकार से इल्लीगल वे में फेवर किया है। उनको बिना प्लेज के, माल रखे रुपया दे दिया। सभापति महोदय, यह सारी बातें राज्य सरकार की नोलेज में थी कि बैंक के मैनेजर ने व्यापारियों को माल प्लेज किये बिना रुपया दे दिया है। इतनी भयंकर गड़बड़ियां, इतने भयंकर गबन हुए। यह बैंक, सभापति महोदय, इतने अधोःपतन की स्थिति में आ गया। इतना ही नहीं, सभापति महोदय, इस बैंक के मैनेजर और डवलपमेन्ट अधिकारी अक्सर ही सहकारिता मन्त्री जी के घर पर आते थे, रोजाना चक्कर काटते थे। पता नहीं वह लोग क्या राय लेने

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

उनके पास आते थे। क्या वह लोग मन्त्री महोदय के पास इस बात की राय लेने आते थे कि हम किस प्रकार बच सकते हैं या मीसा की कार्यवाहियों, जिसमें अभी वह लोग जेल के सीकचों में बन्द हैं, के बारे में राय लेने आते थे ? यह बात तो मुझे पता नहीं मगर मैं इतना जरूर जानती हूं कि वह दोनों लोग कोआपरेटिव मन्त्री जी के बहुत नजदीक थे और करीब रोजाना एक बार मन्त्रीजी से अवश्य मिलते थे।

यह बात नहीं कि मन्त्रीजी को इस बात का पता नहीं हो। उनको सारी बातों का पता था। लेकिन, सभापति महोदय, मैं उन डिपोजिटर्स के बारे में पूछना चाहती हूं कि उनके हितों का क्या होगा ? सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि जब पिछले दस साल से रिजर्व बैंक ने सहकारिता विभाग को यह राय दी थी कि इन क्रेडिट कोआपरेटिव बैंक, लैण्ड मोर्टगेज बैंक्स, मर्केन्टाईल बैंक में एक डिपोजिटर्स इन्श्योरेन्स स्कीम लागू की जानी चाहिये ताकि इन बैंकों में जो लोग पैसे जमा करावें उन छोटे छोटे डिपोजिटर्स के हितों की रक्षा हो सके। लेकिन, सभापति महोदय, राज्य सरकार ने इस बारे में आज तक कुछ नहीं किया। अभी पिछली विधान सभा के सैशन के अन्दर राज्य सरकार ने निर्णय किया, यदि 10 साल पहले अमेन्डमेंट कर लेते तो जो जगह जगह से आवाज आती है, वह नहीं आती। कभी अलवर से आती है, कभी अजमेर से आती है, कभी गंगानगर से आती है, कभी जयपुर के मर्केन्टाइल बैंक से आती है तो कभी स्टेट इन्डस्ट्रियल बैंक की आती है— ये सारी बातें, अगर हम 10 साल पहले सहकारिता के कानून में अमेन्डमेंट कर लेते, तो नहीं आती और डिपोजिटर्स दर दर अपनी आंख के आंसू नहीं बहाते फिरते।

माननीय सभापति जी, मैं इस संबंध में एक और निवेदन करना चाहती हूं और वह करना चाहती हूं गंगानगर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक के बारे में। वहां बैंक में लिपिकों की कुछ स्थान पर नियुक्ति करनी थी। इन्टरव्यू लिये गये वह इन्टरव्यू रिटिन टेस्ट की कापियों के आधार पर लिया था लेकिन कापियों में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसके लिये कलेक्टर ने लिखा है कि इस सलेक्शन में, जो केवल 6 का सलेक्शन था, 16 का किया है, जो अपाइन्टमेंट हुए है, वह सारी कार्यवाही गलत है, भयंकर अनियमिततायें हुई हैं और लोगों से पैसे लेकर एपाइन्टमेंट किये हैं। कलेक्टर, गंगानगर ने लिखा है और कलेक्टर गंगानगर की रिपोर्ट पर, रजिस्ट्रार महोदय की राय में भी इन नियुक्तियों में पक्षपात एवं अनियमिततायें हैं। वे सारे के सारे सहकारिता मंत्री के पास गये और नतीजा यह हुआ कि चोरी पर मोहर लगा दी। अनियमितताएं और भ्रष्टाचार पर सहकारिता मंत्री से अपनी मोहर लगाकर कह दिया, ठीक है और स्टे जारी कर दिया। न रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग कुछ कर सकता है, न कलेक्टर कर सकता है। कलेक्टर नोटिस में लाये। लेकिन जिलाधीश एवं सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार के ऊपर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले मंत्री जी मौजूद हैं। सवाल यह है कि कहां जायं उनसे बचकर। यदि यही रवैया रहा, यदि भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन इसी प्रकार मिलता रहा, और यदि फर्जी कार्यवाहियां करने वालों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और इसमें सुधार नहीं किया तो

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

यह तो केवल 5-10 बैंकों की बात है राजस्थान के सारे सहकारिता आन्दोलन का यही अन्जाम होने वाला है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

माननीय सभापति जी, दो मिनिट का समय और लूंगी। माननीय सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहती हूं अभी भी समय है देर आयद दुरुस्त आयद। बहुत कुछ गड़बड़ियां हो चुकी हैं, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिला है इसलिये बाकी लोग भी सोचते हैं कि हमारा भी कुछ नहीं होगा। जिन लोगों ने फर्जी कार्यवाहियों के अलावा कुछ कार्यवाहियां नहीं कीं। देश की आजादी के बाद और राजस्थान के निर्माण के बाद, माननीय मंत्री जी, आप बतायें किसी एक आदमी के खिलाफ कार्यवाही की ? यदि एक आदमी को भी सेवा मुक्त करके या सेवा से हटा कर कोई डोटरेंट पनिशमेंट दिया है तो ऐसी कोई नजीर आप बतायें। इस प्रकार इस आन्दोलन को बनाया है। मैं अपने सुझाव देना चाहती हूं। ये बातें कहीं जो कुछ कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में हो रहा है वह कहा। अगर कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के बारे में सुझाव नहीं दूंगी तो मेरा बोलना भी निरर्थक हो जायगा।

मेरा सुझाव है राज्य सरकार कोई भी ऐसी बैंक रजिस्टर न करें जो रिजर्व बैंक के नियन्त्रण में न हो, क्योंकि रिजर्व बैंक के नियंत्रण में जो कोई बैंक होगा उसमें ये गड़बड़ घोटाले नहीं हो पायेंगे लेकिन मिनिस्टर महोदय ने तो मर्कन्टाइल बैंक को रिजर्व बैंक के नियंत्रण में नहीं आने देने की कार्यवाहियां की है

श्री रामनारायण चौधरी (सहकारिता मंत्री) : आपको जिन चीजों की जानकारी नहीं है आप मंत्री महोदय का नाम बार बार लेकर सदन को गुमराह करती हैं। हो सकता है इनमें से बहुत सारे माननीय सदस्य चले जायें और जवाब तक न रुकें तो माननीय सदस्यों को शंका ही रह जायगी। मैंने किसको प्रोटेक्ट किया, आपके पास जानकारी है तो तथ्यों के साथ बताइये लेकिन सदन को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिये। जवाब में तो मैं आपको विस्तृत रूप में बताऊंगा ही।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप स्वयं गुमराह करने की कोशिश करते हैं, मैं नहीं कर रही हूं। मेरा भाषण तो अखबारों में आयेगा नहीं, आपका भाषण जरूर आयेगा इसलिये गुमराह होने का तो प्रश्न ही नहीं है। मैं जो कुछ कह रही हूं बिल्कुल सही कह रही हूं। माननीय मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी दो साल से थी और बराबर उसके डवलपमेंट आफिसर्स एवं अध्यक्ष रोजाना आपके आते थे और आप से सलाह लेते थे कि क्या करें। मैं फिर कह रही हूं और मेरी पूरी जानकारी है। नहीं तो ना कह दें कि बैंक के डवलपमेंट ऑफिसर्स एवं अध्यक्ष रोजाना आपके बंगले नहीं आते थे ? मैं सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी के आधार पर कह रही हूं कि माननीय मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी दो साल से थी, किस प्रकार का गबन है, किस प्रकार की फर्जी कार्यवाहियां हैं किसी प्रकार रिजर्व बैंक के नियंत्रण में नहीं आये, उसके लिये क्या क्या करते रहना चाहिये, उसके लिये उपाय बताते रहे, ऐसा मंत्री महोदय ने किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूं।

श्री सभापति : श्री बद्री प्रसाद गुप्ता ।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता (बानसूर) : माननीय सभापति महोदय, आज पंचायत राज और कोआपरेटिव के बारे में सदन में विचार हो रहा है । एक बात मुझे याद आई एक बार हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री पं० जवाहरलालजी नेहरू राजस्थान में आये थे और पंचायत राज का उद्घाटन किया उस समय उन्होंने कहा था कि हमारे देश की आर्थिक और सामाजिक कार्य करने की व्यवस्था है, उसकी नींव है, वह हमारे गांवों के स्कूल हैं, हमारे गांवों की पंचायतें हैं और हमारे गांवों की कोआपरेटिव है । सभापति महोदय, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि ये तीनों ही गांवों के स्कूल, गांवों की पंचायतें और गांवों की कोआपरेटिव इन डिमान्ड्स के अन्तर्गत विचाराधीन है । चारों तरफ से इस बात की आवाज है कि किस उद्देश्य के लिए हमने यह पंचायती राज कायम किया और कोआपरेटिव बनाई, उसमें हमको सफलता नहीं मिली, इसलिये इस बात का समय आ गया है कि हम इस पर गंभीरता से विचार करें । आजादी के बाद आर्थिक और सामाजिक क्रान्ति करना चाहते हैं और देश की गरीबी को दूर करना चाहते थे, उसके लिए पंचायती राज कायम किया था और उसी के लिये कोआपरेटिव बनाई थी । फिर आज कहां गड़बड़ है ? पंचायती राज और कोआपरेटिव का जो मूवमेंट था जिसके लिये हमारे प्रधान मंत्री को बड़ा गर्व था और खुद उद्घाटन करने यहां आये थे, उस समय मैं पंचायत राज का मिनिस्टर था । हम कहां फेल हो गये, कहां गड़बड़ हो गई जिससे हमको आज यह दिन देखना पड़ा····

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य उस समय मंत्री थे, तभी तो बंटाधार हो गया कोआपरेटिव का···

(व्यवधान : अश्रव्य)

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : ये जब मिनिस्टर थीं परिवार नियोजन की, मैं परिवार नियोजन पर जवाब दे चुका हूं उसका जवाब अब दूंगा तो आपको पता लग जायगा··

(अश्रव्य)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप मेरी चिन्ता मत कीजिये, आप तो दीजिये ।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्या, अलवर वालों पर पत्थर क्यों मार रही है···

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : हमने जो पंचायत राज कायम किया उस बात को 14 साल हो गये । मुझे तो हमेशा इस बात का गर्व हुआ है । सन् 61 के चुनावों के बाद मैंने कुर्सी छोड़ दी माननीय सदस्या इस बीच में मंत्री रह चुकी है ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : शकुन ही ठीक नहीं थे आप मंत्री थे जब ।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : बीज ही अच्छा नहीं गिरा इसलिए जमीन का क्या दोष है । जमीन तो अच्छी है ।

माननीय मन्त्री महोदय, मैं सीरियस बात कहना चाहता हूं लेकिन माननीय सदस्या ने डिस्टर्ब करके इधर-उधर कर दिया ।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

तो मैं अर्ज कर रहा था कि पंचायती राज और कोआपरेटिव पर ही देश की प्रगति की आधार शिला रखी हुई है। हम प्रजातंत्र और लोक तंत्र के जरिये देश के अन्दर, अपने मुल्क में सामाजिक और आर्थिक उत्थान करना चाहते हैं। वह उत्थान और विकास इनके जरिये से ही हो सकता है। इस बात का हमें बड़ा अभिमान था। मगर हमारा जो सपना था वह कामयाब नहीं हुआ। इसके बहुत कारण हैं। मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन यह बात जरूर है कि राज्य सरकार की ओर से उन संस्थाओं को नेग्लेक्ट किया गया और सरकारी अधिकारियों का विश्वास ज्यादा किया गया।

हमारे यहां पर पंचायत समितियां और जिला परिषदें भी बनी हुई है। सब ही जगह पर जिला परिषदें कायम हैं। जिला परिषदों को अख्तियारात न देकर सरकार ने अपने हाथ में अधिकार ले रखे हैं। हमारे राज्य में हर जिले में जिला परिषदें हैं और कुल मिलाकर 26 जिला परिषदें हैं। पंचायत समितियां भी बनी हुई हैं। जिला प्रमुख उन जिला परिषदों का स्वयम् सदस्य है, माननीय सदस्य भी उसके सदस्य हैं। सरकार ने जिला परिषदों को अधिकार न देकर स्वयम् अपने हाथ में ले रखे हैं। जिला प्रमुख इलेक्टेड है वह भी उस कमेटी में बैठा हुआ है। सरकार के द्वारा उन इलेक्टेड आदमियों में अविश्वास ही प्रकट करना हुआ जब उनको कोई अधिकार नहीं दिये गये हैं। इसी कारण से आज उनकी यह स्थिति हुई है। पंचायत समितियों के, पंचायतों के और जिला परिषदों के आपने आज दिन तक चुनाव नहीं करवाये। मुझे एक पुरानी बात याद आ गयी। अलवर में महाराजा जयसिंह जी के जमाने की बात है। एक बार पंचायतें बुलायी हर गांव की। उनके जो सदस्य थे उनको मेम्बर कह दिया गया। एक गांव में पंचायत बनी। मेवों का गांव था। एक व्यक्ति मेम्बर बन गया पंचायत का। वह तहसील में आया और उसको कहा कि तू आज से गांव की पंचायत का मेम्बर बना दिया गया है। जब वह गांव में पहुंचा तो उसको बड़ा घमण्ड था। गांव वालों ने पूछा तो कहा कि मैं दिगम्बर बन गया। 12 साल हो गये हैं आपको दिगम्बर बने हुए।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : दिगम्बर तो अलग शब्द होता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेम्बर नहीं बोल सका और उसको वह दिगम्बर बोल गया। "मेम्बर" दिगम्बर बन गया। यहां के मेम्बर भी दिगम्बर बन गये और काम होता नहीं।

सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं पंचायत राज और कोआॅपरेटिव के बारे में। हमारे यहां एक होलसेल भंडार बना हुआ है। सदन में सवाल आया। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यू. पी. और पंजाब में, जो हमारे पड़ोसी प्रान्त है, कोआॅपरेटिव्ज की एक्टीविटीज का सर्वे करने के लिये और उनके द्वारा क्या क्या गड़बड़िया की गयी हैं उनकी जांच के लिये एक समिति बनायी गयी। यू पी. में उसकी रिपोर्ट के आधार पर 1 हजार आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया गबन के आरोप में। राजस्थान में भी आपको एक फुल-फ्लेज्ड कमेटी बनानी चाहिये जो कोआॅपरेटिव्ज की गड़बड़ियों के मामले में सर्वे करे। उसमें आप

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

किसी को रखें । चाहे आप पोलिटिकल आदमियों को न रखें । जब तक इस तरह की कमेटी नहीं होगी तब तक कोआॅपरेटिव मूवमेन्ट सफल नहीं होगा । गवर्नमेंट के अन्डर में न हो उस कमेटी की रिपोर्ट, को स्वीकार करना उसकी फाइन्डिंग्स फाइनल हों । जो एक्शन वह बताये वह लिये जायं, चाहे क्रिमिनल हो या सिविल । अब तक सब को यह महसूस हो रहा है कि राज्य में जो कुछ भी किसी पंचायत ने कर दिया, चाहे गबन कर लिया, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही होने वाली नहीं है । इस प्रकार का सख्त एक्शन लिये बगैर कोई आल्टरनेटिव नहीं है । मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय जब उत्तर देंगे तो इस पर प्रकाश डालेंगे । मैं ऐसे बहुत से मसले जानता हूं जिनमें पोलिटिकली काम किया गया है । अलवर सेंट्रल कोआॅपरेटिव बैंक में 102 डिक्री हुई पड़ी है । पोलिटिकल प्रेसर की वजह से वसूली नहीं होती है । चेयरमैन का ध्यान आकर्षित किया था बहुत से केसेज हैं । पुलिस को लिख कर भेजते हैं लेकिन दबाव से रजिस्टर नहीं करते हैं ।

सारे के सारे राजस्थान का कोआॅपरेटिव मूवमेंट का और पंचायती राज की संस्थाओं का सर्वे करवाना चाहिये । ये प्रोडक्शन बढाने वाली इन्स्टीट्यूशन्स है, विकास का बेस ही इन इन्स्टीट्यूशन्स पर हैं । यह बेस ही समाप्त हो जावेगा तो देश में गरीबी दूर नहीं होगी । यह जरूरी है और इसमें सरकार को कतई कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये, कोई गुरेज नहीं होना चाहिये ।

पंचायतों के पास फण्ड्स पूरे नहीं हैं । वसूली की कार्यवाही हो रही है इसके पंचायत, समिति, जिला परिषद् को पूरे अख्तियारात दीजिये । जिला परिषदों को पूरे अख्तियारात दीजिये । सारा काम करवाइये । सरकारी अधिकारी है वह तो सक्षम है और क्या इलेक्टेड आदमी सक्षम नहीं है ? हिन्दुस्तान का राज्य इलेक्टेड प्रधान मंत्री चलाती है तो क्या कारण है कि नीचे के लेवल के आदमियों का विश्वास नहीं किया जाता ? विश्वास में लेकर काम लिया जाना चाहिये । कोआॅपरेटिव्ज के भी चुनाव कराने चाहिये । इलेक्टेड संस्थाओं में विश्वास बढ़े यह बहुत जरूरी है । समय दिया गया उसके लिये आपको धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री किशोरीलाल ।

श्री किशोरीलाल शर्मा (सलूम्बर) : सभापति महोदय, आपको धन्यवाद दूंगा देर से ही सही आपने मुझे समय दिया ।

मान्यवर, मांग संख्या 35, 47, 40 पर विचार करने के लिये मैंने कटौती प्रस्ताव रखे हैं ।

सबसे पहले मैं सहकारिता के विषय में निवेदन करना चाहूंगा । सहकारिता के पीछे एक उत्तम भावना रही हुई है । हमारा प्रगति का आर्थिक ढांचा सहकारिता पर निर्भर करता है लेकिन राज्य की जो रीति नीति रही है वह दोष पूर्ण रही है । जिन सहकारी समितियों के चुनाव हुए हैं उनके विधिवत चुनाव नहीं हुए हैं । राज्य के इन्सपेक्टर पहुँचते हैं उन चुनावों में, उनके जहां बैठने-उठने और आतिथ्य की व्यवस्था रहती है वहां वे बैठ कर चुनाव करा कर चले जाते हैं । गांव के लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि सहकारी समिति का कोई

(श्री किशोरी लाल शर्मा)

गठन हुआ है अथवा चुनाव हुआ है। जो पुराने मेम्बर थे, व्यापारी थे, सहकारिता में जिनका विश्वास नहीं वे अन्दर घुस कर उन सहकारी समितियों को खत्म कर देते हैं और उनको समाप्त करने के लिये ही वे मेम्बर होते हैं। कौन आदमी काम करने वाला है यह नहीं देखा जाता है। जो व्यक्ति खातिरी करने वाला है उनको लेजाकर मैनेजर कायम कर दिया। इस प्रकार की स्थिति राज्य के निगाह में होते हुए भी कुछ काम नहीं होता। सहकारी विभाग खुला हुआ है। जिलास्तर के अधिकार कभी तो जाकर देखें कि किस प्रकार से उनका गठन हुवा मिटिंग में जाकर शरीक होवे कि सहकारिता का गठन हुआ है वह ठीक हुआ या नहीं। जाकर उनको देखना चाहिये। माननीय मंत्री महोदय आप जानकारी करें इस बात की। मुझे इस बात का गर्व है और खुशी है कि हमारे सामुदायिक विकास मंत्री पंचायती राज के कारण ही मंत्री बने हैं। और आपको अच्छी तरह से मालूम है, आपके सामने कोई हम बात कह रहे हैं वह नयी बात नहीं है, आप सारी बातों के जानकार हैं। आपको मालूम है कि जिन मेम्बर्स को दोषी ठहराया जा रहा है और सहकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को दोषी ठहराया जा रहा है, वे बिलकुल निर्दोष हैं। समितियों को खाद दी जाती है इन्सपेक्टरों के द्वारा, वह समिति में काम करने वाले मैनेजर हैं उन्हीं को दे दी जाती है और वह खाद का ब्लैक करते हैं। मेम्बर्स जानते तक नहीं। इस प्रकार इसका दुरुपयोग हो रहा है। जब फसल का समय होता है, फसल बोने के पहले काश्तकार को लोन मिलना चाहिए, उस समय फार्म भरने का टाइम होता है और जब फसल बो दी जाती है तो उनको जबरदस्ती लोन दे दिया जाता है और फिर दो तीन महिने बाद ही वसूली शुरू हो जाती है। इस कारण सहकारिता के पीछे जो विश्वास होना चाहिए वह विश्वास नहीं जमा। मैं खास तौर से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। केवल नाम मात्र का प्रजातंत्र है। यह तो एक मात्र सरकारी तंत्र है। राजस्थान सरकार का सारे काम, सारी जिम्मेदारी को समझने के लिये जनता के प्रतिनिधि काबिल नहीं हैं और बस यही सरकारी कर्मचारी काबिल हैं। वह क्या करते हैं, बैठे बैठे तनख्वाह खाते है। सभापति महोदय, हमारे यहां इमर्जेन्सी लागू हुई लेकिन उनके ऊपर कोई इमर्जेन्सी लागू नहीं है। इन्सपेक्टर्स आते हैं और वह यही बात सोचकर आते हैं कि आज कितना पैसा कमाकर ले जाना है और अपनी जेब गरम करके चले जाते हैं। आप उनके टूर प्रोग्राम को देखिये कि जिला अधिकारी कहां कहां गये और किन किन पंचायतों और पंचायत समितियों में गये और किन किन मीटिंग में वह बैठे। आप देखेंगे कि वह कहीं नहीं गये और बैठे बैठे तनख्वाह ले रहे हैं। यह सारी स्थिति है।

आपको मालूम है कि हमने मेहनत करके ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया और वन सहकारी समितियों का निर्माण किया। यह वन सहकारी समितियां आदिवासियों को ठेका देने के लिए बनाई लेकिन अधिकारियों ने उनकी पूंजी को समाप्त कर दिया। उन्हीं के आदमियों को सेक्रेटरी बना दिया और कोई हिसाब नहीं है। आदिवासी बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिए उनको गुमराह करते हैं कि आज उदयपुर जा रहे

(श्री किशोरीलाल शर्मा)

हैं, आज जयपुर जा रहे हैं, खर्च करके गुल-छर्रे उड़ा रहे हैं और सहकारी समितियों की पूंजी को यह अधिकारी और कर्मचारी लोग समाप्त कर रहे हैं।

इसी तरह से सलूम्बर के अन्दर बुनकर सहकारी समिति का निर्माण कराया। आज वह सहकारी समिति कागजों में है। उसका कोई काम नहीं है। इसलिए मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि इन सहकारी समितियों को जिन्दा रखना है क्योंकि इस देश में सहकारी व्यवस्था के सिवाय दूसरी कोई उचित व्यवस्था नहीं है। हमारी समाजवादी व्यवस्था है, गरीबों को ऊंचा उठाने की व्यवस्था है वह बिना सहकारी समितियों के नहीं हो सकती। आज जो उपभोक्ताओं को सुविधायें देने की व्यवस्था है वह सहकारी समितियों के माध्यम से ही हो सकती है क्योंकि जो एक शोषक वर्ग है उसके हाथ में व्यापार हम नहीं दे सकते। इसलिए कृपा करके इसमें आमूल परिवर्तन कीजिये। अच्छे आदमियों को इसमें लाइये और जन प्रतिनिधियों का विश्वास कीजिये जन प्रतिनिधियों को लाने के लिए जनतांत्रिक तरीकों से चुनाव करायें ताकि अच्छे आदमी इसमें आ सकें और चोर और डाकुओं को निकाला जा सके।

मैं सहकारी समितियों के बारे में निवेदन करता हूं कि सहकारी पद्धति ही उत्तम है। हमारे देश के लोगों ने जो इसके प्रति आस्था रखी है उसके पीछे बहुत बड़ी भावना थी। उसको मद्देनजर रखते हुए इसको सुदृढ़ बनायें और जन प्रतिनिधियों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दें। इन्सपेक्टर्स बैठे हुए हैं वहां दो दो, एक तो पंचायत समिति के अन्तर्गत इन्सपेक्टर है और एक बैंक के अन्तर्गत इन्सपेक्टर है। वह दोनों आपस में झगड़ते हैं और मुफ्त की तनख्वाह खाते हैं, काम करते नहीं कुछ भी और गुलछर्रे उड़ाते हैं। आप इनको ठीक करने की व्यवस्था करें।

जहां तक सामुदायिक विकास का प्रश्न है सामुदायिक विकास के बारे में मैं आपको बताऊं कि पंचायती राज्य की जो बुनियाद डाली उसका काम पहले डवलपमेंट डिपार्टमेंट काम करता था। हमने देखा पंचायती राज्य के अन्दर रह कर कि पहले जो गड़बड़ घोटाले हुए। जिन कामों को मेजरमेंट बता-कर पूरा कर दिया गया उन पर एक पैसा खर्च नहीं हुआ। ऐसे कई उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं। पंचायती राज्य के अन्दर जो स्वयं काम करने वाले हैं, अपना परिश्रम करके, अपनी खुद की पूंजी खर्च करके, अपना समय देकर और बिना कुछ लिये दिये काम करने वाले लोग हैं उनको आज दोषी ठहराया जाता है। मुझे आप क्षमा करें आज हमसे ज्यादा वह अच्छे हैं। हमसे ज्यादा त्यागी हैं, हमसे ज्यादा काम करने वाले हैं, हमसे ज्यादा अच्छे लोग हैं। हम तो यहां स्वार्थ के लिए बैठे हैं। उनको कोई स्वार्थ नहीं है। वह राज्य से एक पैसा भी नहीं लेते। आप जो भी प्रोग्राम देते हैं वह काम पंचायतें दौड़कर करती हैं और वाहवाही आफिसर्स लेते हैं। अभी कर्ज वसूली के बारे में बताऊं, परिवार नियोजन के बारे में लें, अल्प बचत के बारे में लें—जो भी काम आप देते हैं पंचायतें, पंचायत समितियां के लोग दौड़ते फिरते हैं और इनाम मिलता है सरकारी अधिकारियों को। पंचायतों को हमने दिया क्या है? आपने जो उनके पास आदमी रखा है वह भी ऐसा है कि जो 15-20 रुपये पाने वाला है।

(श्री किशोरीलाल शर्मा)

उसको सेक्रेटरी कहते हैं । अब वह अपने ढंग से काम करता है। आप उनको अच्छा पढ़ा लिखा आदमी दीजिए जो कि मैट्रिक कम से कम पढ़ा लिखा हो और वह सारी व्यवस्था करे जिससे सुचारू रूप से पंचायतों का काम चल सके। हड्डियों का ठेका पंचायतों ने ले लिया या जिला परिषद् ने ले लिया या तालाबों के नाम से चर्चा चली थी ऐसे तालाब उनको दे दिये जिनसे एक पैसा भी वसूल नहीं होता है। आज जहां तक पंचायतों को देने का सवाल है वह कुछ नहीं है फिर आप उनसे क्या प्राप्ति करने की आशा रख सकते हैं ? पंचायती राज के अन्दर जो उपलब्धियां हुई हैं मैं आपको बताऊं कि वह अवर्णनीय हैं। पंचायत क्षेत्रों के अन्दर हजारों रुपयों का काम जन सहयोग से कराया गया है। स्कूल की बिल्डिंग्स बनाई आयुर्वेद औषधालयों के लिए भवन बनाये, पानी पीने के कुए बनाये, कच्ची सड़कें बनाई- यह सब जन सहयोग से काम हुए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे यहां एक लाख रुपये की स्कूल की बिल्डिंग जन सहयोग से बनी। जहां पंचायतों को हम दोषी ठहराते हैं और जिनके बारे में हम कहते हैं कि यह बेईमान है तो सोच कर कहना चाहिये। आखिर वहां जिम्मेदार लोग हैं। उनकी भी हैसियत है। तो आज जो कुछ मैं सुन रहा हूं तो मुझे दुःख होता है। मंत्री महोदय पंचायती राज की ही उपलब्धि हैं, आज कई एम. एल. ए. हैं वह भी पंचायती राज की उपलब्धि है

श्री खेतसिंह : सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि सदन का समय आज की मांगें पास हों तब तक के लिए बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि आज का समय प्रस्तुत मांगें पास हों तब तक के लिए बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

(सदन का समय बढ़ाया गया)

श्री किशोरीलाल शर्मा : तो सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायती राज और पंचायत संस्थाओं को अगर प्रजातंत्र के अन्दर जिन्दा रखना हैं तो पंचायती राज को सक्षम बनाना चाहिए और उसको सक्षम बनाना पड़ेगा। आज राज्य की ओर से मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपने इसके लिए रकम रखी है पंचायती राज को देने को, वह कुछ भी नहीं है और उनसे काम कराने की आप अपेक्षा करें, तो कैसे कर सकते हैं।

(व्यवधान—अश्रव्य)

मैं सुनूंगा आपकी बात। आप तो स्वयं जानते हैं, आपने देखा भी है कि पंचायतों को कुछ नहीं मिल रहा है। आप तो स्वयं उसी के प्राणी है। आज पंचायती राज के बारे में मैं आपको बताऊं कि जिला परिषद जैसी बहुत बड़ी संस्था जिला स्तर पर है उसके प्रमुख के पास जीप नहीं है। आप अपने पड़ोसी राज्यों को देख लीजिए, गुजरात को देख लीजिए, महाराष्ट्र को देखिये, वहां पर प्रधान के पास जीप रहती है, प्रधान के रहने के लिए बंगला है और प्रधान कई प्रकार के नियमों में अपना वर्चस्व रख सकता है। यहां तो साधन तक नहीं दे रहे हैं। आपने इनको इस तरह से रख रखा है जैसे कि ठिकानों के

(श्री किशोरीलाल शर्मा)

टाइम में रहते थे, मुसम्मात के तौर पर पंचायतीराज को चला रहे हैं। जन प्रतिनिधि क्या 28 साल में अब भी योग्य नहीं हुए हैं, काबिल नहीं हुए। सारे अधिकार सरकारी तंत्र के हाथ में हैं जो जनता के जूता लगा कर खड़ा रखते हैं और ऊपर से वाहवाही लूटते हैं। यह हमारी व्यवस्था चल रही है, इसको माननीय मंत्री महोदय आपको देखना है। आपका इन पर बहुत बड़ा अंकुश हो। हमारे क्षेत्र के अन्दर जो तबाही इन लोगों ने मचा रखी है और ऊपर ईनाम और लेते हैं और वाहवाही लूटते हैं। यह राजस्थान में हो रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसको आपको देखना है। पंचायत समिति में कहीं ट्रांसफर करने का प्रश्न हो, नियुक्ति करने का प्रश्न है या छोटी मोटी बात करने की, कोई काम करने की बात है वह अधिकार बी. डी. ओ. को दिए। क्या प्रधान की हैसियत है, क्या प्रमुख की हैसियत है। आपने विकेन्द्रीकरण तो कर दिया लेकिन कोई स्थिति नहीं है प्रधान की पंचायती राज में। इससे तो अच्छा है कि आप उसको हटा दें, उसको जाना पड़ेगा तो इज्जत तो रह सकती है। कोई भी काम हो करेगा तो वह स्वतंत्र रूप से काम करेगा, मेहनत वह करेगा, गांठ का खर्चा वह करेगा, आने जाने वालों की मेहमानबाजी का खर्चा वह करेगा और ईनाम दूसरों को मिलेगा। बड़ी आश्चर्यजनक बात है।

इसके साथ ही नगर आयोजन के बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। नगर आयोजन के लिए यह निवेदन करना है कि नगरपालिकाओं को कुछ देना चाहिए। जो कुछ अभी दिया जा रहा है वह नहीं के बराबर दिया जाता है। आज कल जो मैला ढोने वाले लोग हैं जिनको बहुत कम तनख्वाह में रखा जाता है, उनको टाइम पर पैसा नहीं मिलता है और आज रखा और दस दिन के बाद निकाल दिया। चेयरमैन साहब कहते हैं कि तुमको निकाल दिया। सेक्रेट्री साहब ने कह दिया कि तुम्हारी छुट्टी है। वह कहां जाय, किस जगह जाय। कहां नौकरी ढूंढने जाय। उसको खाने पीने को भोजन नहीं मिलता। आपके यहां मैला ढोने का काम करता है, सफाई करता है और स्थाई रूप से रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं हो और उसको नौकरी से निकाल दें तो वह कहां पर जाकर काम करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वहां का सारा साधन टैक्स पर लगा रखा है। हर बात का टैक्स। टैक्स बढ़ाओ और अपने साधन बढ़ाओ, राज कोष से कुछ लेना देना नहीं। इसलिए आज राज कोष से कितना उसको पैसा मिले यह कृपा करके आप देखिये। कितनी ही नगरपालिकाओं को विशेष अनुदान राज कोष से देने की आवश्यकता पड़ेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, आपने दूसरों को डेढ डेढ घण्टा दो दो घन्टा आपने बोलने दिया। हमें एक तो वैसे ही बहुत देर से समय मिलता है और फिर ऊपर से जल्दी रोकने की कोशिश की जाती है।

श्री सभापति : कोई खास बात हो तो बताओ।

श्री चेतराम : जो बता रहे है वह खास बात नहीं है।

श्री किशोरीलाल शर्मा : अभी प्लाट देने की बात कही गरीबों को, आदिवासियों को प्लाट देने की बात कही गई लेकिन लोगों को प्लाट कहां पर मिले हैं। नालों पर प्लाट मिले हैं, पहाड़ों के ऊपर प्लाट मिले हैं और उस पर भी पैसा लगाया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन प्लाटों को लेकर वह क्या करेगा। न तो वह पैसा लगा सकता है और न बस सकता है। इसलिए आप खास तौर से प्लाट देना चाहते हैं तो उनको अच्छा प्लाट दीजिए। साथ ही लोन देना है तो लोन दीजिए और मकान बनाने की व्यवस्था कीजिए। फ्लड के टाइम में मेरे यहां हरिजनों की बस्ती थी, हरिजनों के मकान थे, जो फ्लड में टूट फूट गए, झोंपड़ी भी नहीं रहीं उनकी, बहुत ही दुर्दशा हैं उन बेचारों की। इसलिए मेहरबानी करके नगर विकास की ओर अगर ध्यान देना है तो नगर विकास के साथ साथ इन पिछड़े हुए लोगों को, उन गरीब लोगों को उठाने की बात भी करनी है। इसी तरह से उदयपुर शहर के लिये सभी साथियों ने कहा। वास्तव में यह बात सही है कि जिलाधीश महोदय को टाइम नहीं मिलता है। मैं भी सद्भाग्य से या किसी तरह से एक मीटिंग में जा पाया था। उसके बाद भी मीटिंग बुलाई ही नहीं गई और सैकड़ों दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं। काम करने की आवश्यकता है लेकिन वह काम होता नहीं है। आपने सारे के सारे अधिकार केन्द्रित कर रखे हैं। इसलिए सबसे पहली बात तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस ढांचे में सुधार करना चाहिए, उसका विकेन्द्रीकरण कीजिए, जन प्रतिनिधियों पर विशेष भरोसा कीजिए, उनको अधिकार दीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज भी कई काबिल लोग इस प्रदेश में बैठे हुए हैं और वे अपनी काबलियत से बहुत बढ़िया काम करके दिखा सकते हैं। लेकिन हम उन पर भरोसा नहीं करते। यह कितने दुर्भाग्य की बात है कि आज 28 साल के बाद भी हमें जन प्रतिनिधियों पर भरोसा हुआ नहीं। मैं कहना चाहता हूं, मंत्री महोदय आपको कि आप भी इन्हीं लोगों में से आए हैं और आज आप राजस्थान का शासन चला रहे हैं। आपके साथी इतने अयोग्य नहीं हैं, वे भी आपकी सरकार चला सकते हैं, शासन को सुचारु रूप से चला सकते हैं। उन पर आप भरोसा कीजिए और उनके हाथ मजबूत कीजिए। वे सुदृढ़ बनेंगे तो प्रजातन्त्र सुदृढ़ बनेगा।

यही कहते हुए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। मैं यह मानता हूं कि आप बहुत सक्षम अधिकारी हैं और पंचायतीराज के ही प्राण हैं।

श्री सभापति : श्री भीमाराम।

श्री भीमाराम (डीडवाना) : सभापति महोदय, आज की मांगों पर जो विचार हाउस में हो रहा है, उसके विषय में मैं भी कुछ हमारे इलाके की समस्यायें हैं वह बताना चाहता हूं। सबसे पहले पंचायती राज का जिक्र चल रहा है। हमारी पंचायत समिति में सन् 59 से ले करके और सन् 76 आ रहा है अभी तक यूटिलाइजेशन सर्टीफिकेट किसी सरपंच को नहीं मिला है। जो पंचायत समितियों को अनुदान दिया है कुए का, स्कूल भवन का या कोई दूसरे कामों का उसका कोई यूटि-

(श्री मोमाराम)

लाइजेशन सर्टीफिकेट नहीं मिला है। इसके बारे में जिला परिषद में कई दफा चर्चा कर चुका हूं। हमारे यहां दो पंचायत समितियां हैं और चार ओवरसियर हैं। एक ओवरसियर को कहीं दो पंचायत समितियां दे रखी हैं और कहीं तीन दे रखी हैं। अगर वह कहीं के एस्टीमेंट बना देता है और उनका मुआयना कर लेता है लेकिन असिस्टेंट इन्जीनियर टाइम पर नहीं आने से यूटिलाइजेशन सर्टीफिकेट सरपंच को टाइम पर नहीं मिलता। सभापति महोदय, यहां तक हुआ कि जिन्होंने नालियां वगैरह बनाई वह काफी समय निकल जाने से टूट फूट गईं और उनके ऊपर खर्च हुआ पांच सौ रुपया अभी भी माथे चल रहा है।

इसी तरह से पंचायत समिति डीडवाना में एजूकेशन कर लगाया। उस कर के बारे में यह प्रस्ताव पास किया गया था कि 25 पर्सेंट तो पंचायत समिति खर्च करेगी और 75 प्रतिशत पंचायतें खर्च करेंगी। उस कर को हमारे वहां पटवारी उगाता है। उस कर का नाम 'झुग्गी कर रखा था। वह कर पांच रुपया लगता है तो जिसके घर में पांच व्यक्ति हैं उसके भी वही कर लगेगा और जिसके घर में बीस व्यक्ति हैं तो उसके घर में भी वही लगेगा। प्रति घर कर लिया गया। उस कर से वसूली करीब दो लाख रुपया हुई जो पंचायत समिति डीडवाना में पड़ी है। वह जो कर लगाया गया था इसलिए लगाया गया था कि एजूकेशन फण्ड में पैसा खर्चा किया जाएगा। पंचायतों को वह दिया जाएगा, वह पंचायत एजुकेशन फण्ड में खर्चा करेगी, स्कूल की रिपेयर करायेगी या स्कूल में उस पर्पज के लिए खर्च किया जाएगा। जो पच्चीस प्रतिशत पंचायत समिति खर्च करेगी वह खर्च करेगी पंचायत समिति एजूकेशन में, जैसे कोई फर्नीचर है या शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उनके लिए खर्चा करना है या गरीब बच्चा जो फर्स्ट आता है उसको आगे बढ़ना है तो दस हजार तक का लोन ले सकता है। सभापति महोदय, वह लोन गरीब के बच्चे को न मिल कर एक हमारे साथी को जरूर मिला है, बाकी वह ज्यों का त्यों पड़ा है चाहे होनहार बच्चा हो या ना-होनहार बच्चा हो। दूसरा रहा पंचायतों के खर्चा करने का सवाल, हमने विकास अधिकारी से बात की, विकास अधिकारी ने कहा कि हमारे यहां तो मिनिस्टर के आफिस से मंजूरी आती है तब पैसा देते हैं। तो कब वहां पर मंजूरी आवे और कब हमको पैसा मिले। हर गांव में लास्ट ईयर और बिफोर लास्ट ईयर, चार साल से मकान नहीं है। पट्टियां टूट गई हैं। उसके लिए मंत्री महोदय जांच करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। आज वहां की पट्टियां टूट गई हैं और लड़के पेड़ के नीचे बैठे हैं। तो जो हम ने कर लगाये हैं, वह गांव वालों पर लगाये हैं, इन गरीबों पर कर लगाये हैं। इन गरीबों से कर वसूली की एक छोटी सी मिसाल, जो हमारे गांव की है, बताना चाहता हूं। हमारे यहां जो नट जाति के लोग हैं वे बाहर चले जाते हैं। चार, छ: महीने में वापिस आते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं होता है, बिस्तर और ढोलकी इत्यादि होती है। उनसे कर वसूल किया गया। पटवारी आया और उनकी ढोलकियों को नीलाम कर के टैक्स वसूल किया। इसके बावजूद पंचायत समिति उस धन को खर्च करने का

(श्री भोमाराम)

अधिकार नहीं रखती है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन करना है कि कम से कम हमारा जो पैसा है वह तो हमारे स्कूलों के लिये खर्च किया जाना चाहिये। सभापति महोदय, यह जो स्कूलों का सवाल है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर कम से कम 85 मास्टरों की लास्ट ईयर की वैकेन्सी हैं। अभी तक इनको भरा नहीं गया है। एक मास्टर और 500 लड़के, एक मास्टर और 250 लड़के हैं। वह क्या पढ़ाता है? सभापति महोदय, अभी अभी एक नया लैटर निकला है उसमें लिखा है कि मिडिल स्कूल को पंचायत समिति अपने पास की स्कीम्स से पैसा नहीं देगी। हमारे पास मिडिल स्कूल, गांव वालों के पास मिडिल स्कूल कौन से हैं। पंचायत समिति के पास कोई मिडिल स्कूल नहीं हैं। जिस गांव में मिडिल स्कूल चल रहा है तो प्राइमरी स्कूल भी चल रहा है अलग से स्कूल नहीं है।

सभापति महोदय, इसके अलावा खाद और बीज की व्यवस्था पंचायत समिति की मार्फत होती है। वह न तो टाइम पर आता है और न टाइम पर देती है। डिप्टी डी.डी. ओ. से एप्रूवल लेनी पड़ती है और वह टाइम पर नहीं आती है। उसके बाद जो खाद, बीज आता है, वह लोगों पर थोप दिया जाता है।

सभापति महोदय, हमारे डीडवाना तहसील के अन्दर एक मार्केटिंग सोसाईटी बनी हुई है। कन्ट्रोल की जो चीजें हैं वे उसकी मार्फत लाई जाती है। यह कोआपरेटिव सोसाइटी बोगस है। हमारे नागौर, मेड़ता में बाढ़ आई, दस रुपया किराया देकर भी वह माल नहीं ला सकी। सभापति महोदय, नहीं लाने का कारण क्या? हमारी मार्केटिंग सोसायटी में कुछ गलत लोग हैं। पैंतीस हजार रुपया इस मार्केटिंग सोसाइटी का डूब गया है इसकी कोई जांच, इन्क्वायरी नहीं है। कोआपरेटिव बैंक नागौर में है। हम लोगों ने खोल कर देखा उसमें कुछ नहीं है। इस सोसाइटी ने एक प्लाट असिस्टेन्ट इन्जीनियर इलेक्ट्रिसिटी को बेच दिया। इसी तरह मार्केटिंग सोसाइटी से जनता को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। इसलिए मैं तो मंत्रीजी से दरख्वास्त करूंगा कि वे इस सोसाइटी को डिजोल्व करके नये चुनाव करावें या फिर इस कोआपरेटिव सोसाइटी को ही बन्द कर देना चाहिये।

हमारे नागौर डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक है, कोआपरेटिव बैंक। इसमें लॉस है। कोआप-रेटिव सैक्टर का बैंक है। जब यह बैंक लास में जा रहा है तो इसका इन्तजाम होना चाहिये। हमारे यहां के जो नौकर थे, उनको निकाल दिया गया है और दूसरे आदमी को भेज दिया है। जो निकले उनको तीन सौ रुपया तनख्वाह मिलती थी और जिसको भेजा है उसको आठ सौ रुपया मिलता है। यह तो सफेद हाथी है जो डिस्ट्रिक्ट में जाकर बैठा हुआ है। तो कोआपरेटिव बैंक कैसे ऊंचा आयेगा इसके लिए सोचें। इसके अलावा वहां पर डेपूटेशन पर कुछ इन्सपेक्टर है। वे कुछ नहीं कर रहे हैं। टी. ए., डी. ए. उठा रहे हैं और मौज कर रहे हैं। इसी तरह से आपने कोआप-रेटिव का लोन वसूल करने के लिए जिनको भेजा है, वे लोन वसूल करके उसको खर्च कर रहे हैं। वे वापिस नहीं देने वाले हैं। इस तरह यह बैंक डूब रहा है। इसको आप देखें और बंद करें। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) एक मिनिट।

(श्री भोमाराम)

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। अभी बीस सूत्री कार्यक्रम लागू किया गया है। इसके लिए वहां के विकास अधिकारी, तहसीलदार की गाड़ी दौड़ी, पंचायत समिति की मीटिंग हुई। सब लोगों ने यह तय किया कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के और जो गरीब आदमी है उनको मेम्बर बनाया जाये और उनको लोन दिलाया जाये कोआपरेटिव सोसाइटी की मार्फत। हम सब गये लेकिन कोई मेम्बर बनने को तैयार नहीं हुआ। जो भी मेम्बर बन गये उनकी लोन की एप्लीकेशन दी तो कोआपरेटिव बैंक के पास रुपया नहीं। इन गरीबों ने 11/- 21/- रुपये इधर उधर से लेकर दिये लेकिन उनको लोन नहीं मिल रहा है। इस तरह कोई भी फार्मूला निकाला जाये तो वह ठोस फार्मूला निकाला जाये कि उनको लोन मिले या न मिले। इसकी चर्चा यहां होती है कि इस तरह की आपके कोआपरेटिव सेक्टर में काफी गडबड़ियां हैं। आम राजस्थान की यही हालत है। जब तक इस कोआपरेटिव सेक्टर में कर्मचारी, अधिकारी, सदस्य, और डाइरेक्टर ईमानदार नहीं आएंगे तब तक आपको यह कोआपरेटिव सेक्टर सफल नहीं होगा, फेल होगा और उसी के साथ आपका यह बीस सूत्री कार्यक्रम भी फेल होगा। यह हमारी भविष्यवाणी है। यह मेरी भविष्यवाणी है। यह आज से नहीं सन् 47 से है। आज की नहीं है।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : यह तो सफल हो रहा है।

श्री भोमाराम : बीस सूत्री कार्यक्रम से कुछ उम्मीदें थीं वे पूरी नहीं हो रही है।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : सत्य सिद्ध होगा।

श्री भोमाराम : मैं फौजी हूं, बहुत दुनियां देखी है। जिस टाइम आपने इंगलैंड का नाम नहीं सुना होगा, उस टाइम वहां जाकर देख आया हूं।....

मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारे डीडवाना में जिन्होंने इस कोआपरेटिव सोसाइटी को बनाया है....

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : आपको कुछ नहीं मालूम है..

श्री भोमाराम : मैंने देखा है, इसलिए कह रहा हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय मैं कुछ म्युनिसिपैलिटी और नगर विकास के सम्बन्ध में कहूंगा। यहां पर मेरे भाइयों ने कहा, हरिजनों का इस्तेमाल सिर पर मैला ढोने में किया जा रहा है। यह शर्मनाक है और इससे देश की तरक्की नहीं हो सकती। जो बीस सूत्री कार्यक्रम है, उसकी अवहेलना हो रही है। सभापति महोदय, डीडवाना में हरिजनों को तनख्वाहें नहीं देते हैं। एक एक हरिजन के दो दो हजार रुपये म्युनिसिपैलिटी में निकल रहे हैं। सभापति महोदय, जो आदमी सुबह निकलता है और हम जिस समय सोते पड़े रहते हैं वह झाड़ू लगाकर सड़कों की सफाई करता है, आज उसको पैसा नहीं दिया जा रहा है। सभापति महोदय, मैं आपको यहां तक बताऊंगा कि वहां पर एक कन्वीनर महोदय हैं वह अपना टी. ए. और डी. ए. माहवारी तो उठाते रहते हैं और सेक्रेटरी को तनख्वाह नहीं। यह तो आपके विकास का

(श्री भोमाराम)

हाल हो रहा है और आप कहते है कि 20 सूत्री कार्यक्रम चलायेंगे । कैसे चलायेंगे । हरिजनों को उनकी तनख्वाह के दो-दो हजार रुपये नहीं देते हैं और कहते हैं कि 20-सूत्री कार्यक्रम चलायेंगे । यह नारा है, थोथा नारा है ।....

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा: यह रुक नहीं सकता आप कितना ही कुछ कर लें ।

श्री भोमाराम : आप जैसे समझदार आदमी है लेकिन उनकी तनख्वाह बाकी है ।

सभापति महोदय, इस म्युनिसिपैलिटी में पानी आया है । उस एरिया में पानी भरा पड़ा है और मच्छर हो रहे हैं और बीमारी हो रही है । गरीबों के पास इलाज का पैसा नहीं है और उनकी सुनवाई नहीं होती है । गरीब हरिजन परसों ही मेरे पास आये हैं और कहा है कि पैसे नहीं हैं । मैंने प्रशासक से कहा तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है । आप विकास की बात कर रहे हैं । आप प्लाट तो दे रहे हैं लेकिन उनको खाने पर लाला पड़ा हुआ है । इसी तरह म्युनिसिपल एरिया में जो मकानों के प्लाट अभी दे रहे हैं उसमें आपने कहा कि 250 रुपये प्रति प्लाट जमा कराओ और उसके बाद में प्लाट लो । गरीब आदमी हैं जिसके पास में रहने को मकान नहीं है वह 250 रुपये कहां से लायेगा ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री जयकिशनलाल 'तोसावड़ा : भूल गये ।

श्री भोमाराम : सभापति महोदय, लाइट नहीं है । सड़कें बिलकुल अन्धेरी हैं । आपके घरों में लाइट है लेकिन वे तो सड़कों की लाइट से ही काम चलाते हैं । पीने के पानी की टूंटी नहीं लगी हुई है और रोड लाइट की म्युनिसिपैलिटी पूर्ति नहीं करती है तो क्या विकास करेंगे ?

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, एक बात मैं और कहना चाहता हूं । हमारे यहां पर पंचायत भी है और म्युनिसिपैलिटी भी । दोनों का कमांड होने के बाद वहां पर पंचायत में लोगों ने मकान बनाये 68, 69, 70 और 71 में और आज तक म्युनिसिपैलिटी ने न तो अपने चार्ज में लिये हैं और न कोई कार्यवाही की है । मकान बने हुए पड़े हैं । कोई नोटिस दे देता है तो 3-4 पेशियां डाल देते हैं और उसको छोड़ देते हैं ।

इसी तरह से जो नये मकान बनाना चाहते हैं अपने प्लाट पर, अपनी जमीन पर उनको इजाजत नहीं मिलती है । एक आदमी कम से कम 15 रोज तक घूमता है बाद में बड़ी मुश्किल से तमाम पूर्ति वह कर देता तब इजाजत दी जाती है ।

सभापति महोदय, मंत्रीजी का ध्यान इस ओर खेंचना चाहता हूं कि ऐसी कमियों को तो कम से कम दूर करना चाहिए ।

श्री सभापति : श्री श्रीनिवास शारदा

श्री श्रीनिवास शारदा (निम्बाहेड़ा) **:** माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम आपकी उदारता के लिए धन्यवाद । मैं समझता हूं

(श्री श्रीनिवास शारदा)

कि माननीय मंत्री महोदय को किसी विशेष करण से आज जल्दी तो है। आज की मांगों के सम्बन्ध में मैं विस्तार से उन बातों को नहीं दोहराते हुए थोड़े से, सूक्ष्म में अपने विचार रखना चाहूंगा। हमारे देश की गुट-निरपेक्षता की नीति, सोशियेलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की नीति का सारा दारोमदार और उसका पालन, मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि सहकारिता और इस मूवमेंट में जितनी तीव्र गति आये कुल मिलाकर उस पर निर्भर करता है। एक बहुत पिछड़े हुए देश होने के नाते हमारे पास सिवाय इस एक माध्यम के मैं समझता हूं और कोई विकल्प ही नहीं था। यही एक सर्वोत्तम विकल्प था उस समय। तत्कालीन स्वर्गीय जवाहरलालजी ने हमारे राष्ट्र को यह एक दर्शन दिया। लेकिन, सभापति महोदय, यह व्यक्त करते हुए अत्यन्त खेद होता है कि अब तक जितनी भी डिबेट्स इस फ्लोर पर हुई हैं, इस सदन में अथवा इस सदन के बाहर सहकारिता को अब तक केवल मात्र हमने आर्थिक दृष्टिकोण से देखा है। पैसा माइनस सहकारिता कम्स टू जीरो। कुल मिलाकर जो मैं समझता हूं यही एकमात्र निष्कर्ष निकलता है।

इसी सदन में सहकारिता के सब्जेक्ट को लेकर काफी गड़बड़-घोटाले जो सोसाइटियों में, बैंकों में, कोआपरेटिव बैंक्स और लैन्ड मोर्गेज बैंक्स में हुए, उन पर काफी चर्चाएं हुई हैं। मैं समझता हूं कि इसके पीछे किसी एक व्यक्ति को दोष देने का कोई औचित्य मुझे समझ में नहीं आता है। यह तो दरअसल एक समाज का मूवमेंट है और काम उस आदमी के सामने है जो करना चाहता है। लेकिन दरअसल सरकार को भी इसलिए एलेज किया जाता है, इसलिए एक्यूज किया जाता है कि इस मूवमेंट का सारे का सारा कार्यक्रम सरकारी अधिकारियों पर निर्भर रहा, अर्थात् सरकारी कर्मचारियों के द्वारा इस मूवमेंट का हमने प्रचार और प्रसार करने की चेष्टा की। यही कारण है मैं समझता हूं कि यह मूवमेंट अब तक इम्मेच्योर रहा है और जन-आन्दोलन नहीं बन पाया है।

जहां गड़बड़ घोटालों की बात है मैं तो आज भी इस मूवमेंट में आस्था रखता हूं और मकसद में कोई फाल्ट दिखता नहीं। तो मैं समझता हूं कि उदासीन हो जाने से किसी समस्या का समाधान हो वह समझ के बाहर है। गड़बड़-घोटाले की जहां खराबियां हैं मर्केन्टाईल कोआपरेटिव बैंक की बात आती है, सही बात है। मैं समझता हूं कि राजस्थान में उस एक बैंक के फैल्योर ने दरअसल हमारी कोआपरेटिव की जितनी फाइनेन्शियल एजेन्सीज हैं, इन्स्टीट्यूशन्स हैं, उनके सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया, लेकिन मैं इतना कन्विन्स्ड हूं कि न तो उस बैंक में स्टेट गवर्नमेंट शेयर होल्डर थी और न उस बैंक की गवर्नमेंट की किसी प्रकार की गारन्टी थी। गवर्नमेंट पर अगर कोई चार्ज किया जाय तो मैं समझता हूं कि केवल इतना सा चार्ज है कि ऐसी सोसाइटीज का रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद, पहले तो यही है कि ऐसी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन न हो, परन्तु नियमों की वजह से अगर रजिस्ट्रेशन उसका होना ही है तो भी उसके ऊपर चैक्स, वगैरह हो। इन्सपेक्शन हो यह भी बड़ा आवश्यक था। तो मैं समझता हूं कि आपकी भी जिम्मेदारी है। बहरहाल एक बैंक या दो बैंक इस प्रकार से अपने तौर पर खड़े हो

(श्री श्रीनिवास शारदा)

जायं, स्टेट बैंक की गारन्टी न हो, स्टेट गवर्नमेंट शेयर होल्डर न हो तो मैं समझता हूं कि दुनिया के लोगों के दिमाग के ऊपर इसका विपरीत असर पड़ेगा मैं समझता हूं कि सहकारी क्षेत्र में काम करने वाले हर आदमी की यह जिम्मेदारी होती है कि लोगों के सामने सही बात लाई जाय और उसकी सफाई की जाय। स्टेट गवर्नमेंट भविष्य में इस बात को खुद अच्छे तरीके से सोच समझकर ऐसी सोसाइटी को रजिस्टर करे और यदि रजिस्टर करे तो बैंक्स, काउन्टर बैंक्स और इन्सपेक्शन वगैरह की जो प्रक्रिया होती है, ऑडिट इन्सपेक्शन्स और ऑडिट नोट्स वगैरह यह सारे के सारे तैयार कराने चाहिए। जो मर्केन्टाइल कोआपरेटिव बैंक है उसने जितने भी लोगों को चीट किया है मैं समझता हूं उनमें कई समझदार भी होंगे, यानि सारे के सारे ही कमजोर वर्ग के या निर्धन हों ऐसी बात नहीं है, सर्टेन डिपोजिटर्स ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनकी हैसियत कमजोर हो लेकिन बड़े बड़े डिपोजिटर्स थे उनमें इतनी समझदारी तो जरूर थी कि वह देखते, यह जो बैंक है वह किस हैसियत का है, किस स्टेटस का है। बहरहाल उसमें ऐसा है कि स्टेट गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी शायद होती है। अब रहता सवाल यह है कि कोआपरेटिव मूवमेन्ट में जो गड़बड़ियां हैं, इसी सदन में कुछ माननीय सदस्यों ने कोआपरेटिव सोसायटियों के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा किये जाने वाले घोटालों का जिक्र किया। सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वहां पर जो सहकारी समिति थी उसका व्यवस्थापक पैसे खा गया। अब कोई पदाधिकारी किसी समिति में हो और उसका पैसा लेकर हड़प कर बैठ जाय तो इसमें दोनों की मिली-भगत होनी चाहिए। सहकारी समितियों में एक निष्पक्ष सुपरवीजन होना चाहिए वह नहीं हो पाया है और उसका परिणाम यह हुआ है कि भयंकर गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं। माननीय सभापति महोदय, सत्ता और पैसा ये दो चीजें ऐसी हैं कि जब जब और जहां जहां पर इनका प्रसार होगा निश्चितरूप से समाज में करप्शन होगा, बढ़ेगा, कुछ लोगों को लाभ होगा और कुछ को नहीं होगा। इसलिए जो भी चेयरमेन होगा वह फायदा उठायेगा। मैं कहना यह चाहता था कि हमें दरअसल करना क्या चाहिए, यह किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है। सर्वप्रथम मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और सरकार पर यह चार्ज लगाना चाहता हूं कि आखिर आपने इस महकमे को परीक्षण का विभाग क्यों बना रखा है? कितने रजिस्ट्रार और सेक्रेटरी बदल दिये। हरएक आदमी एक नई योजना और एक नई इमारत लेकर आता है, अपना दिमाग बनाता है, वह क्रियान्वित नहीं हो पाता और वह दूसरी मन्जिल की तरफ भेज दिया जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि चाहे आप केबिनेट में फैसला कर लीजिये, किसी भी तरह से आप करिये लेकिन इसको आप परीक्षण का महकमा न बनायें। अगर हमारा यह मूवमेंट तन्दुरुस्त हुआ तो सोशियलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी की जो बात करते हैं, जो समाजवाद हम लाना चाहते हैं, इससे निश्चित रूप से हमारी पालिसी को बल मिलेगा अन्यथा सफलता मिलने वाली नहीं है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि पहले तो आप यह निर्णय लीजिये जिन अधिकारियों या पदाधिकारियों को आप बैठाना चाहते हैं पहले उनकी जांच

(श्री श्रीनिवास शारदा)

करायें कि वे स्वयं सोशियलिस्ट विचारों के हैं अथवा कोपरेटर हैं या नहीं। अगर अच्छे सोशियलिस्ट विचारों के हैं और कोपरेटर हैं तो निश्चित रूपसे उनको अधिकार देना चाहिए और उनको इस महकमे का काम देना चाहिए। अगर ब्यूरोक्रेट हैं तो उनको छुट्टी दिला देनी चाहिये। पहले आप इसके बारे में निर्णय ले लीजिये।

इस सम्बन्ध में, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोआपरेटिव यूनियन हैं, जिनसे हम आज कोआपरेटिव के मूवमेंट को स्ट्रेन्थन करने की अपेक्षा रखते हैं, आज आपकी कोआपरेटिव यूनियन की हालत क्या है? मैं तो ऐसा मानकर चलता हूं, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव हो, चाहे स्टेट कोआपरेटिव यूनियन हो, वह साल भर में एक सहकारी सप्ताह भर मना लेती है और प्रचार कर देती है कि आज उद्घाटन अपेक्स बैंक में होगा या फलां जगह पर होगा। अगर हमारी कोआपरेटिव यूनियन का ढांचा ठीक ढंग से डवलप हो तो मैं समझता हूं कि जितनी भी बिजनेस कोआपरेटिव इन्स्टीट्यूशन्स हैं उनमें जितनी भी गड़बड़ियां और गोलमाल हैं, जितनी भी खामियां हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा चैक हो सकता है, बशर्ते कि यूनियन पावरफुल हो।

इसके अलावा एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि राजस्थान में इस मूवमेंट को डवलप करने के लिए आपका क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम है? जो भी थोड़ा बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम है वह मूवमेंट की आवश्यकताओं को देखते हुए पर्याप्त है या अपर्याप्त है, यह देखना बहुत जरूरी है। तभी इस दिशा में विकास हो सकता है इसलिए मैं चाहता हूं कि पर्याप्त रूप से ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहियें। यदि हम कोआपरेटिव के जरिये से मुल्क को डवलप करना चाहते हैं तो कोआपरेटिव का एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इस बात का निर्णय सरकार को लेना चाहिए, चाहे यह निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर लिया जाय अथवा प्रदेश के स्तर पर, स्कूलों और कॉलेजों में कोऑपरेशन को आप एक सब्जेक्ट के रूप में इन्ट्रोड्यूस क्यों नहीं करते? हमारे रूरल इन्स्टीट्यूट उदयपुर में इसको इन्ट्रोड्यूस किया गया है। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट भी इसको एडाप्ट करे तो क्या दिक्कत है? जब आपको मूवमेंट को डवलप करना है तो आप कृषि के साथ और विज्ञान के साथ कोआपरेशन को भी एक सब्जेक्ट की तरह इन्ट्रोड्यूस क्यों नहीं करना चाहते।

एक माननीय सदस्य : बस साहब। अब तो कृपा करें।

श्री श्रीनिवास शारदा : थोड़ा सा और है, अगर आप इजाजत दें तो। इसके साथ ही सभापति महोदय, जहां तक आडिट रिपोर्ट का ताल्लुक है, नियमित रूप से हर एक सोसायटी में आडिट नहीं होता है। आडिट रिपोर्ट जो बनती है, आपके आडिट इन्सपेक्टर्स की खातिर तवज्जह में अगर कोई कमी हो जाय तो वे पदाधिकारियों पर चार्ज लगा देंगे। ऐसे कई उदाहरण हैं— ग्राम सेवा सहकारी समिति चिकारड़ा, नारायणजी गूजर जिसके अध्यक्ष थे उनको फंसा दिया ऑडिट रिपोर्ट में, केवल 36/- का कन्ट्रीब्यूशन, सोवियत भूमि का चन्दा और 51/- रावण के मेले में कन्ट्रीब्यूशन

(श्री श्रीनिवास शारदा)

दिया वह भी प्रस्ताव पास कराकर। केवल दो माइनर मुद्दों के ऊपर तीन वर्षों के लिये डिस्क्वालिफाई कर दिया। कोई इतना बड़ा जुर्म कर दिया। ऐसे बहुत से कोआपरेटिव विभाग के अधिकारी भी सोशल एक्टिविटी के लिये कलेक्ट करवाते हैं, तो फिर क्या पाप कर दिया? केवलमात्र इसलिए कि आडिटर ने खींचातानी की, उसको पैसा नहीं दे सके। ऐसी बातें सामने आती हैं, क्या पाप कर दिया उसने। इसलिए आवश्यक है जितने भी ऑडिटर्स हैं, रिजर्व बैंक और अपेक्स बैंक के आफिसर्स भी इन्सपेक्शन करते हैं, बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में डिस्कस होता है। सोसायटी को एक निम्न श्रेणी का मानकर चलते हैं। इस भ्रांति को दिमाग से निकाल देना चाहिये। मैं चाहूंगा, निश्चित-रूप से जहां जहां ऑडिट रिपोर्ट तैयार हो, वहां समिति के, बोर्ड के सामने आपके आडिटर को डिस्कस करना चाहिये और वह मिनिट्स में आना चाहिये, उस सोसाइटी की मिनिट्स में। इस प्रक्रिया को एन्फोर्स करेंगे, तो मैं ऐसा मानता हूं कि आज जो भयंकर ऑडिट रिपोर्ट होती है, जिसके आधार पर आपका असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार 74 की प्रोसीडिंग्स चलाता है और पोस्ट मार्टम होता है, फिर स्टे सीक करते हैं, कोई ट्रिब्यूनल में जाते हैं--इस सारी दिक्कत से बचेंगे। जो पदाधिकारी आपका है, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, उसको ऑडिटर, इन्सपेक्टर को बुला लेना चाहिए और व्यवस्थापक को भी बुला कर सेटिस्फाइ कर लेना चाहिए। यह प्रक्रिया न होने के कारण बहुत बड़ी दुविधा पड़ रही है।

मैं एक निवेदन और कर देना चाहता था, डेपूटेशन पर कर्मचारियों को बैंक में, मार्केटिंग बैंक में देते हैं, भेज देते हैं। मैं समझता हूं, यह बहुत बड़ी इनजस्टिस है। आप उनकी पे-मास्टर्स का कतई ध्यान नहीं रखते हैं। जो ब्यूरोक्रेटिक आर्डर होता है, सेक्रेटरी, डाइरेक्टर को पास कर देते हैं और भेज देते हैं। यह उचित नहीं है। आप डेपूटेशन पर भेजना चाहते हैं तो 20 पर्सेन्ट डेपूटेशन अलाउन्स कर दीजिये। क्या दिक्कत है? आप आप्शन देते हैं उस कर्मचारी को, जो डेपूटेशन पर जाता है, बैंक की ग्रेड हायर हो तो वह आप्ट करे, डिपार्टमेंट के पे स्केल हायर हैं तो वह वह अडाप्ट करे। यही नहीं, बैंक की पे स्केल और ग्रेड हायर हैं तो वह आप्ट कर सके, और मेडिकल फैसेलिटी डिपार्टमेंट की हायर है तो वह आप्ट कर सकता है अर्थात् यह ऐसे एल्योरमेंट हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा और पूंजी लेने के लिए लोग भागदौड़ करेंगे। एक मोनिटरी बेनिफिट की गरज से एफीसियेन्ट की बजाय इन-एफीसियेन्ट लोग डेपूटेशन पर जायेंगे। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार का झाड़शाही आर्डर समाप्त करिये। यह तय कर लीजिये कि 20 पर्सेन्ट डेपूटेशन अलाउन्स रख लिया जाय तो अच्छा होगा। यह इन्स्टीट्यूशन्स कौनसी आपसे अलहदा हैं। आज विकास विभाग के कमिश्नर, सेक्रेटरी अपनी मर्जी से विकास अधिकारी का ट्रान्सफर करते हैं तो पूछते हैं वहां के प्रधान को, चाहे वह प्रधान एग्री करे या न करे—उसे जानकारी तो मिल जाती है कि मेरे यहां विकास अधिकारी बदला जा रहा है। यहां एक को लगाया जा रहा है तो यहां कोई कन्सलटेशन का प्रश्न नहीं है। तो डेपूटेशन इन कन्सलटेशन विद दी इन्स्टीट्यूशन हो। इन्स्टीट्यूशन के अन्दर घपले, घोटाले

(श्री श्रीनिवास शारदा)

हों तो मन आवे वह कार्यवाही कीजिये, मन पड़े जैसी तानाशाही कीजिये लेकिन उनको पूछ लीजिये । उनसे पूछ तो लें । यह नहीं कि इतना बड़ा कान्फीडेंस जन प्रतिनिधियों में लूज कर दें ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके अलावा जहां तक गड़बड़ी घोटाले का सवाल है, मैं समझता हूं, ऐसा रोग है, विश्वव्यापी रोग है, न केवल कोआॅपरेटिव डिपार्टमेंट में है, यह हर एक डिपार्टमेंट में मिलेगा । जिसका करोड़ों का बिजनेस है, लाख का घोटाला होगा, मिस यूसेज होंगे, एम्बेजलमेंट होंगे, पकड़े भी जायेंगे, सस्पेण्ड भी होंगे, रिकवरी भी होगी, किसी की आज होगी, किसी की कल होगी । लेकिन कम से कम जो प्रहरी हैं सोसाइटी के पदाधिकारी, कई सोसाइटी में आपके राज्य कर्मचारी हैं, वे सदस्य हैं, अगर वह डिफाल्टर है, उसका आपको संकेत मिलता है, पोइन्टेडली उनको डिटेक्ट किया जाता है तो उन्हें डिस्क्वालिफाइ करने में क्यों कमी बाकी रखते हैं ? जो प्रहरी है, जो चौकीदार हैं, जन प्रतिनिधि, ले मैन, उसको तो आप डिस्क्वालिफाई करने में कोई हिचकिचाहट नहीं करते । लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है, उसका इधर तबादला किया, वह पैसा खाकर बैठा है, लेकिन नोटिस तामील नहीं होता । उनका क्या इलाज है ? आप निर्णय लीजिये, विभाग से निर्देश दीजिये, किसी सोसाइटी का पैसा है, ग्राम सेवा सहकारी समिति का, मार्केटिंग सोसाइटी का, किसी का हो, उनकी सेलेरी रोक दी जानी चाहिए और उनको पैसा अदा करना चाहिए । उसे सुनने का मौका अवश्य मिल जाना चाहिए । हो सकता है, सोसाइटी की गलती हो, उसे हार्डशिप नहीं हो । लेकिन उनसे रिकवरी होनी चाहिए और उनको ए. सी. आर. में नोट लगाना चाहिए ताकि साबित हो कि इसकी नीयत क्या है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) ।

दो मिनिट, सभापति महोदय ।

एक मैं निवेदन किया चाहता था, आपका कोआॅपरेटिव सेक्टर है, यह तो दरअसल एक जनता का सेक्टर है । आज आपकी कोआॅपरेटिव में बहुत सी इन्स्टीट्यूशन घाटे में जा रही हैं, कभी आपने विचार किया कि इनको मुक्ति दिलाने के लिए हमें क्या कदम उठाना है । मुझे कोई अनडेमोक्रेटिक का चार्ज दे, लेकिन मेरी एक धारणा है, चाहे जनता के लोग हों, चाहे राज्य के लोग, चाहे सरकारी आदमी, सरकारी आदमी भी जनता में आते हैं, वह भी संस्थाओं में अपने आपको एक भागीदार समझें, नौकर न समझ कर बैठें । इसके लिए यह बड़ा आवश्यक है, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस कोआॅपरेटिव सेक्टर को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में से निकाल दीजिये । अगर आप नहीं निकालेंगे तो आपकी कोआॅपरेटिव सोसाइटी की हालत दिन पर दिन डेटिरियोरेट होगी क्योंकि शेअर होल्डर्स का पैसा है उनको डिविडेंड नहीं मिल रहा है, लेकिन कर्मचारियों के वेतन का पेमेन्ट होता है । मुझे देख कर दुःख होता है, पे-मास्टर की फटी लंगोटी है, उसके साथ में काम करने वाला आदमी है, वह टेरीलिन और टेरीकोट में है । आखिर यह अवस्था क्यों है ? आप क्यों नहीं आंख मींच कर फैसला लेते हैं समय रहते हुए ? आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट

(श्री श्रीनिवास शारदा)

में से निकालिये। वे अपने आपको भागीदार समझें। जितना बिजनेस हो इन्स्टीट्यूशन का, उसमें तय कर लीजिये, 50 प्रतिशत मुनाफा होगा, वह पचास प्रतिशत कर्मचारियों में बांटेंगे और 50 पर्सेन्ट शेयर होल्डर्स को देंगे। कहीं कहीं ऐसा होता है, घाटे में होते हुए भी कर्मचारियों को वेतन देना पड़ता है। तुम्हारा दिवाला निकलता है, निकले, मेरे लिए जो प्राविजन है, जो अवार्ड हो चुका है, जो लेबर लाज में प्राविजन कर दिया है, वह निर्विवादित रूप से दो, तुम डूबो तो भले ही डूबो। यह व्यवस्था है, यह व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। इसके लिए आप यथाशीघ्र निर्णय लें।

इसके साथ, माननीय सभापति महोदय, तीन मिनिट में मैं समाप्त करूंगा एक दो सुझाव देकर। नगर आयोजना विभाग, यह यू.आइ.टी.—यह किस मर्ज की दवा है ? क्या हम बिल्कुल डेमोक्रेसी में आस्था खो चुके हैं ? क्यों आपके नामीनेटेड आफिसियल, नॉन आफिसियल वहां यू. आइ. टी. में जाकर बैठे ? मैं कहता हूं, जहां जहां म्यूनिसिपैलिटी में हम चुने हुए लोग आते हैं, यह चुने हुए म्यूनीसिपल कौंसलर, म्यूनीसिपल मेम्बर्स में से यू. आइ. टी. के मेम्बर नामिनेट होने चाहियें, ताकि उसका स्वरूप वही का वही चुना हुआ माना जाय। बेशक मैं यह मान सकता हूं कि वेस्टेड इन्ट्रेस्ट को सेफ गार्ड करने की गरज से यह लोग दुबारा प्लानिंग कर सकते हैं, सड़क बिगाड़ सकते हैं,- सस्ती दर पर भूमि उपलब्ध करा सकते हैं, इन पर चेक लगाने के लिए आपने यू. आइ. टी. का प्राविजन कर दिया। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि हम चुने हुए लोगों में इस प्रकार आस्था खोते रहे तो वह भी कोई अच्छी बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप अपर हैण्ड दे दीजिये, आपके एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर हैं, आपके डिप्टी टाउन प्लानर हैं, टाउन प्लानर हैं उनको अपर हैंड दे दीजिये, वर्डिक्ट दे दीजिये। इनकी सिफारिश हो, वह बहुमत के खिलाफ हो तो ऊपर जाकर डिस्कस कर लें, दोनों में से कौन सही है, कौन गलत है। लेकिन आपको स्वरूप निश्चित रूप से डेमोक्रेसी का देना पड़ेगा। अन्यथा यू. आइ. टी. जो है, मैं ऐसा मानता हूं, जितने चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वह अपने मन में निश्चित मान कर चलते हैं, वह इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स फील करते हैं....

नोमीनेटेड आदमी चुने हुए लोगों से ज्यादा अधिकार पाकर बैठें यह कोई अच्छी प्रक्रिया नहीं है। अगर आप इसको उपर्युक्त समझें और प्रोग्रेसिव स्टेट की तरफ आपका विचार हो तो करके देखिये।

नगरपालिकाओं के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। उनके पास में कुछ समय पहले मनोरंजन कर था, आपने उनसे यह आय का सोर्स ले लिया। दरअसल लोकल रिसोर्सेज में इस टैक्स का कलेक्शन होता है। उस समय आपके कुछ कमिटमेंट्स थे कि हमारा मनोरंजन कर जो वसूल होगा उसका इतना शेयर हम नगरपालिकाओं को देंगे। उस दिशा में आप पुनर्विचार करें। अब तो मनोरंजन कर की बहुत बड़ी आय होने लगी है। नगरपालिकाओं की अवस्था सुधारने के लिए आवश्यक है कि उनसे लिए हुए टैक्स का निश्चित भाग उनको मिलना चाहिए आठ आने या एक रुपया कुछ भी। यह सर्टीफिकेट लिया, वह दिया, इसकी क्या जरूरत है ? आपका कमिटमेंट है, आपको निश्चित रूप से हिस्सा देना चाहिए।

(श्री श्रीनिवास शारदा)

साथ ही साथ यू. आइ. टी. नगर-पालिका व पंचायतों की डिपाजिट्स के लिए आपने फैसला लिया। पंचायत समिति की निजी आय का जो पैसा है, वह इतना बड़ा अमाउंट है वह इतने समय से नान-इन्ट्रेस्ट बियरिंग पी. डी. अकाउंट में पड़ा हुआ है। मैं समझता हूं 10 साल पहले यदि 20 लाख रुपए थे तो आज की तारीख में 45 लाख रुपए होते। मैंने एक प्रश्न भी किया था, मगर वह प्रश्न आ नहीं सका। मैं चाहता हूं कि यह पंचायत समितियों की निजी आय का जो पैसा है, यह इन्ट्रेस्ट बियरिंग डिपोजिट्स के अन्दर कन्वर्ट होना चाहिये बजाय पी. डी. अकाउंट के। इससे राज्य सरकार को लाभ नहीं हो रहा है। बैंक्स आराम से उस पैसे को यूटिलाइज कर रहे हैं बिना ब्याज के। इस दिशा में फैसला किया जाए। साथ ही साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपका यू. आइ. टी. का पैसा है इसके लिए भी आप यू. आइ. टीज को डिस्क्रीशन दीजिये कि सहकारी बैंकों के अन्दर उस पैसे को लाज कर सकें।

श्री सभापति : श्री विजयसिंह।

श्री विजयसिंह (मांडल) : सभापति जी, एक सब के लिए और सब एक के लिए। इस उद्देश्य के साथ में हमने सहकारी आंदोलन को शुरू किया। हम चाहते थे कि सारे देश का ढांचा इस सहकारी आंदोलन पर निर्भर करे, हमारा आर्थिक तंत्र जितना है, सहकारिता के मार्फत चले लेकिन अफसोस है कि आज तक इसके अंदर सफल नहीं हो सके। सहकारी समितियों को अगर हम चाहते तो अब तक एक ऐसा वायबल यूनिट बना देते, जो जिस गांव में सोसाइटी होती, उसका सारा व्यापार अपने हाथ में लेती, वहां का हर नागरिक सोसायटी का सदस्य होता। वहां की उपज और पैदावार संस्था खरीदती और गांव की सारी जरूरत को बाहर से खरीदकर पूरी करवाती। इस तरह से वायबल यूनिट्स बनाते तो बहुत बड़ी उपलब्धि सहकारिता आंदोलन में होती और हमारे अर्थ तंत्र को सुधारने में मदद मिलती। लेकिन इस बात पर आकर अटक गए कि केवल ऋण देना, वितरित करना और इन्सपेक्टर्स, सहायक रजिस्ट्रार, इत्यादि का इसमें लग जाना। यह एक बहुत अच्छी शुरुआत नहीं हुई। शुरुआत दरअसल इस बात से होनी चाहिए थी कि वह यूनिट होता जो गांवों की सारी जरूरत को पूरी करता। हमारे दिमाग में केवल ऋण देने की बात नहीं थी। हमारे देश के कर्णधारों के दिमाग में यह बात थी कि ऐसी संस्था बनाई जाए जो सेल्फसफीशियेंट हो, गांव की सारी जरूरत को पूरा करें लेकिन जो निरीक्षक या सहायक निरीक्षक सहकारी संस्थाओं के हैं वे केवल अपना लोन रजिस्टर बनाते हैं, रकम लाकर जिन जिन को वितरित करनी है वितरित कर दी, इसके साथ ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। वे यह भी नहीं देखते कि लोन का उपयोग हुआ या नहीं। खाद के लिए जो रकम मिली है वह खरीदी भी या नहीं। अगर कुए पर रकम लगानी है तो वह लगी या नहीं। वे यह भी नहीं देखते कि बीज खरीदने के लिए पैसा लिया है, वह उस काम में लगाया अथवा ब्याह शादी में लगाया या और किसी

(श्री विजयसिंह)

कुरीतियों में लगा दी। इसलिए मैं समझता हूं मंत्री महोदय, सहकारी संस्थाओं को अच्छी तरह समझते हैं और मंत्री बनने से पहले भी उन्होंने समझा है इसलिए जो जो इसके अंदर कमियां हैं और जो काम इन्सपेक्टर्स और अधिकारियों को देना चाहिए वह इस ढंग से देना चाहिए जिससे वायेबल यूनिट्स बनकर सफल संस्थायें बनें। आज संस्थाओं की तरफ देखें तो धनी लोग, जमाखोर या बोहरे लोग इनमें भरे पड़े हैं और धन का दुरुपयोग हुआ है। जिस जरूरतमंद को रकम मिलनी चाहिए थी उसको न मिलकर सरकार से उधार लेकर दुगुने ब्याज पर उधार दे रहे हैं। इस तरह की स्थिति गांवों में देखने को मिलती है। जो धन का अनुचित उपयोग करने वाले व्यापारी हैं, जो सरकार से पैसा लेकर दुगुने ब्याज पर फिर देते हैं, कम से कम उनको निकालने का कार्यक्रम आंदोलन के रूप में बनाकर चलाना चाहिये। ऐसी कोई सहकारी संस्था नहीं है जिसके अन्दर ऐसे लोग न हों जो खुद ऋण देते हैं। आज इन्सपेक्टर्स वगैरह का भी इन्वाल्वमेंट और एम्प्लीकेशन है। सहकारी सोसायटीज के इन्सपेक्टर्स उस रकम को अपने निजी उपयोग में लेते हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं और झूठी अंगूठा निशानी लगाकर. लोन-रजिस्टर भरकर रकम ले जाते हैं और सोसायटी का मैनेजर और वे दोनों मिलकर उस रकम का दुरुपयोग करते है। जिस आदमी के नाम से लोन मिला है उसका पता ही नहीं चलता। उसके बाद में हम यह आशा करें कि एक अच्छी प्रवृत्ति की तरफ जा रहे हैं और सहकारी आंदोलन को सफल बना पायेंगे, यह नामुमकिन है।

इसके अलावा आप देखें कि वसूली के अंदर कितनी धांधली हुई। जिन लोगों के पास खाने को दाना नहीं है उनसे जोर जबरदस्ती वसूल किया लेकिन जो लोग हजारों रुपये डकार कर बैठे हैं उनसे एक पैसा आज तक वसूल नहीं हुआ कुर्कियां नहीं हुई। इसके अलावा जिन लोगों ने इस तरह के गबन कर रखे हैं उनको सजा दें। तो इस तरह की धांधली वसूली के अंदर नहीं होनी चाहिए, इसके लिए दूसरा रास्ता निकालना चाहिए। आपका आदेश सरकारी अधिकारियों को होना चाहिए, जो सक्षम हैं उनसे पहले वसूल करें और जो नहीं हैं उनसे बाद में किश्तों में वसूल करें जिससे उनका आर्थिक ढांचा चरमरा न जाए।

मुझ से पूर्व वक्ता ने जिक्र किया था मर्केण्टाइल बैंक का। मैं कहता हूं कि आपके यहां यूनियन कोआपरेटिव बैंक, जयपुर में चौड़ा रास्ता में है। इसके अन्दर एक श्री हरी शर्मा 1972 से 1974 तक कार्यवाहक अध्यक्ष रहे। उन्होंने 10 लाख रुपये बोर्ड से बिना पास करवाये ले लिए और उसमें से वसूली 6 लाख रुपये की हुई, 4 लाख रुपये अभी वसूल होने हैं। तो इस तरह से जो घोटाले होते हैं और, सभापति महोदय, यह सारी बातें माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी में नहीं हों ऐसी बात नहीं है लेकिन पता नहीं क्यों उन लोगों के खिलाफ में कोई एक्शन नहीं होता है। यह बहुत ही दुःख की बात है। कम से कम राज्य सरकार को चाहिये कि जिन लोगों में बकाया है उसको तो वसूल करें। सभापति महोदय, यह चार लाख रुपये बाकी हैं पर उनकी वसूलियत के बारे में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। सभापति महोदय, यह पैसा गरीबों का खून और पसीने की कमाई का है, उन लोगों ने अपना पैसा दुःख दर्द से

(श्री विजयसिंह)

जोड़ कर इन बैंकों में जमा कराया। उन गरीब लोगों के खून पसीने की कमाई, सभापति महोदय, दस लाख रुपये एक तेल के सटोरिये ने बिना बैंक के वोर्ड के सदस्यों के नोटिस में लाये अपने काम में ले ली, उसका गबन कर दिया। आपने छः लाख रुपये तो वसूल कर लिए पर उन चार लाख रुपये का क्या हुआ ? उनकी वसूलियात क्यों नहीं हो रही है ? यह एक बहुत ही सोचने की बात है।

इसके अलावा, सभापति महोदय, उस बैंक के अन्दर जो सेक्रेटरी है वह एक स्कूल का मामूली अध्यापक है। उसने इस बैंक में से साढ़े तीन लाख रुपये अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम उधार ले लिए जब कि, सभापति महोदय, उनकी कोई जायदाद नहीं है। आप यह साढ़े तीन लाख रुपये कैसे वसूल कर सकेंगे ? इतना ही नहीं, सभापति महोदय, एक राज बिहारी नाम का व्यक्ति था जो कि सेन्ट्रल बैंक में एक साधारण कर्ल्क था. उसको आपने यूनियन कोआपरेटिव बैंक का जनरल मैनेजर बना दिया। सभापति महोदय, एक साधारण क्लर्क को 1200 रुपये माहवार की जोब पर जनरल मैनेजर इसलिये बनाया गया कि वहां जो घोटाले किये हुए हैं उनको दबा दें। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि एक साधारण बाबू को बैंक का जनरल मैनेजर कैसे बना दिया। सभापति महोदय, मन्त्री महोदय देखने में इतने कद्दावर और दिलावर नजर आते हैं पर पता नहीं वह कैसे इस गबन की हुई रकम को वसूल नहीं कर पाये हैं ? आखिर क्या बात है जिसके कारण आप उन गबन करने वालों के खिलाफ में एक्शन नहीं लेते हैं और वसूलियात नहीं कर पार हे हैं। पता नहीं कहां गयी मन्त्री महोदय की दिलावरी और कद्दावरी।

मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस विषय में अब भी कोई बात नहीं, देर आयद दुरुस्त आयद। आप अब भी इस बारे में कदम उठायें, कोई कारगर कदम उठायें। जिन लोगों ने गबन घोटाले किये हैं, आपको चाहिये कि आप उनसे वसूलियात करें, उनको जेल के सींखचों में मुकदमा चला कर डालें और आज से ही वसूली की कार्यवाही शुरू करायें। सभापति महोदय, जब सरकार को मालूम हो गया था कि यहां पर गबन घोटाले हो रहे हैं, बैंक की हालत खराब हो गई है, वहां पर चैक सिकर नहीं रहे हैं, वहां पर दो लाख तीन हजार रुपये के चैक बन कैश्ड पड़े हैं तो राज्य सरकार ने उन अधिकारियों के खिलाफ में कार्यवाही क्यों नहीं की ? यहां पर सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा कि बताया, भाटिया का जिक्र किया उसके खिलाफ में सीरियस चार्जेज थे। जनता की 30 लाख रुपये की मिलकियत के मर्केन्टाइल बैंक में गबन घोटाले किये गये और उसको सरकार ने मीसा के अन्तर्गत गिरफ्तार कर रखा है। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि वह व्यक्ति जेल में है तब भी वह छुट्टी पर कैसे है ? उसकी छुट्टी राज्य सरकार ने मन्जूर कैसे कर रखी है ? वह आज भी कैसे राज्य सरकार की नौकरी में है ? ऐसे देशद्रोही को आपने अभी तक छुट्टी कैसे मन्जूर कर रखी है ? We are giving him latitude. आपको उसको तुरन्त हटाना चाहिये। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिए कारगर कदम

Page No.150

(श्री विजयसिंह)

उठाने चाहिए। नहीं तो यह एक बहुत बड़ा लांछन है हमारे कोआपरेटिव सेक्टर पर।

सभापति महोदय, अब मैं थोड़ा पंचायती राज के बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

(6.05 सायं)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कांग्रेसी और अन्य सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये उनमें किसी ने यह नहीं कहा कि प्रधान और प्रमुखों को राज्य सरकार की तरफ से जितना वेतन मिलना चाहिये आज उन्हें उतना वेतन नहीं मिल रहा है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिये। जब कि आप विधायकों को इतने अलाउन्सेज और टी. ए. डी.ए. देते हैं तो वह भी जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता के कार्य के लिए पंचायत समिति में और पंचायतों में काम करते हैं। वह भी जनता का ही काम करते हैं उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। आप प्रधानों को थोड़ा सा ग्रोनरेरियम देते हैं पर उससे क्या काम चल सकता है। आपको चाहिये कि आप उन्हें अच्छे वेतन दें ताकि वह जनता की सेवा अच्छी तरह से कर सकें। आप आज सभी सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ाते हैं, उनके महंगाई भत्ते बढ़ाते हैं, उन्हें टी. ए. डी. ए. देते हैं फिर आप प्रधान को सिर्फ 300 रुपये ही ग्रोनरेरियम क्यों देते हैं जब कि वह लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं ? आपको चाहिये कि आप उनके भत्ते बढ़ावें ताकि लोगों में पंचायत समितियों और पंचायती राज में काम करने में रुचि बढ़े और जिससे पंचायत समितियां और पंचायतें पंचायती राज को सही शक्ल में काम कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय, आज इन पंचायतों को और पंचायत समितियों को बिलकुल बेकार कर दिया है, सारी की सारी पावर्स इनसे ले ली हैं। मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है राज्य सरकार को चाहिये कि सारे के सारे जितने भी विकास कार्य हैं वह पंचायतों के माध्यम से और पंचायत समितियों के माध्यम से किये जाने चाहियें ताकि उनके पास काम हो सके। नहीं तो उनके पास कोई काम नहीं है। आज वे डिफन्कट हो गई हैं। पंचायतों के पास काम नहीं होने से पंचायती राज में लोगों की आस्था भी दिन पर दिन घट रही है। हालांकि आपने न्याय पंचायतों का काम पंचायतों को दे दिया फिर भी वहां पर हजारों की तादाद में मुकद्दमे पेन्डिग पड़े हुए हैं। लोग इनमें इन्ट्रेस्ट नहीं ले रहे हैं। आपको चाहिए कि आप पंचायती राज में प्राण डाल दें। आपको तो मालूम होना चाहिये क्योंकि आप खुद प्रधान रह चुके हैं वहां पर काम कर चुके हैं आपको उनका दर्द होना चाहिये, व्यथा और वेदना होनी चाहिये। आपको चाहिये कि इन संस्थाओं में प्राण डाले जायें। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश की प्रधान मन्त्री श्रीमता इन्दिरा गांधी ने कहा कि अगर हमें भारत में असली स्वराज्य लाना है तो हमें पंचायती राज को प्रोत्साहन देना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज एक ऐसा राज हो गया है जैसा कि उर्दू का अल्फाज 'राज' है, यह राज ही बन कर रह गया है। आज पंचायती राज की हालत

(श्री विजय सिंह)

खस्ता हो गई है। उपाध्यक्ष महोदय, अब तो जनता भी कहने लग गई है कि पंचायती राज तो अब खत्म हो गया है। आज जनता के मन में पंचायती राज के प्रति आस्था समाप्त हो गई है। ऐसी स्थिति बना दी है कि एक तरफ आप पंचायतों के चुनाव नहीं करा रहे हैं दूसरी तरफ आप पंचायतों के पास कोई काम नहीं दे रहे हैं, न पंचायती राज को समाप्त ही कर रहे हैं। तो फिर आप बताइये लोगों में किस प्रकार से आस्था बनी रहेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायती राज हमारे यहां पर फेल क्यों हुआ ? जो पंचायती राज हमारे देश में सबसे पहले हमारे प्रदेश में लागू किया गया था वही आज यहां पर सबसे पहले लोप हो रहा है। इसका कारण क्या है ? इसका कारण है आपके सरकारी अधिकारी। सरकारी अधिकारियों ने जब यह देखा कि जनता के लाग उनके कामों में दखल दे रहे हैं तो उन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से इसको समाप्त किया और पंचायती राज को एक तरह से हमारे यहां बहुत ही खराब हालत में कर दिया। लोगों के मन में इस प्रकार की अनास्था पैदा कर दी कि पंचायती राज बेकार है। उन सरकारी अधिकारियों ने सोचा कि यह पंचायती राज कौनसी फटाक है।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर विकास के सारे कार्यक्रम इस पंचायती राज के माध्यम से कराते तो आपके यहां पर बहुत सारा विकास का काम होता। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इन सरकारी अधिकारियों ने एक फिजां ऐसी बना दी। उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने एक बहुत ही प्लान्ड वे में काम किया, इसको बहुत बुरी तरह से बदनाम किया। इन सरकारी अधिकारियों ने इस तरह से पंचायती राज को बदनाम किया कि लोगों में पंचायती राज के प्रति आस्था थी वह समाप्त होने लग गयी। इन्होंने इसको, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही प्लान्ड वे में धीरे धीरे बदनाम किया। यही कहते रहते हैं कि पंचायतों और पंचायत समितियों में गबन और घोटाले बहुत हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, गड़बड़ घोटाले कहां पर नहीं हैं और जहां कहीं भी धन को खर्च किया जाता है वहां पर गड़बड़ घोटाले तो होते ही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या आपके सिंचाई विभाग में, सार्वजनिक निर्माण विभाग में बिजली में कोई गबन घोटाले के मामले नहीं हैं ? हर जगह पर, उपाध्यक्ष महोदय, इस पंचायती राज को इन सरकारी अधिकारियों ने बुरी तरह से बदनाम किया। यहीं तक नहीं एक सरपंच पर सिर्फ 50 रुपये के मामले को लेकर केस चलाया गया और उसको तीन साल के लिए सस्पेन्ड कर दिया। तो यह सारे के सारे इन ब्यूरोक्रेट्स, इन बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों की साजिश से यह पंचायत राज हमारे यहां समाप्त हो रहा है। इसलिये मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि आप इसमें प्राण डालिये, इस पंचायती राज में, जो कि मृत-प्रायः हो गया है, प्राण डालिये।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। अगर आप 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को पंचायतों

(श्री विजय सिंह)

के माध्यम से करवायें तो मैं समझता हूं कि आपके जो सरकारी अधिकारी इस काम को करते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा काम 20 सूत्री कार्यक्रम में हमारे यहां होगा। इसका कारण यह है कि इन ब्यूरोक्रेट्स में, इन सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों में इस 20 सूत्री कार्यक्रम के प्रति कोई आस्था नहीं है। अगर आप पंचायतों के माध्यम से इसको करवाते तो आप अब तक बहुत आगे बढ़ चुके होते और पंचायती राज में भी जान पैदा हो जाती। आज, उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव नहीं कराने से यह पंचायतें और पंचायत समितियां डिफंक्ट हो गई हैं। यह सरकारी अधिकारी तो इनको समाप्त ही करना चाहते हैं। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि इस ओर वे ध्यान दें।

अब, उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा म्युनिसिपैलिटीज के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। खास तौर से फ्लश लेट्रीन्स के बारे में म्युनिसिपैलिटी को मेचिंग ग्रान्ट्स दी जानी चाहिये और जितनी रकम लगे उसका आधा भाग म्युनिसिपैलिटी दें ताकि मैला ढोने की जो प्रथा है उससे छुटकारा हो मिले। इसके लिये आपको पहल करनी चाहिये। जहां म्युनिसिपैलिटी बनी है वहां नल योजना लगी है, कीचड़ हो रहा है उनके गांवों में पहले कम कीचड़ था उससे ज्यादा बढ़ गया। तो मेरा निवेदन है कि उनके लिये मेचिंग ग्रान्ट दिलानी चाहिये, जितना म्युनिसिपैलिटी लगाये उतना ही सरकार दे। मैं समझता हूं इस बजट में तो आपने कहीं रखा नहीं है, अब भी आप इसका प्रावधान करें।

यू० आई० टी० में नान आफिसियल के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। यू. आई. टी. में समझ में नहीं आता है क्यों नहीं आप नान आफिसियल को चेयरमैन बनाते हैं? आफिसियल को जो आप चेयरमैन बना देते हैं आप क्या उम्मीद करते हैं उनसे? इसलिये जनता की भावना को देखते हुये उसके अनुरूप काम कर पायेंगे तो वास्तविक रूप से जनता का भला हो सकेगा। अगर आपने कानून बना दिया है तो उसमें आप अमेन्डमेंट करिये, दूसरा कानून बनाइये। आफिसियल की जरूरत क्या पड़ गई कि उनको चेयरमैन बनाया जाता है। आप नॉन आफिसियल को चेयरमैन बनाइये ताकि ठीक ढंग से काम हो सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री सज्जनसिंह।

श्री सज्जनसिंह (सुमेरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पढ़ा है मैंने कहीं पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के विषय में कि पार्लियामेंट सुप्रीम है या एक्जीक्यूटिव सुप्रीम है। शायद मुझे याद है सर आइवर जेनिंग्स का विचार है कि एक्जीक्यूटिव जो ह्विप और ब्यूरोक्रेसी पर डिपेन्ड करती हो, वह पार्लियामेंट से भी ज्यादा सुप्रीम हो जाती है। और उसने लॉयड जोर्ज को कोट करते हुए कहा था :

"Parliament becomes a force because the entire power is concentrated in the hands of the executive."

सुना है आज सारे दिन माननीय सदस्यों के विचारों को, महसूस किया कि हर

(श्री सज्जन सिंह)

माननीय सदस्य यह महसूस करता है कि राजस्थान में पंचायती राज को समाप्त कर दिया गया। क्यों नहीं पंचायत राज के चुनाव करवाये जाते हैं? क्यों नहीं उसमें कुछ खामियां हैं, उनको सुधारा जाता है? और अगर कोई खामी नहीं है तो क्यों नहीं उसकी कार्य पद्धति को परिस्कृत किया जाता है? करीब करीब सभी माननीय सदस्यों का यही विचार रहा है और जैसा मैंने शुरू में निवेदन किया एक्जीक्यूटिव बिलकुल इस मामले में अपनी फन्डामेन्टल रेस्पान्सिबिलिटी को शर्क करती है। जब जवाब देंगे मन्त्री महोदय तो यह देंगे कि यह फासिस्ट मनोवृत्ति का द्योतक है। पंचायतों को निष्क्रिय कर दें, पंचायत समितियों को निष्प्राण कर दें, जिला परिषद का जनाजा निकाल दें और जब मांग की जाय तो बड़ी धौंस के साथ यह फर्मा दें कि यह तो फासिस्ट मनोवृत्ति का द्योतक है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, फिर इनमें डेमोक्रेसी की मनोवृत्ति का द्योतक क्यों नहीं है? माननीय मन्त्री महोदय ने कई बार सदन में घोषणा की है कि चुनावों के विषय में अब मैं आपके सम्मुख नहीं आऊंगा। जो आज हमारे मुख्य मन्त्री हैं, सदन के नेता हैं उन्होंने घोषणा की थी कि पंचायतों की अवधि बढ़ाने के लिए मैं अब पुनः यह मांग नहीं करूंगा। फिर क्या कारण है कि हमारी सरकार पंचायतों का चुनाव नहीं करवाती? आपने कई प्रकार के आरोप सुने हैं और मैं मानता हूं अगर आपको कन्स्ट्रक्टिव सजेशन भी दिया जाय तो वह भी स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि आपकी मनोवृत्ति भी वही है जैसा शुरू में सर आइवर जेनिंग्ज ने कोट करते हुये कहा कि एक्जीक्यूटिव जो व्हिप और ब्यूरोक्रेसी पर डिपेन्ड करती है वह पार्लियामेंट से सुप्रीम है। आप भी इस आगस्ट हाउस की सुप्रीमेसी को रिकगनाइज नहीं करते हैं जब यह फर्मायेंगे कि यह सम्भव नहीं है। मान्यवर, मेरी दृढ़ धारणा है कि राज्य सरकार अपने कर्तव्य से शर्क कर रही है। अगर आप यह कहते हैं कि पंचायत को न्याय पंचायतों से मिलाया है यह न्याय सुलभ करने के लिये किया है तो आपको चाहिये पंचायतों के चुनाव शीघ्र से शीघ्र करवा दें। जिला परिषद को एक्टीवाइज करना होगा, जो ट्रान्सफर्ड स्कीम्स पंचायत समितियों को दी थी, जिनको आपने शनैः शनैः विथ्ड्रा किया है, पंचायत समितियों को, कम्युनिटी डवलपमेंट्स ब्लाक्स को आपने शनैः शनैः समाप्त किया है उनको रिवाइव करना होगा और कभी न कभी तो करना होगा चाहे देर से करें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जब तक यह सरकार पंचायतों का चुनाव नहीं करवाती है, पंचायत समितियों के, जिला परिषदों के कर्त्तव्यों को स्पष्ट नहीं करती है तब तक मैं समझता हूं सरकार जिला परिषदों को, पंचायत को, पंचायत समितियों को शनैः शनैः समाप्त करने की योजना बनाती है। आपने पंचायती राज के संशोधन के विषय में एक आर्डिनेन्स निकाला है और जब बिल के रूप में हाउस में लाये थे तो मैंने निवेदन किया था कि आप छोटी छोटी बातों की ओर उलझा कर हमारा ध्यान क्यों ले जाना चाहते हैं? आप क्यों नहीं घोषणा करते हैं कि पंचायतों का चुनाव कब तक करवा देंगे? जनता की मांग है, जन प्रतिनिधियों की मांग है लेकिन ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती है और एक्जीक्यूटिव, जो अपने व्हिप पर विश्वास करती है, वह

(श्री सज्जन सिंह)

इस बात का निर्णय नहीं कर सकती है तो चुनाव क्यों नहीं करवाते हैं।

आपके पास अनेक बार शिकायतें आती हैं प्रधानों के खिलाफ शिकायतें आती हैं, विकास अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें आती हैं। मैंने एक विकास अधिकारी की शिकायत की है। सन् 1966 का केस बताया विकास अधिकारी, सुमेरपुर ए.ई.ओ. लगा हुआ है और ग्राम सेवक, ए.ई.ओ. की कनाइवेन्स से 20 हजार रुपये के बीज गायब कर गये। विकास अधिकारी आर. ए. एस. आफिसर था। उसने चालान पेश किया और मामले को पुलिस में हैन्ड ओवर किया। मान्यवर, मैं आपकी स्वीकृति से कि जजमेंट का वह रिलेवेन्ट पोर्शन मन्त्री महोदय को सुनाना चाहता हूं, मैंने निवेदन भी किया है जो उन्होंने कहा है....

"The prosecution evidence shows that all was not well at the Samiti and though there was a hierarchy of officers who were zealously anxious about their rights but were more indifferent towards their duties."

आगे उन्होंने कहा है—

"However, this decision does not mean that Madan Lal had not misappropriated the seeds. But the prosecution has failed to prove beyond reasonable manner of doubt. ...."

इसलिये वह बरी हो गये और इसलिये पंचायत समितियों से करीब 6 वर्ष तक या 7 वर्ष तक गायब रहने के बाद वापिस पंचायत समिति में आकर अपनी तनख्वाह का क्लेम करते हैं और उन्हें पूरी तनख्वाह का भुगतान किया जाता है। वे बहाल होते हैं तथा आज पंचायत समिति में कार्यरत हैं। कारण क्या है? वह ही ए.ई.ओ. जिम्मेदार है जिसके विरुद्ध कोर्ट ने एस्ट्रिक्शन पास किये, जिसकी वजह से ग्राम सेवक, स्टोर कीपर था, जो बरी हुआ। उसे आपने वहां विकास अधिकारी लगाया है। मैंने अपनी जिम्मेदारी को जानते हुए निवेदन किया था, मान्यवर, इस की जांच करवाइये और आपने जांच करवाने के आदेश दिये। मैं सोचता हूं कि इस बात को भी तीन वर्ष हो गये वह जांच पूरी नहीं हुई। That is the attitude of the bureaucracy. That is the attitude of the Government.

अगर इस तरह से ऐसे मेटर्स से भी आप आंखें मूंद लेना चाहते हैं तो, मान्यवर, किसके पास जायें, किसके पास जाया जाय, किससे आशा की जाय कि इस व्यवस्था में निकट भविष्य में या सुदूर में भी सुधार होने की गुन्जाइश है? इसलिये, मान्यवर, आपके माध्यम से यह अपेक्षा करता हूं कि राज्य सरकार को अपनी स्पष्ट नीति की घोषणा करनी चाहिये, पंचायती राज के विषय में क्या सोचते हैं, पंचायत के चुनावों के विषय में क्या सोचते हैं, पंचायतों के अधिकारों के विषय में क्या सोचते हैं, न्याय पंचायतों के सम्बन्ध में क्या सोचते हैं? पंचायत समितियों के विषय में क्या सोचते हैं? जिला परिषदों के सम्बन्ध में क्या सोचते हैं? पंचायती राज के सम्बन्ध में बड़े गर्व से कहा था कि मैं मिनिस्टर था जब चालू

(श्री सज्जन सिंह)

हुआ था और आखिरी दिन भी गर्व के साथ कहेंगे कि जब मैं मिनिस्टर था तब समाप्त हुआ। आप कम से कम कलंक लेकर मत जाइये। आप इनको जीवित रखिये और बाइज्जत इनको जीवित रखिये यह आपकी फण्डामेन्टल ड्यूटी है। जैसा उन्होंने बताया, जिला परिषद् में कलेक्टर एक्स-ओफिशियो सेक्रेटरी मेम्बर गिना जाता है, उसके मातहत अनेक कमेटीज इन्स्टीट्यूट होती हैं। आपने उसको चैयरमैन बना दिया है। आपने स्लोली, साइलेन्टली डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन को समाप्त किया और चुनावों के विषय में जब कभी मांग उठती है तो केवल यह फर्मा देते हैं कि यह फासिस्ट मनोवृत्ति का द्योतक है। मान्यवर, इसलिये मैंने याद दिलाने की कोशिश की कि वही की वही ब्यूरोक्रेसी न हो। इस प्रकार की मनोवृत्ति पनप नहीं सकती। हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। जब जनता के प्रतिनिधि अधिकारों की मांग करते हैं और उपेक्षा पूर्ण जवाब आता है तो दुःख के सिवाय और क्या हो सकता है, आप सहज ही इसकी कल्पना कर सकते हैं।

एक उदाहरण कोओपरेटिव विभाग के बारे में भी देना चाहता हूं। कोओपरेटिव विभाग के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने सारे दिन में जितनी शोभा, जितना यश जितनी तारीफ, बड़ी बड़ी बातें उसकी आपको सुना सकते थे माननीय सदस्यों ने सुनायीं। उसके बावजूद भी मुझे विश्वास है आपका किसी प्रकार का कानून में संशोधन लाने का मानस नहीं है, आपका किसी प्रकार का उसमें सुधार लाने का विचार नहीं बनता, ब्यूरोक्रेसी को टोन-अप करने की कभी धारणा नहीं बनती। तब मुझे यह समझ में नहीं आता कि किस प्रकार ये घपले मिटेंगे, मृतप्रायः, समाप्त प्रायः यह कोओपरेटिव मूवमेन्ट सशक्त होगा, किस प्रकार यह गरीबों की सहायता करेगा? इसकी कल्पना आप कर सकते हैं।

सिरोही डिस्ट्रिक्ट के कामर्शियल कोओपरेटिव बैंक आबू रोड के कार्य कलापों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। दुर्गा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी जवाई बंध ने उस बैंक को झूठी हुण्डियां देकर, झूठे बिल्स देकर करीब 83 हजार की ट्यून तक चीट किया और आपके डिपार्टमेन्ट ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की। मेरी यह समझ में नहीं आता, जयपुर में इस तरह के चीटिंग, इस तरह के घपले का बड़ा भारी मामला हो उसका किस प्रकार जस्टिफिकेशन करेंगे, किस प्रकार से लीपा पोती की बात करेंगे, किस प्रकार ब्यूरोक्रेसी को बचाने की बात करेंगे, कहां आप स्वयम् बच निकलने की कोशिश करेंगे? आप बड़े बहादुर हैं, बड़े दिलेरी हैं और एक तरह आप कदावर हैं, आपको वास्तव में स्वीकार करना चाहिये कि यह मिस्टेक हुई है, इसको रेक्टीफाई कर रहे है और इस प्रकार का रेटिफिकेशन कर रहे हैं। इस प्रकार का जवाब आज तक नही सुना, न उम्मीद करता हूं कि आप में वह हिम्मत आवेगी कि आप ऐसा जवाब दें।

बिशलपुर पंचायत समिति बाली में एक ग्राम है। वहां पर चर्म उत्पादन और विभिन्न प्रकार की समितियां बनीं और समाप्त हुईं। कोओपरेटिव एक्ट की धारा 74 के तहत वसूलियों के नोटिस निकाले

(श्री सज्जन सिंह)

लेकिन रिकवरी वाली एजेन्सी डिफन्क्ट पड़ी है। लाखों रुपया एक व्यक्ति, विभिन्न सोसाइटीज में घपले की वजह से दबा-कर बैठा है। वसूली आज दिन तक हुई नहीं।

केवल दो उदाहरण मैंने प्रस्तुत किये। आप उनकी जांच करवा लीजिये। मेरी यह मान्यता है और आपका यह कर्त्तव्य है कि आप इसमें सुधार लायें। इसको आप टोन अप करें। इन्हीं विचारों के साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि आपको पंचायती राज के विषय में और कोआपरेटिव मूवमेन्ट के विषय में स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिये कि सरकार की नीति क्या है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

कई माननीय सदस्य : हमें बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी को जाना है।

श्री देवीलाल : हमारी बात पर फिर कौन ध्यान देगा ?

श्री उपाध्यक्ष : बोलने का लोभ थोड़ा संवरण करना होगा।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : पांच मिनिट ही दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : कल दस मिनिट दे दूंगा। माननीय मंत्री जी को कहीं आवश्यक कार्य से जाना है। आप इजाजत दें उन्हें बोलने के लिये।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : पांच बजे तक भी नम्बर नहीं आया। टालते रहे।

श्री चेतराम (टोडाभीम) : पांच मिनिट के लिये निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपके सामने बात रख दी है। आप विचार कीजियेगा।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : 5 बजे तक नम्बर होते हुए भी नहीं बोलने दिया गया।

श्री चेतराम : मैं दो मिनिट में ही समाप्त कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये।

श्री चेतराम : आपने समय दिया उसके लिये आभारी हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कतई नहीं।

श्री चेतराम : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, देश में आपात कालीन स्थिति की जैसे ही घोषणा हुई...

श्री उपाध्यक्ष : दो तीन मिनिट में ही कहियेगा।

श्री चेतराम : बड़े अच्छे ओर्डिनेन्सेज इस घोषणा के बाद निकले शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लिये और वीकर सेक्शन वालों के लिये सहकारिता के बारे में कि इन संस्थाओं का पुनर्गठन किया जावेगा लेकिन मैं सोचता हूं कि यह प्रचार होगा या कुछ क्रियान्वित होगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा

(श्री चेतराम)

कि इनको क्रियान्वित करने के लिये शीघ्र कदम उठावें जिससे नौकरशाही का सुधार हो। दूसरी बात सहकारिता के लिये यह है कि इसमें रिश्वत का बड़ा बोलबाला है। जहां और डिपार्टमेंट में शैश और काइन्ड में रिश्वत ली जाती है वहां सहकारिता में चैक से ली जाती है। सवाई माधोपुर में भू. पू. सहायक रजिस्ट्रार श्री कुंजबिहारी शर्मा, जिनका ट्रांसफर हो गया, ने महुआ की एक फर्म से दो हजार का चैक उनके इंजनों की फाइल पास करने का लिया। उनका इसी बीच ट्रांसफर हो गया और एनकेश कराते समय वह डिसग्रोनर कर दिया गया। 20 सूत्री आर्थिक प्रोग्राम के सिलसिले में जब माननीय मंत्रीजी पधारे थे तो उनको शिकायत की। मंत्री महोदय इस पर अपने विचार बतायें। दूसरी बात यह है कि एक ग्राम सहकारी समिति की पूरी चीनी का ब्लेक करवाया अपने किसी फ्रेन्ड, रिश्तेदार के द्वारा। तीन बोरी चीनी मौके पर पकड़ी गयी लेकिन विभाग की ओर से कुछ नहीं हुआ। इसके साथ ही एक दूसरे ए० आर० महोदय है बारां के श्री फूलचन्द जी डंडी, उनके बारे में निवेदन करूंगा कि सहलोद ग्राम सेवा सहकारी समिति, जो कि अटल में है, के अध्यक्ष श्री विश्वनाथ के खिलाफ गबन के बारे में निर्णय हुआ। वह निर्णय भी राज्य सरकार से 19 हजार रुपये का हुआ कि उन्होंने इतने का गबन किया है, इतना इनसे वसूल किया जावे। राज्य सरकार के निर्णय के बावजूद उन ए० आर० महोदय ने 2500 रुपये में उस केस को फाइनल कर दिया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार का 19,500 रुपये का निर्णय था और वह फाइनल था या ए० आर० महोदय ने जो 2500 रुपये का फाइनल किया वह ठीक है? इसका माननीय मंत्री महोदय स्पष्टीकरण करें।

इसी तरह से एक ग्राम सेवा सहकारी समिति है फतेहपुर बारां में उसमें एक लाख रुपये का गबन हुआ। इन्हीं ए. आर. महोदय ने उस केस को भी फाइनल कर दिया जब कि वह यहां सेक्रेटेरियट लेवल से हुआ कि यह केस बनता है और ए. आर. महोदय ने उसको फाइनल कर दिया। मैं कहूंगा कि मंत्री महोदय इसकी देखभाल करें।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करूंगा, वैसे सभी वक्ता निवेदन कर चुके हैं कि ग्राम पंचायतों के चुनाव कराये जायें। मैं तो एक निवेदन करूंगा कि पंचायत समितियों के अधिकार में जो प्राइमरी स्कूल हैं उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। एक-एक स्कूल में 125 और 150 लड़के हैं और अध्यापक एक है। पहले प्रधानों को अधिकार थे कि वह इमर्जेन्सी में टेम्प्रेरी अध्यापक की नियुक्ति कर सकते हैं लेकिन अब यह पावर्स उनसे छीन ली हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप अन्दाजा लगाइये कि जहां पांच कक्षायें हों प्राइमरी स्कूल के 125 और 150 बच्चे हों, छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वह शिकायतें करते हैं कि इसने मेरी स्लेट ले ली, इसने मेरी पेन्सिल ले ली, कोई कहता है कि मैं पेशाब कर आऊं और कोई कहता है कि मैं पानी पी आऊं—इन सबका कन्ट्रोल एक अध्यापक से नहीं हो पाता तो पढ़ाने की तो बात ही क्या है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि प्राइमरी स्कूलों की अच्छी व्यवस्था आप करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जय किशनलाल तोसावड़ा ।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इन मांगों पर यही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पंचायत क्षेत्र के अन्दर या पंचायत समिति क्षेत्र के अन्दर तो पट्टे देने का अभियान चलाया लेकिन आज तक म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर किसी भी प्रकार से पट्टे देने का अभियान नहीं चलाया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो गरीब तबके के लोग हैं चाहे वह अनुसूचित जाति के हों या अनुसूचित जन जाति के हों उनको पट्टे शीघ्राति शीघ्र मिल जाने चाहिए ।

इसके साथ ही साथ मैं एक उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं । जैसे उदयपुर यू. आई. टी. है । यू. आई. टी. का वहां पर कलेक्टर को चेयरमैन बना रखा है । उन्होंने वहां पर 10 फरवरी 76 को ऐसे आदेश निकाले कि जिनको प्लाट मिल गये हैं या जमीन मिल गयी है उनको 30 मार्च, 76 तक अपने मकान पूरे बना लेने चाहिए अन्यथा उनके प्लाट्स, जो उनको दिये गये हैं, को कैंसिल कर दिया जायेगा । अब मेरी समझ में नहीं आता, उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से अति शीघ्र आदेश देते हैं । एक गरीब तबके का आदमी, जो अपना पेट पालन भी अच्छी तरह से नहीं कर सकता, इतने से दिनों के अन्दर किस प्रकार से अपना प्लाट पूरा करवा सकेगा ? यह तो अन्याय है । इस प्रकार के आदेश देने से क्या फायदा ? इससे तो अच्छा उनको जमीन ही नहीं देते····

श्री विजयसिंह : ज्यादातर उनमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : यह प्लाट्स कितनी साल पहले अलाट किये थे ?

श्री विजयसिंह : दो-तीन साल पहले हुए थे लेकिन सवाल तो उन गरीब लोगों का है ।

श्री परसराम मदेरणा : इतने साल हो गए अभी तक मकान क्यों नहीं बनाये । फरवरी का आदेश हो सकता है । हम मार्च की तारीख दे रहे हैं और 3 साल से प्लाट मिला हुआ है । उनको तामीर करा लेनी चाहिए थी ।

श्री देवीलाल : शहर में तो पुराने लोग रहते हैं । गरीब आदमी नहीं बना सकते हैं इसलिए उनको समय मिलना चाहिए ।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : लेकिन मेरा निवेदन यह था कि इस प्रकार से एक भारी बोझ नियम बनाकर उनके सिर पर मंढ देना उचित भी नहीं है । जब उनको जमीन अलॉट कर दी गयी थी तब ही उनको आदेश देने चाहिए कि इतने समय के अन्दर तुम्हें मकान बना लेने हैं । यह तो एक प्रकार से अन्याय है ऐसे गरीबों के ऊपर । अचानक उनके ऊपर अन्याय कर देना उचित नहीं है । इसलिए मेरा निवेदन है कि कब उनको प्लाट दिये गये और कौन से सन् में दिये गये-समस्या यह नहीं है । समस्या इस बात की है कि उनको इस प्रकार की चुनौती दी जाये यू. आई. टी. की ओर से कि तुम्हारा यह अलाटमेंट कैंसिल कर दिया जायेगा तो गरीबों के साथ अन्याय है और अन्याय करना उचित नहीं है । इसलिए मेरा निवेदन है कि उनको राहत देनी चाहिए । नहीं तो जमीन देना नहीं देना बराबर है ।

(श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा)

मेरा निवेदन यह है कि हम सहकारिता की बात करते हैं। सहकारिता के सम्बन्ध में आज सदन में इस प्रकार की बातें उठाई गई कि भ्रष्टाचार फैल रहा है। वास्तव में फैल रहा है लेकिन साथ ही साथ इस सहकारी आन्दोलन को हम किस ओर ले जाना चाहते हैं। इस सहकारी आन्दोलन को हम सारे गरीबों के घरों तक पहुंचाना चाहते हैं या केवल मात्र गिने चुने व्यक्तियों को इस सहकारी आन्दोलन के माध्यम से लाभ पहुंचाना चाहते हैं ? यह हमारी समझ में नहीं आता क्योंकि आज इस प्रकार की स्थिति है कि जैसे गांवों में छोटी छोटी सोसाइटीज हैं वहां लोन समय पर नहीं मिलता और अगर मिल भी जाता है तो वहां के कर्मचारी ऐसा घोटाला करते हैं कि साधारण किसान को पता ही नहीं होता। दूसरे यदि कोई किसान या गरीब आदमी उस सोसाइटी से लोन ले लेता है तो दो साल का या एक साल का उसको सही रिकार्ड सोसाइटी के अन्दर उपलब्ध नहीं होता। जब कि वह लोन चुका देता है तब भी उसका रिकार्ड नहीं मिलने से रिकवरी के आदेश जारी होते हैं। अब किसान इधर-उधर भटकता है। इसलिए मेरा निवेदन करना है कि इस प्रकार की एक अलग कमेटी बना दी जाये, सहकारी सोसाइटीज तो हैं ही लेकिन उसके साथ ही साथ एक जन प्रतिनिधियों की कमेटी बना दी जाये जो कि समय समय पर उन सोसाइटीज का सर्वेक्षण करे और जो भी उनमें कमियां हों उनको राज्य सरकार के सामने लाकर रखे, यह मेरा निवेदन है।

हम एक तरफ तो कहते हैं कि हम शिड्यूल्ड कास्ट्स के व्यक्तियों को सब प्रकार से लाभ पहुंचाना चाहते हैं लेकिन सोसाइटीज के अन्दर इनके लिए किसी प्रकार का रिज़र्वेशन नहीं है। साथ ही साथ मेरा निवेदन है कि गांवों के अन्दर कैसी सोसाइटीज, किस आधार पर सोसाइटीज चलनी चाहिए यह भी हमें देखना चाहिए। केवल जमीन देकर या लोन देकर या और किसी प्रकार की या छोटे मोटे धन्धे खोलने की योजना हम बना देते हैं। जैसे कहीं ऊन मिलता है तो ऊन, कहीं सूत मिलता है तो सूत और कहीं तेल मिलता है तो तेल-जिस प्रकार जैसी जैसी पैदावार होती है उसके आधार पर सोसाइटीज का निर्माण कर देना चाहिए तब जाकर व्यवस्था ठीक बैठ सकती है।

अब मेरा निवेदन पंचायती राज के बारे में है। इसकी स्थापना हुए बहुत वर्ष बीत गए लेकिन फिर भी यह पंचायती राज अकर्मण्य सा होता जा रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस अकर्मण्यता को आखिर हम दूर कब करेंगे ? आज हर स्थिति में हम गांवों में जाकर इस प्रकार की बातें तो करते हैं कि हम सरकार के माध्यम से इस पंचायती राज को आगे की ओर ले जाना चाहते हैं। लेकिन वहां पर जो लोग हैं इस पंचायतीराज को और इसकी जो गतिविधियां है उनको देख कर एक मात्र हतोत्साहित होकर बैठते हैं। अब हमें क्या करना है। बेकार की चीज है, जो सरकार कर रही है वही ठीक है। हमें वोटों की चिन्ता नहीं है, आन्दोलन की चिन्ता नहीं, किसी और बात की चिन्ता नहीं है। इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। साथ ही साथ न्याय पंचायतो को तोड़ दिया गया है लेकिन इन न्याय पंचायतो को तोड़ने के पश्चात जो अधिकार पंचायत समितियों को दिये गये हैं उनके

(श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा)

क्रियान्वयन करने के लिए किस प्रकार के आदेश नहीं दिये गए हैं। केवल मात्र यह आदेश प्रसारित हुए हैं कि न्याय पंचायतें खत्म कर दी गई है, उनका सारा का सारा रिकार्ड पंचायत समिति को सम्भला दो। सम्भालने से क्या होगा, कागजों का बस्ता बांध लिया, उसके तत्पश्चात क्या होगा। उन न्याय पंचायतों का काम कैसे चलेगा जो वहां पर सुनवाई हो रही थी उनको पंचायतें करेंगी या क्या होगा इस प्रकार के आदेश प्रसारित होने चाहिये। जब तक इस प्रकार के आदेश प्रसारित नहीं होंगे तब तक न्याय पंचायतों का काम कुछ होगा नही।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तो इस प्रकार से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की व्यवस्था कर देनी चाहिये जिससे न्याय पंचायतों के अधिकार जो पंचायतों को दिये हैं उनकी सारी की सारी व्यवस्था में ठीक ढंग से सुधार हो सके।

दूसरा मेरा निवेदन है कि पंचायत समिति के अन्दर, पंचायत के अन्दर रिजर्वेशन होना चाहिये। राज्य सरकार की ओर से आवासीय भूखण्ड देने के पंचायतों को अधिकार दिये गये हैं लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा है। मेरा निवेदन है कि जैसे ग्राम पंचायतें हैं उनके पास कोई अधिकार नहीं है। उनको वसूली करने का अधिकार अवश्य दे देना चाहिये क्योंकि वह अपने गांव का विकास करना चाहते हैं तो किसी न किसी प्रकार की आमदनी का जरिया उसके पास होना चाहिये। जैसा कि निवेदन है कि ग्राम पंचायतों के अन्दर विभिन्न प्रकार के खर्चे हैं, उनको चपरासी रखना पड़ता है, वहां पर पंचों को बुलाते हैं तो किसी प्रकार का भत्ता भी देना पड़ता है। कागजों की आवश्यकता होती है। एक गांव से दूसरे गांव में जा करके कई प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ती है। उसके अन्दर खर्चा तो होता है लेकिन खर्चा किस ढंग से पूरा हो इसका कोई साधन नहीं है। क्योंकि हड्डियों का ठेका है या किसी और प्रकार का ठेका है वह पंचायत समितियों के पास है। ग्राम पंचायत के पास में किसी भी प्रकार का ऐसा साधन नहीं है कि वह अपनी ग्राम पंचायत के कार्यालय का किराया भी मंथली चुका सके। इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां पर ऋण वसूल करने की व्यवस्था या किसी प्रकार की वसूली हो उस वसूली को करने की व्यवस्था है उसमें पंचायतों को किसी न किसी प्रकार का पर्सेंटेज उसे दे देना चाहिये तभी पंचायतें आगे बढ़ेगी और जो प्रजातंत्र की दुहाई देते है, हमारे देश में प्रजातंत्र की भावना लाना चाहते हैं पंचायतों के माध्यम से ही प्रजातंत्र आगे बढ़ सकता है। पंचायतें इस प्रकार का सिस्टम है कि जिस सिस्टम के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को हम सही राज्य की नीति और रीति को समझा सकते हैं। इसलिये उनको जीवित ही नहीं रखना हैं बल्कि पुनर्जीवित करना हैं। जब तक पुनर्जीवित नहीं करेंगे तब तक हमारा प्रजातंत्र ठीक ढंग से नहीं चल सकता।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

अब मेरा निवेदन है, एक मिनिट में ही समाप्त करता हूं। नगरपालिकाओं के बारे में केवल नाम और उसके हैडिंग ही बता देता हूं। शहरों के अन्दर बहुत खर्चा किया

(श्री नथकिशन लाल तोसावड़ा)

जा रहा है लेकिन गांवों में नहीं होता इसलिए गांवों में अधिक रुपया खर्च करना चाहिए। हरिजनों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को म्युनिसिपैलिटी के एरिया में मकान देने के लिए और किस प्रकार की व्यवस्था देने के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि इमर्जेन्सी प्रारम्भ होने से अतिक्रमण हटाए गए लेकिन यदि आज हम देखें तो पहले की तरह ही शहरों में, गांवों में और तहसील स्तर पर अतिक्रमण पुनः होते जा रहे हैं। इसलिए जब तक इसकी ओर ध्यान नहीं देंगे उसी प्रकार पुनः स्थिति बिगड़ने के कारण आगे जो हम विकास करना चाहते हैं वह नहीं कर पायेंगे।

दूसरा मेरा निवेदन करना है कि शहरों के अन्दर हम सफाई अभियान तो चलाने की जरूर कोशिश करते हैं लेकिन उसको सही रूप में कार्यान्वित नहीं करते। हर स्थान पर यूरिनल बना दिए जाते हैं, हर स्थान पर ताहरत तो बना दिए जाते हैं लेकिन आज भी इस प्रकार के साधन नहीं है। जयपुर शहर में अच्छे से अच्छे स्थान पर पेशाब के ढेर मिलेंगे, गन्दगी के ढेर मिलेंगे। उनका कोई व्यवस्था नहीं है और यदि इस प्रकार की व्यवस्था हम सही रूप से नहीं करेंगे तो हमारे यू. आई. टी. के चेयरमैन साहब और कमिश्नर साहब यहां पर बैठे हुए हैं, मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस प्रकार के नियम प्रसारित कर देने चाहिए कि कोई भी व्यक्ति रास्ते में या किसी भी दीवार के पास में पेशाब करता हुवा नजर आवे तो तुरन्त किसी न किसी प्रकार का जुर्माना कर दिया जायगा। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जो सफाई करने वाले हरिजन हैं, उनसे इस प्रकार की सफाई करवाते हैं उनसे कह दो कि गन्दगी करने वालों की तुम्हारी जिम्मेदारी है। वे खुद ही जाकर देख लेंगे और ठीक कर देंगे। जब तक इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी तब तक आप चाहे कितने ही सफाई अभियान करायें, कागजों में हो जायेंगे, अखबारों में नीति को प्रसारित करवा दें लेकिन वास्तविकता में कुछ नहीं है। उसकी गहराई में हम जावें और गन्दगी को हम दूर करने की कोशिश करें। जब बाहर से लोग आते हैं तो बड़ी बड़ी सड़कों पर इधर उधर घुमा देते हैं लेकिन अन्दर गलियों में जाकर देखो तो गन्दगी के ढेर लगे हुए हैं। या बड़े बड़े मकानों की खिड़कियों के अन्दर से रास्ते में चलते हुए आदमी के सर के ऊपर मैला डाल देते हैं, सिर पर गन्दगी डाल देते हैं। उन पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। यह जब तक नहीं होगा शहरों का विकास हो नहीं सकता।

दूसरा मेरा निवेदन करना यह है कि ट्रैफिक की व्यवस्था शहरों के अन्दर है हालांकि इस सब्जेक्ट से सम्बन्धित यह बात नहीं है फिर भी एक बात निवेदन कर दूं कि जैसे और शहरों के अन्दर ट्रैफिक की व्यवस्था है इस प्रकार की व्यवस्था यहां नहीं है। आज साईकिल पर चलने वाला और पैदल चलने वाला सामने से भले ही कोई चीज आ रही है, कोई कितना ही होर्न बजाता रहे, टक्कर लग जावे, कुछ और हो जाय लेकिन हटता ही नहीं है और दोष गाड़ी चलाने वाले का होता है। इसलिए शहरों के विकास और नगर आयोजन के लिए आप ऐसी घोषणा

(श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा)

करेंगे तो हमारा देश विकसित होगा। हम एक ओर तो यह कहते हैं कि हमारे ग्रामीण व्यक्ति शहरों से शिक्षा ग्रहण करें लेकिन इसकी व्यवस्था के प्रति हम देखते है कि यहां पर किसी की कोई व्यवस्था नजर नहीं आती, इसलिए यह मेरा निवेदन है।

दूसरा एक मेरा निवेदन यह है कि आजाद हिन्दुस्तान के अन्दर प्रत्येक व्यक्ति को हमने समानता का अधिकार दे रखा है लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इसी जनता के व्यक्ति को सिर के ऊपर, छाबड़ियों में, टोकरियों में, जो आज हम अच्छा खाना खाकर पात्र मैला पैदा कर देते हैं, उसको उठा कर चलना पड़ता है। एक तरफ हम देहातों की और कस्बों की उन्नति की बात करते हैं और दूसरी तरफ यह हालत है। हमारे बापू के स्वप्न को हम वास्तव में भूल गए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय से कि आप इस प्रकार की घोषणा करें। वास्तव में माननीय मंत्री जी सबको समान समझते हैं। उनकी इस प्रकार की दुर्दशा होती जा रही है। उस हालत में मैला ढो कर घूमते रहते हैं। इसकी पूर्ण रूप से व्यवस्था होनी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

साथ ही इन सारी मांगों के ऊपर इस प्रकार का विचार किया जाय तो वाजिब होगा। हम जिस ओर हमारे प्रान्त को ले जाना चाहते हैं, हमारे देश को ले जाना चाहते हैं, हमारे समाज को ले जाना चाहते हैं, हमारी जनता को ले जाना चाहते हैं उस ओर ले जा सकेंगे अन्यथा लोग बोलेंगे, बोलते आए है, नतीजा कुछ निकलता नहीं है। उसमें तथ्य की बात तभी हो सकती है जब बुराई को मिटायेंगे और अच्छाई को बढ़ायेंगे और इस पर विचार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामगोपाल।

श्री **रामगोपाल** (किशनगंज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज की मांगों पर बोलते हुए सहकारिता विभाग के बारे में माननीय मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लिए जो प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू किया है उसकी पालना यहां पर पूरी नहीं हुई है और रोस्टर सिस्टम के तहत जो उनको लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ नहीं मिल पाया है। मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि उनके हितों की सुरक्षा के लिए आप इस ओर भी कदम बढ़ायें। संदर्भ में निवेदन करूंगा कि गृह निर्माण सहकारी समितियों के उन व्यक्तियों के माध्यम से जो उसमें सदस्य हैं और लोन उठाना चाहते हैं उन सहकारी समितियों का निर्माण हुआ, राजस्थान में उन समितियों का रजिस्ट्रीकरण हुआ, वह स्वीकृति के स्तर पर पड़ी हुई हैं। कोई स्वीकृत हो चुकी है और कोई स्वीकृति के लिए पड़ी हुई हैं। मैं यह कहना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय को, जो सोसायटी कोम्पीटेंट हैं उसको आप लोन मंजूर कीजिए, जिनको लोन मंजूर हो चुका है उनको आप किश्तें दें। जिनको पहली किश्त मिल चुकी है उनको दूसरी किश्त आप दीजिए। वे लोग भटकते फिरते हैं हजारों की संख्या में, उन्होंने अपने हिस्से की राशि जमा करा दी, न मालूम किस तरह से उन्होंने अपना

(श्री राम गोपाल)

पैसा इकट्ठा किया, किसी व्यक्ति ने अपने जेवर गिरवी रखे, कैसे भी किया और पैसा इकट्ठा करके जमा करा दिए। आप मंत्री महोदय इसको गौर से सुनने की कोशिश कीजिए। माननीय मंत्रीजी, आज की तारीख में जिन शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स की सोसायटी रजिस्टर हो गई हैं उनको पहली किश्त मिलनी चाहिए। जिनको पहली किश्त मिल गई उनको सैकिंड किश्त मिलनी चाहिए। पहली किश्त तो मिल गई लेकिन सैकिंड किश्त नहीं मिलने के कारण उनको बहुत परेशानी है। आगे मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत, उसको प्रगति देने के लिए राजस्थान में वीकर सेक्शन को ऊंचा उठाने के लिए राज्य सरकार ने यह नियम लागू किया है कि वीकर सेक्शन के, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के एक तिहाई प्रबन्धकारिणी के अन्दर सदस्य होना आवश्यक है। अगर नहीं होंगे तो उनको मनोनीत किया जायेगा। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि अभी तक इसमें सफलता नहीं मिल पायी है। इस कमी को दूर कीजिये और जहां जहां राजस्थान में इस प्रकार की आवश्यकता है, उसको आप पूरी करने की कोशिश कीजिये।

इसी सन्दर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि आपने सहकारी समितियों के माध्यम से प्रगति की है और बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत आप और प्रगति करना चाहते हैं लेकिन कहीं पर यह रोड़ा अटका हुआ है जिसके कारण किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से जो फायदा मिलना चाहिये, वह नहीं मिल पा रहा है। इसलिए इस ओर भी आप अपना ध्यान आकृष्ट कीजिये। मैं यहां नहीं कहना चाहूंगा जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा, नाम व्यक्तिगत तौर से भी लिया। उन्होंने यह बताया कि किस प्रकार के गबन, घोटाले आपके सहकारी आन्दोलन में हुए हैं और बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत किसानों को फायदा नहीं पहुंच रहा है। उनको फायदा नहीं मिल रहा है तो किस तरह से रोड़ा, व्यवधान हो रहा है इस ओर भी मंत्री महोदय अपना ध्यान आकृष्ट कीजिए।

माननीय मंत्री महोदय बारां के अंदर जो वर्तमान में सहायक रजिस्ट्रार हैं, उनके बारे में मेरे पूर्व वक्ता कह चुके हैं। मैं इसी सन्दर्भ में दुबारा कहना चाहूंगा कि जो स्थिति मुझे मालूम है और वहां का होने के नाते, स्थानीय होने के नाते जो जानकारी मेरी है, मैं बताऊंगा कि मैंने आपको पत्र लिखा था, रजिस्ट्रार महोदय को पत्र लिखा था, उसी सन्दर्भ में 17-10-75 पत्र लिख कर उनके बारे में जानकारी दी। कोटा में सहकारी आन्दोलन हमेशा सफल रहा है। हमारा कोटा जिला को-आपरेटिव में फर्स्ट आया है दो-तीन बार और हम उम्मीद करते हैं आगे भी आयेगा। हम कोशिश करेंगे। परन्तु वहां पर किस तरह किसानों को फायदा न मिले, इस बात का प्रयास किया गया है। इस बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह बहुत बड़ा गम्भीर मसला है। 17-10-75 को एक पर्सनल पत्र लिखा। उसकी एक प्रति मुख्य मन्त्री को दी। प्राइम-मिनिस्टर को दी। इसका अलग से पत्र मैंने रजिस्ट्रार महोदय को भी लिखा था। मुख्य सचिव

(श्री राम गोपाल)

को भी इस सम्बन्ध में पत्र लिखा था। मेरे पास जो रजिस्ट्रार महोदय ने जांच अधिकारी नियुक्त किया है उसकी सूचना आयी है आपके सहकारी विभाग से। मुख्य मन्त्री महोदय का भी पत्र आया है, इसमें आवश्यक कार्यवाही हेतु सहकारी मन्त्री को लिखा जा रहा है। परन्तु सहकारी मन्त्रीजी के यहां पर क्या कार्यवाही हुई, इस सम्बन्ध में कोई जानकारी आपने मुझे नहीं बतायी है। इस प्रकार से एक सन्देह पैदा होता है इसलिए इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप इस ओर ध्यान दीजिये और सहकारी आंदोलन में इस प्रकार से असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार गड़बड़ियां कर रहा है, उसको रोकिये। सहकारी समितियों की प्रबन्धकारिणी समिति में एक तिहाई सदस्य शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के रखने का प्रावधान आपने किया है। कितन स्थान पर आप इनको रखना चाहते हैं। यह बहुत ही अफसोस की बात है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोग बहुमत के साथ चुनकर आते हैं, चुनाव लड़ कर आते हैं और जसे ही वे प्रबन्धकारिणी की बैठक में बैठते हैं कि आपके असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार उस चुनाव का अवैधानिक घोषित करते हैं। वह सदस्य जबर्दस्त थम्पिग मेजोरिटी से जीत कर आता है, उसको अवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। इस प्रकार से जिले की मार्केटिंग सोसायटी में एक शिड्यूल्ड कास्ट्स का मेम्बर जीत कर आया तो उसको परेशान करने की कोशिश की गई। साल भर उसको लटकाये रखा। इस प्रकार सहकारी आन्दोलन में लूट खसोट हो रही है और इस आन्दोलन को एक नाटक बना रखा है। एक तरह से गबन घोटाले को यह व्यवस्था है। यह जानकारी भी दी है कि पहले यह पुलिस विभाग में अधिकारी था, वहां पर गबन किया, सस्पेन्ड हुआ है। तो इस प्रकार का व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी दे दी है तो गंभीरता से इस मामले को लीजिये। सुबह से शाम तक लगातार इस बात की चर्चा यहां पर हो रही है। सहकारी समितियों का आन्दोलन महत्वपूर्ण है और इस आन्दोलन से किसानों को फायदा है इसमें इस प्रकार से एक अधिकारी रोड़ा बन जाये तो उसको दूर करें : ··

श्री उपाध्यक्ष : कुल कहानी एक ही व्यक्ति की है।···

श्री रामगोपाल : मामला बहुत लंबा है। उस इलाके का सदस्य हूं और निश्चित जानकारी देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में कहिये। 5 मिनिट तो समाप्त हो गये हैं।

श्री रामगोपाल : उपाध्यक्ष महोदय, कोटा जिले में एक अच्छी चलती हुई सोसाइटी है, उसको भी इस अधिकारी ने भंग कर के एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया। एक तरफ तो हम सहकारी समितियों को बढ़ावा देना चाहते हैं, आगे बढाना चाहते हैं और दूसरी तरफ उनको भंग किया जा रहा है, यह क्या तमाशा है। यह वहां के ए. आर. का तमाशा है। उसकी जांच करावें। वह तो यह कहता है कि झुंझुनूं जिले का वह रहने वाला है। हमने उनके खिलाफ लिख कर दिया है। लिख लिख कर थक गये हैं इसलिए मैं आपका ध्यान पुरजोर शब्दों में इस ओर आकर्षित करता हूं।

(श्री राम गोपाल)

वहां की जनता में आक्रोश है। वहां की जनता ने लिख कर भी दिया है। मैंने स्वयं ने लिख कर दिया है। मेरे को यह आभास हुआ है कि समय कम है इसलिए मैं आपको थोड़े से में ही निवेदन करना चाहता हूं।

कुछ सामुदायिक विकास के बारे में कहना चाहता हूं। इलेक्शन के बारे में सभी ने कहा कि इलेक्शन कराइये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं गिरधारीलाल व्यास कमेटी की रिपोर्ट है। आप भी उस कमेटी के सदस्य थे और उस कमेटी के नाम पर गुजरात, हरियाणा घूम कर आये थे। उस वक्त आप भी सदस्य थे और अच्छे सुझाव भी आपने दिये थे। तो उस कमेटी की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं करते हैं ?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

छीपाबडोद में ग्राम पंचायत है। इसके बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसको नगरपालिका में कन्वर्ट कर के नगर पालिका घोषित करिये ताकि वहां की समस्या दूर हो सके। सहायक रजिस्ट्रार के बारे में पुरजोर शब्दों के साथ कहता हुआ जांच की मांग करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हाजी जान मोहम्मद।

श्री हाजी जान मोहम्मद (पिड़ावा) : सदरे मोहरम, मैं सहकारिता के सिलसिले में चर्चा करना चाहता हूं। मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारी सरकार ने जिन लोगों को पैसा दिया आज तक पैसा उनसे वसूल नहीं किया गया है। हिम्मतगढ़ की सहकारी समिति के अध्यक्ष 19 हजार रुपया खा गये। इसी तरह से एक जगह 19 हजार, दूसरी जगह पर 80 हजार रुपये का गबन है। हमारे मन्त्री महोदय इसकी इन्क्वायरी भी नहीं करते हैं। इसकी क्या वजह है ? इस लिए मैं अर्ज करना चाहता हूं 80 हजार का गबन है जैसे ओड़िया खेड़ी, 19000 हिम्मतगढ़ हजार, सलोतिया 80000 में बारह 2 हजार का गबन है। इसकी इन्क्वायरी करें। नहीं करते हैं-क्या वजह है ? यह कोई राज्य है ? ऐसे ऐसे चोरों को पनपाया जा रहा है। मेरी पुरजोर मांग है कि फौरन इसकी इन्क्वायरी करवायी जाये और टाइम मुकर्रर कर दिया जाये। अगर मैं गलत होऊं तो मेरे खिलाफ चार्ज लगाये जायें। 80,80 हजार का गबन है। मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं। इनकी कोई इन्क्वायरी नहीं होती है। न किसी को कोई सजा मिलती है। मैं मन्त्री महोदय से अर्ज करूंगा कि वजह क्या है कि आप इन्क्वायरी नहीं कराते हैं ? आपके यहां पर रजिस्ट्रार महोदय है। असि० रजि० झालावाड़ में चुपचाप बैठा है। यह सारे राजस्थान में हो रहा है, मैं आपको नाम ले लेकर बता रहा हूं, ओडिया खेड़ी, हिम्मतगढ़ 20000, सालोतिया में 80 हजार, 20 हजार, 12 हजार का गबन है। इन सब बातों की आप इन्क्वायरी नहीं कराते हैं ? वजह क्या है। या तो आपकी कमजोरी है या आप चाहते नहीं हैं कि इन्साफ हो। मैं फिर पुरजोर लफ्जों में आपसे अर्ज करता हूं कि अगर आपके अफसर जांच नहीं करते हैं तो रजिस्ट्रार को सस्पेंड क्यों नहीं करते। आप कार्यवाही करते हैं ? एक टाइम मुकर्रर कर दें 15 दिन या 20 रोज ताकि जो जनता आज चिल्ला रही है कि क्या राज है ? यह क्या कोई गवर्नमेंट है कि जिसमें लोग इतना गबन कर रहे हैं। मेहरबानी करके इन तीन चार जगहों की इन्क्वायरी करवाइये ताकि जनता

(श्री हाजी जान मोहम्मद)

को इन्साफ मिले। सहकारी समितियों में गबन है तो आप चैकिंग करायें। आप चैकिंग नहीं करवाना चाहते हैं तो वजह क्या है?

पंचायती राज में गड़बड़ी के मामले हैं उनके लिए हम कर्मचारियों को बदनाम करते हैं, लेकिन हमारे लोग जो सरपंच, प्रधान और प्रमुख बने बैठे हैं वह सब रिश्वत खा रहे हैं। कोई भी इस बात से बचा हुआ नहीं है। तो हमारे लोगों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं? उसकी वजह क्या है? यह जनता की मांग है कि चुनाव कराये जायं। हमारे इलाके की बात नहीं है। राजस्थान भर से जितने भी विधायक हैं वह कह रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। इस बात पर आप वोट ले लें तो अभी फैसला होता है। क्या वजह है कि आप इलेक्शन नहीं कराना चाहते हैं। यह राजस्थान की जनता की मांग है। हमें फिजूल में बदनाम करते हैं कर्मचारियों को और हमारे सरपंच रिश्वत खाते हैं। उनको आपने अधिकार दे रखे हैं। इन्तकाल है उसमें वह पैसा खाते है। आज जनता पंचायतों का नया इलेक्शन चाहती है। यह जनता की मांग है। यह जिला झालावाड़ की जनता मांग कर रही हैं। इसलिए मेहरबानी करके इलेक्शन जरूर करायें। आपने यहां पर आश्वासन दिया था कि जल्दी ही करायेंगे और फिर समय तीन साल का और बढ़ा दिया। तो आप इनको पीतल का पट्टा दे दे सरपंचों को हमेशा के लिए।

कुछ माननीय सदस्य : ताम्बा पत्र होता है।

श्री हाजी जान मोहम्मद : ताम्बे या पीतल का पत्र बनाकर दे दें ताकि वह हमेशा के लिए बने रहें। इसलिए मेहरबानी करके चुनाव करायें। यह छोटी बात नहीं है। हम लोग जो चुनकर आये हैं आपसे अर्ज करना चाहते हैं। आप भी एम० एल० ए० हैं मन्त्री आज बन गये तो किस्मत। आप भी प्रधान रहे होंगे, प्रमुख भी रहे होंगे। जनता की ओर से यहां पर सारा हाउस कहता है फिर क्यों नहीं कराते हैं? आप डरते क्यों हैं? आप समझते हैं कि कांग्रेस हारेगी लेकिन कांग्रेस हारेगी नहीं, कांग्रेस जीतेगी। हमें विश्वास है झालावाड़ में तो। इसलिए मेहरबानी करके चुनाव करायें। जो मैंने सहकारिता की बात कही है वह बिलकुल सच है। हमारी मांग है कि पंचायतों का इलेक्शन करायें मेहरबानी करके जो जवाब दें निहायत सोच समझ कर दें। यहां पर हमारी पार्टी के व्हिप खेतसिंहजी भी मौजूद हैं और डिप्टी लीडर साहब भी हैं उनसे मशवरा करके यह घोषणा कर दें कि इलेक्शन होगा ताकि हम भी जनता से कहें। इन चन्द बातों के बारे में मैंने अर्ज किया है इन पर गौर करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमेशचन्द्र सैनिक।

श्री रमेशचन्द्र सैनिक : माननीय उपाध्यक्ष, मेरे कटौती प्रस्ताव...

श्री उपाध्यक्ष : बड़े मियां के बाद आप आवश्यक समझें तो शार्ट में कहें।

श्री रमेशचन्द्र सैनिक : मैं बिल्कुल ही संक्षेप में कहता हूं। फालतू बात नहीं करूंगा।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : अभी तो कर रहे हैं।

श्री रमेशचन्द्र सैनिक : मेरा निवेदन इस प्रकार है, उपाध्यक्ष महोदय, लोकल सैल्फ गवर्नमेंट में पंचायती राज आता है। पंचायतों के इलेक्शन होना अत्यन्त आवश्यक है, इस पर सब ने दबाव डाला है। यदि इनकी आवश्यकता प्रजातंत्र के लिए मानते हैं तो उस आवश्यकता के लिए चुनाव निश्चित होने चाहिएं। आज कल पंचायतें वैसे ही खत्म हो चुकी हैं, और अपने आप में इस प्रकार से पेशो पेश में हैं कि आगे हमारा कोई भी कार्यक्रम नहीं है। उनकी चलती भी नहीं है। वह इतने पुराने पड़ गये हैं और इधर उधर बंट गये हैं। तो निश्चिततौर से पंचायतों के इलेक्शन कराने चाहिएं। अगर पंचायतों को डेमोक्रेसी की कड़ियां मानते हैं तो निश्चितरूप से चुनाव होने चाहियें। अगर पंचायतें पार्लियामेंट्री सिस्टम की कड़ियां हैं तो निश्चितरूप से चुनाव होने चाहिएं। अगर आप ग्रामवासियों को राजनैतिक ज्ञान देना चाहते हैं, यह बतलाना चाहते हैं कि प्रजातांत्रिक प्रणाली में उनके क्या कार्य हैं तो निश्चित रूप से चुनाव होने चाहिएं। यदि इसकी परिभाषा यह है कि वहां के स्थानीय आदमी हैं उन्हीं आदमियों द्वारा उन्हीं के स्तर पर बैठ कर उनकी मन्शा के अनुसार वह निर्णय करे तो निश्चित रूप से चुनाव होने चाहिएं। यदि यह परिभाषा मान लें कि सही है तो माननीय सदस्यों के साथ पुरजोर शब्दों में मैं यह कहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से कि निश्चित रूप से अभी जब वह जवाब दें तो यह विश्वास दिलायें माननीय सदस्यों को कि इसके बारे में वह कोई न कोई विचार रखते हैं। साथ साथ यह भी बतायें कि यदि पंचायत के चुनावों से उसको अपने कर्त्तव्यों का पता लगता है तो निश्चित रूप से चुनाव होने चाहियें। उनके फण्डामेंटल राइट्स क्या हैं यदि आपको पता है तो निश्चित रूप से उनके चुनाव होने चाहिएं। यदि यह इतना आवश्यक है तो चुनाव क्यों नहीं होते हैं? मैं इसको दोहराना नहीं चाहता। अन्त में मैं यही कहूंगा कि पंचायती राज के स्वायत्त शासन संस्थाओं के निश्चित रूप से चुनाव कराने चाहिए। जन साधारण की इस प्रकार की धारणा है, ग्रामवासियों की आकांक्षा है और छोटे बड़े आदमी की यही मांग है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

इसके बाद सहकारिता को लेता हूं। सहकारी संस्थाओं के ऊपर भी विचार करता हूं तो वे आपके लिए आकर्षण की केन्द्र बनी हुई हैं। जहां पर राजस्व के 10 15 रुपये की वसूली को बात होती है तो किसानों के पग चौड़े करवाते हैं लेकिन 40-40 और 50-50 लाख लोगों में बाकी है उनकी वसूली की बात नहीं होती है। क्या वह पैसा फोकट का है? क्या वह पैसा दान में दिया है? इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर नहीं है कि वह इसको देखें। पूरा क्यों नहीं राज्य सरकार इस पैसे को वसूल कर रही है जिस प्रकार की किसानों से वह राजस्व की वसूली करती है?

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

अन्त में मैं यह कहता हूं कि इसमें हमें स्वच्छता लानी पड़ेगी, इसको नया रूप देना पड़ेगा। दो ही मुद्दों के सम्बन्ध में अर्ज करना चाहता हूं कि बहुत से पुराने आदमी इसमें हैं तो यह आवश्यक है कि इतने वर्षों से जो लोग लगातार इन संस्थाओं में चले आ रहे हैं उनको पहले निकाल दिया जाय। यदि इस प्रकार के लोग हैं तो निश्-

(श्री रमेशचन्द्र सैनिक)

चित रूप से उनको निकाल देना चाहिए। इसके साथ साथ मैं निवेदन करूंगा कि यह जो सहकारी संस्था हैं वह जिला स्तर पर एक प्रकार से राजनैतिक केन्द्र बनी हुई हैं। यहां पर लोग मिलते हैं क्योंकि उनको अतिथि सत्कार का पैसा मिलता है वह उन पर खर्च करते हैं। एक मोटर साईकिल पांच हजार में आती है लेकिन उसकी मेन्टीनेन्स पर 8 हजार रुपया आता है एक साल में। कोई देखने वाला नहीं है। सारे का सारा खर्चा यहां से चलता है। इसको भी एक ऐसा मोड़ दिया जाय, एक ऐसा रूप दिया जाय जिससे आज जो गरीब किसानों के लिए ऋण उन्मूलन की बात करते हैं उनका यह स्वप्न है तो इस प्रकार का मोड़ दीजिये।

यह 20 सूत्री कार्यक्रम है आया इसमें उस को यदि सहारा चाहिए तो सहकारी संस्थाओं का चाहिए। इसके अन्दर मान लें कि लाभ की यदि इच्छा रहे, कुछ लालच की बात रहे, कुछ त्याग की भावना नहीं रहे तो निश्चित रूप से 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम लंगड़ा हो जायगा। 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को यदि कोई आधार, यदि कोई सहारा मिलता है तो केवल सहकारी संस्थाम से मिलता, है। यदि रोजमर्रा की वस्तुएं, जितनी एसेन्शियल कामोडिटीज हैं, जितनी जीवन की आवश्यक चीजें हैं, वह सारी की सारी आप सहकारी संस्थान के माध्यम से बेचने जा रहे हैं तो निश्चितरूप से इसमें आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीलाल।

श्री देवीलाल : माननीय मंत्रीजी को दे दें मेरा टाइम भी।

श्री उपाध्यक्ष : Should I request the Hon'ble Minister now ? (विराम) माननीय मंत्रीजी।

श्री रामनारायण चौधरी (सहकारी-मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता, पंचायती राज और विकास को राजस्थान में हमें उस पृष्ठभूमि में देखना होगा कि राजस्थान बनने से पूर्व सहकारिता और पंचायतों की यहां रियासतों के अन्दर क्या स्थिति थी। अधिकांश में जहां रियासतों के अन्दर ग्राम पंचायतों का कोई नाम नहीं था, सहकारी समितियों का, सहकारी आन्दोलन के कार्यक्रम का कहीं कोई स्थान नहीं था, विरासत में मिली हुई सहकारिता और पंचायत राज की स्थिति को राजस्थान बनने के बाद गति मिली और आज राजस्थान के अन्दर 95 प्रतिशत गांव सहकारिता के क्षेत्र में आये हैं और हमारा लक्ष्य है, मान्यवर, 30 जून तक राजस्थान के समस्त गांव, जिनकी संख्या लगभग 34 हजार है, सहकारी क्षेत्र में आ जाने चाहिये और वह आयेंगे, यह हमने लक्ष्य रखा है। आज, मान्यवर, वर्तमान में स्थिति यह है कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार जिनका प्रतिशत 50.70 प्रतिशत है, सहकारी, समितियों के सदस्य हैं और वे सहकारी समितियों से लाभ उठा रहे हैं। हमने अक्टूबर के महीने में इस बात का अभियान चलाया था कि गांवों के अन्दर सहकारी समितियों के सदस्य अधिक से अधिक तादाद

(श्री रामनारायण चौधरी)

में बनाये जाने चाहिए और विशेष तौर से कमजोर वर्ग के लोगों को अधिक से अधिक सहकारी क्षेत्र में लाना चाहिए। अक्टूबर में चलाये गये अभियान के फलस्वरूप राजस्थान के अन्दर 2 लाख 90 हजार सदस्य सहकारी समितियों के बनाये गये। इस अभियान से पहले 42 प्रतिशत ग्रामीण परिवार सहकारिता के क्षेत्र में लाये गये थे लेकिन इस अभियान की वजह से 50·70 प्रतिशत ग्रामीण परिवार सहकारी क्षेत्र में लाये गये। इन 2 लाख 90 हजार सदस्यों में से 70 प्रतिशत सदस्य जो हैं वह कमजोर वर्ग के हैं। राजस्थान सरकार ने सहकारी आन्दोलन को राजस्थान में और अधिक मजबूत और गतिशील और सक्रिय बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिये हैं। उनमें एक निर्णय यह भी है कि राजस्थान के अन्दर किसी भी परिवार के किसी भी व्यक्ति, जो कि सहकारी समिति का सदस्य बनना चाहता है, के सामने किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आनी चाहिये क्योंकि यह देखा गया था कि सहकारी समितियों के अध्यक्ष, मन्त्री या कोषाध्यक्ष हैं जो वहां पर मालिक बनकर बैठे हुए थे, वे न तो किसी नये सदस्यों को उसमें लाना चाहते थे, न वे चुनाव ही कराना चाहते थे और वे हावी होकर बैठ गये थे। इसलिये नये सदस्यों को उसमें स्थान देने के लिये मन्त्रि-मण्डल ने निर्णय किया। जो व्यक्ति जिस गांव में रहता है वह वहां की सहकारी समिति का सदस्य किस प्रकार से बने, इस बात पर मन्त्रिमण्डल में विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि जो व्यक्ति जिस गांव का रहने वाला है और सहकारी समिति का सदस्य बनने के लिये योग्यता रखता है, यह यदि सदस्य बनने के लिये आवेदन करता है तो वह उसका सदस्य मान लिया जायगा। इसमें भी हमारे सामने कई कठिनाइयां आईं और यह भी देखा गया कि सहकारी समितियों के जो अध्यक्ष, मन्त्री और कोषाध्यक्ष वगैरह हैं वे इस बात की कोशिश करने लगे कि जो लोग सदस्य बनना चाहते हैं उनके आवेदन-पत्र ही नहीं लिये जायं। फलस्वरूप सदस्यों को मुकद्दमेबाजी में जाना पड़ता था। उनको सहायक रजिस्ट्रार के पास जाकर दावा करना पड़ता था कि उनके आवेदन-पत्र को नहीं लिया गया है अथवा स्वीकार नहीं करते हुए उसको रद्द कर दिया गया है। इसमें यह निर्णय लिया गया कि सहकारी समिति के सदस्य बनने के लिए सहकारी समिति के मन्त्री को अथवा सहायक रजिस्ट्रार को भी जिस किसी को भी आवेदन-पत्र देंगे, तो वह स्वतः ही सदस्य मान लिया जायगा। मान्यवर, यह भी देखा गया कि सहकारी समितियों के अन्दर वह व्यक्ति ज्यादा हावी हैं जो समाज में हर तरह से सम्पन्न हैं, समाज के अन्दर ऊंचे वर्ग के लोग हैं और जिनकी माली हालत अच्छी है, यह अनुभव किया गया कि कमजोर वर्ग के लोगों को भी इसमें संरक्षण दिया जाय। इसके लिये यह निर्णय लिया गया कि राजस्थान प्रदेश के अन्दर जितनी भी नई समितियां बनाई जायं उनमें 33 पर्सेन्ट कमजोर वर्ग के सदस्य होंगे। साथ में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रबन्ध समिति के अन्दर भी कमजोर वर्ग का प्रतिनिधित्व 33 पर्सेन्ट का होगा। अगर वे चुनाव के द्वारा नहीं आते हैं तो राज्य सरकार इसको मनोनयन के द्वारा पूरा करेगी। यह ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हैं जिनकी राजस्थान में इस सदन के माननीय सदस्य द्वारा ही नहीं

(श्री रामनारायण चौधरी)

दूसरी जगहों पर भी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की गई है। यह अनुभव किया गया है कि राजस्थान सरकार ने इस विषय में अगुवाई की है। मान्यवर, राजस्थान सरकार ने यह निर्णय भी लिया कि प्रत्येक सहकारी बैंक जो अपने जिले का कारोबार करता है उसमें 33 पर्सेन्ट किस प्रकार से लक्ष्य को पूरा करें तो इसमें यह सोचा गया कि कमजोर वर्ग की संख्या नहीं बढ़ाई जाय तब तक यह नहीं हो सकता। इसके लिये यह देखा गया कि वर्तमान सदस्य संख्या के आधार पर यह पूरा नहीं कर सकते। तो 50 करोड़ का जो लक्ष्य है हमारा, 50 करोड़ का ऋण राजस्थान के काश्तकारों को देना चाहते हैं वह हम पूरा नहीं कर सकते जो सहकारी बैंक 33 पर्सेन्ट कमजोर वर्ग के लोगों को नहीं देंगे तो उनको आगे लोनिंग नहीं होगा और उनको अपेक्स बैंक से भी ऋण प्राप्त नहीं हो सकेगा। तो यह देखा गया कि सहकारी बैंकों में कमजोर वर्गों का इतना प्रतिशत होना चाहिये जिससे यह कठिनाई नहीं आये। तो यह महत्वपूर्ण निर्णय राजस्थान सरकार ने लिये और सहकारी आन्दोलन को प्रदेश में मजबूत करने के लिये यह लक्ष्य प्राप्त किया।

मान्यवर, यहां काफी माननीय सदस्यों ने सहकारिता के बारे में अपने-अपने विचार व्यक्त किये, अपने विचारों का इजहार किया, मुझे खुशी है कि आज इस बहस के अन्दर 24 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। माननीय सदस्यों ने कई मूल्यवान और महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं, जो भी उन्होंने विचार व्यक्त किये हैं मैं उनकी कद्र करता हूं और कुछ बातें इस प्रकार की हैं जिनको मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं। वह मैं उनका स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं।

मान्यवर, यहां पर अपने विचार व्यक्त करते हुए नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य श्री शंकरसिंह रावत ने अपने विचार व्यक्त किये और यह दलील दी कि राजस्थान में पहले जितना सोचा गया था, राजस्थान में सहकारिता आन्दोलन को बल मिलना चाहिए था वह नहीं मिल सका। राजस्थान के अन्दर इन्टीग्रेशन का प्रोग्राम लीजिये जिसके द्वारा जो 7700 ग्राम सेवा सहकारी समितियां थीं उनको कम करके 5600 के लगभग कर दिया गया है। मान्यवर, दांते कमेटी राजस्थान के अन्दर गठित हुई थी, जिसके अन्दर राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि, सहकारी क्षेत्र के अन्दर काम करने वाले नेता भी थे, दांते साहब रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के एग्जीक्यूटिव डाइरेक्टर हैं और रूरल क्रेडिट को देखते हैं उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई उसका विचार है और सिफारिश है कि ग्राम स्तर पर जब तक ग्राम सेवा सहकारी समिति का वायेबल यूनिट नहीं होगा तब तक वह अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। तो यह देखा गया कि एक ग्राम सेवा सहकारी समिति किस प्रकार से वायेबल यूनिट बनाई जाय तो इस बात का पता लगाया गया कि जब तक 7700 से 5600 नहीं की जायेंगी तब तक वायेबल यूनिट नहीं बन सकती। उस कमेटी की सिफारिश के आधार पर यह निर्णय लिया गया, यह मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं। श्री

(श्री रामनारायण चौधरी)

रावत राम ने यह कहा कि सहकारी ऋणों की वसूली सख्ती से की जा रही है। पहले बोलने वाले वक्ता ने यह कहा और आखिर में बोलने वाले माननीय सदस्य रमेशचन्द्रजी सैनिक का विचार है कि क्या कारण है कि रेवेन्यू की वसूली के लिये पुलिस का प्रयोग होता है और सहकारी ऋण की वसूली के लिए भी इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता जहां पर लाखों रुपया सरकार का बकाया है ? दो माननीय सदस्यों के विचार हैं, एक तरफ तो ऋण की सख्ती से वसूली की बात करते हैं और दूसरी तरफ यह विचार है कि पुलिस का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता ? मेरा मानना है, मान्यवर, जब तक जिस व्यक्ति को ऋण दिया गया है, जिसने ऋण लिया है उसकी वसूली होनी चाहिए, यह सभी माननीय सदस्य जानते हैं, अगर वसूली नहीं होती है तो रिजर्व बैंक से पैसा नहीं मिल सकेगा और जो लक्ष्य हमने 50 करोड़ का रखा है वह पूरा नहीं कर सकते। इसमें ज्यादती का कोई प्रश्न नहीं है, जो रुपया दिया गया है उसको वसूल करने का प्रश्न है। इसलिए माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि वसूली के अन्दर किसी प्रकार की ज्यादती का प्रश्न नहीं है।

मान्यवर, यह भी कहा गया कि सहकारी समितियों के चुनाव बन्द कर दिये गये। यह बात सही है, सहकारी समितियों के चुनाव बन्द किये हैं। मान्यवर, वह इस लिए किया है कि इस वक्त कुछ लक्ष्य हमारे सामने हैं। एक लक्ष्य तो यह है कि किस प्रकार से हम ग्राम की सेवा सहकारी समिति को इन्टीग्रेट करके वायेबल यूनिट 5600, सब को मिला कर, 30 जून से पहले करें। दूसरा यह है कि 50 करोड़ का लक्ष्य राजस्थान के लिए तय किया है, उसकी किस तरह से पूर्ति करें। इसलिए हमने निर्णय किया, इस वक्त सहकारी समितियों के चुनाव के झंझट में सहकारी विभाग के कर्मचारियों को डाल दिया गया तो पूरा लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। इससे राजस्थान को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। चुनाव के बारे में तय किया है कि जुलाई के बाद काश्तकारों के पास कोई काम नहीं रहता है, उस समय चुनाव करायें ग्राम सेवा सहकारी समिति से लेकर अपेक्स तक, टोटल सहकारी इन्स्टीट्यूशन के चुनाव होने चाहिए। इसलिए बन्द करने का प्रश्न नहीं है, परिस्थिति-समय का है। यह आप माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय गफ्फार साहब ने विचार व्यक्त करते हुए अपनी बात कच्ची बस्ती वालों से शुरू की और जयपुर के सम्बन्ध में दूसरे मामलों पर विचार व्यक्त किये। एक विचार यह व्यक्त किया जयपुर के दस मील के भीतर की जमीन के बारे में कि राजस्थान सरकार को यह जमीन अपने कब्जे में ले लेनी चाहिए। मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि अर्बन सीलिंग एक्ट, जिसको अडाप्ट किया है, पांच मील एरिया के अन्दर उस जमीन को लेने के बारे में राजस्थान सरकार का बना हुआ है, तो उससे कोई बच नही सकेगा और राजस्थान में उस बारे में विशेष कार्यवाही जरूर होगी, जो कि माननीय सदस्य चाहते हैं।

कच्ची बस्ती के बारे में माननीय सदस्य ने कहा कि कच्चा बस्ती में बैठे हैं वह 31 अगस्त, 1971 के बाद में आकर बैठ

(श्री रामनारायण चौधरी)

गये तो उनको रेगुलेराइज किया जाना चाहिए। ऐसा किया गया तो कोई इसका अन्त नहीं होगा। इसलिए यह सोच समझ कर किया गया है कि 31 अगस्त, 1970 को जयपुर में जो जहां बैठे हैं, उनको डिस्टर्ब न किया जाय और वहीं उस कच्ची बस्ती में रहने दिया जाय या जो वीकर सेक्शन के हैं, कच्ची बस्ती में रहते हैं, उनको प्लाट दें, वहां नहीं तो दूसरी जगह रेगुलेराइज करें। माननीय सदस्य 31 अगस्त, 1971 के बाद जो कहीं बैठ गये हैं, उनको रेगुलेराइज कराना चाहते हैं। माननीय सदस्य मेरे विचार से सहमत होंगे कि इस प्रकार करते गये तो अन्त नहीं होगा। मै समझता हूं कि माननीय सदस्य के विचार से सदन भी सहमत नहीं होगा।

योगेन्द्रनाथ जी हांडा ने मर्केन्टाइल कोआपरेटिव बैंक के बारे में अपने विचार व्यक्त किये। उनके भाषण की मेन थीम, मान्यवर, यह थी कि इस कोआपरेटिव बैंक को लिक्वीडेशन में लेकर उसमें काम कर रहे तीस पैंतीस लोगों को बेरोजगारी में डाल दिया गया है और इस बैंक को राजस्थान सरकार के सहकारी विभाग के अधिकारियों ने ठीक प्रकार से नहीं संभाला, इसलिए यह सब हुआ। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि यह मर्केन्टाइल कोआपरेटिव बैंक के बारे में काफी चर्चा है, अखबारों में भी है है और आज सदन में भी कई माननीय सदस्यों की इसमें तीव्रता थी अपने भाषण में और विचारों में, यह मर्केन्टाइल कोआपरेटिव बैंक, जिसमें राजस्थान सरकार का न कोई हिस्सा है, न राजस्थान सरकार का कोई इन्वेस्टमेंट इसके अंदर है, का पूरी तरह 1955 के अंदर राजस्थान कोआपरेटिव बैंक एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन हुआ था और यह बैंक चल रही थी। 1974 में इस बैंक के बारे में शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत करने वाले दो व्यक्ति थे, एक इस सदन के माननीय सदस्य श्री श्रीराम गोटेवाला, जो किशनपोल से निर्वाचित होकर आते हैं। उन्होंने इस बैंक के बारे में शिकायत की थी। दूसरे इस बैंक की शिकायत इसी बैंक के जो उस वक्त चेयरमैन थे, जिनका नाम पी. के. मेंहदी था, उन्होंने की थी, इस बैंक में गड़बड़ी है, लोनिंग हो रहा है वह फर्जी हो रहा है और बैंक से प्लेज के बतौर रुपया दिया जाना चाहिए, प्लेज के लिए कोई नहीं रखा जाता है, बैंक अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, बैंक के डायरेक्टर, मैनेजर, जनरल मैनेजर सब इसमें मिले हुए हैं। यह शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त हुई। राज्य सरकार ने इसकी जांच करवाई। जांच करवाने के बाद, मान्यवर, इसका निष्कर्ष यह आया कि 2-1-75 को राजस्थान सरकार ने शिकायतों को रजिस्ट्रार सहकारी विभाग के पास भेजा। 2-1-75 को रजिस्ट्रार सहकारी विभाग ने इस बैंक के संचालक मंडल को भंग कर दिया और एडमिनिस्ट्रेटर कायम कर दिया गया। 1974 के महीने तो याद नहीं, अगस्त-सितम्बर में शिकायत प्राप्त हुई, जो रजिस्ट्रार के पास भेजी गई, उन पर एक्शन लिया गया और 2-1-75 को संचालक मण्डल को भंग कर दिया। हाईकोर्ट का आदेश प्राप्त होने के बाद 2-1-75 को प्रभावित पक्ष को, संचालक मण्डल को भंग किया गया और और हाई कोर्ट के अन्दर जाने से स्टे आर्डर हासिल कियागया। स्टे आर्डर आने के पहले एडमिनिस्ट्रेटर वहां पर कायम हो गया, चार्ज

(श्री रामनारायण चौधरी)

ले लिया गया। राज्य सरकार के विधि विभाग और हमारे विभाग की राय रही, अब चूंकि स्टे आर्डर की मन्शा थी, हाई कोर्ट से आने के पहले एडमिनिस्ट्रेटर ने चार्ज ले लिया, इसलिए वह नहीं रहती और हाई कोर्ट का आर्डर वहां पर लागू नहीं होता। इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में संचालक मण्डल ने जोरों से एजीटेट किया। हाई कोर्ट ने आदेश दिया, एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का आदेश राज्य सरकार ने दिया है, वह तुरन्त वापिस लिया जाय। मान्यवर, उस वक्त सहकारी विभाग के एडवोकेट वहां थे, दूसरे और लोग थे, माननीय न्यायाधीश ने अदालत में रुख लिया, वह यह था, जैसा कि उन्होंने बताया कि कोर्ट इतना नाराज था इस बात से कि आपने उनके हुक्म की अवहेलना की और आदेश का जान बूझ कर इन्फ्रचुअस कर दिया इस बैंक के लिए, एक तो जिस अधिकारी ने आदेश दिया है, उसके द्वारा वह विथड्रा किया जाय और कोर्ट के सामने कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का क्वेश्चन बनाया था and he should be behind the bars इस प्रकार का आब्जेक्शन हाई कोर्ट के अन्दर हुआ। स्वभावतः, मान्यवर, हाईकोर्ट के जजमेंट की चर्चा हुई, मैं उस चर्चा में शामिल नहीं हुआ, मैं बाहर गया हुआ था। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि संचालक मंडल को भंग करने के आदेश को तुरन्त वापिस लिया जाय तो 21-9-75 को आदेश वापिस ले लिया गया और पुराना संचालक मण्डल पूरा इसमें आ गया, पुराने संचालक मण्डल के अन्दर जो थे, जैसी कि माननीय सदस्यों ने भावना व्यक्त की है, उनको जानकारी भी दे दूं कि इस संचालक मंडल के अन्दर जो व्यक्ति थे, उनकी स्वयं की खास स्थिति प्रान्त में थी, यह नहीं मालूम, लेकिन यहां के प्रभावशाली आदमियों को प्रभावित करने के अन्दर कोई कमी नहीं रखी। दुबारा आदेश इस प्रकार के हो गये तो कुछ व्यक्तियों को उन्होंने और इन्वाल्व किया, और अध्यक्ष को बदल कर ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया जिसके बारे में कहा गया कि इसके बारे में शिकायत नहीं होगी। दो व्यक्ति और लिये गये जिनके बारे में किसी को शंका नहीं हो सकती थी। यह सब मिल कर पुनः राज्य सरकार के पास आये, कहा आदेश हाई कोर्ट से हो गया है, कृपया बैंक को कार्य करने की अनुमति दें। हमने कहा, हम कर क्या सकते हैं, हाई कोर्ट का आदेश हो गया उसके अनुसार कार्यवाही होगी। डेढ़ महीने के बाद संचालक मण्डल ने महसूस किया, इस बैंक को नहीं चला सकते। उन्होंने संयुक्त त्याग पत्र दे दिया संचालक मंडल के स्थान से। 28-1-76 को आदेश के द्वारा संचालक मंडल को भंग कर दिया और डिप्टी रजिस्ट्रार के रेंक के व्यक्ति को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। इस दरम्यान कुछ माननीय सदस्यों ने कहा, रिजर्व बैंक से इसका सम्बन्ध नहीं जोड़ा गया। मान्यवर, राजस्थान कोआपरेटिव एक्ट के तहत बैंक का रजिस्ट्रेशन होता है। जिन बैंकिंग इन्स्टीट्यूशन का डिपाजिट एक लाख से कम होता है उसमें रिजर्व बैंक नहीं आती है। इस बैंक का डिपाजिट एक लाख से नीचे उसके डाइरेक्टर, मैनेजर, पदाधिकारी ने जानबूझ कर, मेनिपुलेशन करके रखा है ताकि रिजर्व बैंक बीच में न आजाय। मान्यवर, इस दरम्यान एडमिनिस्ट्रेटर बना था, 2-1-75 को, एडमिनिस्ट्रेटर आठ नौ महीने रहा, उस दरम्यान के अन्दर एडमिनिस्ट्रेटर

(श्री रामनारायण चौधरी)

ने रिजर्व बैंक में एप्लाइ किया लाइसेन्स के लिए क्योंकि एक लाख से ऊपर डिपाजिट हो गई थी। रिजर्व बैंक ने इसकी जांच के आदेश दे दिए और उसके बाद यह निर्णय लिया कि इस बैंक को चलाया नहीं जा सकता किसी भी हालत में और लाइसेंस देने के लिए, पहले मोरेटोरियम जारी कर दिया वह तीन महीने चला। उसके साथ शर्त थी कि तीन महीने की अवधि में, जो कर्जा बैंक ने दे रखा है उसमें से 10 लाख रुपये वसूल करेंगे तो मोरेटोरियम वापिस हट जायगा लेकिन 10 लाख रुपये वसूल नहीं कर सके तो रिजर्व बैंक ने लाइसेन्स देने से इन्कार कर दिया। तो, मान्यवर, जिस बैंक के बैंकिंग रूल्स के तहत रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस की दरख्वास्त रद्द की जाती है, वह बैंकिंग इन्स्टीट्यूशन चल नहीं सकती। तदनुसार इस बैंक को लिक्वीडेशन में लाना पड़ा, इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। माननीय हांडाजी का एजीटेशन था कि इसको लिक्वीडेशन में नहीं लेना चाहिए था। तो फिर इस बैंक को लिक्वीडेशन में लाए बगैर काम नहीं चल सकता था। रिजर्व बैंक ने जो निर्णय दिया उसके बाद कान्सीक्वेंसेज ये होते थे कि इसको लिक्वीडेशन में लाया जाय। श्री हांडा और झुंझुनू की माननीय सदस्या ने इस बारे में अपने विचार जाहिर किये है। मैं समझता हूं राज्य सरकार और सहकारिता विभाग ने इस मामले में कहीं भी मर्केन्टाइल बैंक या उसके संचालक मण्डल, जिसको भंग किया गया, को डिफेंड करने की कोई कार्यवाही जान बूझकर अथवा अनजाने में करने की कोशिश नहीं की। माननीय सदस्यों ने स्थिति पर बड़ा अफसोस जाहिर किया। यह सही है कि कोआपरेटिव एक्ट के तहत रजिस्टर्ड संस्था लिक्वीडेशन में आती है तो उसका असर दूसरी बैंकों, जो सहकारिता क्षेत्र में हैं, पर पड़ता है लेकिन इसका इलाज नहीं था। सन् 1955 से यह बैंक चल रहा है। झुंझुनू की माननीय सदस्या ने खाद्य निगम को इस बैंक द्वारा 7 लाख के ड्राफ्ट की बात कही, वह सही है। अगर खाद्य निगम को वह ड्राफ्ट नहीं दिया होता, धोखा नहीं दिया होता तो इस बैंक की तमाम प्रवृत्तियां सामने नहीं आतीं। तो मुस्तैदी के साथ कार्यवाही की गई है। अब प्रश्न है लिक्वीडेशन का। उसके अन्दर सख्ती के साथ वसूली की कार्यवाही की जा रही है। जो देनदारियां हैं और जो आमदनी है दोनों के बारे में मुस्तैदी से कार्यवाही चल रही है। जिस समय अच्छी स्थिति में आ जाती है तो बैंक को दुबारा रिवाइज करने में दिक्कत नहीं आएगी, उस लिक्वीडेशन का आर्डर सेट असाइड किया जा सकता है और बैंक को दुबारा रिवाइज किया जा सकता है लेकिन वह तभी होगा जब देखेंगे कि बैंक के द्वारा जो पैसा एडवांस किया गया है, उसमें कितनी रिकवरीज होती हैं, उस पर यह निर्भर करेगा। इस मर्केन्टाइल बैंक के बारे में जो मुझे जानकारी है, वह मैंने संक्षेप में सदन के सामने रखी है।

माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सहकारी संस्थाओं के चुनाव भी चुनाव विभाग द्वारा करवाए जाने चाहिए। चुनाव विभाग यदि इन चुनावों को करवाने की जिम्मेदारी लेता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं आलोचना के तौर पर नहीं कहता क्योंकि मैं सहका-

(श्री रामनारायण चौधरी)

रिता मंत्री भी हूं और चुनाव मंत्री भी हूं लेकिन जहां चुनाव करवाने की बात है, मैं आपकी बातों से सहमत हो सकता हूं कि सहकारिता विभाग के अधिकारी कहीं गड़बड़ी करते होंगे, मैं इन्कार नहीं करता लेकिन आप मानेंगे कि चुनावों में अनावश्यक देरी नहीं होती है, प्रति वर्ष या हर दूसरे वर्ष चुनाव होते तो हैं। इतना जुल्म तो नहीं हो रहा है कि चुनाव हो ही नहीं रहे हैं चुनाव करवाने के प्रयत्न किये गये हैं। कोशिश इस बात की की जाती है कि निष्पक्ष हों, आगे भी ऐसे ही प्रयत्न किए जाएंगे कि निष्पक्ष हों लेकिन फिर भी राज्य सरकार इस बात का निर्णय करती है, मन्त्रिमंडल इस बात का निर्णय करता है कि सहकारिता विभाग के चुनाव भी चुनाव विभाग को दिए जायं तो मुझे मन्त्री की हैसियत से कोई विरोध नहीं होगा। मैं मंत्री–मण्डल के सामने माननीय सदस्यों के विचारों को रखूंगा कि आपके ये विचार हैं।

माननीय सदस्यों ने हाउसिंग सोसाइटीज के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें बड़ा पक्षपात हुआ है, बाड़मेर में सिर्फ 7 सोसाइटीज का रजिस्ट्रेशन हुआ और दूसरे जिलों में बहुत ज्यादा हुआ। मैं सदन की जानकारी के लिए निवेदन करता हूं कि जिन जिलों में सामाजिक कार्यकर्त्ता और राजनैतिक कार्यकर्त्ता जागरूक थे, दिलचस्पी ज्यादा रखते थे, वहां निश्चित रूप से रजिस्ट्रेशन ज्यादा हुआ और यही कारण हुआ कि राजधानी के नजदीक कौनसा जिला था लेकिन जान-बूझकर हाउसिंग फाइनेन्स सोसाइटी की यह मान्यता ही हो कि अमुक जिलों को टाला जाए और अमुक को लिया जाए, यह नहीं थी। मैं आपकी धारणा मिटाना चाहता हूं कुछ जिलों में ज्यादा हाउसिंग इसलिए हुआ कि वहां काफी सोसाइटीज बन गई थीं। यह मामला मंत्री मंडल और मुख्य-मंत्री के सामने आया। आपको जानकारी है कि रावतभाटा में भी यह प्रश्न आया था, वहां मुख्य मंत्री ने कहा था, हाउसिंग फाइनेन्स सोसाइटी में जितने लोगों की दरखास्तें आई हैं उन सबको हम 31 मार्च से पहले ऋण दिलवाने की व्यवस्था करेंगे। उनका कहना यह था कि राज्य सरकार का जो शेयर एक एप्लीकेशन के लिए 300) रु० का होता था वह सरकार देने को तैयार थी और सरकार ने स्वीकृति दे दी। इस प्रकार लायबिलिटी लगभग 9।। करोड़ की हुई। उसके बाद एक महत्वपूर्ण निर्णय प्लानिंग कमीशन का यह हुआ कि आवास निर्माण को वह प्राथमिकता नहीं दी जा सकती जो अब तक देते आ रहे हैं, उनको लो प्रायोरिटी पर लिया। खास तौर से देहातों में हाउसिंग सोसाइटीज के द्वारा इतनी भारी संख्या में निर्माण के काम को लेने की योजना आयोग ने पसंद नहीं की और एल० आई० सी० ने शर्तें लगाई कि अधिक पैसा नहीं दे सकते क्योंकि यह योजना आयोग की पॉलिसी है। जिन लोगों को एक एक किश्त दी गई थी उनकी ही हाउसिंग फाइनेन्स सोसाइटी की जिम्मेदारी 6।। करोड़ की है, जो रफ्तार चल रही थी उससे ऐसा लगता था कि दो साल में भी वह जिम्मेदारी पूरी नहीं हो सकती तो हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी ने निर्णय लिया कि जिनको एक किश्त दी है उनको देने के बाद जितना कमिटमेंट है, वह पूरा हो जाए उसके

(श्री रामनारायण चौधरी)

बाद जिन सोसाइटीज को एक भी किश्त नहीं दी है उनको रुपया देने का काम हाथ में लेना चाहिये। इसलिये इस निर्णय के कारण कुछ सोसाइटीज जिनको एक किश्त भी नहीं मिली थी, उनको मिलना बन्द होगा। कई माननीय सदस्यों में तीव्रता थी कि इतनी सोसाइटीज को लोन स्वीकृत हुआ लेकिन हमें नहीं मिला, इसलिए मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी।

भरतपुर जिले से आने वाले माननीय नत्थासिंह ने सहकारिता विभाग की जो स्थिति है उस बारे में विचार व्यक्त किये और वन श्रमिक सहकारी समितियों के बारे में विचार जाहिर किये और खास तौर से तेन्दू पत्ते के राष्ट्रीयकरण हो जाने के कारण वन श्रमिक सहकारी समितियों के सामने आने वाली कठिनाइयों का जिक्र किया। इस मामले को वन मंत्री महोदय देख रहे हैं कि किस प्रकार से वन श्रमिक सहकारी समितियों में काम कर रहे श्रमिकों को इस योजना में खपाया जा सके। यह मामला वन मन्त्री के विचाराधीन है।

पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात की शिकायत की कि वीकर सेक्शन्स को पाली में म्युनिसिपल बोर्ड ने पट्टा नहीं दिया जब कि राज्य सरकार ने कहा है कि 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत शिड्यूल्ड कास्ट्स व ट्राइब्स को पट्टे मिलेंगे। यह सही है कि जिला मुख्यालय के म्युनिसिपल बोर्ड्स अथवा वे म्युनिसिपल बोर्ड्स, जिनके साथ में यू० आइ० टी० लगा हुआ, हाउसिंग साइट्स के प्रोग्राम को अभी हाथ में नहीं लिया है। तो इस प्रकार यह बात जो माननीय सदस्य ने कही है वह सही है। पाली में जो हुआ है उसमें यह कहा गया है, नगरपालिका ने जो लीज दी थी उसको कैन्सिल करने की बात कही है। उसमें, उपाध्यक्ष महोदय, पाली में जिन लोगों को नगरपालिका ने लीज पर जमीन दी थी वह सिर्फ सात साल के लिये दी थी और वहां पर उन लोगों ने पक्के मकान बना लिये उनके बारे में पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उनका क्या होगा। मेरा निवेदन यह है कि नगर पालिका खुद ही जब सात साल के लिये लीज पर दे सकती थी तो लोगों ने वहां पर पक्के मकान के कन्स्ट्रक्शन कैसे बना लिये? इसमें तो नियत बिल्कुल स्पष्ट है। अगर नगरपालिका ने किन्हीं के केस रेगुलेराइज कर दिये तो उन्होंने गलत किया है लेकिन वहां पर ऐसे लोग जो कि अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं उनके बारे में विचार किया जायेगा कि इसमें राज्य सरकार क्या कर सकती है। जब वहां पर लोगों ने पक्के मकान बना लिये तो इसे देखना पड़ेगा और इसकी जांच की जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य श्री शंकरलालजी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने 285 ए और 285 बी में कुछ पावर्स में हेरफेर की है। तो इसमें कोई खास बात नहीं है, राज्य सरकार ने जहां कि म्युनिसिपेलिटीज के एडमिनिस्ट्रेटर एस. डी. ओज. हैं वहां पर 285 बी की पावर्स कलेक्टर को दे दी है और जहां पर कलेक्टर नगरपालिका के एडमिनिस्ट्रेटर्स है वहां पर यह पावर लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर, लोकल बोडीज को दी है। यह कोई बुरी बात नहीं है। इसके अलावा यहां पर कुछ माननीय सदस्यों

(श्री रामनारायण चौधरी)

ने यह भी कहा कि आज यहां पर पंचायती राज संस्थायें बहुत कमजोर हो गई हैं और उनके अंदर बहुत ही शिथिलता आ गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों के विचारों से असहमति तो प्रगट नहीं करता लेकिन इतना जरूर है कि परिस्थितियां भिन्न होने के कारण इनके चुनाव नहीं कराये जा सके यह माननीय सदस्य भी जानते हैं। मैं सदन के माननीय सदस्यों को इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि मैं कोई पंचायतों के चुनाव कराने के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन मेरे अकेले के चाहने से तो चुनाव हो नहीं जायेंगे, यह तो माननीय सदस्य भी जानते हैं। माननीय सदस्य बार बार पंचायतों के चुनाव कराने के बारे में आवाज उठाते हैं कि पंचायती राज की जो अंग है पंचायतें, पंचायत समितियों उनकी चुनाव होने चाहिये। मैं सदन को इतना ही कह सकता हूं कि मैं इसके बारे में राजस्थान सरकार की केबीनेट में मामला रखूंगा। सिर्फ घोषणा कर देने से ही चुनाव नहीं हो जावेंगे। यह राज्य सरकार की रीति नीति का प्रश्न है। मैंने जैसा निवेदन किया कि मैं यह मामला केबिनेट में रखूंगा और वहां पर जो भी निर्णय होगा माननीय सदस्यों को जानकारी दे दूंगा।

श्रीमती सुमित्रासिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय तंग हो चुके हैं अब इनकी मांगों को पारित कर दिया जाय।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि वहां पर जिला परिषद् की मीटिंग नहीं होती है वहां पर जिला परिषद की मीटिंग होती है या नहीं इसके बारे में मैं अधिक नहीं कह कर इतना ही कह सकता हूं कि माननीय सदस्य पाली जिला परिषद् के प्रमुख हैं वह यहां बैठे हैं इनका आंतरिक मामला है। यह मामला तो वह स्वयं ही तय कर लेंगे वहां के जिला परिषद् के प्रमुख से मिल कर।

श्री सज्जनसिंह : Because it is a defunct organisation he doesn't feel the necessity of its elections.

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर श्री श्रीराम गोटेवाला साहब ने मर्कन्टाइल बैंक के अंदर गबन घोटालों के मामलों का जिक्र किया और इसी के साथ यहां पर उन्होंने सदन में जयपुर डवलपमेंट अथारिटी की स्थापना के बारे में भी जिक्र किया। उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में डवलपमेंट अथोरिटी की स्थापना के बारे में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यहां पर घोषणा की थी। इसके लिये मैं अभी इतना ही सदन के माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर डवलपमेंट अथोरिटी के बनाने के सम्बन्ध में इस सत्र में बिल इस सदन में राज्य सरकार द्वारा लाया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य दीपंकर जी ने पंचायतों के चुनाव नहीं कराने के बारे में तथा इससे जो पंचायत राज की हालत खस्ता हो रही है उसके बारे में तथा एक सरपन्च के बारे में शिकायत की। उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला मेरी जानकारी में अभी तक नहीं आया था। आज ही मेरे सामने आया है। मैं इस मामले को देखूंगा कि यह मामला इतने दिन कहां पड़ा रहा, और इसकी पूरी जांच

(श्री रामनारायण चौधरी)

करूंगा। इसके अलावा यहां पर यह भी कहा गया कि टेम्प्ररी टीचर्स के जो एपोइंटमेंट इन्सपेक्टर्स ऑफ स्कूल्स के मार्फत हो रहे हैं तो बाद में जब पंचायत समिति जिला परिषद् सर्विसेस से जो टीचर्स एपोइन्ट होकर आयेंगे उनका भविष्य क्या होगा ? उनकी मेरिट क्या रहेगी ? तो इसके बारे में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि जब जिला परिषद कमीशन सर्विसेज से टीचर्स आयेंगे सलेक्ट होकर तब उन्हें पहले रखा जायगा और इन लोगों को हटा दिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या, जो झुंझुनूं से आती हैं, ने यह सवाल उठाया कि झुंझुनूं में नगरपालिका द्वारा 73 व्यक्तियों को भूखण्ड आवंटित किये, 1973 में किये थे। उन्होंने यह शिकायत की कि राज्य सरकार ने उनकी जमीनों को कैंसिल कर दिया। तो यह फैसला मैंने नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि झुंझुनूं मेरा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है और वहां के सदस्य कुछ दूसरी बात नहीं सोचें। इस मामले को मैंने मेरे पास ही नहीं रखा। इसमें इतना समय क्यों लगा, यह मैं कह नहीं सकता। यह मामला लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट सेक्रेटरी के पास था, उन्होंने ही फैसला किया। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैंने इसमें किसी प्रकार की कोई रूकावट नहीं डाली थी। मेरे बारे में वह कई प्रकार की बातें करते है। मेरा ऐसा ख्याल है कि उसका निर्णय करीब 5 महीनों में हो गया था।

श्रीमती सुमित्रा सिंह: फैसला 21-1-76 का हुआ है।

श्री रामनारायण चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे निश्चित तौर से मालूम नहीं है कि कब के है। मुझे तो इतना पता है कि झुंझुनूं नगरपालिका ने 73 व्यक्तियों को भूखण्ड अलॉट किये। इसके बारे में एक शिकायत राजस्थान सरकार के पास आई थी। उसके ऊपर राज्य सरकार ने इन मामलों की जांच करने के आदेश जारी कर दिये थे। उपाध्यक्ष महोदय, यह पट्टे जो दिये गये थे वह फैब्रीकेटेड केस थे। उनमें जमीन का जो अलॉटमेन्ट किया गया था वह गलत किया गया था। कलेक्टर झुंझुनूं ने इसकी जांच की थी और उन्होंने यह निर्णय दिया कि जमीन जो नगरपालिका द्वारा बेची गई है वह गलत बेची गई है और उसमें बहुत सी अनियमितताएं हुई हैं। इसके बारे में राज्य सरकार ने अपने फैसले दे दिये हैं। इसके अलावा माननीय सदस्य श्री किशोरी लालजी ने अपने विचार व्यक्त किये कि इसमें जिस प्रकार सरकारी अधिकारियों को बंगले और वेतन वगैरह मिलते हैं उसी प्रकार पंचायती राज के तहत जो प्रमुख और प्रधान हैं, सरपंच हैं उन्हें वहां फेसिलिटीज मिलनी चाहिए। तो इसके बारे में मेरा यही निवेदन है कि इसके लिये हमारे यहां पर श्री गिरधारीलाल व्यास कमेटी ने अपनी रिकमन्डेशन्स दी हैं लेकिन उनमें बहुत सी उलझनें होने के कारण अभी तक उन पर कोई निर्णय नहीं हो सका है। उसमें काफी सिफारिशें की गई हैं। जब उनका फैसला होगा तब इसके बारे में कहा जा सकेगा। जहां तक अधिकारों का प्रश्न है मेरा निवेदन करना है कि आज पंचायतों और ग्राम

[redacted]

(श्री रामनारायण चौधरी)

पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों को पावर्स देकर उन्हें सक्षम बनावें और उन्हें आगे लावें।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय सदस्यों से यह निवेदन है कि आज यहां पर वह पंचायतों के चुनावों की बातें करते हैं तो सिर्फ चुनाव कराने से ही इनमें जान नहीं आ जावेगी। आज इनमें री-थिंकिंग की आवश्यकता है। अब इसमें आगे क्या क्या होना चाहिये, इसकी शक्ल कैसी हो यह भी देखने की जरूरत है। डेमोक्रेटिक डीसेंट्रेलाइजेशन के लिये हमें और क्या क्या करना है इसमें किन किन आदमियों को दूर करने की जरूरत है इन सभी के बारे में हमें पहले सोचना पड़ेगा। सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा वह जो मैंने अब तक निवेदन किया है इससे काफी कवर हो जाता है। जहां तक सवाल बी. डी. ओ. सुमेरपुर के बारे में शिकायत का है, कोर्ट से क्या जजमेन्ट हुआ, कब हुआ उसके बारे में जानकारी मुझे अभी आज सदन मे पहली बार प्राप्त हुई है। आपने शिकायत मुझे निश्चित रूप से की थी लेकिन वह शिकायत किस किस्म की थी अभी मुझे स्मरण नहीं आ रहा है। लेकिन आप द्वारा की गई शिकायत इतने दिन कहां रही और किस जगह विलम्ब हुआ मैं उसको निश्चित रूप से देखूंगा और उसके खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है, उस पर विचार करूंगा।

श्री सज्जनसिंह : आपने उसको हटाने का वायदा किया था। आप उसको वहां क्यों रखना चाहते हैं?

श्री रामनारायण चौधरी : सिरोही कोआपरेटिव बैंक के 85 हजार की हुण्डी की बात आई। यह आपके कटौती प्रस्ताव में होने के कारण कोई स्पेसिफिक रिप्लाई तो दे नहीं सकता हूं लेकिन मैं इस मामले को देखूंगा, कहीं मर्केन्टाइल बैंक जैसी ही स्थिति न हो। निश्चित रूप से माननीय सदस्य ने जो मामला रखा है, मैं उसकी जांच करूंगा और जांच की रिपोर्ट की माननीय सदस्य को जानकारी दूंगा।

माननीय सदस्य चेतरामजी, जयकिशन लालजी ने अपने विचार प्रकट किये और श्री रामगोपालजी ने भी काफी संजीदगी और संयम के साथ अपने विचार प्रकट किये लेकिन आखिर में वे कह गये कि असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार गड़बड़ी कर रहा है। मैं जांच कराऊंगा और कोई तथ्य पाये गये तो कोई कन्सीडरेशन उसको बचाने का नहीं होगा। आपने कहा कोआपरेटिव बैंक में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का कोटा पूरा नहीं हो रहा है। मैं देखूंगा और राज्य सरकार की नीति के अनुसार पूरा किया जायगा। मान्यवर, सहकारी समितियों की गड़बड़ी के बारे में कहा गया, पिछले सदन में क्वेश्चन के द्वारा भी यह प्रश्न उठाया गया था लेकिन इस संबंध में माननीय सदस्य का कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है, यहां पर माननीय सदस्य ने विचार अवश्य प्रकट किये हैं। मुझे जानकारी है कि इन सहकारी समितियों में गड़बड़ी हुई है और वसूली की कार्यवाही भी हो रही है। लेकिन आप जानते हैं प्रक्रिया, कायदे और कानून इस तरह के हैं कि तुरन्त रिपोर्ट नहीं आती है। इसलिये माननीय सदस्यों की शंका साफ नहीं हो पाती है। विभाग के द्वारा जो कार्यवाही होगी उससे सन्तोष

(श्री रामनारायण चौधरी)

होगा और दूसरी बार जब अगले सेशन में आयेंगे तो यह शिकायत नहीं रहेगी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव बैंक के बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री रामनारायण चौधरी : राजस्थान इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव बैंक और यूनियन कोआपरेटिव बैंक दोनों के बारे में चर्चा हुई, यह सही है कि गड़बड़ी हुई है। इसकी जांच हो रही है और जिनके खिलाफ चार्जेज हैं उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : गबन की राशि के बारे में क्या है?

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, दूसरे यूनियन कोआपरेटिव बैंक के बारे में जिक्र किया वह किस स्थिति में है, मैं कह नहीं सकता हूं। इस आगस्ट हाउस में मेरे द्वारा कोई बात व्यक्त की जायगी उससे कोआपरेटिव बैंक के फंक्शन पर विपरीत असर पड़ने की सम्भावना है। मर्केन्टाइल कोआपरेटिव बैंक, इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव बैंक, यूनियन कोआपरेटिव बैंक, सिरोही बैंक इनका रजिस्ट्रेशन कोआपरेटिव बैंक के मार्फत हुआ है। एक ऐसे व्यक्ति को चुनकर अध्यक्ष बनाया है जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। इस सदन के माननीय सदस्य है और काफी वरिष्ठ हैं, आप किस तरह फंसे हैं, कैसे वह ठीक लेवल पर आ जाय डिपोजिटर्स और शेयर होल्डर्स किस तरह सेफ गार्ड किये जा सकते हैं, इसकी जांच करेंगे। जानकारी के तौर पर कहना चाहता हूं जो पैसे वाले केन्डीडेट हैं, उनके अलावा कोई बन नहीं सकता है। उनको चेन्ज करना होगा और जो डायरेक्ट शेयर होल्डर्स हैं, वे खड़े हो सकते हैं। इसके लिये हम कोशिश कर रहे हैं।

श्री विजयसिंह : दो लाख 30 हजार का जो चैक पड़ा है ...

श्री रामनारायण चौधरी : माण्डलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, मैं निश्चित रूप से जांच कराऊंगा, आप भी इन्ट्रेस्ट रखेंगे तो आपको भी साथ रखूंगा ताकि आप भी अपने सुझाव दे सकें, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

मान्यवर, झुंझुनूं से निर्वाचित माननीय सदस्या ने पंचायत समिति अलसीसर के बारे में जिक्र किया, एक अविश्वास के प्रस्ताव के बारे में बोलते हुए यह कहा कहा कि मन्त्री को अपना डेकोरम और प्रशस्त मार्ग कायम रखना है। मन्त्री अपने कर्त्तव्य से भलिभांति परिचित है और मेरा पूरा प्रयत्न है कि कहीं कोई कमी नहीं आये। अब जहां तक प्रधान के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव है, मैं संक्षिप्त में निवेदन करना चाहता हूं पंचायत समिति अलसीसर के बारे में प्रस्ताव आया, अविश्वास की प्रक्रिया यह है कि पहले जब अविश्वास का प्रस्ताव आता है तो वन थर्ड से और दूसरी बार आता है वह मेजोरिटी से होता है। तो यह प्रथम बार अविश्वास का प्रस्ताव आया है तो वन थर्ड से ज्यादा हस्ताक्षर करके आया है, और कलेक्टर के सामने पेश किया है, कलेक्टर ने डेट फिक्स कर दी। वह प्रधान हाई कोर्ट में गया और कहा कि वन थर्ड का समर्थन नहीं है। हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। उस केस को वहां पर कनटेस्ट नहीं किया या कोनसी स्थिति में समाप्त कर दिया, यह मुझे जानकारी नहीं

(श्री रामनारायण चौधरी)

है। मान्यवर, उन्हीं दिनों राजस्थान की हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने यह फैसला किया था अविश्वास का प्रस्ताव एक लीगल बेन्च का फैसला है।

अविश्वास का प्रस्ताव पास करने के बाद अगर डिसिजन नहीं हुआ है तो जो माननीय सदस्य सिगनेटरी हैं वह अपने साइन विथड्रा कर सकते हैं और अपना पार्ट नहीं होने के बारे में वह अपना रोल अदा कर सकता है, वह अलाऊ होगा। यही मामला डिविजन बैंच में गया। हाई कोर्ट ने एक्शन को डिफाइन किया, जब कलेक्टर उस बैठक को बुला लेता है तो वह उस प्रक्रिया में नहीं आती है। बाद में यह मामला डिविजन बैन्च में हाई कोर्ट में चेन्ज हुआ। जिस प्रकार पालियामेंट में और हाई कोर्ट में निर्णय हुये हैं—पालियामेंट और विधान सभाओं के अन्दर अविश्वास का प्रस्ताव मूव होने से पहले कभी भी विथड्रा किया जा सकता है। मूव होने के बाद उस हाउस की प्रापर्टी बन जाता है। उसके बाद बिना उसकी अनुमति के नहीं हो सकता है। ये जो इन्स्टीट्यूसन्स हैं उनका भी अविश्वास का प्रस्ताव है और बैठक में प्रस्ताव आने से पहले प्रस्तावक लोग अगर विथड्रा करना चाहते हैं तो वे विथड्रा कर सकते हैं। मान्यवर, यह हाईकोर्ट की डिविजन बैंच का निर्णय था। दुबारा अविश्वास का प्रस्ताव प्रधान के खिलाफ पेश हुआ। उन्हीं माननीय सदस्यों में से काफी माननीय सदस्यों ने कलेक्टर को लिख कर दिया कि मीटिंग कॉल कर ली है और कॉल हो जाने के बाद अविश्वास का प्रस्ताव नहीं रख सकते हैं। कलेक्टर ने मीटिंग को कैंसल कर दिया। मन्त्री की ओर से और सरकार की ओर से हस्तक्षेप किसी स्थान पर, किसी स्टेज पर नहीं आता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह: इस बीच में कई सरपंच सस्पेन्ड कर डाले।

श्री रामनारायण चौधरी: इस पंचायत समिति ने एक सरपंच को नहीं हटाया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह: कोआपरेटिव मेम्बर को नहीं हटाया ? xxx बोलते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: इस शब्द को एक्सपन्ज किया जाता है।

श्री रामनारायण चौधरी: मैं पुन: कहता हूं कि न अविश्वास के प्रस्ताव के पहले, न ही उसके आने के बाद किसी सरपंच को, कोपरेटेड मेम्बर को नहीं हटाया। आप जिसकी बात करती हैं उसका फैसला आज तक नहीं हुआ। राज्य सरकार के विचाराधीन है। इस सदन के सामने xxx बोल सकती है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह: सरपंच को चकमा दिया जा रहा है सस्पेन्ड नहीं कर रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी: माननीय सदस्या जिस धरातल से बोल रही है और व्यवहार कर रही हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह उससे ऊपर उठें। हाउस की मर्यादाओं का ख्याल रखें। मन्त्री जिम्मेदारी से बोलता है। उसके लिये कह रही है कि xxx अनपालियामेन्ट्री वर्ड है। इस सदन की शोभा के लिये नहीं है।

× × × शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने एक्सपंज कर दिया है।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं सदन में कहना नहीं चाहता। अविश्वास प्रस्ताव पास होने का प्रश्न ही नहीं। लिख कर दे दिया सदस्यों ने कि मीटिंग बुला ली तो दुबारा अविश्वास का प्रस्ताव पेश नहीं हो सकता। यह हकीकत है। माननीय सदस्या का कहना है कि मंत्री ने प्रतिष्ठा नहीं रखी, मर्यादा नहीं रखी और जिम्मेदारी नहीं निभायी। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्या को सही स्थिति मालूम नहीं है पंचों को हटाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है ही नहीं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। मिनिस्टर कहीं नहीं आता है। किसी पंच को हटाने में मुझे आदेश देने का अधिकार ही नहीं है। कैसे माननीय सदस्या कह रही हैं कि हटा दिया ? जिस सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बात कही उसी ने स्वयम् रखा। मेम्बर ही नहीं है तो कैसे रख सकता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने स्वयम् ने निर्णय लिया कि यह बैठक नहीं बुलायी जा सकती है। इसकी प्रतिक्रिया चालू हुई। मंत्री कहीं किसी पिक्चर में नहीं आता है।

श्री गोकुलचन्द्र जाटव : इतने रोब में क्यों आ रहे है ? सदन सहमत है आपकी बात से।

श्री रामनारायण चौधरी : सदन के सामने रोब चलता नहीं। सदन के सामने प्रत्येक व्यक्ति विनम्र सेवक है। जो बात कही गयी है उसका स्पष्टीकरण तो करना अनिवार्य हो जाता है।

ब्राह्मणों की ढाणी के ग्राम के सम्बन्ध में माननीय सदस्या, जो झुंझुनूं से आयी है, कट मोशन रखा। इस नाम से दो गांव हैं वहां पर। पंचायत समिति और जिला परिषद की यह मान्यता है पंचायत ने टेम्प्रेरी स्कूल चला रखा था उसकी गवर्नमेन्ट ने स्वीकृति दी। माननीय सदस्या का यह कहना है कि वह ब्राह्मणों की ढाणी नहीं है। दोनों में फासला है। जहां पर पंचायत समिति का स्कूल चल रहा है वह ज्यादा उपयुक्त है, तादाद भी अच्छी है। मैंने नहीं देखा है। जिला प्रमुख और प्रधान की यह मान्यता है कि यही ब्राह्मणों की ढाणी है राज्य सरकार कहीं बीच में नहीं आती है। यदि पंचायत समिति के क्षेत्र में कहीं भी स्कूल खोला जाता है तो राज्य सरकार के लेवल से निर्णय नहीं होता है। जहां पंचायत समिति उपयुक्त समझती है वही खोलती है। पंचायत समिति ने यह कहा और जिला परिषद ने यह कहा कि यहां उपयुक्त है। विजिलेन्स कमेटी की माननीय सदस्या मेम्बर है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : जनवरी 1975 को क्या किया ?

श्री रामनारायण चौधरी : मुझे याद नहीं। जानकारी करके बता दूंगा कि उसमें क्या हुआ।

श्री शंकरलाल : घर की लड़ाई है।

श्री रामनारायण चौधरी : घर की कोई लड़ाई नहीं है। यह तो केवल भ्रान्ति है।

माननीय सदस्य श्री बद्रीप्रसाद जी गुप्ता ने पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकार की ओर से नेग्लेक्ट किये जाने को

(श्री रामनारायण चौधरी)

बात कही और कहा कि जिला प्रमुख डिस्ट्रिक्ट कमेटी में बैठते हैं। गवर्नमेंट की यह तो नीति का प्रश्न है। जहां कलेक्टर को चेयरमैन माना है वहां कलेक्टर भी बैठता है। जिला परिषद में नोन वोटर की तरह से बैठते हैं। जिला प्रमुख अपनी जगह है और एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज अपना जगह हैं।

मान्यवर, मुख्यरूप से माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैंने इस बात का प्रयत्न किया है कि जहां तक सम्भव है मैं यहां सदन में उठायी गयी बातों का उत्तर दे सकूं, वैसे सब का तो उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं था। माननीय सदस्यों ने 7 घंटे बहस में भाग लिया तो 7 घंटे उत्तर भी होना चाहिये। वह माननीय सदस्य सुनने के लिये तैयार नहीं है। और सदन का समय भी मैं इतना ज्यादा लेना नहीं चाहता। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं निवेदन करना चाहूंगा।

मान्यवर, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों ने 20 सूत्री आर्थिक प्रोग्राम के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। माननीय सदस्य पंचायत समितियों की इतनी आलोचना कर रहे हैं उन्हीं पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों ने 20 सूत्री कार्यक्रम के नम्बर 3 के कार्यक्रम को पूरा किया है। 2।। लाख हाउस साइट्स ग्राम पंचायतों के द्वारा निर्धारित अवधि में अलॉट हुई है। 2 लाख 50 हजार हाउस साइटस के अलाटमेंट में सहकारी अधिकारियों का योगदान नहीं है। केवल पंचायतों और पंचायत समितियों का योगदान रहा है। 8।। लाख परिवारों को, कमजोर तबके के लोगों को आवासीय भूखण्ड मिले हैं। माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि उनको हाउस साइट्स का अलाटमेंट किया लेकिन मकान बनाने के लिये उनके पास रकम नहीं है। 20 सूत्री कार्यक्रम का जो आइटम नं० 3 है हाउसिंग साइट अलाटमेंट के बाद कन्स्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज का प्रोग्राम इसमें शामिल नहीं है। पहले व्यक्ति को जो पृथ्वी पर पैदा हुआ झोंपड़ी तान कर 150 वर्ग गज जमीन उसको रखने के लिये पट्टा दिया। जैसी स्थिति होगी, समय के अनुसार और अपनी स्थिति के अनुसार कन्स्ट्रक्शन करता जावेगा। राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार का कहीं भी आवासीय भूखण्ड के अलाटमेंट के बाद कन्स्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज का प्रोग्राम नहीं है। तो माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं निवेदन करना चाहता था कि हाउस साइट का अलाटमेंट का हमारा प्रोग्राम साढ़े आठ लाख परिवार को देना था वह पूरा हुआ।

इसी तरह से नगरपालिकाओं के अन्दर हमने प्रारम्भिक सर्वे कराया। कमजोर वर्ग उनको माना है, आर्थिक दृष्टि से, इकॉनामिक दृष्टि से जिन व्यक्तियों की आमदनी 2400 रुपया सालाना से कम है उसको वीकर सेक्शन का मान कर 125 वर्ग गज जमीन के अलाटमेंट का लक्ष्य हमने रखा। इसमें यू० आइ० टी० के साथ जुड़े हुए नगरपरिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल की नगरपालिकाओं और म्युनिसिपल कौंसिल को हमने अलग छांटा था। फिर बाद में हमने देखा कि इसमें काफी रह जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की उन नगरपालिकाओं को ले लें जो कि यू० आइ० टी० से जुड़ी हुई नहीं हैं तो हमने प्रारम्भिक सर्वे कर

Page No 184

[redacted]

(श्री रामनारायण चौधरी)

उसमें 26 हजार परिवार ऐसे वीकर सेक्शन के पाये गये जिनके पास वहां पर भूखण्ड नहीं थे और उनको भूखण्ड दिये जाने की आवश्यकता महसूस हुई। तो इतनी कम नगरपालिकाओं की तादाद में 26 हजार आदमियों को नामीनल कास्ट के ऊपर 125 वर्ग गज का नगरपालिका क्षेत्र में भूखण्ड देना कोई कम माने नहीं रखता। इसमें भी हम करीब $12\frac{1}{2}$ हजार परिवारों को अलाट कर चुके हैं और शेष को इसलिए नहीं कर सके कि नगरपालिकाओं के पास जमीन नहीं है और जमीन उपलब्ध होने में काफी कठिनाइयां हैं। उनके पास में जमीन नहीं, शहरों में जमीन नहीं तो एग्रीकल्चर जमीन के एक्विजीशन के बाद ही अलाटमेंट होगा। $13\frac{1}{2}$ हजार परिवारों को अभी तक हम यह प्लाट्स नहीं दे पाये और उनको बहुत शीघ्र देंगे, यह मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं।

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने अपने मूल्यवान सुझाव दिये जो मूल्यवान ही कहे जा सकते हैं। जिन सुझावों से मेरी सहमति नहीं थी उनका मुझे स्पष्टीकरण देना जरूरी था। उनके बारे में मैंने सदन के सामने अपना स्पष्टीकरण रखा। मैं इस बात में पुनः आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नगरपालिकायें, पंचायती राज इन्स्टीट्यूशन्स, टाउन प्लानिंग में यू० आइ० टी० और कोआपरेटिव इन्स्टीट्यूशन्स मान्यवर, यह इस प्रकार के चारों संस्थाओं के ऐसे मूवमेंट्स हैं कि इन मूवमेंट्स को आप डन्डे से नहीं हांक सकते। कोई एक प्रोग्राम देकर आप फौरन रिजल्ट्स एचीव नहीं कर सकते। बड़े से बड़ा डैम 15-20 लाख की लागत का आप बनाने के लिए इन्जीनियर्स को कह सकते हैं और हजारों से ज्यादा लेबर एंगेज की जा सकती है लेकिन इस मूवमेंट में काम करने वाले कार्यकर्त्ताओं को देखा जाये तो वह इस सदन के माननीय सदस्य और इस आगस्ट हाउस के मेम्बर्स हैं। माननीय सदस्यों का जब तक सक्रिय सहयोग, इस संस्थाओं में काम करने वाले कार्यकर्त्ताओं के लिए आप का मार्ग-दर्शन, आपका चिन्तन प्राप्त नहीं होगा तो आप निश्चित मान लीजिए कि वैसे यह आगे बढ़ेगा। विकास होगा लेकिन उस गति से उस दिशा में उतना विकास नहीं हो सकता जो कि आप लोगों के चिन्तन से हो सकता है। मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों से बहुत विनम्रता के साथ यह अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों का डेडीकेशन और डिवोशन जब तक कोआपरेटिव मूवमेंट के लिए सामने नहीं आयेगा तब तक यह सफल नहीं हो सकता।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि मैं कोआपरेटिव मूवमेंट में पहले था और अब पीछे रह गया। तो मैंने कहा कि आप में से बहुत थे लेकिन आज 15 साल से आप कहां हैं। आपने बिल्कुल छोड़ दिया। तो यह किसका दोष है? अगर आप किसी जगह आफिस बियरर नहीं रहते लेकिन आप एसोसियेशन इस मूवमेंट के साथ अपना देते रहते तो मैं उनको कह रहा था कि रिजल्ट्स दूसरे ही होते। आपके जिले के हालात दूसरे होते और प्रदेश को भी आपकी काबलियत का लाभ मिलता। लेकिन दूर दूर लोगों ने अपने आपको अलग खींचा तो निश्चितरूप से जो वैक्यूम पैदा हुआ तो उस वैक्यूम को भरने के लिए समय तो इन्तजार नहीं करता। जो आ जाता है उसको हटाना एक मिनिट का काम नहीं है

(श्री रामनारायण चौधरी)

सहकारी विभाग का रजिस्ट्रार के कलम एक झटके से कोई निर्णय नहीं ले सकता अगर ले भी ले तो उसकी भी स्टेजेज हैं।

अभी माननीय सदस्या कह रही थी कि गंगानगर कोआपरेटिव बैंक के रजिस्ट्रार का एक फैसला दिया और मैंने करप्ट आदमियों को बचाने के लिए स्टे आर्डर दे दिया। इस मामले में मैं इसलिए कुछ नहीं कहना चाहता हूं कि यह मामला सब-जुडिस है और सेक्रेटरी टू दी गवर्नमेंट के पास है। वह ही उसको डिसाइड करेगा। मैं केस की मैरिट्स और डीमैरिट्स में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन गलत आदमी को प्रोटेक्शन और पैट्रोनाइज करने का मेरे जीवन के इतिहास में कोई दिन रहा ही नहीं···

श्री सज्जनसिंह : सिवाय सुमेरपुर के विकास अधिकारी के।

श्री रामनारायण चौधरी: मान्यवर, एक दल में हम एक हैं उसके बावजूद भी विचारों में मतभेद होना अलग बात है लेकिन राजनैतिक दृष्टि से यह कहना ठीक नहीं है कि आप पेट्रोनाइज कर रहे हैं, अमुक व्यक्ति आपके पास आते हैं और अमुक व्यक्ति नहीं। मैं कहूंगा कि व्यक्ति तो मिनिस्टर के पास आयेंगे। मिनिस्टर तो शहद का छत्ता है लोग इस छत्ते के इधर उधर घूमेंगे ही। आप भी मिनिस्टर रहे हैं और आपको भी अनुभव है कि कैसे कैसे आदमी पास रहे हैं। मैं उनका जिक्र थोड़े ही करूंगा लेकिन उससे बचना मेरा काम है, सावधान रहने का आपका भी काम है। मैं इस मामले में पूरा सावधान रहा हूं और आगे भी रहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : दोनों ही पक्ष सतर्क रहें।

श्री शंकरलाल : माननीय सदस्या ने तो पहले ही कह दिया कि आपके जवाब से वह सन्तुष्ट हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : तो मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इन चारों ही डिपार्टमेंट का जो काम है वह ऐसा काम है जैसा मैंने निवेदन किया कि कोई यह ढंग का निर्माण नहीं है। इसका निर्माण करने वाले तो आप हैं। जितनी दिलचस्पी आप लेंगे उतनी ही इस मूवमेंट को गति मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ, मान्यवर, आपके माध्यम से जो कुछ मैंने कहा है मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को सन्तुष्ट करने में मैंने सफलता प्राप्त की होगी।

श्रीमती सुमित्रासिंह : मैंने सुझाव दिया था कि कोई भी को-आपरेटिव बैंक का तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करें जब तक कि वह रिजर्व बैंक के नियमों की परिधि में न आ जाये।

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी कही हुई सारी बातें मुझे याद हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जब तक 3 लाख की शेयर कैपिटल और डिपोजिट्स जिस को-आपरेटिव इन्स्टीट्यूशन के पास नहीं होगी, जिस बैंक को हम रजिस्टर कराना चाहते है जब तक उसके पास 3 लाख की डिपोजिट्स नहीं होगी तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इस तरह से रिजर्व बैंक के नियमों के तहत वह दायरे में आ जाते हैं। तो 3 लाख से वह स्वतः ही दायरे में आ जाते हैं। तो जो माननीय सदस्या ने कहा वह ठीक है जब

(श्री रामनारायण चौधरी)

तक 3 लाख की डिपाजिट नहीं होगी तब तक रजिस्टर नहीं किया जाये। इसका मतलब यह है कि वह रिजर्व बैंक लाइसेंसिग रूल्स के अन्दर आ जाते हैं।

श्रीमती सुमित्रासिंह : तब ठीक है, धन्यवाद।

श्री सज्जनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय की अक्षमता के प्रति सद्भावना व्यक्त करते हुए आपने जिन मुद्दों पर...

श्री उपाध्यक्ष : क्या प्रश्न है आपका ?

श्री सज्जनसिंह प्रश्न मेरा यह है कि...

एक माननीय सदस्य: भाषण देना है।

श्री सज्जनसिंह : भाषण तो देने का शौकीन नहीं हूं। मन्त्री महोदय ने काफी लम्बा चौड़ा भाषण दे दिया लेकिन सुमेरपुर के विकास अधिकारी के लिए क्या कहते हैं ? वह मामला तो आपको केबिनेट में नहीं ले जाना पड़ेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 20 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 61,08,000) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 35 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,69,51,000) रुपये तक राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 40 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,50,05,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 47 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,30,40,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही बुधवार दिनांक 24 मार्च, 1976 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक रात्रि को 8.21 बजे बुधवार, दिनांक 24 मार्च, 1976 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 279 की सूची)

उचन्त राशि की सूची

(Consolidated Suspense Figures)

S. No. क्र. सं.	Year वर्ष	Credit जमा	Debits सेलन	Total योग
1.	1969-70	9,37,969.80	4,15,071.22	13,53,040
2.	1970-71	13,92,853.03	5,65,522.58	19,58,375
3.	1971-72	13,74,179.11	7,27,319.46	21,01,498
4.	1972-73	13,55,792.06	6,40,649.92	19,96,441
5.	1973-74	16,27,604.22	9,79,173.14	26,06,777
6.	1974-75	18,87,599.70	12,56,272.05	31,42,871

Total 31,42,871.00

Note :—Out of above amount a sum of Rs. 3,13,611.15 has been verified during 74-75 & Accountant General has been moved to propose necessary transfer entries.

उक्त राशि में से सत्र 1974-75 में रु० 3,13,611.15 का सत्यापन किया जाकर महालेखाकार को आवश्यक स्थानान्तरण प्रविष्टि के लिये निवेदन कर दिया गया है।

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 282 की सूची)

(विकसित किये जा रहे स्थानों की सूची)

(1) विश्राम गृह का निर्माण।

(2) दत्ताराम के बाग के कोर्टयार्ड का परिवर्तन परिवर्धन एवं शौचालय।

(3) जलेबी चौक का विकास एवं प्लान का सुधार।

(4) केसर की क्यारी का विकास।

(5) हाथियों के बाड़े एवं रेलिंग का विकास।

(6) प्रकाश व्यवस्था।

(7) दुकानों की मरम्मत एवं रंगाई, खुरा नाली का निर्माण।

(8) जगत शिरोमणि मन्दिर को जाने वाली सड़क का निर्माण।

(9) जयगढ़ से नारगढ़ के किले तक सड़क का सुधार कार्य।

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 284 की सूची)

वर्ष 1973–74 तथा 1974–75 के दौरान योजना व्यय का जिलेवार वितरण राजस्थान

(लाख रुपयों में)

जिला	योजना व्यय 1973-74	योजना व्यय 1974-75
1	2	3
1– अजमेर	118	138
2– अलवर	89	99
3– बांसवाड़ा	47	52
4– बाड़मेर	91	117
5– भरतपुर	120	93
6– भीलवाड़ा	139	140
7– बीकानेर	116	129
8– बूंदी	35	34
9– चित्तौड़गढ़	81	72
10– चूरू	117	99
11– डूंगरपुर	34	52
12– गंगानगर	108	116
13 - जयपुर	400	317
14– जैसलमेर	62	64
15– जालौर	71	91
16– झालावाड़	42	28
17– झुंझुनूं	77	56
18– जोधपुर	208	169
19– कोटा	118	130
20– नागौर	117	107
21– पाली	150	163
22– सवाई माधोपुर	66	48
23– सीकर	59	48
24– सिरोही	40	48
25– टोंक	49	38
26– उदयपुर	221	177
कुल जिले वार वितरण राशि	2775	2625
अवितरित	4135*	8069*
योग	6910	10694**

*इसमें वृहद् सिंचाई परियोजनाओं (व्यास, राजस्थान नहर, माही, चम्बल एवं आसाम) विद्युत परियोजनाओं तथा ऐसा व्यय (राज्य मुख्यालय पर स्टाफ, उपकरण आदि) जिससे कोई जिला विशेष ही लाभान्वित नहीं होता है, सम्मिलित हैं।

**व्यय के आंकड़े अस्थाई हैं।

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 287 की सूची)

आर्य टाकीज, सूरतगढ द्वारा दिये गये मनोरंजन कर की वर्षवार सूची

वर्ष	मनोरंजन कर
1957-58 } 1958-59	विभाग के बंटवारे के कारण इन वर्षों का रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो रहा है। अतः इन वर्षों में जमा मनोरंजन कर के आंकड़े एकत्र नहीं हो पाये हैं।
1959-60	रु० 2581.92
1960-61	रु० 2025.61
1961-62	रु० 2670.47
1962-63	रु० 2713.00
1963-64	रु० 2871.86
1964-65	रु० 3251.33
1965-66	रु० 4710.52
1966-67	रु० 4569.24
1967-68	रु० 10183.82
1968-69	रु० 14801.70
1969-70	रु० 16626.20
1970-71	रु० 21273.00
1971-72	रु० 30894.00
1972-73	रु० 72087.00
1973-74	रु० 52159.00
1974-75	रु० 77037.00
1975-76	रु० 89602.00
(फरवरी, 1976 तक) योग	रु० 410057.67

परिशिष्ट-5

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

राजनौता ग्राम में सैनिक विश्राम गृह

294. श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की कोटपूतली तहसील में सेवारत व सेवा निवृत्त सैनिक काफी संख्या में है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त तहसील के ग्राम राजनौता को उपरोक्त वजह से आदर्श गांव घोषित किया गया है ?

(3) क्या सरकार सैनिकों की सुविधा हेतु वहां विश्राम गृह बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

पाली नगर में पीलिया रोग का प्रकोप

295. श्री शंकर लाल (पाली) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली नगर में पीलिया रोग का प्रकोप दिनों-दिन अधिक बढ़ता जा रहा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि डाक्टरों के मतानुसार पाली नगर में डाई.ग व ब्लीचिंग की फैक्ट्रियों के विषैले पानी के कारण भी इस रोग में बढ़ोतरी हुई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में पाली नगर में पीलिया रोग का प्रकोप नहीं है।

(2) जी नहीं।

प्रशासनिक व्यय में कटौती

296. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार ने अपने प्रशासनिक खर्चों में कटौती करके कितनी धनराशि की बचत की है ?

(2) राज्य सरकार के द्वारा कुल कितने विभिन्न पद कम किये गये हैं ?

(3) क्या निकट भविष्य में रिक्त पदों पर नई नियुक्तियां का जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक व्यय में कटौती करने के पश्चात लगभग 3 करोड़ रुपये की बचत होने की संभावना है।

(मंत्री, सामान्य प्रशासन)

(2) विभिन्न विभागों में कम किये गये पदों का विवरण निम्न प्रकार है :–

राजपत्रित	अराजपत्रित	चतुर्थ श्रेणी	योग
150	1373	1325	2848

(3) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अतिरिक्त आयोजना भिन्न पद जो तीन माह से अधिक अवधि से रिक्त हैं वे आगामी वित्तीय वर्ष 1976-77 में भरे जा सकेंगे। ऐसे पदों को भरने पर प्रतिबन्ध वित्त (आय-व्ययक) विभाग के परिपत्र संख्या प. 9 (1) वित्त-1 (1) आय-व्ययक/75 दिनांक 3-6-75 द्वारा लगा हुआ है (प्रतिलिपि-संलग्न है) वह 31-3-76 तक प्रभावित है। कनिष्ठ लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्म-चारियों के लिये, बाडं ब्वाय, फर्राश, चौकी-दार और हरिजनों के अलावा पदों को भरने के लिये सामान्य प्रशासन विभाग (ग्रु.प-3) द्वारा रोक लगी हुई है। प्रति संलग्न है।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

FINANCE (BUDGET) DEPARTMENT

No. F. 9 (1) FD. 1 (1) B/75 Jaipur, dated the 3rd June, 75.

CIRCULAR

Sub: Measures for economy in non-plan expenditure.

In order to contain the growth of non-plan expenditure, certain economy measures were adopted during the year 1973-74 and 1974-75. In view of the continued difficult financial position, the need for effecting economy in Government expenditure and maintaining financial discipline cannot be overemphasised. It is imperative that all non-essential expenditure is avoided and severe limitations are imposed on item of conspicuous character.

Accordingly the Government are pleased to direct that the following measures of economy shall be adopted during the current financial year 1975-76:—

1. <u>Ban on creation of posts:—</u>

(a) There shall be total ban on creation of any new posts. Posts remaining unfilled for more than 3 months may not be filled in and treated to be held in abeyance. Officiating arrangements may be made. Wherever nece-

ssary, for such posts and additional charge allowance may be allowed as admissible under rules. The Heads of Departments will send a list indicating the details of present vacancies and the posts which will be kept vacant and the likely economy which would be effected during the current financial year latest by 15th June, 1975 to the Finance Department (Budget).

(b) A certificate will be recorded in the salary bill while sending it to the Treasury to the effect that no claim has been made in the salary bill for the post lying vacant for more than 3 months.

2. Economy in Expenditure on T. A.:—

Detailed instructions have been issued from time to time vide marginally noted circulars regarding the need for economy in T.A. The Budget Estimates 1975-76 provide funds under this detailed head on a reasonable scale and it has to be ensured by all controlling authorities that the expenditure is restricted to sanctioned allotments. Finance Department will not entertain demands for additional funds for T.A. in the Revised Estimates 1975-76.

1. F.3 (9) FD (Rules) 70 dated 25.5.1972.
2. F.9 (1) FD.1 (1) B/73 dated 8.11.73.
3. F.9 (1) FD. 1 (1) B/74 dated 21 6.74.

3. 10% Economy cut in Office Expenses:—

A uniform economy cut of 10% on the Budget Estimates 1975-76 shall be effected under this head. Controlling Authorities shall immediately review the allotments made by them to their subordinate offices and give specific directions with regard to the items where economy is to be applied to e. g. more prudent use of telephones, trunk as well as local, curtailment of expenditure on entertainments, maintenance of staff cars and other vehicles, petty purchases etc. The grants of various departments for this purpose shall stand reduced by 10% and the amount so reduced shall not be available for utilisation by them during 1975-76,

4. Purchase of Vehicles:—

Instructions issued from the General Administration Department (Gr.III) vide their circular No. F. 12 (39) Gr.III/73 dated 28.12.73 shall continue to be operative in 1975-76 (copy enclosed for ready reference).

5. Materials and Supplies:—

Provisions exist for purchase of raw materials and other supplies by various Departments engaged in Commercial and trading operations. These provisions should be operated only when the existing stocks/inventories are consumed/sold or reach below the minimum stock level.

6. Stationery and Printings:—

There shall be a 5%cut on the supply of stationery and printing by the Printing and Stationery Department. The provision made in respect of each department in Appendix IV shall stand reduced by 5%.The Printing and Stationery Department shall ensure compliance of these instructions.

The economy measures cut linked above are illustrative and not exhaustive in as much as direction for adoption of certain specific measures have only been given. Apart from these measures there is scops for economy in expenditure under various detailed heads of expenditure. Administrative Departments and Heads of Departments are requested to initiate appropriate action to achieve further positive result in this direction. The economy or extent of savings that would be brought about during the current financial year may be reported to the Finance Department (Budget) by 30th September, 1975. Normally no request for relaxation would be entertained by the Finance (Budget) Department unless there are extra-ordinary circumstances to justify such expenditure and such expenditure cannot be postponed in public interest. All such proposals for relaxation should come duly supported by Administrative Department to Finance (Expenditure) Department.

The receipt of the circular may be acknowledged.

(M. S. Sadasivan)
Financial Commissioner

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

General Administration Department (Gr. III)

No. F. 12 (39) GA/Gr. III/73 Dated December 28, 1973.

CIRCULAR

Owing to the reduction in the supply of Petrol and steep rise in its price, the State Government have taken the following decisions :—

1. The provisions for petrol, oil and lubricants in the Budget of the Departments for the financial year 1973-74 should not be increased because of price rise. Besides, the provisions of P. O. L. for 1974-75 should be kept at the same level as for the current financial year.

2. There shall be a ban on the purchase of petrol driven vehicles. Exceptions will only be permitted under the orders of the Chief Minister. Any Department wanting to seek permission will be required to submit its case to G.A.D. with detailed reasons justifying such a purchase.

3. Government vehicles shall not henceforth be used for touring for places connected by rail. Relaxation would, however, be made in special circumstances when air/railway reservation is not available. For this prior approval of the Government in the G.A.D. will be necessary.

4. The norms of touring and inspections would now reduce by 25%.

5. The existing restriction on the use of Government vehicles within a radius of 5 miles or 8 Kms. is hereby removed in case of officers on tour so as to enable them to use such vehicles for official work.

6. Where there are more than one officer of any department at any place presently having Government Vehicles, vehicles will be pooled on the following principles—

(i) For 3 officers presently having Government Vehicles there would be only one vehicle. In case the number of such officers having Government vehicles is only two at a place, the number of vehicles would be reduced to one.

(ii) There would be no earmarking of vehicles for any officer except the Head of Department who too would not be permitted to have more than one Government vehicles.

(iii) All the surplus vehicles would be surrendered to the Central Pool by 10th January, 1974 for disposal. The information of such surrender would be sent to G.A.D.

(iv) The above reduction would not apply to the police department, Motor Garrage, Central Pool, District Pool, Ambulances of Medical Department, vehicles of the Surgical Mobile Units and Milk Supply Scheme.

(v) Only one vehicle will be permitted to be retained by each Panchayat Samiti/Primary Health Centre and all other vehicles would also be sent to the Central Pool for disposal.

7. To further reduce the use of Government vehicles the following steps should also be taken.

(i) Joint touring should be encouraged.

(ii) In the motor Garrage/Central Pool/District Pools, dieseal driven vehicles should be purchased from the sale proceeds of the disposed of vehicles. For this prior approval of Chief Minister would be necessary.

8. The vehicles which were giving an average of less than five Kms. per litere, should be taken of the road.

9. Instead of jeeps, Motor Cycles should be provided at Police stations etc. Officers upto the level of A.E.Ns. should also be encouraged to buy scooters. The details of availability etc. would be worked out by the Home Department. The loans for purchase of such vehicles by the officers should be arranged through the Banks.

10. As a long term measure, number of jeeps with each Department should be reduced and cars provided instead. This however, would not apply to such places where for reasons of terrain, only jeeps could ply. For this, however, para (2) will apply.

11. To prevent misuse of Government vehicles, the Anti-Corruption Department and district Collectors should arrange surprise checking and submit reports to the Chief Secretary for necessary action.

12. It is enjoined upon all heads of the departments to implement the above decisions and sent reports about the action taken to G. A. D. by 15th January, 1974, The figures for the number of vehicles retained, the surrendered to the Central Pool will be separately, indicated in the reports.

परिपत्र राजस्थान सरकार सामान्य प्रशासन (ग्रुप 3) विभाग

जयपुर, दिनांक 12 अगस्त, 1974

विषय:—नई भर्ती के रोक के सम्बन्ध में।

क्रमांक प.1/(63)सा.प्र./3/71:-राज्य सरकार के आदेशानुसार कनिष्ठ लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नई भर्ती पर रोक लगी हुई है जिसके अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग से बिना अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये कनिष्ठ लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पद भरे जाने पर प्रतिबन्ध है। राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि इन आदेश के बावजूद भी कुछ अधिकारी लीव वेकेन्सी में कनिष्ठ लिपिकों तथा चतुर्थ-श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती बिना अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये कर लेते हैं और समय 2 पर उनकी अवधि बढ़ा दी जाती है। इस प्रकार की भर्ती व सेवा अवधि बढ़ाना नियम के विरुद्ध है। समस्त अधिकारी गण से अनुरोध है कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता न की जावे जिससे नियमों का उल्लंघन हो तथा इन पदों के लिये बिना सामान्य प्रशासन विभाग से अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये किसी प्रकार की नियुक्तियां अवैध मानी जावेंगी।

हस्ताक्षर
उप शासन सचिव।

नागौर जिले के पुलिस थाने

297. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या नागौर जिले में भी पुलिस थानों की संख्या बढ़ाई जा रही है? यदि हां, तो कहां कहां?

(2) पुलिस थानों की स्थापना के क्या क्या आधार हैं?

(3) क्या पुलिस थानों में स्टॉफ वृद्धि कर प्रत्येक थाने में दो दो थानेदार करने के बारे में सरकार विचार कर रही है?

उत्तर

(1) जी हां। नागौर जिले में चार नये थाने खींवसर, जायल, जसवंतगढ़ व मकराना में स्थापित किये जा रहे हैं।

(2) थानों को स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में उस क्षेत्र की अपराध संख्या, जनसंख्या तथा क्षेत्र की महत्वता व अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है।

(3) जी नहीं।

अकलेरा में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की आर्थिक अवस्था सुधारने की योजना

298. श्री भैरूलाल (अकलेरा): क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ क्षेत्रान्तर्गत अकलेरा तहसील में अनुसूचित जन जाति की बहुतायत है? यदि हां, तो इनके (विकास हेतु) आर्थिकोत्थान के लिये अभी तक राज्य सरकार की ओर से क्या कदम उठाये गये?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र की जनता का जीवन निर्वाह कृषि पर निर्भर है? यदि हां, तो कृषि के क्षेत्र में राज्य सरकार ने उत्पादन वृद्धि हेतु क्या कोई योजना तैयार कर क्षेत्र में लागू की? यदि हां, तो कौनसी? यदि नहीं, तो इन

(श्री भैरूंलाल)

आदिवासी कृषकों के विकास की ओर सरकार का ध्यान नहीं दिये जाने का क्या कारण है ?

(स्थगित किया गया)

सांचोर के स्कूलों के भवन

299. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि सांचौर उच्च माध्यमिक पाठशाला, उच्च प्राथमिक पाठशाला रेबारियों का गोलिया, उच्च प्राथमिक कन्या पाठशाला सांचोर में पर्याप्त भवन का अभाव है ? अगर हां, तो कब से ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि पाठशाला भवनों की मरम्मत एवं भवनों के निर्माण हेतु स्थानीय विकास समिति ने हाल ही में करीबन 20,000) रु. स्थानीय जनता से चन्दा इकट्ठा किया है ? यदि हां, तो चन्दे की रकम कब तक इकट्ठी की गई है ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि राज्य सरकार ने स्थानीय जनता का जन सहयोग होते हुए भी अभी तक कोई अनुदान मंजूर नहीं किया है ? अगर हां, तो क्यों ? अब सरकार उक्त जन सहयोग की धनराशि के बराबर पाठशाला भवन के निर्माण के लिए अनुदान कब तक मंजूर करेगी ?

(स्थगित किया गया)

लूणकरणसर एवं महाजन के हरिजन मोहल्लों में बिजली

300. श्री भीमसेन (लूणकरणसर): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि हरिजन मोहल्ला लूणकरणसर एवं महाजन के विद्युतिकरण हेतु राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने स्वीकृति दे दी थी ? अगर हां, तो उक्त दोनों मोहल्लों के विद्युतिकरण का कार्य अब तक क्यों नहीं शुरू किया जा सका ?

उत्तर

लूणकरणसर ग्राम की दो हरिजन बस्तियों के विद्युतिकरण का कार्य चालू है जिसे इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करने का प्रयास जारी है। महाजन ग्राम की पंचायत द्वारा अभी तक बिजली के मासिक बिलों के भुगतान से सम्बन्धित अनुबन्ध प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः इस गांव की हरिजन बस्ती के विद्युतिकरण की स्वीकृति नहीं दी जा सकी।

राजगढ़ अस्पताल में चिकित्सा की सुविधा

301. श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही नहीं है कि राजगढ़ (सादुलपुर) कस्बे की दिनों दिन बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए राजकीय अस्पताल के स्तर को ऊंचा उठाना आवश्यक है ?

(ख) क्या यह सही नहीं है कि यहां के अस्पताल में दवाओं की अक्सर कमी रहती है ? इस सिलसिले में विगत 5 साल में उपरोक्त अस्पताल को दी गई औषधियों की सूची वर्षवाइज मय रकम दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें।

(श्री मोहर सिंह)

(ग) क्या यह सही नहीं है कि राजगढ़ अस्पताल में एक्स-रे मशीन तुरन्त भिजवाये जाने की मांग कई दिनों से की जा रही है ?

(घ) क्या सरकार उपरोक्त सभी कमियों को मिटाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

(क) जी हां।

(ख) जी नहीं। सूची संलग्न है।

(ग) जी नहीं।

(घ) वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर एक्स-रे मशीन की व्यवस्था संभव होगी।

सूची

राजकीय चिकित्सालय, राजगढ़ (जिला चूरू) को विगत पांच वर्षों में सप्लाई की गई औषधियों का विवरण :—

नाम वर्ष	बजट प्रावधान	औषधियों का मूल्य जो सप्लाइ की गई
1970-71	7000-00	6964-78
1971-72	6000-00	7567-85
1972-73	6000-00	7865-85
1973-74	6000-00	5996-00
1974-75	9000-00	6265-83

ग्राम भंदर में टंकी का निर्माण

302. श्री मोहनराज (बाली) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि बाली क्षेत्र के ग्राम भन्दर के आस पास के कई गांवों में नल द्वारा पीने का पानी पहुंचाने हेतु एक पानी का ओवर हैड टैंक अभी गत वर्ष बनाया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि प्रथम बार ही उसे पानी से भरने पर उसमें स्थान स्थान पर लीकेज (दरारें) नजर आईं और बहुत सारा पानी निरर्थक ही बाहर बहता रहा ?

(3) यह टैंक किस ठेकेदार अथवा विभाग द्वारा बनाया गया है ? इसकी कुल लागत कितने रुपये हुई ?

(4) क्या सरकार ने इस टैंक के घटिया निर्माण के मुतल्लिक कोई जांच करवाई है ? यदि हां, तो क्या नतीजा रहा?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम भंदर के निकट वीरमपुर में ओवर हैड टैंक नवम्बर, 73 में पूरा किया गया।

(2) जी हां। उसकी टेस्टिंग में लीकेज पाया गया था जिनकी ठेकेदार द्वारा मरम्मत कर दी गई है व माह फरवरी, 76 से टैंक काम में लिया जा रहा है।

(3) यह टैंक मैसर्स आदर्श श्रमिक सहकारी समिति, जोधपुर द्वारा बनाया गया। कार्य की कुल लागत 82500/-रुपये है।

(4) जी नहीं। सीमेन्ट की टंकी बनाने के उपरान्त बहुत समय तक खाली रहने पर उसमें लीकेज होना स्वाभाविक है जिसे बाद में ठीक कर दिया गया है।

बाल विद्यापीठ पुत्री पाठशाला सूरसागर को अनुदान

303. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि बाल विद्यापीठ पुत्री पाठशाला, सूरसागर, जोधपुर को 70 प्रतिशत मिलता रहा राजकीय अनुदान अब पूर्णतया बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

(2) उपरोक्त पाठशाला कितने वर्षों से अनुदान पा रही है ?

(3) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त पाठशाला में लगभग 300 छात्राएं शिक्षा पा रही हैं और राजकीय अनुदान के अभाव में यह शाला बन्द होने जा रही है ? यदि हां, तो इन अभागी छात्राओं की शिक्षा का राज्य सरकार क्या प्रबन्ध करने जा रही है?

(4) उपरोक्त क्षेत्र जोधपुर नगर के खनिज श्रमिकों के निवास का सबसे महत्वपूर्ण केन्द्र है और नये आर्थिक कार्यक्रम एवं अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के सन्दर्भ में क्या राज्य सरकार वहां आगामी सत्र से राजकीय उच्च प्राथमिक पाठशाला खोलेगी या उपरोक्त शाला का प्रशासन अपने हाथ में लेगी जिससे उपरोक्त छात्रों की शिक्षा चालू रह सके ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 1-8-75 से पुनः वर्गीकरण समिति की रिपोर्ट के आधार पर।

(2) सन् 1960 से।

(3) इस संस्था में सत्र 74-75 में कुल 264 छात्र/छात्रा शिक्षा पा रहे थे। अनुदान के अभाव में पाठशाला बन्द होने की सूचना राज्य सरकार को नहीं है।

(4) आगामी सत्र में बजट प्रावधान होने पर अन्य प्रस्तावों के साथ विचार किया जायगा।

सीकर जिले में क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत सड़कों का कार्य

304. श्री नारायण सिंह चौधरी (दांतारामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर जिले में क्रेश कार्यक्रम के अन्तर्गत कौन कौन सी सड़कें ली गयी थीं तथा उन पर कितने रुपये का कार्य हुआ ? मय धनराशि दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि जितनी भी सड़कें इस क्रेश योजना में बनी थी वह पूर्ण नहीं बनी थीं तथा आज उनकी हालत बहुत खराब है ?

(3) क्या राज्य सरकार की ऐसी सड़कों को ठीक करवाने की कोई योजना है ?

उत्तर

(1) सीकर जिले में वर्ष 1971-72 तथा 1972-73 में क्रेश योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सडकों की सूची संलग्न है।

(2) क्रेश योजना में स्वीकृत 14 सडकों में से 7 सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष 7 सड़कों का कार्य अपूर्ण है, जो वर्षा ऋतु में क्षतिग्रस्त हुई हैं।

(3) धनाभाव के कारण मरम्मत अभी सम्भव नहीं है। जैसे जैसे विभाग को धनराशि उपलब्ध होगी, कार्य कराया जा सकेगा।

सीकर जिले में क्रेश योजना के अन्तर्गत वर्ष 71-72 तथा 72-73 में स्वीकृत सड़कों पर व्यय की गई धनराशि।

नाम सड़क	कार्य पर व्यय धनराशि
1-रामगढ़ बिसाऊ	63,405.00
2-जिला मेटल रोड़	44,781.00
3-एप्रोच रोड महुवा	50,324.00
4-मेटल रोड फतहपुर रामगढ़	47,801.00
5-एप्रोच रोड मालिया की ढाणी	8,938.00
6-दांता एप्रोच रोड	10,254.00
7-लक्ष्मण गढ़ सालासर ग्रेवल रोड़ कि. मी. 29/0 से 32/0	55,593.00

नोट :—क्रम संख्या 1 से 7 का कार्य पूर्ण हो चुका है।

8-गारिया ओए माता सड़क	1,60,821.00
9-पलसाना खाटू सड़क	98,813.00
10-बालेश्वर दरीबा रोड	155801.00
11-लक्ष्मण गढ़ सालासर मेटल रोड 5/0 से 11/0	80591.00
12-बाजोर पीपराली रोड	149917.00
13-हर्ष रोड	142039.00
14-श्री माधोपुर मूंडरू रोड	28756.00

क्रम संख्या 8 से 14 का कार्य अपूर्ण है।

परिवार नियोजन पर जिलेवार व्यय की गई राशि

305. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में फर्जी लूप लगाने, नसबन्दी करने, गर्भपात व औरतों की नसबन्दी करने के कितने केस दर्ज हुए ? इनमें कितने अधिकारी दोषी पाये गये और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या परिवार नियोजन के रजिस्टर को अब भी गोपनीय रखने की राज्य सरकार की मन्शा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) नसबन्दी व औरतों के आपरेशन के प्रोत्साहन हेतु जो धनराशि दी जाती है क्या वह सब जिलों में बराबर है ? यदि नहीं, तो देय राशि की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) फर्जी लूप तथा नसबन्दी करने की पांच शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई जिनकी

(उत्तर)

(चिकित्सा मंत्री)

जांच जारी है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना संभव होगा।

(2) जी नहीं। परन्तु एम. टी. पी. एक्ट के तहत केवल गर्भपात सम्बन्धी रिकार्ड गोपनीय रखने का प्रावधान है।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि सब जिलों में समान है।

नागौर जिले में खोले गये सैकेन्डरी स्कूल

306. श्रीमती गौरी पूनिया (मकराना): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सन् 1974-75 में राजस्थान में कुल कितने सैकेन्डरी स्कूल खोले गये व किस किस जिले में कितने कितने? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) जिला नागौर में इसी सत्र में कुल कितने सैकेन्डरी स्कूल खोले गये व किस किस स्थान पर? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि इस जिले के बोरावड़ ग्राम में पहले तो सैकेन्डरी स्कूल खोलने का आदेश दे दिया था? यदि हां, तो फिर किस कारण से इस आदेश को रद्द करके गच्छीपुरा में सैकेन्डरी स्कूल खोला गया?

(4) क्या यह सही है कि जिला परिषद् व इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स की सिफारिश बोरखड़ के लिए थी?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां।

सत्र 1974-75 में राजस्थान में खोले गये सैकेण्डरी स्कूलों की सूची:—

1. इन्दोका (जोधपुर)
2. ईडवा (नागौर)
3. अनूपगढ़ (गंगानगर)
4. छतरगढ़ (बीकानेर)

सत्र 75-76 में नागौर जिले में माध्यमिक स्तर के खोले गये विद्यालयों की सूची :—

1. बगड़
2. रोल
3. जसवन्तगढ़ (कन्या)
4. मीढ़ा
5. गच्छीपुरा
6. जाखेड़ा
7. चावण्डिया

अध्यापकों के तबादले

307. श्री भुवनेश चतुर्वेदी (कोटा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग में दिसम्बर 75, जनवरी व फरवरी, 76 में अध्यापकों के तबादले हुए हैं?

(2) दिसम्बर, 1975, जनवरी व फरवरी, 1976 में कुल कितने तबादले हुए हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

शाहपुरा का अस्पताल

308. श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सच है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अमरसर एवं मैड़, जिला जयपुर में लेडी डाक्टरों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो इन पदों पर लेडी डाक्टर नहीं लगाए जाने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सच है कि शाहपुरा में 25 बेड का अस्पताल बनाये जाने हेतु सरकार के आश्वासन मे भवन तैयार कराया गया है? यदि हां, तो अब तक स्टॉफ एवं सामान नहीं भेजने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि नेशनल हाई वे पर स्थित कस्बा शाहपुरा के अस्पताल के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस स्थान पर स्टाफ एवं एक्स-रे मशीन आदि की व्यवस्था करने पर निर्णय शीघ्र किया जावे ?

उत्तर

(1) जी हां, महिला चिकित्सा के अभाव के कारण।

(2) राज्य सरकार का ऐसा कोई आश्वासन नहीं था।

(2) वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर ही इस पर विचार करना सम्भव हो सकेगा।

बयाना-मुसावर मार्ग पर चलने वाली बसें

309. श्री नत्थीसिंह (नदबई) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

1. क्या यह सही है कि बयाना से मुसावर मार्ग को राज्य सरकार ने अधिगृहीत (राष्ट्रीयकरण) कर लिया है ? यदि हां, तो कब से और इस मार्ग पर प्रतिदिन कितनी बसों की सेवा उपलब्ध है ?

उत्तर

1. इस मार्ग का राष्ट्रीयकरण दिनांक 15-2-76 से कर लिया गया है। इस मार्ग पर 26 एकल सेवायें संचालित की जा रही हैं।

राज्य सरकार पर ऋण

310. श्री चेतराम (टोडाभीम) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्र सरकार का राज्य सरकार पर किन किन मदों में कुल कितना ऋण है और उसका वार्षिक देय ब्याज कितना है? मदवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) पिछले 10 सालों के मुकाबिले में इस ऋण का वित्तीय अनुपात क्या रहा है ?

(3) भारत सरकार के अतिरिक्त और किन किन वित्तीय एजेन्सीज का कितना कितना (पृथक् पृथक्) ऋण राज्य सरकार पर है ?

उत्तर

(1) चालू वित्तीय वर्ष के आरम्भ में केन्द्र सरकार का राज्य सरकार पर 785.72 करोड़ रुपये का ऋण था जिस पर वर्ष 1975-76 में देय ब्याज 37.49 करोड़ रुपया है। मदवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(वित्त मंत्री)

(2) प्रश्न स्पष्ट नहीं है ।

(3) चालू वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में भारत सरकार के अतिरिक्त निम्नलिखित संस्थाओं का ऋण इस प्रकार था:—

(करोड़ रुपयों में)

1.	भारत जीवन बीमा निगम	10-74
2.	राष्ट्रीय भंडार व्यवस्था निगम	0.01
3.	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग	0.01
4.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	3.31
5.	भारतीय रिजर्व बैंक	4.51
6.	भारतीय दुग्ध निगम	1.23
	योग:-	19.81

दिनांक 1-4-75 को केन्द्रीय ऋणों के प्रारम्भिक शेष एवं उन पर वर्ष 75-76 में देय ब्याज की तालिका

(अंक करोड़ रुपये में)

मद	दिनांक 1-4-75 को प्रारम्भिक शेष	वर्ष 1975-76 में देय ब्याज
क—आयोजना भिन्न ऋण		
1. अल्प बचत योजना	27.01	1.36
2. अल्पकालीन ऋण	1.00	0.03
3. विपणि उधार ऋण	5.00	0.13
4. अन्य ऋण		
ख—राज्य आयोजना ऋण	0.44	0.01
1. भाखरा नांगल परियोजना	12.24	0.57
2. समूह ऋण	37.82	1.98
ग—केन्द्रीय आयोजना/प्रवर्तित योजना	2.26	0.13
घ—1974 से पूर्व के एकीकृत ऋण	699.95	33.28
योग:—	785.72	37.49

परिशिष्ट 6

(तारांकित प्रश्न संख्या 289 के आदेश)

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप–5)।

क्रमांक-प./(1) वि.स्वा.-ग्रुप-3/73 जयपुर दिनांक 9-4-75

निदेशक,

आयुर्वेद विभाग राजस्थान,

अजमेर।

विषय :—आयुर्वेदिक औषधालयों का स्थानान्तरण

महोदय,

निदेशानुसार निम्नलिखित आयुर्वेदिक औषधालयों के स्थानान्तरण किए जाने की राज्यपाल की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

वर्तमान औषधालय का स्थान	जहां स्थानान्तरण किया जाना है	तहसील	जिला
(1) ग्राम निकुम्भ	मापूजा	—	चित्तौड़गढ़
(2) ,, बोहेड़ा	मोरवन	—	चित्तौड़गढ़
(3) ,, पूलासर	कल्याणपुरा पिरोहितान	सरदारशहर	चूरू
(4) ,, सालावास	मोगड़ा कलां	प. स. मूनी	जोधपुर

औषधालय स्थानान्तरित किए जाने वाले स्थानों पर भवन व्यवस्था जनता द्वारा नि: शुल्क की जावेगी।

भवदीय

ह.

उप शासन सचिव

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-3)

क्रमांक–प.1(1) वि:स्वा. ग्रुप–3–73 दिनांक 4–6–75.

आज्ञा

विषय:—आयुर्वेदिक औषधालयों का स्थानान्तरण

इस विभागीय पत्र सम संख्यक दिनांक 9-4-75 द्वारा ग्राम मुलासर के आयुर्वेदिक औषधालयों को ग्राम कल्याणपुरा पुरोहितान जिला चूरू में किया गया स्थानान्तरण निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से

ह.

(चन्दभानु गुप्त)

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-3)

क्रमांक : प.1(1) चि. स्वा. ग्रुप-3-73. दिनांक 3-9-75

निदेशक,

आयुर्वेद विभाग, राजस्थान

अजमेर

विषय :—आयुर्वेदिक औषधालय, पूलासर के स्थानान्तरण

महोदय,

इस विभागीय पत्र सम संख्यक दिनांक 4-6-75 को निरस्त करते हुए निर्देशानुसार आयुर्वेदिक औषधालय, पूलासर को ग्राम फोगा तह. सरदारशहर, जिला चूरू में स्थानान्तरण आदेश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय

ह.

उप शासन सचिव

परिशिष्ट 7

(प्रता. प्र. सं. 148 की सूची)

वर्ष 1976 में दिनांक 1-1-76 से 29-2-76 तक की समयावधि में घटित चोरी की घटनाओं की जिलावार तालिका।

1–जिला अजमेर	269
2–जिला अलवर	101
3–जिला टोंक	35
4–जिला झुंझुनूं	48
5–जिला सीकर	60
6–जिला भरतपुर	91
7–जिला जयपुर	466
8–जिला सवाई माधोपुर	83
9–जिला बीकानेर	36
10–जिला चूरू	48
11–जिला गंगानगर	81
12–जिला जोधपुर	118
13–जिला जालोर	43
14–जिला बाड़मेर	24
15–जिला सिरोही	18
16–जिला जैसलमेर	12
17–जिला नागौर	77
18–जिला पाली	42
19–जिला कोटा	258
20–जिला बूंदी	74
21–जिला झालावाड़	31
22–जिला उदयपुर	70
23–जिला भीलवाड़ा	68
24–जिला बांसवाड़ा	47
25–जिला डूंगरपुर	12
26–जिला चित्तौड़गढ़	177
27–रेल्वे पुलिस, अजमेर	122
	2506

परिशिष्ट-8

भता. प्र. सं. 150 की सूची

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, चोट प्रतिवेदन प्रपत्र

चोट प्रतिवेदन श्री	आयु	जाति	निवास	पुलिस प्रतिवेदन सं०		दिनांक	संलग्न है
चोट का स्वरूप यथा कटाव, घाव कुचलना आदि	प्रत्येक चोट का आकार इन्चों में लंबाई, चौड़ाई, गहराई	शरीर के कौन से अंग पर लगी	सामान्य या गंभीर	किस प्रकार के हथियार से लगी	परीक्षक व्यक्ति की पहिचान चिन्ह	एक्स-रे तजवीज	विशेष विवरण

Pt. C/o pain all over the body since two days.
No: exterior injury of any kind on any part of the body is seen.
pt. is conscious responding to stimuli but depressed.
Plus 92|mt. regular & good in volume.
B. P: 120/74 m.m. of mg.
pupils normal reacting to light.

S. No: 103 31-12-76
Handed over to
Sd/—Rana Lal
16-2-75

1. An oblique scar of 1" on the upper eyelid of Lt. eye.

Sd/—A.F. Parmar 31-12-74

Sd/—
Medical Jurist.
Mahatma Gandhi Hospital, Bhilwara (Raj.)

35797 Shanker.

31.12 16 years.

History of Electric shock.

(i). Un-covarn in.

(ii). Pay Sn. in.

Iri. Dutnowulom in Kemar Sorins. in the ½ shinit seen.

Return to M. C. H. for further treatment.

Sd/-Dev Narain.
Medical Officer, Govt. Dispensary.
Gangapur Bhilwara.

As there is no external injury on his body. He is given injury report sent to the Medical Jurist M. G. Hospital extrads to given certificate.

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 155 की सूची

सूची 'ब'

दिनांक 1/4/75 से 31/12/75 तक झालावाड़ जिले में ग्रामवार अनुसूचित जाति/जनजाति/लघु कृषकों को दिये गये कनेक्शनों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	उपभोक्ता का नाम	अनुसूचित जाति/जनजाति/लघु कृषक	कनेक्शन देने की तारीख
1.	सामरिया	देवलाल	अनुसूचित जनजाति	31-10-75
2.	कटफला	देवलाल	,,	31-10-75
3.	कटफला	बलदेव	,,	16-12-75
4.	माण्डवी	गबरूजी	अनुसूचित जाति	3- 6-75
5.	ग्रामलिया	नन्दा	लघु कृषक	24-11-75
6.	ग्रामलिया	भैरूजी	,,	24-11-75

आर० ई० सी० झालरापाटन में सामान्य प्राथमिकता से दिये गये कनेक्शनों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	उपभोक्ता का नाम	अनुसूचित जाति/जनजाति/लघु कृषक	कनेक्शन देने की तारीख
1.	रलायती	भैरूलाल	अनुसूचित जाति	16-11-75
2.	बिसनिया	श्री प्रभु	,,	19-11-75
3.	बिसनिया	श्री नन्दा	,,	,,
		1-1-76 से 15-1-76 तक		
4.	असनावर	दूधा	अनुसूचित जनजाति	5-1-76
5.	मेसर	बालचन्द	अनुसूचित जाति	5-1-76
6.	लावासल	उदा	अनुसूचित जनजाति	6-1-76
7.	लावासल	गोपीलाल	अनुसूचित जाति	6-1-76
8.	अकतासा	दूलीचन्द	अनुसूचित जनजाति	28-1-76

परिशिष्ट 10

(अता. प्र. सं. 158 की सूची)

राजकीय चिकित्सालय दौसा में 1974 से 1976 फरवरी तक रोगियों की महीनेवार इन्डोर व आउटडोर की संख्या

वर्ष		जन॰	फ॰	मार्च	अप्रेल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सित॰	अक्टू॰	नवम्बर	दिस॰	योग
1974	आउटडोर पेसेन्ट	3060	3938	4927	4303	5301	4940	4832	5744	5605	4372	4067	3705	55196
	इन्डोर पेसेन्ट	45	30	54	42	60	60	50	54	51	49	48	40	573
1975	आउटडोर पेसेन्ट	3168	3718	4679	5468	4537	4591	5760	7961	10376	6636	5510	4637	68520
	इन्डोर पेसेन्ट	50	34	51	72	62	51	56	67	59	60	64	53	679
1976	आउटडोर पेसेन्ट	3999	3911	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7910
	इन्डोर पेसेन्ट	46	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82

परिशिष्ट 11

(प्र. ता. प्र. सं. 162 की सूची)

Government of Rajasthan

IRRIGATION DEPARTMENT

No. 514 Dated 21-5-75

The Executive Engineer,
Irrigation Division, Jaipur.

Sub. :-Proposals for Famine Relief Works.

Ref. :-Your Endt. No. 1971 dt. 19-5-75.

The requisite information as desired vide your endorsement under reference submitted as under :—

1. Lalsote Mycawala Khora Bund.

It is situated near village Lalsote 1st, 260 and log. 760.22' and catchment area is 1/2 sq.mile and it is under Gram Panchayat.

The water of this bund is only used for drinking purpose and not productive.

2. Dehlot Bund.

It is situated near village Dehloy Teh. Lalsote Lat. 26-36' long 76019 its catchment is came under Meral Tank which is 1.20 sq. mile. There is no waste weir site.

3. Kutkia Bund.

It is situated near village Kutkia Teh. Lalsote, P. S. Lalsote. Lat. 26040 long 760.19' catchment area 1|2 sq. mile, Nalla originate from local hill and it is old tank of Gram Panchayat. It is not productive scheme. It is only for drinking purpose of cattle.

4. Sethwala Tank Bagdi.

It is situated near village Bagdi in Teh.Lalsote lat 26027 long 760.26' & catchment area 1/2 sq. mile.

It is not productive scheme. It is used for drinking purposes of cattles. The bad cultivation is 20 bighas approx.

5. Intawa ka Talab.

It is situated near village Intawa Teh.'Lalsote lat 260.36' long 76.26' catchment area 1/2 sq. mile. It is not productive scheme. It is used for drinking purpose of cattles only.

6. Dhuriyawas Bund.

It is situated near village Churiyawas Teh. Lalsote lat 26.33' long 76.19 and catchment area 0.8 sq. mile.

It is old tank under Gram Panchayat Churiyawas, it is constructed on local Nalla which is originated from local hill about one mile. The water remains in the bund throughout the year 4' depth of bad cultivation is about 25 bighas as per information collected from local people. The total length of the tank is 30 chain.

7. Talab Gaon Tank.

It is situated near village tala goan lat 26.29 long 76.15 & catchment area 2.2 sq. mile under Gram Panchayat Talab Goan. It is old breached tank. Its length is 8 chain & maximum height of tank is 30' from Nalla portion and length of branch is 7'.

8. Khurraw Bund.

It is situated near village Khurraw Gram Panchayat Khurraw under Gram Panchayat lat 26.27 long 76.29 of catchment one sq. mile. It is irrigated about 40 acres (flow irrigation) and bad cultivation 10 acres.

9. *Nicharra.*

It is situated near village Nicharra under gram panchayat Nicharra lat. 26.34 long. 76.19 & catchment area 0.7 sq. mile.

It is not productive scheme. It is use for drinking purposes of cattles. Its bed cultivation is about 15 bighas as per local information. This is old tank irrigating about 15 bighas only.

Encl. One.

Sd/-
Asstt. Engineer, Irrigation
Sub-division Dausa.

परिशिष्ट सं. 12

(अतारांकित प्रश्नोत्तर संख्या 164 की सूची)

मितव्ययता के कारण समाप्त किये गये पदों की सूची

	विभाग का नाम	समाप्त किये गये पदों की संख्या			
		राज पत्रित	अराज पत्रित	चतुर्थ श्रेणी	योग
1.	कृषि	32	361	85	498
2.	पशु पालन	4	167	314	485
3.	सामुदायिक विकास	13	35	20	68
4.	भू-जल	8	94	28	130
5.	महाविद्यालय शिक्षा	14	7	—	21
6.	तकनीकी शिक्षा	1	1	1	3
7.	वन	4	11	24	39
8.	बन्दोबस्त	—	30	5	35
9.	श्रम	3	13	10	26
10.	रोजगार	—	—	3	3
11.	जिला गजेटियर्स	1	2	1	4
12.	मूल्यांकन	3	12	15	30
13.	आर्थिक और औद्योगिक	5	16	1	22
14.	स्थानीय निधि अंकेक्षण	—	2	2	4
15.	अल्प बचत और लोटरीज	—	4	—	4
16.	धर्मार्थ	—	2	8	10
17.	राज्य उत्पादन शुल्क	—	105	10	115
18.	समाज कल्याण	—	4	—	4
19.	उद्योग	1	44	18	63
20.	खाद्य	5	77	23	105
21.	यातायात	1	30	8	39
22.	जागीर	—	18	1	19
23.	चिकित्सा	1	6	602	609
24.	पुलिस	—	—	35	35
25.	सहकारिता	—	12	53	65
26.	जन सम्पर्क	2	10	4	11
27.	राजस्थान पंचायत और स्थानीय निकाय सेवा आयोग	—	1	—	1
28.	आयुर्वेद	—	60	—	60
29.	सिंचाई	24	60	24	108
30.	पी० डब्लू डी०	8	189	30	227
	योग	150	1373	1325	